राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अङ्क १] चतुर्थ विधान सभा के प्रथम सत्र का ४६ वां दिवस [संख्या २६]

शनिवार, दिनांक १७, जून १६६७

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.०४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(अकाल सहायता, खाद्य, उद्योग, यातायात, राजस्व, विद्युत, विकास, सिंचाई, सहकारिता, खनिज, पंचायत, सा० निर्माण, उपनिवेशन, भाषा विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

अकाल राहत कार्य पर लगे मजदूरों को मजदूरी का चुकारा

५७८. श्री शंकरलाल (कपासन) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कपासन और बड़ी सादड़ी एवं चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित किया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में राहत कार्य भी प्रारम्भ किया गया था यदि हां, तो कहां कहां और किस किस विभाग की ओर से और किस किस तहसील में कार्य प्रारम्भ किया गया ?

(३) क्या यह सही है कि तहसील बड़ी सादड़ी और कपासन में कार्यों को बन्द कर दिया गया है और कहीं कहीं मजदूरों की कमी कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि राहत कार्य पर लगे मजदूरों को मजदूरी का चुकारा विलम्ब से किया जाता रहा है और अब तक चुकारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ? और अब चुकारा शीघ्र कराने की व्यवस्था कब तक हो जायेगी ?

उप मंत्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर कोई क्षेत्र अकाल ग्रस्त घोषित नहीं किया जाता। सं० २०२३ में कपासन तहसील में १०१ गांव बड़ी सादड़ी तहसील में १३३ गांव एवं चित्तौड़गढ़ तहसील में २ गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये थे।

(२) सूची संलग्न है, जो सदन कि मेज पर रख दी गई।

Page No.2

(श्री गंगाराम चौधरी)

(३) जी नहीं। यह सही है कि कपासन व बड़ी सादड़ी तहसील के अकालग्रस्त क्षेत्रों में चल रहे किसी भी राहत कार्य को बन्द किये जाने के आदेश नहीं दिये गये। किसी भी अभिकरण द्वारा मजदूरों की संख्या में किसी भी राहत कार्य पर कमी की गई हो, ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यह अवश्य है कि गत माह में बहुत सी शादियों के होने के कारण मजदूरों की संख्या में अपने आप ही कुछ कमी हो गई थी।

(४) राहत कार्यों पर लगे मजदूरों का चुकारा प्रायः हर पखवाड़े होता है। उक्त तहसीलों में सभी जगह मजदूरी का चुकारा समय पर हो रहा है। एवं चुकारे में देरी होने की कोई शिकायत इस विभाग में प्राप्त नही हुई।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री शंकरलाल : क्या प्रोडक्टिव वर्क्स को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रोडक्टिव वर्क्स को प्राथमिकता देने का ही सरकार का विचार है और इसके लिए आदेश भी जारी किये जा चुके हैं।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि चित्तौड़ से असिस्टेंट इंजीनियर का कार्यालय हटा कर भीलवाड़ा कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है ?

श्री फूलचन्द बाफणा।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, मै समझता हूं कि सोइल कंजर्वेशन का काम ऐसा है···

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है लेकिन आप तो एकदम से हैडक्वार्टर पर आ गये हैं। हैड क्वार्टर का तबादला तो इस प्रश्न में नहीं आता है।

श्री शंकरलाल : उसी से सम्बन्धित सवाल है....

श्री अध्यक्ष : सवाल तो है लेकिन इससे सम्बन्धित नहीं है। श्री बाफणा।

श्री दौलतराम (देसूरी) : मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा....

श्री अध्यक्ष : अब निवेदन रहने दीजिए। मैं ३७९ पर आ गया हूं।

लेवी और अन्न के भाव

५७९. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या अन्न की लेवी की घोषणा से अन्न भाव बढ़े हैं ?

(२) क्या लेवी के अन्न को सुरक्षित रखने हेतु आवश्यक व अच्छे गोदाम हैं ?

(३) लेवी से कौन कौन सा कितना कितना अन्न संग्रह हो जाने की आशा है ?

खाद्य मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) अन्न के भाव लेवी की घोषणा से नहीं बढ़े हैं।

Page No.3

(श्री परसराम मदेरणा)

(२) लेवी के अन्न को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक एवं अच्छे गोदाम उपलब्ध हैं।

(३) लेवी में केवल गेहूं ही लिया जा रहा है, जो करीब २०,००० टन अन्न संग्रह होने की आशा है।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या लेवी फेमिन अफेक्टेड एरिया में भी ली जाती है।

परसराम मदेरणा : क्या फरमाया ?

श्री फूलचन्द बाफना : क्या फेमिन एरिया में, जो अकाल ग्रस्त एरिया है वहां पर भी लेवी ली जाती है ?

श्री परसराम मदेरना : फेमिन एरिया जो घोषित कर दिया गया है, जो गांव स्केयरसिटी इफेक्टेड होने के बाद उनकी रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आने के बाद अगर गजट में स्केयरसिटि एरिया नोटिफाई हो गया है तो उनसे लेवी नहीं ली जायेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या ऐसे फेमिन एरियाज में जहां पर कि कुओं से निरन्तर पानी आता है और जिससे लाखों मन अनाज पैदा होता है उनको भी छोड़ दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं ऐसे कैसे कहूं कि कहां पर क्या होता है। अगर आप डेफिनेट कोई बात कहें और कोंक्रीट सजेशन हों तो उस पर कहा जा सकता है लेकिन जनरल तौर पर तो मैं कुछ कहने की पोजीशन में नहीं हूं।

श्री फूलचन्द बाफना : क्या जिन स्थानों पर लेवी लेना घोषित किया गया है और वहां पर किसी के यहां पर बिलकुल भी या थोड़ा सा ही अनाज पैदा हुआ है तो भी उससे उतनी ही लेवी वसूल की जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : लेवी का आधार यह है कि जो किसानों के पास सरप्लस अनाज होगा उसमें से लिया जाय। अभी तो सरकार का गेहूं को ही लेने का प्रस्ताव है।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों ने अपना अनाज बेच दिया है या जिनके यहां पैदा नहीं हुआ है उनसे भी लेवी वसूल की जायेगी ?

श्री परसराम मदेरणा : इस प्रकार की शिकायतें राज्य सरकार के पास में आई हैं कि कुछ काश्तकारों के पास में उनकी लेवी की डिमाण्ड स्लिप जाने के पहले ही उन्होंने अपना अनाज बेच दिया है या उनके पास कम उत्पादन हुआ है तो वैसी शिकायत आने के बाद में इमीजियेटली टेलीग्राम से टेलीफोन से और दूसरे जरियों से आवेदन पत्र को क्लेक्टर के पास भेज दिया गया है कि तुरन्त जांच करके रिपोर्ट करें और जैसी उनकी जांच रिपोर्ट आवेगी उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(कई माननीय सदस्य प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री बाफणा।

Page No.4

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले के विलाड़ा और बोरून्दा गांव में सरकार के लाखों रुपये लग चुके है सब्सिडी और ऋण वगैरा में और वहां पर बहुत उत्पादन हुआ है फिर भी जोधपुर के अकाल ग्रस्त क्षेत्र होने के नाते वहां के धनिक किसानों को छोड़ दिया गया है ...

श्री अध्यक्ष : क्या यह सत्य है (श्री मदेरणा की ओर मुखापेक्ष) ?

श्री परसराम मदेरणा : राजस्थान के अन्दर लेवी सिर्फ दस ही जिलों में लागू की गई है और जिन दस जिलों में लेवी लागू की गई है उनमें जोधपुर जिला नहीं है। इस लिए जिले के किसी एक गांव में पैदावार अच्छी हुई हो या दो गांवों में पैदावार अच्छी हुई हो तो उसके आधार पर लेवी नहीं लगाई जा सकती। जिन गांवों में स्केयरसिटि है, जहां पर खरीफ की फसल अच्छी नहीं हुई है वहां के गांवों को मिला कर जिले के अनुसार यह घोषित किया गया है कि इतने २ जिले इफेक्टेड हैं और उन्हीं के आधार पर यह घोषित किया गया है कि केवल दस जिलों से ही गेहूं की लेवी वसूल की जायेगी। उन दस जिलों में जोधपुर जिला नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहला जो प्रश्न पूछा था उसमें मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था कि जो देने लायक हैं उनको नहीं छोड़ा जायगा और अब फरमा रहे हैं कि जोधपुर जिला अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है इसलिए वहां से कोई लेवी वसूल नहीं होगी तो यह दोनों बातें विरोधाभास नहीं हैं क्या उत्तर में ? और मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो लाखों रुपया सरकार ने इन गांवों में लगाया है तो जब सरकार उनको मदद देती है और उनकी मदद से ही उत्पादन होता है तो केवल इस बात के आधार पर कि वह मंत्री महोदय के चुनाव क्षेत्र में पड़ता है, वहां से लेवी वसूल न करना....

श्री अध्यक्ष : मोटिव्ज पर नहीं, मोटिव्ज पर नहीं आए एकदम से। पहले मंत्री महोदय का उत्तर आ जाने दें।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने लेवी के सबंध में यह पूछा था कि सरकार किन से लेवी वसूल करती है और उसके लिए मैंने जवाब दिया था कि जिन किसानों के पास अधिक अनाज है उनसे ही लेवी ली जायेगी और लेवी वसूली के लिए सरकार ने दस जिले निश्चित किये हैं। माननीय सदस्य ने जो मेरे पर यह आरोप लगाया कि बिलाड़ा और बोरून्दा चूंकि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पड़ते हैं इसलिए वहां पर लेवी नहीं ली जा रही है यह बिल्कुल गलत और असत्य हैं। मैं निवेदन करूं कि बोरून्दा खरीफ की फसल के लिए स्केयरसिटि अफेक्टेड गांवों में हैं और इसके अलावा जहां पोसिबिलिटि है अनाज के उत्पादन की और उस गांव में कर्जा दिया गया है अनाज उत्पादन के लिए तो कर्जा तो राज्य सरकार ने लाखों रुपयों का भिन्न २ गांवों में अन्न उत्पादन के लिए दिया है। दूसरा सवाल यह कि आज तक उसका

Page No.5

(श्री परसराम मदेरणा)

नोटिफिकेशन निकला या नहीं ? इसमें राज्य सरकार की मन्शा साफ है कि जिन जिलों के लिए गजट नोटिफिकेशन हो गया है, यानि जिन जगहों के लिए कहा गया है कि इन जिलों से ही लेवी वसूल होगी तो उन जिलों में केवल १० जिले ही ऐसे हैं जहां से लेवी वसूल की जाएगी। बोरूंदा गांव उन दस जिलों में नहीं आता है। जिन गावों से लेवी वसूल करने का निर्णय किया गया है उन गांवों में बरसात का औसत और पैदावार को ध्यान में रखा गया है। जिन गांवों में बरसात का औसत कम रहा है, गेहूं की फसल कम हुई है या और कुछ बातें हैं तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही दस जिलों से लेवी वसूल करने का निर्णय किया है और उन दस जिलों में जोधपुर जिला नहीं आता है। इसलिए मेरे कांस्टीट्यूएंसी में गांव होने से पक्षपात करने का आरोप बिल्कुल तथ्यहीन और निराधार है।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले आपकी मारफत यह दरयाफ्त किया था कि क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां से लेवी ली जाती है जहां कि पैदा होता है तो आपने यह पूछा कि कहां पर इसलिए मैंने स्थान का नाम बतलाया तो उसको आपने आरोप समझ लिया। स्थान बतलाना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : आरोप तो मोटिव जो था जहां पर कि मैंने आपको रोका था वह आरोप था। प्रश्न पूछ लें और उसको छोड़ दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली). : क्या काश्तकारों से लेवी वसूल करते समय आप उसके साल भर के खाने का नाज और बोने के लिए बीज छोड़ देते हैं या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : मैंने पहले ही निवेदन किया कि काश्तकारों से खाने के लिए और बीज के अलावा जो सरप्लस नाज हो उसको ही लेवी के रूप में लिया जायगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र में ४-५ साल से अकाल है, खरीफ का भी अकाल था और रबी का भी अकाल था तो क्या ऐसे गांवों से लेवी वसूली स्थगित करेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अगर अकाल ग्रस्त गांव हैं तो उसकी रिपोर्ट सरकार के पास में आ गई है। रबी में भी जो गांव अकालग्रस्त हैं उनसे लेवी लेने का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन खरीफ में अकाल और रबी में अकाल नहीं है तो वहां से लेवी ली जायगी।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, यह लेवी का सिद्धांत निर्धारित करते समय क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा है कि भरतपुर जिला एक फसली जिला है जिसमें केवल एक फसल होती है खरीफ वाली फसल बिल्कुल नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : खरीफ की फसल भी होती होगी बिल्कुल ही नही होती है ऐसी बात नहीं है। खरीफ की फसल भी होती है और रबी की फसल भी होती

(श्री परसराम मदेरणा)

है । जो इन्नडेटेड एरिया है उसके बारे में आपने प्रश्न उठाया था तो उसका फैसला मैंने कर दिया कि जो इननडैटेड एरिया है वहां से लेवी नहीं ली जायगी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अभी, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि जिसके पास सरप्लस नाज होता है उससे लेवी ली जाती है, मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार की नीति लेवी के सम्बन्ध में क्या है, क्या सरकार लेवी लेकर नो प्राफिट और नो लास के बेसिस पर नाज खरीदकर बेचना चाहती है या कि इसके अन्दर प्राफिट मोटिव है, मुनाफाखोरी यानी मुनाफा कमाने का प्रश्न है । यह एक प्रश्न ।

दूसरा, मैं यह जानना चाहूंगा कि आपकी यह व्यवस्था बीज भंडारों की है यह व्यवस्था बिल्कुल सुचारू ढंग से चलती है या आपके पास ऐसी बहुत सी जगहों से शिकायतें आई हैं कि चूहे अन्दर दाखिल होते हैं और थोड़ा बहुत पिलफर होता है और स्टाक में कमी होती है । इस पर प्रकाश डालें ।

और तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि आप लेवी के द्वारा जो स्टाक प्राप्त करते हैं उस स्टाक को सबसिडी बेसिस पर लास भुगत कर आवश्यकता पड़ने पर जनता को राहत पहुंचाने के लिए बांटने की योजना है, क्या पालिसी है आपकी ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो लेवी की खरीद के भाव निर्धारित किये हैं तो खरीद के भाव इस सदन में और इस सदन के बाहर माननीय सदस्यों के जैसे सुझाव और जैसी उनकी सलाह आई है इसी तरह से जो पहले परचेज प्राइस फिक्स्ड की थी उसको इन्क्रीज किया गया है और उसका मतलब यह है कि बाजार में काफी भाव ऊंचे हैं और काश्तकार का इन्सेन्टिव न मारा जाय और कन्जूमर्स को सस्ता अनाज उपलब्ध करा सकें तो जो लेवी से प्रोक्योर किया जाता है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कराया जाता है, यह नो लास नो प्राफिट के बेसिस पर है । सरकार के मुनाफा करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है ।

जहां तक गोदामों का प्रश्न है तो जहां कहीं लेवी ली जायगी तो गोदामों का अरेन्जमेंट है और जिस जिले में इतने बड़े गोदाम नहीं हैं तो पास के जिले में जहां पर गोदाम हैं वहां पर गेहूँ सुरक्षित रखा जाता है । उसकी सब कुछ तैयारी कर ली गई है और इन्सपेक्शन वगैरह के अरेन्जमेंट कर लिये गये हैं । जहां तक गोदामों के अन्दर अनाज में घुन लग जाता है या चूहे खा जाते हैं तो इस तरह की एक दो जगह से शिकायत आई थी तो उस नाज को साफ कराकर उसके बाद जो अच्छा नाज है उसको कन्जूमर्स में वितरित करते हैं और खराब नाज को सर्व नहीं करते है ।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) आर्डर, आर्डर । मैं यह जानना चाहता था कि जो नियम बनाये गये हैं स्पष्टीकरण लेवी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया गया है, ऐसी कोई स्थिति है ?

Page No.7

परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, नियम बनाये गये हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री परसराम मदेरणा : १२-५-६७ को लेवी किस तरह से वसूल की जायेगी ? किन इलाकों में वसूल की जायगी ? किन जिलों में वसूल की जायगी ? यह आर्डर निकालकर इसको हमने गजट में नोटीफाई कर दिया है, और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के पास में वह आ गया होगा, किन्तु यह स्थिति जहां तक कानूनी प्रश्न है स्पष्ट है माननीय सदस्यों को।

श्री अध्यक्ष : मैं यह स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कि यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है और विघ प्रश्नों से भरा हुआ है। इस पर माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे तो बहुत सारे प्रश्न रेज होंगे। मैं सिर्फ माननीय सदस्यों की इच्छाओं और प्रश्नों के तर्ज और शैली को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जितना स्पष्टीकरण कर सकें, सारे प्रश्नों पर स्पष्टीकरण करके सदन की मेज पर रख दें। उसके बाद अगर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी तो फिर देख लिया जायगा। मैं इस पर आगे बढ़ता हूं।

श्री फूलचन्द बाफना : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अब इस पर प्रश्न नहीं होंगे।

श्री केदारनाथ !

अकाल राहत कार्यों पर खर्चा

५८०. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार ने जनवरी-फरवरी १९६७ में अकाल राहत कार्य में कहां कहां कितना कितना खर्च किया ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इन दिनों में कुछ शहरों में भी राहत कार्य के नाम पर खर्च किया गया है ?

(३) क्या राहत कार्य का खर्च योजनाबद्ध हुआ है ?

उप मन्त्री, अकाल सहायता (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जिलेवार सूची संलग्न है जो सदन की मेज पर रखी गई।

(२) केवल बांसवाड़ा शहर में ५,७२०.७० रु० सड़क व तालाब के अकाल राहत कार्यों पर खर्च किया गया है। यह कार्य बांसवाड़ा शहर के निकटवर्ती अकाल ग्रस्त गांव के निवासियों को मजदूरी दिलाने के लिए कराये गये थे। इसके अतिरिक्त राज्य के अन्य किसी जिले में राहत कार्य नहीं चलाये गये हैं।

(३) जी हां, राहत कार्यों पर अधिकांश खर्च योजनाबद्ध तरीके से हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट सं० २ देखिये)

श्री केदारनाथ : जैसलमेर, बाड़मेर और दूसरे शहरों में जहां अकाल राहत

(श्री केदारनाथ)

कार्यों की जरूरत थी वहां पर क्यों नहीं किया गया और सिर्फ बांसवाड़े में ही खर्च क्यों किया गया ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री बृज-सुन्दर शर्मा : बांसवाड़ा शहर के नजदीक बहुत से आदिवासी रहते हैं इसलिए उनको काम दिलाने के लिए यह किया गया ।

श्री रामकिशन : जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में हरिजन बहुत रहते हैं जो कि अकाल से अफैक्टेड हैं । वह ठीक बात है कि आदिवासियों के लिए चाहिए लेकिन हरिजनों की स्थिति भी उनके मुकाबले में है तो उनके लिए क्यों नहीं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जैसलमेर में अकाल राहत कार्य नहीं हुए है और बांस-वाड़ा शहर के पास हुए हैं । बाड़मेर शहर के पास दूसरे काम हुए होंगे ।

श्री विट्ठल (छिपलखूंट) : बांसवाड़े में कौन से तालाब पर रुपया खर्च किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी :.... (अश्रव्य)

श्री केदारनाथ : क्या यह सच है कि अकाल राहत कार्य अकाल-ग्रस्त इलाकों में खोले जाने चाहिये न कि शहरी इलाके में ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा - शहर में भी काश्तकार रहते हैं और उसके आस-पास में भी काश्तकार रहते हैं जो अकाल-ग्रस्त है ।

श्री रामकिशन । क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्य ऐसे क्षेत्रों में किये गये जिनको कि अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कोई स्पेसिफिक बात हो तो जवाब दूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह !

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या इस वर्ष आपने जिलाधीशों को कोई ऐसे आदेश दिये हैं कि इस वर्ष जो पेमेंट किया गया है तो कोई कास्ट बेसिस पर है और जहां पर काम पूरा नहीं हो वहां पर मजदूरी काट ली जाय ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : कास्ट बेसिस पर काम कराने के आदेश दिये गये हैं ।

श्री खेतसिंह : थोड़ा-बहुत फर्क हो तो मजदूरी काट ली जाय, ऐसे भी आदेश है क्या ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : २५ पर्सेन्ट का तो फर्क हो सकता है ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात है कि बाड़मेर और जोधपुर में जो फैमीन कार्य चल रहे हैं उनमें ४० पर्सेन्ट तक मजदूरी के पेमेंट में से कटौती की गई है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपने जैसी सूचना दी थी उसके बाद में कलेक्टर को इस बात के लिए कह दिया था कि इस बात की जांच करें और पेमेंट में यदि गलती हुई हो तो ठीक कराई जाय ।

श्री खेतसिंह : क्या आपको यह मालूम है कि आपके कहने के बावजूद भी कटौती की गई है और अभी तक मजदूरों को पेमेंट पूरी मजदूरी के मुताबिक नहीं किया गया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आप सूचना दे रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत तहसील के अन्दर ८४ गांव अकाल ग्रस्त घोषित किये गये हैं ...

श्री अध्यक्ष : मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह ५८१.

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का सवाल है....

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था का सवाल आ गया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान बीकानेर की तहसील कोलायत की तरफ आकर्षित करता हूं, वहां ८४ गांव अकाल-ग्रस्त घोषित किये गये हैं लेकिन राहत कार्य आज तक चालू नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का ध्यान कैसे आकर्षित किया जायगा ? मेरा ध्यान आकर्षित कीजिये। प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान....

श्री अध्यक्ष : ध्यान भी नहीं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय दुःख की बात है।

श्री अध्यक्ष : दुःख का सवाल नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कोई काम चालू नहीं किया जाता जब कि ८४ गांव की जनता भूखों मर रही है।

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री लादूराम सुलोनिया (फागी) : On a Point of order.

श्री अध्यक्ष : Order please यह पाइन्ट आफ आर्डर को आप मिस यूज मत कीजिये, माननीय सदस्य, यह महत्वपूर्ण पाइन्ट है, इसको कभी काम में लीजिये। आपने सवाल पूछने में पाइन्ट आफ आर्डर उठा लिया।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे....

(कई माननीय सदस्य बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : एक साथ सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं। मै किसी का सवाल सुनने की स्थिति में नहीं हूं।

Page No.10

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुझे इजाजत दी जाय....

श्री अध्यक्ष : कहिये।

श्री रामकिशन : आपने पूरा ध्यान आकर्षित कर लिया है, इनको मौका दिया जाय।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग का जो काम हो रहा है, भीलवाड़ा के लिए मैं पूछ रहा हूं, वहां जो काम हुआ है, उसमें जो कम काम हुआ है उस प्रकार से मजदूरी में से पैसा काट लिया है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह प्रश्न बांसवाड़ा के लिए पूछा गया है। आप सारे राजस्थान की बात पूछ रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह सारे राजस्थान का सवाल है।

एक माननीय सदस्य : चूरू के अंदर कई क्षेत्रों में अकाल घोषित किया हुआ है, उसमें कोई काम चालू किया हुआ नहीं बतलाया है—इसका क्या कारण है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चूरू के बारे में पहले सवाल पूछा—उसका जवाब दिया जा जा चुका है। कोई स्पेसिफिक सवाल पूछेंगे तो जबाब दे दूंगा।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, यह मानवीय प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा : अकाल के नियम बने हुए हैं उनमें यह संशोधन हो सकता है जैसे अकालग्रस्त क्षेत्र में तो काम किया जाता है लेकिन जहा अकालग्रस्त लोग मिल सकते हैं वहां भी काम किया जाय।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : नजदीकी इलाके में जहां काम चल रह है, वहां ऐसे लोग जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : ५८१.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय....

(कई माननीय सयस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता महोदय। आर्डर प्लीज। माननीय नेता महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय, यह अनुभव करते हैं कि अकालग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर, जहां पर मंत्रियों या भूतपूर्व मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहां पर अकाल राहत कार्यों को प्राथयिकता दी जाती है और उसके पड़ौसी क्षेत्र, जहां से विरोधी पक्ष के लोग आते हैं, वहां उनके निर्वाचन क्षेत्र के बिल्कुल ठप्पू ? क्या यह अनुभव करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) माननीय सदस्य उत्तर आ रहा है। विरोधी दल के माननीय नेता ने प्रश्न किया है, आप देख रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह आपकी धारणा बिल्कुल गलत है।

महाराल श्री लक्ष्मण सिंह : मैं फिगर्स पेश करूंगा, मेरी कन्टेन्शन को प्रूव करने के सम्बन्ध में।

श्री बिट्ठल : मैं पूछना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के तालाब पर काम चालू करवाया गया था उस पर कितना खर्च हुआ ?

श्री गंगाराम चौधरी : ५७२० रुपया खर्च किया गया, एक तालाब और एक सड़क पर।

श्री चुन्नीलाल : कोलायत में कितने गांव अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी प्रश्न कितने ही हैं, श्री सतीशचन्द्र श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री जुझार सिंह श्री विजयसिंह आदि क्या माननीय सदस्य चाहेंगे कि उनके प्रश्न नहीं पूछे जाए और इस प्रश्न पर सारा वक्त ले लिया। जाय।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न सूचना प्राप्त करने के लिए रखे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री मदनसिंह दांता !

कैमिकल लाइम्स को जमीन का एलाटमेंट

५८१. श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की को कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नागौर जिले के ग्राम मारवाड़ मूण्डवा की फर्म कैमीकल लाइम्स को जो जमीन एलाट की गई है और उससे जितनी आय सरकार को हो सकती थी उससे बहुत कम रेट लगाई गई ? जिससे सरकार को आज तक लाखों का नुकसान हुआ है ?

(२) इस फर्म को भट्टों वगैरह के लिए सरकार ने कुल कितनी जमीन एलाट की है और किस रेट पर ? जिससे सरकार को कितनी आमदनी हो रही है ?

(३) इस फर्म को जो जमीन अलाट की गई है वह कितने वर्ष के लीज पर है और वह टाइम कब खत्म हो रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि नागौर के जिलाधीश श्री आर. जे. मजीठिया का सिर्फ इसीलिये स्थानान्तरण कर दिया गया कि वो केमीकल लाइम्स के मैनेजिंग डाइरेक्टर के कहे अनुसार फर्म को सुविधायें देने में आनाकानी करते थे ?

उप मन्त्री, उद्योग (श्री मनफूल-सिंह) : (१) जी नहीं। नियमानुसार कोई मुस्तकिल अलाटमेंट नहीं किया गया कलैक्टर नागौर द्वारा पार्टी को १९५९ में खसरा नं० ९१४ व २१२ में प्रत्येक में से ९ बीघा १६ बिस्वा भूमि पार्टी....

श्री मदनसिंह दांता : फिर से पढ़िये। कुछ नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये, जरा जोर से ।

श्री मनफूलसिंह : (१) जी नहीं । नियमानुसार कोई मुस्तकिल अलाटमेंट नहीं किया गया । कलेक्टर नागौर द्वारा पार्टी १९५९ में खसरा नं० ९१४ व २१२ में प्रत्येक में से ९ बीघा १६ बिस्वा भूमि पार्टी को अरजी तौर पर दी गई थी । इस शर्त पर कि जो भी शर्त व पाबन्दियां राज्य सरकार इस बारे में लगाएगी वे उनको मान्य होंगी । अभी पार्टी से कम रैट लेने का प्रश्न ही नही उठता ।

(२) इसका उत्तर आइटम नं० १ में आ चुका है ।

(३) प्रश्न नहीं उठता । अभी तक जमीन सिर्फ आरजी तौर पर कलैक्टर द्वारा दी गई है ।

(४) यह सही नहीं है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आपने कहा, निश्चित समय के लिए दिया गया है यह जमीन दी गई है, इसका टेम्प्रेरी एलाटमेंट किया गया हैं वह कितने वर्ष के लिए ?

उद्योग मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : Pardon !

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह टेम्प्रेरी अलाटमेंट कब परमानेन्ट कर दिया जायगा ? कितने वर्ष के लिए किया गया है, एक वर्ष, दो वर्ष के लिए ?

श्री मनफूलसिंह : जो नियम बने हुए हैं....

श्री हरिदेव जोशी : कलैक्टर टेम्प्रेरी एलाटमेंट के लिए आथोराइज्ड है, राजस्थान भूमि आवंटन नियम १९५९ के अनुसार वह अलाटमेंट करने के अधिकारी है, वह अलाटमेंट करके गवर्नमेंट को रेफर कर देते हैं और भूमि इन्डस्ट्रीयल एरिया घोषित कर दी जाती है और बाद में परमानेन्ट में कन्वर्ट कर दी जाती है ।

श्री मदनसिंह दांता : कलैक्टर कितने बीघा भूमि का अलाटमेंट करने का अधिकारी हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : मुझे, कितनी जमीन का अधिकार है, यह तो पता नहीं है । (विराम) मुझे कहा गया है कि पार्टी को ३० एकड़ से ज्याया नही दी गई है, १९ एकड़ दी गई है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या वह...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता !

श्री मदनसिंह दांता : इस प्रश्न में सूचना चाही गई है ...

श्री हरिदेव जोशी : मैंने कहा कि कलैक्टर को ३० एकड़ जमीन देने का अधिकार है ।

श्री मदनसिंह दांता : यहां तक पता नहीं है कि कलैक्टर को कितनी भूमि देने का अधिकार है ।

श्री अध्यक्ष : कहा है, ३० एकड़ ।

श्री हरिदेव जोशी : ३० एकड़ देने का अधिकार है, इस केस में १९ एकड़ दी गई है ।

श्री मदनसिंह दांता : For industrial purpose ?

श्री हरिदेव जोशी : Yes.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस वक्त क्या वसूल कर रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : यह टेम्प्रेरी एलाटमेंट है, इसमें शर्त है कि गवर्नमेंट तो लगायेगी उसके अनुसार वसूली होगी ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी क्या ले रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : जो इंडस्ट्रियल एरिया के लिए चार्जेज होंगे वह लिये जायेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी तक कोई दर नहीं ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता ।

श्री मदनसिंह दांता : लाडनू में सवाल उठा, तो बताया कि गवर्नमेंट के आर्डर्स के अनुसार कलक्टर को तीन बीघा से ज्यादा एलाटमेंट करने की इजाजत नहीं हैं, उसको गवर्नमेंट की सेंक्शन लेनी पड़ती है, यह रूल्स में है ।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल !

श्री मदनसिंह दांता : प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, कम से कम इसका उत्तर आना चाहिए । मैं अपनी सूचना सही मानूं या आपका उत्तर सही मानूं ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं वेरीफाई कर लूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

श्री देवीदत्त : ५८४ !

(प्रश्न संख्या ५८२ और ५८३ के लिए कृपया आगे देखिये)

गैस टरबाइन

५८४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : (श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) द्वारा पूछा गया) :—क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) मैसूर सरकार से जो गैस टरबाइन खरीदा गया, उसकी कुल कीमत कितनी चुकाई गई ?

(२) ३१ मार्च, १९६७ तक वह गैस टरबाइन कितने दिन तक चला ? इस यंत्र पर इन दिनों में कुल कितना खर्चा हुआ और कितनी आमदनी हुई ?

Page No.14

(३) इस यंत्र से बिजली पैदा करने में प्रति यूनिट कितनी कीमत आती थी और किस कीमत पर बिजली उपभोक्ताओं को दी गई ?

(४) क्या यह सही है कि इस यंत्र से उत्पादित बिजली रियायती दर पर दी गई ? यदि हां, तो किसको और क्यों ?

(५) इस यंत्र को खरीदने से अब तक कुल कितना रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च किया गया ?

उप मंत्री विद्युत (राव श्री धीरसिंह : (१) ७० लाख रुपये ।

(२) १२७८.९ घण्टे चला ! ३१,७३, ६४३ रु० खर्च हुए । आमदनी बताना मुश्किल है क्योंकि इस यंत्र की बिजली के बेचने का अलग हिसाब रखना सम्भव नहीं था ।

(३) इस टरबाइन से उत्पादित बिजली पर ५३.६१ पैसा प्रति यूनिट खर्चा आया है और टैरिफ शिड्यूल के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली बेची गई ।

(४) जी नहीं ।

(५) लगभग ४००० रु० ।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : उत्पादन खर्च कितना है ।

राव श्री धीरसिंह : उत्पादन खर्च ५३.६१ नये पैसे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : जो २ में बताया है कि १२७८.९ घन्टे यह बराबर चला है, इस टरबाइन ने काम करना कब प्रारम्भ किया और कब से कब तक काम किया था, जिसमें इतना ज्यादा आया है ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :

मार्च १९६६ में	३९१ घन्टे
अप्रेल १९६६ में	३७० घन्टे
मई १९६६ में	५०६ घन्टे
जून १९६६	४४ घन्टे
नवम्बर ३६ में	११९.९ घन्टे

एक माननीय सदस्य : आप आंकड़े हिन्दी में बतावें क्योंकि हम अंग्रेजी पढ़े लिखे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Order. Order.

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि यह पूरे घन्टे काम नहीं किया ।

श्री हरिदेव जोशी : जब इसकी जरुरत होती है तब इसको चलाया जाता है क्योंकि इससे जो बिजली पैदा होती है वह कोस्टली होती है । इसलिये जरुरत होती है तब इसको चलाया जाता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि समय समय पर इसने काम करना बन्द कर दिया था इससे बिजली नहीं आई ।

श्री हरिदेव जोशी : दो एक बार ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या एक

Page No.15

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

गेस टरबाइन कोटा में बन्द होने कारण पड़ा हुआ है।

श्री हरिदेव जोशी : जी हां।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसको कोटा में लाने का क्या खर्चा किया ?

श्री हरिदेव जोशी : इसको लाने में (अश्रव्य) खर्च हुआ।

श्री भैरोंसिंह : यह एक्सपेन्डीचर जो टोटल भुगतान कर दिया गया वही है या और अभी बाकी है।

श्री हरिदेव जोशी : इसके पेटे कोई भुगतान बाकी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार ने चित्तौड़गढ़ में बनने वाली सीमेन्ट फैक्ट्री को ३५ पैसे प्रतियूनिट बिजली देने का प्रस्ताव किया था ?

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट आफ इन्डिया से बहुत रिक्वेस्ट करते रहे कि गैस टरबाइन से बिजली पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, और हाई स्पीड डिजिल आइल पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होने से इस पर बहुत खर्चा पड़ता है। अब भारत सरकार ने ६५ परसेन्ट एक्साइज ड्यूटी माफ कर दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या राजस्थान सरकार ने इस गेस टरबाइन को खरीदने के पहले टेकनिकल से एक्सपर्ट राय ली थी कि इससे बिजली जनरेशन की कोस्ट क्या होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : हिन्दुस्तान सेन्ट्रल वाटर इंजिनियरिंग पोवर ने खरीदा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अब यह इंजिन बन्द पड़ा हुआ है उसके लिये सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार इसको बेचने का विचार रखती है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना अभी प्रीमेच्योर होगा। कुछ स्पेअर पार्टस आये हैं और यू. एस. ए. ने दिये हैं। इसलिये कुछ दिनों में चालू हो जावेगा। हम चाहते तो यह हैं कि इसको बेच सकें तो बेच दें। यह गुजरात के लिये सस्ता पड़ेगा। इसी लिये वहां पर गैस टरबाइन हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यहां पर ३५ पैसे पर युनिट बिजली देने का प्रस्ताव किया गया उसके बाद भारत सरकार की तरफ से यह अनुरोध किया गया कि उनको २५ पैसे प्रतियूनिट बिजली दी जावे, क्या यह सही है ?

श्री हरिदेव जोशी : यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या निश्चित लिमिट से एबोव पोवर दिया जावेगा तो क्या वह भी उनको उसी कोस्ट पर दिया जावेगा या अलग कोस्ट होगी ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये क्योंकि वह डिटेल्स मेरे पास नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : चित्तौड फैक्ट्री को कितने पैसे प्रतियुनिट के हिसाब से बिजली दी है ?

श्री हरिदेव जोशी : दो जगह से सीमेन्ट फैक्ट्री को बिजली देते हैं। एक तो गैस टरबाइन से और दूसरा अमर कनटैक से। कोस्ट ग्राफ प्रोडक्शन से देते हैं। ग्राज कल गैस टरबाइन की बिजली नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिस समय राष्ट्रपति शासन था उस समय यहां केन्द्र के मंत्री ग्राये थे और उन्होंने विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों की मीटिंग बुलाई और इसलिये बुलाई कि उनको बिजली २५ पैसे प्रतियूनिट दी जावे।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या नहीं ग्राये ? क्या डा० के. एल. राव केवल इसीलिये यहां ग्राये थे और ग्रॉफिसरों की मीटिंग बुलाई कि २५ पैसे प्रतियूनिट बिजली उनको दी जावे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस प्रकार की गवर्नमेंट ग्रॉफ इन्डिया से कि २५ पैसे प्रति यूनिट बिजली देने का भारत सरकार से अनुरोध किया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इसको खरीदने के पूर्व किसी राजस्थान के टैक्निकल इंजीनियर से राय नहीं ली गई कि ग्राया इसको खरीदने से जनरेशन की कोस्ट क्या होगी ? इसका क्या कारण है ?

श्री हरिदेव जोशी : इतनी बडी मशीनरी खरीदने के लिये यह संभव नहीं हो सकता कि किसी से पूछा नहीं गया हो। सैन्ट्रल वाटर एन्ड पोवर से डिसिकस किया होगा तभी इसके बाद में यह निर्णय लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : Next.

राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तर के नियम।

५८५. श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कोई नियम बने हुए है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई ग्रादेश है कि २५०) रुपया मासिक तक तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों (अल्प वेतन भोगी) को उनके स्थानीय जिले से स्थानान्तरित नहीं किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो इस ग्रादेश का अनुपालन यह निगम भी करता है या नहीं ?

(३) क्या राज्य सरकार द्वारा ऐसा ग्रादेश है यदि पति और पत्नी दोनों राज्य कर्मचारी हों तो उन दोनों को एक स्थान पर सेवा हेतु रखना चाहिए ? यदि हां, तो इस ग्रादेश का पालन यह निगम भी करता है या नहीं ?

यातायात मंत्री (श्री ग्रमीनुद्दीन) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां, किन्तु निगम द्वारा इस

(श्री अमीनुद्दीन)

प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये है।

(३) जी हां। निगम द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किए गये हैं लेकिन मैं पहले से अर्ज कर दूं, अध्यक्ष महोदय, कि अभी हाल में सरकार की तरफ से ऐसी हिदायत जारी कर दी गई है निगम के द्वारा कि जो फोर्थ क्लास सर्वेन्ट और अन्य मिनिस्टीरियल स्टाफ है उनको जहां तक हो सके लोकेलाइज रखा जावे और सरकारी अहकामों की पाबन्दी की जावे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या इस प्रकार के नियमों के अभाव में अब तक राजस्थान में सर्विस रूल्स थे उनको एप्लाई किया जाता था या अधिकारी अपने डिसक्रीएशन को काम में लेते थे ?

श्री अमीनुद्दीन : इसमें कोई मुसकिलें आती है। जैसे कि एक मुकाम पर १०० आदमी हैं और वे मुलाजिम हो जावे और वहां पर पोस्टिंग ७० या ६० आदमियों का ही हो सकता है तो उसके माने यह नहीं कि रिक्रूटमेंट उनका नहीं किया जावे केवल ६० या ७० का ही रिक्रूटमेंट किया जावे। इसलिये आदमी तो वहीं जावेगा जहां जगह होगी। इसलिये उनको यह हिदायत की है कि जहां तक मुमकिन हो लोकेलाइज कर दिया जावे।

श्री अध्यक्ष : यह आपने फरमा दिया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल सीधा सा है। अगर कोई खास कानून नहीं हो तो ओरडीनरी ला ओफ लैंड एप्लाई करता है। अगर इस विभाग के रूल्स नहीं थे तो राजस्थान सर्विस रूल्स काम में लिये जाते।

श्री अध्यक्ष : This is a question of law and rules.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आखिर परिपाटी क्या थी ? जो परमपराए है उन पर विशेष ध्यान देते हैं।

श्री अध्यक्ष : इस मामले का साफ कर दीजियेगा कभी।

श्री रामकिशन : अब तक के नियमों के अनुसार पति पत्नि को एक स्थान पर रखा जावे मगर फेमिली प्लानिंग को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या यह उचित नहीं है कि उनको एक जगह नहीं रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : Next.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप यहां रहते हैं। इसलिये इसमें फर्क क्या पड़ता है ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो लोन सर्विस पर आये हुए हैं और अपने पेरेन्ट डिपार्टमेंट में लीअन रखते हैं, उन कर्मचारियों के प्रति, यहां तो कोई नियम नहीं है तो उनके लिये राजस्थान सर्विस रूल्स....

श्री अध्यक्ष : इसका भी स्पष्टीकरण कर दें तो अच्छा रहेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह स्पष्टीकरण कहां मिलेगा ? सदन में मिलेगा या और कहीं मिलेगा।

Page No.18

प्रश्न संख्या ५८६।

श्री अध्यक्ष।

श्री जुझारसिंह!

(अनुपस्थित) (कृपया आगे देखिये)

श्री विजयसिंह!

पम्पिग सैंट लगाने हेतु कर्जा।

५८७. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि बी. डी. ओ. श्रीनगर पंचायत समिति ने ग्राम पंचायत माखुपुरा अजमेर के दस किसानों को आज १४ मास पूर्व कर्जा पम्पिग सैंट लगाने हेतु मंजूर किया था? अगर हां, तो किसानों को कर्जे की रकम क्यों नहीं दी गई?

(२) क्या यह सही है कि बी. डी. ओ. श्रीनगर पचायत समिति ने उपरोक्त किसानों के कर्जे की रकम किसी ठेकेदार को दी थी? अगर हां, तो क्यों?

(३) क्या यह सही है कि अभी तक उपरोक्त किसानों के कुओं पर पम्पिग सैंट चालू नहीं हुए हैं? अगर हां तो जिम्मेदारी किस की है?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त किसानों के ढ़ाई हजार रुपये का ब्याज बेमतलब पिछले १४ मास का लगेगा? अगर हां, तो क्यों?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त किसानों की दो बड़ी फसलें पम्पिग सैंट न लगने से बरबाद हुई? यदि हां, तो उसकी हानि का हर्जाना सरकार भरेगी या बी. डी. ओ. अपनी तनख्वाह से भरेंगे? अगर हर्जाना नहीं दिया जायेगा, तो क्यों?

विकास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) स्थाई समिति कृषि एवं पशुपालन द्वारा दिनांक ३-६-६६ को ऋण स्वीकार किया गया। पहली किश्त का भुगतान दिनांक ३-७-६६ को किया गया।

(२) औपचारिक रूप से ऋण का भुगतान काश्तकारों को ही किया गया किन्तु ८ काश्तकारों के ऋण की पहली किश्त की धनराशि के चैंक उनकी स्वयं की प्रार्थना पर ठेकेदारों के नाम दिये गये। दूसरी किश्त की धनराशि सीधी काश्तकारों को दी गई।

(३) ७ काश्तकारों के पम्पिग सैंट चालू हैं। ३ के बिजली के कनैक्शन नहीं मिलने से चालू नहीं हुए।

(४) ब्याज ६-७-६६ से भुगतान की गई ऋण की धनराशि पर अवश्य लगेगा।

(५) जी नहीं। खरीफ की फसल असिंचित होती है और रबी की फसल काश्तकारों ने ली है।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की....

(विराम)

श्री अध्यक्ष : कृपा करेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इनको जो आपने कहा कि लोन की रकम ठेकेदार को किसानों की स्वीकृति देने पर दिया था, क्या यह सही है कि किसानों ने इस बाबत में बी डी. ओ. की शिकायत की है ? क्या यह सही है कि किसान बी. डी. ओ. के पास गये तो बी. डी. ओ. ने किसानों को धक्के दे कर निकाल दिया ?

श्री परसराम मदेरणा : काश्तकारों की स्वयं की प्रार्थना पर लिखित प्रार्थना पत्र पर कि हमने कोटेशन दिये हैं, उसी कम्पनी को हमने एड्वान्स दे दिया है। टेक्निकल सैंक्शन के समय नाम मेन्शन किया, जब भुगतान किया जाने लगा तो बी. डी. ओ. को आवेदन पत्र दिया था कि इसी ठेकेदार को रकम दे दी जाय, उसी पर ठेकेदार को चैक दिया गया। किसानों को बी. डी. ओ. द्वारा धक्के दिये जाने की शिकायत की मेरे पास इत्तल्ला नहीं है। माननीय सदस्य ने अप्रेल में जिला परिषद में यह सवाल उठाया था, वहां विकास अधिकारी ने वस्तु स्थिति से माननीय सदस्य को सन्तोष कराया था।

श्री विजयसिंह रावत : मुझे संतोष कराया या नहीं कराया इसके लिये तो जिला परिषद की प्रोसीडिंग्स देख लें तो पता चलेगा, मैं इस पर ज्यादा नहीं कहूंगा।

विकास के कर्जे में पम्पिग सैट का कर्जा मजूर होता है, वह मजूर होने के कितने दिन बाद किसानों को दे देना चाहिये ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, ३-६-६६ को....

श्री अध्यक्ष :—अध्यक्ष महोदय !

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह रकम देना सैंक्शन किया और प्रस्ताव पास किया उसके बाद में १-७-६६ को टैक्निकल सैंक्शन आ गई, ५ दिन बाद ६-७-६६ को दे दिया, पेमेंट देने में देरी नहीं हुई है, पंचायत समिति को।

श्री विजयसिंह रावत : क्या यह सही है कि जिस कम्पनी को पम्पिग सैंट देने की स्वीकृति दी गई, पम्पिग सैंट देने को कहा गया, वह रिकोग्नाइज्ड कम्पनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : रिकोग्नाइज्ड ही होनी चाहिये, नहीं तो सैंक्शन कैसे दी ?

श्री रामकिशन (वैर) : क्या यह सही है कि नियम ऐसे हैं कि पम्पिंग सैट्म का ऋण सीधा ठेकेदार को देना पड़ता है ? यदि सीधा ठेकेदार को देना पड़ता है तो क्या सरकार नियमों में परिवर्तन करने की कोशिश करेगी ताकि किसानों को सीधा ऋण मिल जाय और उनको ठेकेदार का पाबन्द न होना पड़े ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : इसके साथ ही मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, पहले का उत्तर आने दें।

श्री परसराम मदेरणा : किसानों के प्रार्थना पत्र पर कि सीधा ठेकेदार को दिया

Page No.20

(श्री परसराम मदेरणा)

जाय, उनको लिखित दर्खास्त पर बी० डी० ओ० ने ठेकेदार को चैक दिया। किसानों ने कहा कि हमने ठेकेदार को १००), सौ रुपये एड्वान्स दे दिये हैं, इसी को रुपया दिया जाय। सरकार के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पार्टीक्यूलर ठेकेदार से ही लगवाइये। हां, कहीं दुरुपयोग की शिकायत आयेगी तो सरकार ध्यान देगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय नहीं जानते हैं कि डायरेक्टली लोन ट्रान्स्फर कर दिया जाता है? इस सम्बन्ध में काश्तकारों को पम्पिग सैट दिये जाते हैं, उनको बाध्य किया जाता है, बी० डी० ओ० कहते हैं कि ठेकेदार के पास पैसा नहीं चला जायगा तब तक मशीन नहीं चलेगी, इसलिये लिख कर दो कि अमुक ठेकेदार को दे दो, और इस प्रकार काश्तकारों को जलील किया जाता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रैक्टिस में यह बिलकुल सही है हमारी पंचायत समिति में भी यही प्रेक्टिस है।

श्री विजयसिंह रावत : मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि यह बात बिलकुल प्रैक्टिस में है, बी० डी० ओ० ने ठेकेदारों से मिल कर कमीशन पाया है, किसानों को रक्षा कोष में देने के लिये कहा है, नेहरू स्मारक कोष में किसानों से दिलवाया है.... ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तो भाषण देने लग गये।

श्री विजयसिंह : मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री विजयसिंह रावत : उन किसानों को दिये जाने वाले ऋण में से ७५ रुपया प्रति किसान बी० डी० ओ० ने रक्षा कोष में काटा, किसानों के बिना कहे काटा, आपको मालूम होना चाहिये कि किसानों में एक किसान विजयसिंह रावत भी है, जिससे काटा है, जो साक्षात् प्रमाण है। जो आर्डर है, वह बिलकुल गलत और निराधार है, क्या मन्त्री महोदय आश्वासन देंगे कि अगर ऐसा किया जाय तो नैसेसरी एक्शन लेने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री अध्यक्ष : अब उत्तर सुनें।

श्री परसराम मदेरणा : बी० डी० ओ० ने डिफैन्स फंड में या दूसरे फंड में किसानों से पैसा सीधा लोन में से लिया इन दस काश्तकारों से यह जानकारी मेरे पास नहीं है। काश्तकारों की बिना मर्जी के लिये हैं, लोन में से काट लिया है तो मैं निश्चित रूप से एक्शन लूंगा।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) क्या यह सही है कि ठेकेदारों को इसलिये रुपया दिया जाता है कि तकाबी दी जाती है तो बी० डी० ओ० ने अनुभव किया कि शादियों में खर्च कर देते हैं इसलिये यह व्यवस्था की कि ठेकेदारों को दिया जाय ?

Page No.21

श्री परसराम मदेरणा : इस मामले में जो यह माधोपुरा गांव का सवाल है, पम्पिंग सैट के लिये मंजूर हुआ था और इसी के लिये काम में लिया गया था ।

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री अध्यक्ष : Order please.

श्री विजयसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, २५ हजार का ब्याज किसानों के लग रहा है और ठेकेदार रुपया ले कर ब्याज कमाता है ।....

श्री अध्यक्ष : Order. There are 20 more questions. would the hon. member like other members to be deprived ? If you meet the hon. Minister, many more complications will be solved.

मन्त्री महोदय, यह स्पष्टीकरण चाहा है, आप बुला कर दीजिये ।

श्री परसराम मदेरणा : १४ महीने का तो प्रश्न ही नहीं है, जुलाई ६६ में पेमेंट हुआ है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि प्रश्नकर्ता को सन्तोष दिलाने के लिये मिल कर बात करें । मैं इतना कहना चाहता हूं कि ठेकेदारों को देने की जो यह प्रथा है, इसको मन्त्री महोदय रद्द करेंगे । काश्तकार को सैट दिया जाता है उसका पम्पिंग सैट दे दिया जाय, उसके बाद काश्तकार की मर्जी है कि चाहे जिससे लगवाये, बी० डी० ओ० का क्या लेना है, इसमें ?

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष : मैंने डाइरेक्शन दे दिये हैं ।

धौलपुर उप-जिले में लिफ्ट इरिगेशन योजना

५८८. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या धौलपुर उप-जिले के लिए चम्बल नदी से लिफ्ट इरिगेशन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई सर्वे कराया गया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अब ऐसा सर्वे कराने का कोई इरादा रखती है ?

उपमन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी नहीं ।

(२) जी नहीं ।

(३) उपयुक्त साइट ध्यान में लाया जाय तो अवश्य कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मन्त्री महोदय को मैं बताना चाहता हूं कि राजाखेड़ा पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्दर चम्बल नदी के

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

किनारे नदी बहती है वहां लिफ्ट इर्रिगेशन हो सकती है।

श्री हरिदेव जोशी : यही कहा गया है कि उपयुक्त साइट ध्यान में लायेंगे तो किया जायगा।

श्री राम किशन : इससे पहले खुद मैंने सिंचाई विभाग को ४ चिठ्ठियां लिखी हैं, उपयुक्त स्थान भी बताया है जहां लिफ्ट इर्रीगेशन हो सकती है जहां सिंचाई की बहुत बढ़िया सम्भावना है।

श्री हरिदेव जोशी : देखेंगे।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : क्या भटियावाद....

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

पीपलखूंट में कुओं का निर्माण

५८६. श्री विट्ठल (पीपलखूंट) : क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) पंचायत समिति क्षेत्र पीपलखूंट (जिला बांसवाड़ा) में सन् १९६२ से अब तक पीने के पानी के कुओं के निर्माण के लिए किस किस गांव में कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

(२) कितने कुओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और कितने कुओं का कार्य अभी अपूर्ण पड़ा है ?

विकास मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा) : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) ४८ कुएं पूर्ण हो चुके हैं। ३४ कुएं अपूर्ण हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विट्ठल : जो ४८ कुएं पूर्ण हो चुके हैं, उनका पानी पीने के काबिल हो चुका और पक्के भी बनाए जा चुके हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ८२ में से ४८ पूर्ण हो चुके हैं उसका मतलब पानी आ गया और उनमें से पानी निकलता होगा और लोग पीते होंगे।

श्री विट्ठल : जो ४८ कुएं आपने बताये हैं उनमें से कोई २० कुओं में तो पीने के लिए पानी नहीं है और बने तो होंगे लेकिन पीने के पानी के कुएं नहीं हैं। पत्थरीली जमीन आ गई और न विभाग की ओर से ब्लास्टिंग मशीन मिली। लोग प्यासे मर रहे हैं उस इलाके के और कोई काम नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय जानकारी कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : बांसवाड़ा जिले में पिछले दो साल से ड्राट की कन्डीशन्स रही हैं। हमेशा से पानी रहता था लेकिन इन दो सालों में कुओं में पानी नहीं

(श्री परसराम मदेरणा)

रहा है। इसकी वजह यह भी हो सकती है वहां का सब-साइल पानी काफी नीचे चल रहा है और उस जिले की पीने के पानी की समस्या हल करने के लिये बहुत ज्यादा धन-राशि खर्च करनी पड़ रही है ताकि वहां पीने के पानी का माकूल प्रबन्ध किया जाय।

श्री विट्ठल : इस साल तो आपने एक कुएं पर भी धनराशि उस इलाके में खर्च नहीं की।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

तहसील प्रतापगढ़ के पटवारी

५९० श्री हरलाल मीणा (प्रताप-गढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रताप-गढ़ में ऐसे कितने पटवारी हैं जो चार और पांच साल से एक ही पटवार सर्कल में काम कर रहे हैं और कहां कहां पर ?

(२) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ सब डिवीजन में ऐसे कई पटवार सर्कल हैं जिनके पटवारियों को वहां चार चार व पांच पांच वर्ष हो चुके हैं और उनके खिलाफ शिका-यतें होने के बावजूद भी उन पटवारियों का स्थानान्तरण नहीं किया गया है ? यदि हां तो क्यों ?

उपमंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) तहसील प्रतापगढ़ में इस समय १७ पटवारी ऐसे हैं जिन्हें एक ही पट-वार सर्कल पर कार्य करते हुए ५ वर्ष से अधिक हो चुके हैं तथा २ पटवारी अपने हल्कों में चार वर्ष से अधिक समय से हैं उनके नाम तथा अन्य विवरण की सूचि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रतापगढ़ सब डिविजन में कुछ पटवारी ऐसे हैं जिनको ५ वर्ष से अधिक समय हो चुका है पर गश्त गिरदावरी, गत ग्राम चुनाव, अकाल राहत कार्य, लेवी की वसूली आदि के अत्यन्त आवश्यक कार्य होने के कारण उनके स्थानान्तरण पर विचार नहीं किया जा सका।

जिन पटवारियों के विरुद्ध शिकायतें हैं उनकी जांच जारी है।

(कृपया परिशिष्ट सं० ३ देखिये)

श्री हरलाल मीणा : पटवारियों का कितने वर्ष के अंदर तबादला किया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : साधारणतया ५ वर्षों के लिए एक स्थान पर रखने की हिदायतें होती हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस संबंध में बार बार चर्चा उठी है और, अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि स्वस्थ परम्पराओं की खातिर जैसे मंत्री महोदय ने कहा कि साधारणतः ५ साल में ट्रांसफर हो जाना चाहिए। अगर आप ट्रांस-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

फर नहीं करते तो कम से कम आप आश्वासन दें, झूठा आश्वासन ही सही, लेकिन सिद्धांत: तो आश्वासन दें कि ५ वर्ष में साधारणत: आप तबादला कर देंगे। अगर यह भी आप नहीं करते तो मेरे खयाल में आप एक अस्वस्थ परम्परा डालते हैं।

श्री हरलाल मीणा : कितने पटवारियों के खिलाफ शिकायतें हैं और जांच कब से चल रही है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : १०-१० वर्ष हो गए, शिकायतें की गईं, कोई नहीं सुनता। मेरे खयाल में यह परम्परा बुरी है और अगर कोई कांग्रेस का वरिष्ठ नेता कहता है कि ट्रांसफर किया जाय तो अस्वस्थ परम्परा को ५ मिनट में मान लिया जाता है और दूसरी ओर विरोधी दल की तरफ से सही बात कही जाय कि ५ वर्ष हो गए, ७ वर्ष हो गए, इसका तबादला होना चाहिए तो उस पर कोई विचार नहीं होगा, यह अच्छी चीज नहीं है।

एक माननीय सदस्य : कांग्रेस पक्ष की ओर से शिकायतें होती हैं तो भी उस पर कोई एक्शन नहीं होता।

श्री हरलाल मीणा : शिकायतों की जांच कब से चल रही है, कितने पटवारी हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : दो पटवारियों के खिलाफ चल रही है और उप जिलाधीश प्रतापगढ़ जांच कर रहे हैं, कब से चल रही है, मुझे पूर्ण जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीसिंह।

जयपुर-कोटा रूट पर डीलक्स बस

५९१ **श्री केसरीसिंह (हिन्डोली) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार जयपुर से कोटा तक डीलक्स बस चलाने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि जयपुर से कोटा तक की बस जरूरत से अधिक समय लेती है ?

(३) क्या यह सही कि अगर डी-लक्स बस के स्टोप केवल जयपुर और कोटा के बीच में निवाई, टोंक, देवली और बूंदी हों, तो यात्रियों को कम समय लगेगा और परेशानी भी कम होगी ?

यातायात मंत्री (श्री अमीनुद्दीन) : (१) जयपुर-कोटा मार्ग पर निगम द्वारा डीलक्स बस दिनांक १-६-६७ से चालू कर दी गई है।

(२) जी नहीं। डीलक्स बस जयपुर से कोटा तक सिर्फ ६ घंटे लेती है, १५४ मील की दूरी के लिए इतना समय लेना उचित ही है।

(३) जी हां। डीलक्स बस के जयपुर और कोटा के बीच में केवल निवाई, टोंक देवली और बूंदी ही स्टाप रखे गए हैं।

श्री केसरीसिंह : इसका समय कौन सा है ? किस किस समय पर यह डीलक्स बस चलती है ?

श्री अध्यक्ष : बस स्टोप पर समय लिखा हुआ है ।

श्री केसरीसिंह : किराया क्या लेते हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : समय बताना तो जरूरी है ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या यह सही है कि वह बस कहीं भी नहीं ठहरती ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामानंदजी ।

यूरिया खाद का कारखाना

५६२. **श्री रामानन्द अग्रवाल** : (अलवर) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में यूरिया खाद बनाने का कारखाना लगाने के लिए कलकत्ता की एक फार्म मैसर्स फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स लिमिटेड, कलकत्ता को सन् १६६१ में लाइसेन्स दिया गया था ?

(२) क्या यह सही है पहले इस फर्म ने हनुमानगढ़ में यह कारखाना लगाने के लिए लाइसेन्स लिया था और बाद में यही लाइसेन्स कोटा के लिए तबदील करा लिया था ?

(३) क्या यह सही है कि इस फर्म ने कोटा में भी कारखाना लगाने का कोई कार्य शुरू नहीं किया ?

(४) क्या सही है कि भारत सरकार ने अब राजस्थान में यह कारखाना लगाने का लाइसेन्स हो रद्द कर दिया है ?

(५) इस लाइसेन्स के रद्द होने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(६) क्या राज्य सरकार ने इस फर्म को लाइसेन्स देने की सिफारिश करते समय कोई एग्रीमेंट इस फर्म से किया था ? यदि हां, तो कृपया एग्रीमेंट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(७) क्या राज्य सरकार ने इस खाद के कारखाने को राजस्थान में लगाने के लिए लाइसेंस पुनः जारी कराने के वास्ते कोई कदम उठाए हैं ? यदि हां तो क्या ?

उप मंत्री उद्योग (श्री मनफूलसिंह : (१) जी हां ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां ।

(५) पार्टी की है ।

(६) जी नहीं ।

(७) जी नहीं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार ने जब इनको लाइसेन्स दिया तो उस समय क्या एग्रीमेंट किया था लिखित में ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : लाइसेन्स देते समय एग्रीमेंट करने के नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि कोई निश्चित अवधि में नहीं लगाए तो उस पर क्या पेनल्टी वगैरह का प्रावधान होता है।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं।

श्री मुकुट बिहारीलाल : लाइसेन्स कैंसिल करने का सवाल भी नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : कर दिया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री को कोटा में लगाने के लिए भूमि का आंवटन किया गया है ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य उस समय नहीं थे जब इसको स्पष्ट किया जा चुका है कि जमीन एलाट की गई, कैन्सिल की गई है।

श्री रामानंद अग्रवाल : दो यूनिट्स राजस्थान के लिए मन्जूर हुए थे। दूसरा यूनिट लगाने के लिए सरकार ने क्या प्रावधान किया है ? एक यूनिट कैन्सिल होकर केवल एक ही रह गया।

श्री हरिदेव जोशी : यह भी मैं बतला चुका था कि एक यूनिट का लाइसेन्स कैंसिल हो चुका है और डी. सी. एम. का प्रोग्रेस में है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनकी जगह दूसरी पार्टी को यूनिट स्थापना करने का विचार सरकार करती है ? राजस्थान का कोटा केवल एक ही यूनिट रह गया।

श्री हरिदेव जोशी : अलग अलग एप्लीकेशन्स आती है। राज्य सरकार कन्सीडर करके लाइसेंस इश्यू करती है। एक परटीक्यूलर पार्टी को लाइसेंस स्वीकार किया गया था। जब वह इसको कार्यान्वित नहीं कर सकता, इस काम को, तब लाइसेन्स अस्वीकार किया गया। दूसरी पार्टी की एपलीकेशन स्वीकार की जा चुकी है, That is in progress.

प्रश्न संख्या ५९४

श्री अध्यक्ष : श्रीमती कान्ता कथूरिया (अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री भूपाल को-आपरेटिव सोसायटी लि० प्रतापनगर

५९३. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि श्री भूपाल को-आपरेटिव लिमिटेड प्रतापनगर, उदयपुर अवसायन में चल रही है ? अगर हां तो कब से व क्यों ?

(२) उक्त सोसाइटी का लिक्वीडेटर कौन कौन कब कब से है ? और अभी तक उन्हें कितना कितना रुपया किस किस हिसाब से दिया जा रहा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां । भोपाल को-आपरेटिव सोसाइटी लि० प्रतापनगर दिनांक ६-८-५४ से अवसायन में है क्योंकि इसकी लेनदारी व देनदारी का निपटारा नहीं हो सका है ।

(२) भोपाल को-आपरेटिव सोसाइटी के समय समय पर जो अवसायक रहे हैं और उनको जो शुल्क दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिस समय यह सोसाइटी अवसायन में आई तब कितने असेट्स और लायबिल्टीज थे ?

श्री परसराम मदेरणा : इनको एग्जामिन कर लिया है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहूं कि देनदारियां ३७,५६,७१६.०६) लेनदारियां २४,६६,-४५०. ६० ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब से यह अवसायन में है और आरबीट्रेटर्स को मिलकर ढाई लाख रुपयों का पेमेंट किया जा चुका है तो उस समय से लेकर अभी तक कितना सोसाइटी के असेट्स को बढ़ाया और कमी लायबिल्टीज को डिस्चार्ज करने के अन्दर आरबीट्रेटर्स को सहयोग दिया है ।

श्री परसराम मदेरणा : पहले 'दो' आरबिट्रेटर थे । जब राजस्थान कोओपरेटिव एक्ट लागू किया गया तो एक ही आरबिट्रे-टर रह गया जो डिप्टी रजिस्टार कोआप-रेटिव, उदयपुर हैं । राज्य के रिहेबिलीटेशन डिपार्टमेन्ट की आज्ञा से बेची गयी थी। लीगल डिफिकल्टी होने के कारण बाद में उसको विथहैल्ड कर लिया गया । मेवाड़ स्टेट ने ली चार लाख के आस पास । बाकी सब रकम भारत सरकार के रिलीफ एन्ड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट ने ली और उसके कागजात चलते रहे एक प्रश्न तो यह है । ६१२ बीघा जमीन इस सोसाइटी को अलाट की गई । कुछ जमीन पर तो पजेशन कर लिया । ३७८ बीघा १२ बिस्वा जमीन डिमार्केट नहीं हुई । जब तक डिमार्केट नहीं होती उसके वेल्उएशन के लिये बोर्ड ऑफ डिरेक्टरर्स के सामने चारा नहीं था । जब डिमार्केट हो जावेगी तब कर देंगे ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेवाड़ एक्ट के अन्तर्गत ६१२ बीघा जमीन अलाट हुई । ३७८ बीघा जमीन सरकार के कब्जे में है और सरकार ने उसको डवलप कर लिया है क्या यह सही है ?

श्री परसराम मदेरणा : सरकार के कब्जे की मेरे पास जानकारी नहीं है । ३७८.१२ बिस्वा जमीन का डिमार्केशन नहीं हो सका और इसके अभाव में सोसाइटी के लिक्विडेटर्स इसकी वेल्युएशन को असेस करने में असमर्थ हैं । रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को लिखा कि इसको जल्दी से जल्दी डिमार्केट कर दिया जाय ताकि वेल्युएशन कराई जा सके ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ३७८ बीघा जमीन आप कह रहे हैं तो डिमार्केशन क्यों नहीं हो रहा है ? अब तक नहीं होने के क्या कारण हैं ? सोसाइटी अन्डर लिक्वि-डेशन है तो यह कितने कब्जे में है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सोचने की बात है। ३७८ बीघा का सवाल नहीं है। प्रतापनगर बसाने की बात थी। सोसाइटी ने रोड साइड नहीं लिया। सोसाइटी ने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। इसलिये झगड़े में रही।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : फोर्मर मेवाड़ गवर्नमेन्ट की सोसाइटी है, अन्डर लिक्विडेशन गई। उसको अब तक वाइन्ड अप नहीं कर रहे हैं। डिमार्केशन भूमि का क्यों नहीं कर रहे हैं और लिक्विडेटर्स बैठे हुए हैं। वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के कारण डिमार्केट नहीं करते हैं। कोई प्रोसिडिंग हाथ में नहीं लेता। यह तो अन्धाधुन्ध की साहिबी इसमें हो रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह सोसाइटी ५५ से लिक्विडेशन में है और समय समय पर लिक्विडेटर्स अपोइन्ट हुए हैं उनको २॥ लाख रुपये का पेमेन्ट कर चुके हैं। खेमचन्द पंजवानी को १० हजार रुपया और मोहनलाल वासवानी को ११ हजार रुपया इसलिये पेमेन्ट किया कि अवसायन में आयी हुई सोसाइटी के मामलों को सरकार से मिल कर निपटाये। ५५ से लेकर ६७ हो गया। सरकार के कब्जे में ३७८ बीघा है उस रकम का एडजस्टमेन्ट किया जाय तो सारी सोसाइटी अवसायन से निकल सकती है। लेकिन इसमें पोलिटिकल मोटिव्ज है। इलेक्शन के समय मुख्य मंत्रीजी इसके लिये इन्ट्रेस्टेड थे........

श्री अध्यक्ष : Will please not impute motives.

श्री परसराम मदेरणा : मैंने लेनदारी और देनदारी दोनों के आपके सामने आंकड़े पेश किये। लेनदारी ज्यादा है। जमीन को बेचेंगे तो घाटा नहीं होगा और यही असेस्मेन्ट लिक्विडेटर का है। अध्यक्ष महोदय, इसमें देर हुई जल्दी नहीं हो सका। माननीय सदस्य और सदन को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगले सत्र तक रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेन्ट से बातचीत करके भारत सरकार से बातचीत चल रही है कि कुछ टिनेमेन्ट्स में रिफ्युजीज को बसायें, अगला सत्र मिलेगा तब तक डिमार्केशन कम्पलीट करा दिया जावेगा और उसके बाद में लिक्विडेशन की कार्यवाही कम से कम खत्म कर दी जावेगी।

श्री जसराज (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न।

श्री जसराज : एक प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : Order please!

श्री हंसराज।

स्थगित प्रश्न

(९-६-६७)

भाखरा नहर क्षेत्र में भूमि का आवन्टन

१६६. श्री हंसराज आर्य (भादरा) क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भाखरा नहर क्षेत्र में कुल कितनी

(श्री हंसराज आर्य)

सरकारी भूमि थी जो खाली पड़ी थी और उसमें से कितने एकड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया और कितने एकड़ इस समय नीलामी से बाकी बची हुई है ?

(२) जो भूमि भाखरा क्षेत्र में इस समय तक नीलामी बची हुई है वह किस किस तहसील के किस किस चक में कितने एकड़ है ?

(३) क्या भाखरा क्षेत्र में बची हुई सरकारी भूमि को भविष्य में भूमिहीनों को ही अलाट किया जावेगा ?

(४) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) भाखरा क्षेत्र में कितने एकड़ सरकारी भूमि को आज तक भूमिहीनों को अलाट किया गया है तथा किस किस तहसील में कितने कितने एकड़ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप मन्त्री राजस्व (श्री मनफूलसिंह) : (१) भाखरा नहर क्षेत्र में २,४७,००२ एकड़ भूमि सरकारी थी जो खाली पड़ी थी उसमें से ७८,८४२ एकड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया व १५,५७७ एकड़ भूमि इस समय निलामी से बाकी बची हुई है।

(२) तहसीलवार सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(४) आधी से ज्यादा भूमि भूमिहीनों को पहले दी जा चुकी है।

(५) भाखरा क्षेत्र में सरकारी भूमि को जो भूमिहीनों को अलाट की गई है उसकी सूचना निम्न प्रकार है:-

क्रम सं नाम तहसील		रकबा जो एलाट किया गया (एकड़ में)
१.	तहसील नोहर	२०८१ एकड़
२	तहसील सादूल शहर	१४१९१ ,,
३.	,, भादरा	२३८० ,,
४.	,, सूरतगढ़	

तहसील सूरतगढ़ के भाखरा क्षेत्र में १३७५३३ एकड़ रकबा पुख्ता अलाट व नीलाम किया गया है। इस रकबा में कितना रकबा भूमिहीनों को अलाट किया गया इसको अलग से सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

५.	तहसील संगरिया	९४९ एकड़
६.	,, हनुमानगढ़	५३३८८ ,,
७.	,, टी. बी.	

तहसील टी. बी. में कोई रकबा भूमिहीनों को अलाट नहीं किया गया चूंकि तहसील टी. बी. में पहले कोई रकबा न था।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री हंसराज आर्य : नम्बर ३ में 'जी नहीं' का क्या कारण है ? भूमिहीनों को भूमि न दिये जाने का कारण क्या है ?

राजस्व मन्त्री (श्री वृज सुन्दर शर्मा) : भाखरा कोलानाइजेशन एक्ट है

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उसमें प्रावधान है कि ५० परसेन्ट अलाट की जावेगी और ५० परसेन्ट नीलाम की जावेगी। भूमिहीनों को ५० परसेन्ट अलाट की जा चुकी है, इसलिए बाकी नीलाम की जा रही है।

श्री हंसराज आर्य : सूरतगढ़ तहसील में १, ३७,५३३ एकड़ भूमि बताई। नीलामी में पुख्ता अलाट की गई। भूमिहीनों को कितनी दी और नीलामी में लेने वालों को कितनी दी ? यह प्रश्न गोलमोल किया गया है। सही सबूत नहीं है आपके पास कि कितनी भूमिहीनों को भूमि दी और कितनी निलामी में दी ?

श्री बृज सुन्दर शर्मा : नम्बंर १ में आंकड़े पूरे आ चुके हैं :

भाखरा नहर क्षेत्र में २,४७,००२ एकड़ भूमि सरकारी थी जो खाली पड़ी थी उसमें से ७८, ८४२ एकड़ भूमि को नीलाम कर दिया गया व १५,५७७ एकड़ भूमि इस समय नीलामी से बाकी बची हुई है।

श्री हंसराज आर्य : यह सही है। लेकिन आपने यह नहीं बताया कि भूमिहीनों को आपने भूमि कितनी दी ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आधी अलाट की गई है वह भूमिहीनों को की गई है।

श्री हंसराज आर्य : सूरतगढ़ में १ ३७,५३३ एकड़ बताई। यह गोलमाल है। भूमिहीनों को कितनी और नीलामी में कितनी एकड़ जमीन दी यह तो बतायें ? क्या सरकार के पास आंकड़े नहीं है कि कितने भूमिहीनों को भूमि दी ?

श्री मनफूलसिंह : यह प्रश्न के उत्तर में ही बता दिया गया है कि इसकी अलग से सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री हंसराज आर्य : यह प्रश्न तीसरी बार आया है।

श्री अध्यक्ष : उत्तर चौथी बार फिर दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : ५९६ का उत्तर दिलवा दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अलाटमेंट के सम्बन्ध में। क्या यह सही है कि नीलामी हुई है ..

(शोरगुल : कई सदस्य एक साथ बोलने लगे) (अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : ५९५ मेरा भी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पोर्टेन्ट क्वश्चन है। राजस्थान में हमारे हजारों गरीब भूमिहीन लोग हैं। अब अगर जमीनें नीलामी में दी जावेगीं तो बाहर वालों को ही मौका मिलेगा, यहां वाले गरीब आदमी रह जावेंगे। क्या यह सही है कि नीलामी में अधिकतर बाहर वाले, पंजाब के लोग दूसरे लोग, अधिकतर बाहर के लोग खरीद रहे हैं।

श्री मनफूलसिंह : यह गलत है

श्री हंसराज आर्य : मैं इस उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर फिर मिलेगा क्या ?

श्री अध्यक्ष : नहीं मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी तो चाहता हूं कि जिन प्रश्नों को पूछना था पर जिनके लिये तैयार होकर नहीं आये क्या वे प्रश्न स्थगित माने जावेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : हम तो तैयार होकर आये हैं।

श्री भैरोंसिंह : सार्वजनिक निर्माण मन्त्री तयार होकर नहीं आये हैं।

मैंने सूचना मांगी थी, वह अभी नहीं दे सकता ऐसा कह रहे हैं, आपको भी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष : कौनसा है ?

श्री भैरोंसिंह : ५९६।

आप उत्तर दे दें इसका। अभी टैस्ट हो जावेगा कि आप तैयार होकर आये हैं या नहीं। कम से कम मन्त्रीजी बोलते समय जवाब तैयार करके आवें।

श्री हरिदेव जोशी : जवाब तैयार करके ही आये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रयत्न दोनों ओर से होना चाहिये। जिनका उत्तर नहीं दिया जा सका है उनका लिखित उत्तर माननीय सदस्यों के पास पहुंच जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : जिनके लिये तैयार होकर नहीं आये है उनके लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : मेरी कल्पना से बाहर है। जब तक पूछा नहीं जावे वह प्रश्न तब तक यह कैसे माना जावे कि वे तैयार होकर आये हैं अथवा नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास तो लिखित में सूचना आ गई है।

श्री अध्यक्ष : प्रिजम्पशन यह है। कैसे कह सकते हैं तैयार होकर आये हैं या नहीं अनलेस अदरवाइज वह पूछा न जावे।

(शेष प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

रोड टैक्स से आय तथा उसकी वसूली

श्री शोभाराम (राजगढ़) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(१) रोड टैक्स से एक वर्ष में सरकार की कितनी आय है ?

(२) वर्ष ६५-६६ में क्या पूरा रोड टैक्स वसूल हुआ है ? यदि नहीं, तो कितना बकाया रहा ?

(श्री शोभाराम)

उत्तर

वित्त वर्ष १९६५-६६ में गाडियों पर कर से कुल आमदनी १,७०,५१,१६५ रु० थी ।

२- वित्त वर्ष १९६५-६६ के अन्त में कुल ७९४४९७) रु० बकाया रहा जिसमें पिछले सालों की बकाया भी शामिल है ।

तहसील सराड़ा के अकालग्रस्त ग्राम

५८३ श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) जिला उदयपुर की तहसील सराड़ा में रबी की फसल के अनुसार इस वर्ष कुल कितने गांव अकालग्रस्त है ? प्रत्येक गाव में कितना कितना खराबा हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या यह सही है कि कई ऐसे भी गांव हैं जिनमें आठ आना और चार आना खराबा बताया गया है ?

उत्तर

(१) जिला उदयपुर स्थित तहसील सराड़ा में फसल रबी सम्वत् २०२३ में ११७ गांव अभावग्रस्त हैं । प्रत्येक गांव में जितना खराबा हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) हां । यह सही है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम मदनपुरिया में भूमि पर खातेदारी हक

५८६ श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि ग्राम मदनपुरिया, तहसील रामगंज मंडी में विस्थापितों के लिए निश्चित (ear marked) की गई जमीन में से कुछ हिस्सा स्थानीय आदिवासियों के लम्बे कब्जे को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए अलग कर दिया था ? यदि हां, तो कब और कितनी भूमि का ?

(२) सरकार के उक्त फैसले के बाद वहां के बंजारों व भूमिहीन कृषकों की मांग पर या कब्जे के आधार पर अब तक कितने व्यक्तियों को कितनी भूमि पर खातेदारी हक दिये जा चुके हैं ? यदि हां, तो दिये गये हैं, तो सरकार कब तक इन पर खातेदारी हक दिला सकेगी ?

उत्तर

(१) ग्राम मदनपुरिया तहसील रामगंज मंडी में विस्थापितों के लिए निश्चित् की गई जमीन में से कोई रकबा स्थानीय आदिवासियों के लिए अलग नही रक्खा गया ।

(२) विस्थापितों के अलाट शुदा रकबे पर बन्जारों व आदिवासियों का कोई कब्जा नहीं हैं, अतः खातेदारी हक उन व्यक्तियों को देने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं ।

सिलिका सेन्ड का उपयोग

५९४ श्रीमती कान्ता कथूरिया (कोलायत) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या विधान सभा के कोलायत के आस-पास पाई जाने वाली सिलिका सैन्ड का उपयोग किये जाने निमित्त कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि नहीं, तो इस दिशा में कब तक कार्यवाही किये जाने की आशा है ?

उत्तर

जी नहीं, सरकारी तौर पर इसके विकास के सम्बन्ध में विशेस योजना नहीं हैं ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर–राजा खेड़ा सड़क

५० श्री प्रद्युम्न सिह (राजाखेड़ा) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सत्य हैं कि धौलपुर मे राजाखेड़ा और वहां से उटंगन नदी तक जाने वाली सड़क पर स्थान स्थान पर गहरे गड्डे हैं जिनके कारण कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार कब तक इस सडक की दशा सुधारने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) केवल ४ मील की हालत अच्छी नहीं हैं ।

(२) गड्डों को ठीक विभागीय गेंग के जरिये कराया जा रहा हैं । ४ मील का मरम्मत प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

रिफन्ड के मामले

५१. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) राजस्थान में विभिन्न रीजनल ट्रान्सपोर्ट आथोरिटियों के पास रिफण्ड के कितने कितने केस पैन्डिग हैं ? रीजनवार संख्या अलग अलग बतायें ।

(२) ये रिफण्ड के केसेज कितनी रकम के है ? रीजनवार बतायें ।

(३) रिफन्ड के केसों में एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल और पांच साल से अधिक पुराने केसों की सख्या भी रीजनवार अलग अलग बताने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारियों को वाहन कर से कोई सम्बन्ध नहीं है अत: उनके पास रिफन्ड के केस पेन्डिग होने का प्रश्न नहीं है । प्रादेशिक परिवहन अधिका-

(यातायात मन्त्री)

रियों जो कि कर अधिकारी हैं उनके पास रिफन्ड के मामले इस प्रकार पेन्डिग हैं:-

१-जयपुर	२८७
२-जोधपुर	२५०
३-उदयपुर	१७
४-कोटा	४४
५-बीकानेर	१७
६-गंगानगर	३५
	६५०

(२)

१-जयपुर	रु. ६८९४७-८९
२-जोधपुर	रु. ६५०००-००
३-उदयपुर	रु. ३०९९-३९
४-कोटा	रु. ७७२५-३३
५-बीकानेर	रु. १४९८-०५
६-गंगानगर	रु० ७०९-००

तहसील तारानगर के गावों में बिजली

५२ श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तारानगर तहसील के बांय से मनीन, झाड़सर, डाबड़ी, घीरवास साहवा बिजली की लाइन कब स्वीकृत हुई ? कब पोल गाड़ कर तार खीचें गये और कब ट्रान्सफोरमर इन गांवों में लगाए गए ?

(२) इन गांवों में सर्व प्रथय किस तारीख को बिजली टैस्ट की गई या जलाई गई ?

(३) इस लाइन पर कुल कितनी लागत आई है ? कार्य में कितने दिन का समय लगा तथा कब से कब तक ?

(४) इन गांवों को कनेक्शन न देने और स्ट्रीट लाइट हेतु बिजली न देने के क्या कारण हैं ? अब कब तक इन गांवों की आबादियों और स्ट्रीट लाइट हेतु कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

(५) चूरू जिले में उक्त कार्य में लगे

(३)	एक साल	दो साल	तीन साल	चार साल	पाच साल	पांच साल से ज्यादा।
१-जयपुर	१९२	७७	९	९	३	—
२-जोधपुर	३५.	७४	८०	३१	२१	९
३-उदयपुर	४	३	६	४	—	—
४-कोटा	२९	९	४	—	२	—
५-बीकानेर	१७	—	—	—	—	—
६-गंगानगर	३५	—	—	—	—	—

(श्री दौलतराम् सारण)

समय के दौरान और कहां कहां नई लाइनें बिजली की दी गई ?

उत्तर

(१) के० वी० की लाईन बांध से सांवा तक खीचने की स्वीकृति २२ दिसम्बर, ६६ को दी गई थी। इस लाइन पर पोल गाडने का कार्य १४-१-६७ को शुरु किया गया था और यह कार्य २३-२-५७ को पूरा कर दिया गया था। अलग २ गांवों में ट्रांसफोंर-मर लगाने की तिथियां निम्नप्रकार है:—

(१) बनारा २३-२-६७

(२) मनीन ८-२-६७

(३) झाढसर ६-२-६७

(४) डाबरी बडी ७-२-६७

(५) धीरवास बडा ११-२-६७

(६) साहबा ११-२-६७

(२) इन गांवों की लाइनों का टेस्ट उपर दी गई तिथियां को ४०० वोल्टस पर किया गया था।

(३) इस लाइन पर खर्च का ब्योरा बनाया जा रहा है और कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है अस्तु दिनों की गिनती नहीं दी जा सकती।

(४) सामान की कमी के कारण कने-क्शन नहीं दिए जा सके अब अगले तीन चार माह में कनेक्शन दे दिये जायेंगे।

(५) चुरू डिवीजन में निम्नलिखित गांवों को बिजली दी गई :—

(१) रामसरा २३-२-६७

(२) हनुतपुरा २७-२-६७

(३) सेहनली बडी ३-३-६७

(४) सेहनली छोटी ३-३-६७

(५) लथारिया ३१-३-६७

(६) करनपुरा ३१-३-६७

(७) ऊयावाला १८-३-६७

(८) चांद गरेटल ३१-१२-६६

दांता के तालाब में सिचाई

५३ श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि "दांता" तहसील सांगोद के तालाब की मरम्मत हो जाने पर धूलेट व दूसरे गांवों में सिचाई के अच्छे साधन उपलब्ध हो सकते हैं ?

(२) दांता के तालाब की मरम्मत करके सिंचाई योग्य बनाने की दृष्टि से सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

उत्तर

(१) इस तालाब का सर्वेक्षण किया जा रहा है और इसके पूरे होने पर ही कुछ निश्चित कहा जा सकता है।

(२) कार्य के लिए बांध का विस्तृत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

हलवाइयों को शक्कर

५४. श्री महेन्द्रसिंह (पीपल्दा) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कुल कितनी शक्कर प्रति माह हलवाइयों को मिठाई बनाने हेतु दी जाती है और यह किस हिसाब से दी जाती है ?

(२) इस शक्कर को क्या सरकार हलवाइयों को न देकर अन्य जरूरत मन्द व्यक्तियों को देने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) राजस्थान में हलवाइयों को देने हेतु हर जिले में समय समय पर शक्कर का जो आवंटन किया गया गया है, उसकी तालिका संलग्न है। हर जिले के भिन्न भिन्न स्थानों के हलवाइयों को चीनी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये जिलाधीश द्वारा उनको दिये गये आवंटन में से वितरण किया जाता रहा है।

(२) जैसा कि संलग्न तालिका से स्पष्ट है, भारत सरकार द्वारा चीनी के आवंटन में भारी कमी कर दी गई है। इसी कारण प्रत्येक जिले में प्रति माह प्रति व्यक्ति जो चीनी की मात्रा दी जाती थी, उसमें कमी न आये इस दृष्टिकोण से हलवाइयों तथा अन्य उद्योगों हेतु दिये जाने वाले चीनी के आवंटन में कमी कर दी गई। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि हलवाइयों आदि के बजाय हरेक व्यक्ति को घरेलू खर्च हेतु जो चीनी दी जाती है, उसको प्राथमिकता दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

भू-राजस्व

५५. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, १९५५ की धारा ५३ (१) के तहत ऐसे कितने काश्तकार हैं जिनके पास न्यूनतम कृषि भूमि तक या उससे कम भूमि है ? कृपया जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) राज्य सरकार द्वारा जो घोषणा की गई है कि न्यूनतम जोत तक भू-राजस्व माफ कर दिया गया है उससे सरकार को कितनी हानि होने वाली है ?

(३) क्या सरकार इसे आगामी खरीफ की फसल से लागू करने के बजाय गत रबी से लागू करने के प्रश्न पर विचार करने का इरादा रखती है ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

ठेकेदारों को भुगतान

५६. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सन् ६५-६६ व ६६-६७ में किन किन ठेकेदारों को ५०,०००) रु० से अधिक के मूल ठेके में निर्धारित धनराशि से कितनी कितनी अधिक धनराशि का भुगतान किया गया तथा कब कब और क्यों ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) किन किन ठेकेदारों पर उपरोक्त अवधि में कितनी कितनी पेनल्टी लागू की गई ? यह पैनल्टी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा कितनी तजबीज की गई थी और अन्तिम निर्णय किस किस के द्वारा कितनी कितनी रकम का हुआ ?

(३) इस अवधि में किन किन ठेकेदारों द्वारा कार्य निर्धारित समय में पूरा न करने पर उनके समय में वृद्धि की गई तथा कितनी कितनी कब कब और किस किस के द्वारा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

चारभुजा-ब्यावर रोड की बसें

५७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चारभुजा ब्यावर रोड (जिला उदयपुर) पर बसों की संख्या कम होने के कारण बसें ओवरलोड चलती हैं और जनता को बड़ी असुविधा होती है।

(२) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर बारह साल से जो बसें चलती हैं उससे ज्यादा बढ़ाई नहीं गई हैं ?

(३) क्या यह सही है कि बसें बढ़ाने के लिये कई दरख्वास्तें पेश हुई हैं ?

(४) यदि हां, तो नई बसें लगाने पर विचार क्यों नहीं होता ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है। चारभुजा-ब्यावर, आर० टी० ए० द्वारा स्वीकृत मार्ग नहीं है। इस रोड पर निम्नलिखित मार्ग (रूट्स) स्वीकृत हैं:—

१—ब्यावर-टोडगढ़

२—जसाखेड़ा—चारभुजा

३—ब्यावर—देवेर

इस मार्गों में प्रत्येक पर दो-दो परमिट स्वीकृत हैं। गाड़ियों में ओवर लोडेड चलने के सम्बन्ध में तथा उस कारण जनता को असुविधा होने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(२) उत्तर नम्बर-१ में इंगित मार्गों में दो-दो परमिट क्रमशः १९५९, १९५२ व

(यातायात मंत्री)

१९५४ में स्वीकृत हुए थे । तदनन्तर नये परमिट नहीं बढ़ाये गये हैं।

(३) जी नहीं, परन्तु इस रोड़ पर (वाया बरार-भीम) सीधी बस सर्विस के लिये दो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए हैं, जो आर. टी. ए. के विचाराधीन हैं।

(४) इसका उत्तर नं० ३ के उत्तर में सम्मिलित हैं।

खेड़ली मंडी-मंडावर मंडी सड़क

५८. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि खेड़ली मंडी से मण्डावर मण्डी तक जाने में मोटर व ट्रकों को २८ मील का लम्बा रास्ता तय करना पड़ता है ?

(२) क्या यह सही है कि यदि उपरोक्त दोनों मंडियों को सीधे मार्ग से जोड़ दिया जाय तो मोटर व ट्रकों को केवल १२ मील का रास्ता तय करना पड़ेगा ?

(३) क्या सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इन दोनों मंडियों को सीधी सड़क बनवा कर जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां

(३) चतुर्थ योजना का अन्तिम रूप क्या होगा निश्चित नहीं है।

उदयपुर-गोगुन्दा सड़क

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील गोगुन्दा में उदयपुर से गोगुन्दा तक सड़क का काम कब से चालू है?

(२) इस सड़क पर कितना रुपया खर्च किया गया तथा बाकी कितना टुकड़ा है तथा कब तक पूरा हो जावेगा ?

(३) क्या यह सत्य है कि गोगुन्दा से सामरा तक कच्ची सड़क है ? यदि हां, तो इसको डामर रोड़ कब तक बनाया जायेगा ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस सड़क को बनाने से मारवाड़ की ओर से आने वाली सड़क इस क्षेत्र को मिलायेगी ?

उत्तर

(१) काम सन् १९५३-५४ से चल रहा है।

(२) मार्च १९६७ तक ८,६२,५५६ रु० खर्च हुआ है। इस सड़क पर करीब २॥ माइल टुकड़ा बाकी है जो चौथी योजना में पूरा हो जावेगा।

(३) यह ग्रेवल रोड है। डामर कार्य स्वीकृत नहीं हुआ है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(४) जी, हां ।

राज्य परिवहन निगम की बसें

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) इस समय राज्य परिवहन निगम के पास कितनी गाड़ियाँ कितनी कीमत की हैं ?

(२) कितनी कितनी गाड़ियाँ किस किस वर्ष खरीदी गई थी ?

(३) इस समय कितनी बसें चल रही हैं और कितनी खराब हो चुकी हैं ?

(४) बसों की दुरुस्ती के लिए वर्कशाप्स कहां कहां हैं ? तथा उनकी क्षमता कितनी बसें ठीक कर सकने की है ?

(५) क्या यह सही है कि इन वर्क शापों पर लाखों रुपये के पुर्जे व पार्ट्स कई वर्षों से बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो इनकी खरीद किस को राय से की गई थी और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

उत्तर

(१) इस समय राज्य परिवहन निगम के पास ५६७ बसें हैं जिनकी की कीमत रु० २,२७,७६,००० हैं ।

(२) खरीदी गई बसों का वर्ष का ब्योरा निम्न प्रकार है:-

१९५९—६० से पहले	३८
१९५९—६०	९९
१९६०—६१	१२४
१९६१—६२	—
१९६२—६३	—
१९६३—६४	१६०
१९६४—६५	—
१९६५—६६	२८
१९६६—६७	७१
१९६७—६८	१७
	५३७

(३) इस समय निगम में ३११ बसें चालू हालत में हैं और २२६ बसें खराब हैं ।

(४) इस समय निगम में बसों की दुरुस्ती के लिये १ सैन्ट्रल वर्कशॉप व ९ डिपो वर्कशाप निम्न प्रकार हैं:-

सैन्ट्रल वर्कशाप	जयपुर
डिपो वर्कशाप	,,
,,	भरतपुर
,,	अलवर

(यातायात मन्त्री)

डिपो वर्कशॉप

,,	कोटा
,,	जोधपुर
,,	आबूरोड़
,,	सिरोही
,,	अजमेर
,,	उदयपुर

डिपो वर्कशॉप में बसों की छोटी मोटी (माइनर) रिपेयर करने की क्षमता है और सैन्ट्रल वर्कशाप में १ महिने में ८ बसों को पूर्ण रूप से दुरूस्त करने की क्षमता है।

(५) जी नहीं।

रोजोंन का तालाब

६१ श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि रौजोंन (जिला झालावाड़) के तालाबों को बांधने की योजना है और उसकी सर्वे भी की जा चुकी है ?

(२) इस तालाब की योजना से कितनी जमीन सिंचित होगी ? और कितने गांवों को इससे लाभ पहुंचेगा ?

(२) क्या सरकार इस योजना को जल्दी हाथ में लेने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

१. जी हां।

२. ६३ एकड़ भूमि सिंचित होने का अनुमान है और इससे २ गांवों को लाभ होने की आशा है।

३. योजना के तखमीने की जांच करने के पश्चात ही कुछ कहा जा सकता है।

(१२. १२ म. प.

स्थगन प्रस्तावों के संबंध में व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : राज्य के मैडिकल कालेजों के अध्यापकों में वेतन के मामले को लेकर असंतोष तथा सवाई मानसिह अस्पताल में १४ जून १९६७ को डाक्टरों की असावधानी से एक ९, १० वर्षीय बालक की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में क्रमश: श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल एवं श्री भैरूसिह ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी हैं।

इन प्रस्तावों से सम्बन्धित मामलों पर सरकार से तथ्य प्राप्त हो जाने के पश्चात् इन प्रस्तावों पर व्यवस्था दी जायगी।

अलवर नगर में पुराने कटले में स्थित सिटी डिस्पेन्सरी के बन्द होने की सम्भवना तथा नीम का थाना की पुलिस द्वारा वहां के जेलर की पिटाई तथा इसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल ने स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं दी है।

Page No.41

(श्री अध्यक्ष)

इन स्थगन प्रस्तावों में जिन विषयों का उल्लेख है वे इतने सार्वजनिक लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जा सके, अतः मैं इन्हें सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता।

रतनगढ़ उप-जिला क्षेत्र में दो रोज पूर्व रतनगढ़ मे छापर जाने वाली बस उलट जाने के कारण तीन व्यक्तियों की मृत्यु एवं कुछ व्यक्तियों के घायल हो जाने के सम्बन्ध में श्री लाभचन्द वैद और श्री श्रवणलाल ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

यह मामला भी इतने अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है कि इस पर विचार करने के लिये सदन की पूर्व निर्धारित कार्य-वाही को स्थगित किया जाय। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता।

कोटा जिले की शाहाबाद और किशन-गंज तहसील क्षेत्र की कृषि एवं जंगलात की भूमि के आवंटन सम्बन्धी मामले पर श्री देवीदत्त गाड़िया एवं श्री ब्रजबल्लभ वोहरा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं होने के कारण मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है उनमें एक अलवर शहर में डिस्पेन्सरी है पुराने कटले में अध्यक्ष महोदय उसका ३०) माहवार किराया है और पानी बिजली का खर्चा अलवर नगर परिषद ने देना तै किया था पर नगर परिषद के आडिट विभाग ने इसे देने से इन्कार कर दिया तो अब स्थिति यह बन गई है कि नगर परिषद किराया नहीं दे रही है और मेडिकल विभाग को लिखा कि आप दे दो पर उसने भी नहीं दिया। मालिक मकान ने दावा कर दिया, दावा डिग्री हो गया और इजराय हो कर कुर्की होने वाली है। डिस्पेन्सरी खाली होने वाली है। थोड़े से पैसे का सवाल है। अगर यह खाली हो गई तो आधे शहर के लोगों को इस डिस्पेन्सरी से जो लाभ मिलता था वह खतम हो जावेगा।

साधारण सी बात है। स्थानीय अधि-कारियों की उपेक्षा दृष्टि से ऐसा हुआ मालूम होता है। मेडिकल विभाग इसका पेमेन्ट करके इस स्थिति को बिगड़ने से बचावे।

श्री अध्यक्ष : Medical Daptt. should kindly take a note of it.

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरा प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : दूसरा अभी नहीं है। मैंने उसकी कोई अनुमति नहीं दी। उसके बाद कोई भाषण नहीं होगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है उसका सम्बन्ध बच्चे

(श्री भैरोंसिंह)

की मृत्यु से नहीं है । बल्कि यह स्थगन प्रस्ताव इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका असर सारे सरकारी चिकित्सालयों पर पड़ने वाला है इस सदन को यह सुनकर ताज्जुब होगा कि कोटा के एक श्री दुबे जो हार्ट के पेशेन्ट हैं हास्पिटल में एडमिटेड हैं । उनकी सीरियस कन्डीशन होने के कारण ऑक्सीजन दिया गया उनको और सीनियर डाक्टर ने कहा कि उनको एक एक घटे के बाद पल्स का और ब्लड प्रेशर का रिकार्ड मेन्टेन किया जावे और चैक किया जाये । यह आदेश रात ९ बजे हुए और सुनकर ताज्जुब होगा कि १६ तारीख को ९ बजे १७ तारीख की भी एन्ट्रीज करके डाक्टर घर चला गया । इससे ज्यादा, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्य इस राजस्थान सरकार का और राजस्थान की जनता का और नहीं हो सकता ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य। यह इम्पोर्टेन्ट है तभी तो मेरे पास हैं विचाराधीन है मैं कहना चाहता हूं कि आपने तो पहले वक्तव्य देना प्रारम्भ कर दिया ।

सवाई मानसिंह अस्पताल में एक मरीज के साथ डाक्टर की लापरवाही पर एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई । मैं इस प्रस्ताव पर अपनी अनुमति नहीं देता, परन्तु मैं चाहूंगा कि चिकित्सा मन्त्री इस संबंध में एक वक्तव्य आज देकर स्थिति का स्पष्टीकरण करें, जहां तक सम्भव हो ।

हनुमानगढ़ रावतसर सड़क पर रेत इकट्ठी होने से यातायात में बाधा उत्पन्न हो जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र आर्य ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का न होने की वजह से मैं इस पर भी अनुमति नहीं देता ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न यह ऐसा नहीं है जिस प्रश्न को थोड़े समय के लिए भी स्थगित किया जा सके । आज डाक्टर लोग लोगों की जिन्दगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ करते हैं, मरीजों के साथ किस तरह का बरताव करते हैं इसका प्रश्न है ।

आप इसका शाम को जवाब दिलाना चाहते हैं और अगर देरी की तो डाक्टर को सूचना मिलने के कारण उस प्रेस्क्रिप्शन चिट को गायब किया जा सकता है और दूसरा प्रेस्क्रिप्शन चिट तैयार किया जा सकता है । तो मेरा निवेदन है कि सरकारी अधिकारी मेरे साथ इसीवक्त चलें और उस प्रेस्क्रिप्शन चिट पर १६ तारीख की इन्स्ट्रक्शन्स और १७ तारीख का नोट जो डाक्टर ने किया है वह देख लें । गलत रिकार्ड उसने बनाया और किस लापरवाही से ऐसे सीरियस केस को छोड़कर घर चला गया इससे ज्यादा डाक्टर द्वारा लापरवाही का सीरियस मामला नहीं हो सकता ।

इस सदन में कई बार चर्चा आई और प्रमाण सहित और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि मैंने स्वयं ने यह देखा है रिपोर्ट देखी है, प्रेस्क्रिप्शन चिट देखी है । रात दस बजे १७ तारीख की एन्ट्री किए हुए को देखा है । आखिर यह जनता कहां जावे ?

(श्री भैरोंसिंह)

जनता तंग होकर हमारे पास आती है। और विधान सभा में आकर हम लोग आपके सामने सारे केस को रिप्रेजेन्ट करते हैं। सरकार की उदासीनता का यह बड़ा सीरियस नमूना है। मैं चाहता था कि सरकार का कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता तो उसे जाकर दिखा देता। सवाई मानसिंह अस्पताल यहां से कोई दूर नहीं है। चिट को जब्त किया जा सकता था इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि जब डाक्टर इस तरह से जनता के साथ निर्दयतापूर्वक खिलवाड़ करते हैं उनकी जिन्दगी के साथ तो इसलिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जावे और इस पर विचार किया जावे।

श्री अध्यक्ष : जिस डोकूमेन्ट का जिक्र किया है अपने भाषण में, माननीय सदस्य ने मैं सुपरिन्टेन्डेन्ट सवाई मानसिंह अस्पताल को डाइरेक्शन देना चाहूंगा कि वे उस डोकूमेन्ट को अपने अधिकार में ले लें। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि इसका वक्तव्य आज ही दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मेरा जो स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आर्डर ! आर्डर।

पहले कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव पर मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : एक मिनिट के लिए....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं सिर्फ परम्परा का प्रश्न रखना चाहता हूं। मेरे खयाल से आप नये आये हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं नया आया हूं पर....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य। यहां की परम्परा को जानें। एक साधारण सी कर्टसी है। बड़ी साधारण सी परम्परा है। जब आसन खड़ा हो तो माननीय सदस्य कृपया परम्पराओं को निभाने के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। बड़ा साधारण सा प्रश्न है। ज्यादा बड़ा नहीं है। इसलिए मैं आपकी सुविधाओं को देखकर मैं भी कभी बैठ जाया करता हूं। माननीय सदस्यों को सुविधा देने के लिये स्वयं भी बैठ जाया करता हूं।

ऐसी स्थिति में मैं फिर से निवेदन करता हूं कि आप इस साधारण सी परम्परा को देखें।

दूसरा, मैंने यह निवेदन किया कि माननीय भैरोंसिंह जी ने जो प्रश्न उठाया था वह कुछ महत्व का था इसलिए मैंने उस पर अनुमति न देते हुए भी कुछ रूल को रिलैक्स किया।

Page No.44

(श्री अध्यक्ष)

इसका मतलब यह नहीं है कि जिस एडजर्नमेन्ट मोशन की अनुमति नहीं दी जाये माननीय सदस्य खड़े होकर यहां पर बोलने लग जायें। यह प्रश्न नहीं है इसलिए आप कृपा करके इस प्रश्न पर कोई और बात करना चाहें तो मुझसे अलग स्पष्टीकरण करा लें लेकिन यहां भाषण या इस पर कोई वक्तव्य दें। अनुमति नहीं दिये जाने प० वक्तव्य नहीं होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री भैरोंसिंह जी ने एक व्यक्ति के जीवन पर स्थगन प्रस्ताव दिया था और मेरा स्थगन प्रस्ताव सैंकड़ों आदिवासी लोगों का है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य आपका यह मतलब है कि माननीय भैरोंसिंह को जो स्टेटमेन्ट देने के लिए कहा, उसको बन्द किया जाये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह तो ठीक है ही।

श्री अध्यक्ष : वह तो ठीक है ही। आर्डर, आर्डर।

श्री देवीदत्त गाडिया : मेरा प्रश्न यह है कि शाहबाद क्षेत्र में किशनगंज तहसील में....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आपका प्रश्न देखिये -मैं फिर आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करूंगा कि हम कुछ नियमों में बंधे हुए हैं। यों आप बोलना चाहें मैं बैठ जाऊं भले ही सुनता नहीं रहूं वह बात अलग है। उसमें कोई कमी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो मैं उसमें रिलेक्स कर देता हूं लेकिन अगर आप बोलना चाहें जो इस प्रकार के नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है। आप स्वयं समझ लें। कभी आप ही यह आसन ग्रहण करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है और जो व्यवस्था दी गयी है यह बगैर सोचे समझे दी गयी है। यह सड़क बड़ी महत्वपूर्ण है और राजस्थान के अन्दर कोई ऐसी और सड़क नहीं है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य मैंने अभी आपका मार्ग दर्शन किया था। माननीय श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेन्ट मोशन के संबंध में जो आपने व्यवस्था दी उसके सम्बन्ध में तो एक ही निवेदन करना है कि आपकी व्यवस्था इस सदन के सभी माननीय सदस्यों के लिए शिरोधार्य होती है परन्तु इन नियमों के अनुसार माननीय सदस्य एडजर्नमेन्ट मोशन किसी भी समय जब ही उपस्थित करते हैं जबकि उनकी समझ के अनुसार वह प्रश्न बहुत अधिक लोक महत्व का होता है और आपकी व्यवस्था देने का आपको अधिकार है आप उस पर सदन की सामान्य कार्यवाही को स्थगित करें या न करें परन्तु उस एडजर्नमेन्ट मोशन के बारे में उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में कुछ माननीय

(श्री रामानंद अग्रवाल)

सदस्यों को जिसके बारे में वह स्ट्रॉगेली महसूस करते हैं ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या कहना चाह रहे हैं ? मुझको कुछ सजेशन है, एडवाइस है ? इन नियमों के विरुद्ध कोई एडवाइस है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप सुनना चाहेंगे तो,

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यवस्था है इस प्रश्न पर। यदि व्यवस्था के बारे में कुछ कहना है तो आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामान्द अग्रवाल : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं और आप कह रहे हैं स्थान गृहण कारये।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं मेरी बात सुन लें। स्थान ग्रहण करके। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर रिजेक्ट होने के बाद कोई स्पीच नहीं होनी चाहिए। यह मैं जानता हूं कि यह माननीय सदस्यों को कुछ खलने वाला है लेकिन मैंने व्यवस्था दे दी है, नियमों को आपके सामने रखा है। नियमों का इन्टरप्रिटेशन करने का नाम व्यवस्था होती है। यह तो बिलकुल नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हैं और फिर भी आप यह चाहें कि आपको कुछ क्षोभ हैं इस प्रश्न पर, समयाभाव के कारण ४ बजे आप जानते हैं आज गुलोटिन एप्लाई होने वाला है और १६ तारीख का दिन बहुत बिजी है। आप समझ लें खुले दिमाग से। आपके दो स्थगन प्रस्ताव हैं तो एक पर फिर विचार कर लेंगे ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरे स्थगन प्रस्ताव की बात नहीं है ....

श्री अध्यक्ष : नहीं है तो मैं आपको जिन स्थगन प्रस्तावों को सदन में रखने की अनुमति नहीं दी गई है उनके सम्बन्ध में सदन में विचार व्यक्त करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके इस निर्णय के विरुद्ध प्रोटेस्ट में सदन से वाक आउट करता हूं।

श्री अध्यक्ष : This is a protest against the rules and not against the chair.

(वाद विवाद)

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोयय, मैं एक मिनट के लिए बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो आपका निर्णय है उसको मैं क्वश्चन नहीं करता हूं। सदन की परम्परा के अनुसार हमारा पुनीत कर्त्तव्य है कि हम आसन के हाथ मजबूत करें और आसन के प्रति आस्था और श्रद्धा प्रकट करें लेकिन साथ ही साथ अगर सदन के सम्माननीय सदस्यों को कोई आपत्ति है तो यह असन्तोष हैं उसके लिए हमारा यह भी पुनीत कर्त्तव्य हो जाता है कि उस असन्तोष को हम व्यक्त करें और जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अन्तर्गत करें। यह मेरे ख्याल में एक परमा-

Page No.46

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वश्यक व्यवस्था है । उसके अनुसार मैं बहुत इज्जत के साथ आपको निवेदन करूंगा कि जितने भी एडजर्नमेन्ट मोशन्स आते हैं यह सदन की एक तरह की परम्परा और कन्वेन्शन आसन के द्वारा बन गया है कि उनको बिलकुल रूल आउट कर दिया जाता है । अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ निवेदन करता हूं कि आखिरकार हम लोगों में भी सम्माननीय सदस्य हैं....

श्री अध्यक्ष : मैं भी बहुत अदब के साथ आपको निवेदन करूंगा कि कुछ इस अध्यक्षीय आसन के सम्बन्ध में जो परम्परायें हैं अगर उदारतापूर्वक उनके ऊपर ध्यान दे सकें तो इस पर हम आगे बढ़ सकते हैं और समय को भी बचा सकते हैं। मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि विगत के कार्यक्रमों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जितने एडजर्नमेन्ट मोशन बोर्डर पर थे उनके ऊपर स्टेटमेन्ट दिलाने का मैंने प्रयास किया है । अब प्रश्न यहां पर सिर्फ रिजेक्शन के बाद भाषण नहीं देने का है । मैं आपकी उद्विग्नता को समझता हूं और अगर ऐसा है और कहीं मैं रिजिड हो गया हूं स्टेटमेन्ट नहीं दिलाने के प्रश्न पर किन्हीं परिस्थितियों के आधार पर या महत्वपूर्ण विषय नहीं होने पर के आधार पर–फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं उस पर लिबरल रहूं This will do for the Time being अब आगे का कार्यक्रम लेते हैं ।

श्री राम चन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं भी इसके विरोधस्वरूप वाक आउट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : बस पर्याप्त होगा । अगर पधारना चाहें तो....

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं वाक आउट करता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो अध्यक्ष महोदय, १५ सैकिण्ड ही बोलना चाहूंगा । न तो कनवेंस करना चाहता हूं न कोई भावना प्रकट करना चाहता हूं । लेकिन मेरे ख्याल में अगर १० में से एक भी एडजर्नमेन्ट मोशन एडमिट होता तब तो हमें संतोष हो, आदमी मर जाते हैं इस पर माननीय सदस्य यहां पर बोल रहे हैं । कहीं शाहबाद में क्या हुआ ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : ११ हजार बीघा जमीन को दो तीन व्यक्तियों को एलाट की जा रही है और वह अनुचित है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : क्षमा कीजिए । अभी जनसंघ के नेता कह रहे थे कि एक आदमी डोक्टर की निग्लीजेन्स से मर गया अब उस एडजर्नमेन्ट मोशन के भी एडमीशन की व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास क्या चारा रहेगा । मेरी एक हद तक श्री रामानन्दी जी के साथ सहानुभूति है जो बहिर्गमन कर गये और जो अभी (रामानन्द जी) बहिर्गमन कर गये हैं उनके साथ भी सहानुभूति है और अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रतिपक्ष की ओर सहानुभूतिपूर्वक कृपा पूर्वक दृष्टिपात करें ताकि हमारे जो भी एडजर्नमेन्ट मोशन हो

Page No.47

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी हो कि जिसके द्वारा हमें कोई सन्तोष हो....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ऐसी भ्रांति आपके मस्तिष्क में नहीं हो पायेगी इस आसन के कठोर दृष्टि-कोण के सम्बन्ध में भविष्य में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इतना तो राज्य सभा में भी नहीं हुआ करता था जब कि भूतपूर्व राष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन वहां चैयरमैन थे।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : उधर व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आसन का ध्यान नियमों के नियम २९४ (३) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें यह व्यवस्था है इसके अनुसार स्पीकर के लिए दो कर्तव्य यह है कि कोई भी व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता है तो उसको पूरी तरह से सुना जाना चाहिये...

श्री अध्यक्ष : यह आपने उठाया और मैंने सुनलिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : इन नियमों के अन्तर्गत कोई भी व्यवस्था का सवाल हो तो उसके ऊपर स्पीकर डिसीजन देते हैं। माननीय रामानन्दजी यही व्यवस्था का सवाल उठाना चाहते थे जिसको पूरी तरह से नहीं सुना गया। इस तरह से उनको पोइन्ट आफ आर्डर हाउस के सामने रखने का मौका नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : यह आपका पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रामकिशन : यह तो पोइन्ट आफ आर्डर की भूमिका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं आसन का ध्यान नम्रता के साथ इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि भविष्य में यदि कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय तो उसको सुनलिया जाना चाहिये और उसके बाद डिसीजन होता है यह हमारा मार्ग दर्शन करेगा और समझ में भी आ सकेगा।

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में हमारे सदन की लोकसभा की और अन्य प्रान्तों के सदनों की पूरी व्यवस्थायें ये हैं कि कोई पोईन्ट आफ आर्डर नहीं उठता हैं जबकि आसन पैरों पर हैं। हालांकि आसन पैरों पर होते समय कोई भी पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता है फिर भी आसन सुविधानुसार स्थान ग्रहण कर लेता है, और पोइन्ट आफ आर्डर को सुना जाता है। पोइन्ट आफ

Page No.48

(श्री अध्यक्ष)

आर्डर के स्टेट करने के बाद आसन उस पर व्यवस्था दे दे नियमों और परम्पराओं के अनुसार।

जहां लिबरली पोइन्ट आफ आर्डर उठता है पांच मिनिट, दस मिनिट में उठाया जा सकता है। दस मिनिट की बजाय यदि कोई दो मिनिट में ही समाप्त कर देते हैं तो वे स्वयं सदन के समय का सदुपयोग करते हैं। भ्रांति इसमें इसमें हो सकती है लेकिन उसको प्रयास और सहयोग से निर्मल करने का प्रश्न है।

श्री मदनसिंह : आपने मेरे प्रिविलेज मोशन के संबंध में जो राजस्व मंत्री से वक्तव्य दिलाने के संबंध में कहा था उस पर कोई व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : आज दी जा रही है व्यवस्था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा भी विशेषाधिकार का प्रश्न था। आपने तथ्यों की जानकारी का आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में आपसे बातें कर ली हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बुला करके आदेश दूंगा। बाद में आपने बुलाया होगा।

श्री भैरोंसिंह : मेरा भी मुख्य मंत्री जी के संबंध में विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में जल्दी ही कोई निर्णय लूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कन्सेन्ट तो दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष : मुझे थोड़ा सा देखना पड़ रहा है अन्तर्मन को।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उसके लिये तो तन्त्र की आवश्यकता होगी।

श्री अध्यक्ष : आपका मन ले लूंगा। श्री शिक्षा मन्त्री

अनुदान की मांगे।

(शिक्षा मंत्री) : श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा के संबंध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले ध्येय के निमित राज्यपाल महोदय को २५ ४६,३२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

१२.३५ म.प.

[श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पदासीन]

मांग संख्या २४

(कृषि मंत्री) श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ३६ विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, राज्यपाल महोदय को २,२१,१७,००० रु. तक की राशि प्रदान की जावे।

मांग संख्या ३२

(यातायात मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या ३२ मुख्य शीर्षक ६८ लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को ८५,१३००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

उपरोक्त मांगों पर निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:–

मांग संख्या १५

१. श्री फतहसिंह (ब्यावर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ब्यावर शहर में लडकियों के डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

२ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में प्रचार करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में प्रचार करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

३. श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में Public Schools में भेदभाव की नीति बरती जाती है और गरीबों की भरती नहीं करते, अतः उनकी aid बन्द करने पर चर्चा के लिए)।

४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बदनोर हायर सैकेन्डरी स्कूल में साईन्स थियेटर बनवाने व साईन्स टीचर का प्रबन्ध कराने हेतु चर्चा के लिए)।

५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आसीन्द तहसील में निम्न स्थानों पर सैकेण्डरी व उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने हेतु:–

१. दौलतगढ़ सैकेन्डरी स्कूल

२. शम्भूगढ़ ,,

१. लाछूड़ा उच्चत्तर माध्यमिक स्कूल

२. पाटन ,, ,,

३. संग्रामगढ़ ,, ,,

४. कटार

६. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकार शिक्षा क्षेत्र में qualitative change (गुणात्मक परिवर्तन) लाने में असफल रही, इसके बारे में नीति का अनुमोदन)।

७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा

(श्री केदार नाथ)

पद्धति में सरकार मौलिक परिवर्तन लाने में असफल रही, इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा क्षेत्र में कोठारी आयोग की सिफारिशों को लागू करने में सरकार की अस्पस्टता पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४

९. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकार गंगानगर शहर में झुग्गियों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों के बसाने में व कल्याण करने में असफल रही, इस बारे में नीति का अननुमोदन)।

१०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकार राजस्थान नहर क्षेत्र में विकास व habitation करने में असफल रही इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

११ मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (सरकार गंगानगर जिले के सीमा क्षेत्रों में पिछड़ी व हरिजन जातियों के कल्याण में असफल रही, इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या १५

श्री सांवरमल (नवलगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नवलगढ़ में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कमी एवं सरकार द्वारा इस क्षेत्र के प्रति बरती जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२

१३. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी छपाई में पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५

१४. श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विस्तार के साथ साथ शिक्षा के स्तर की गिरावट पर चर्चा के लिये)।

१५. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों के Fixation नहीं किए जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४

१६. मांग संख्य २४, मुख्य शीर्षक ३९ विविध। सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज-

(श्री भैरोंसिंह)

स्थान Social Welfare Advisory बोर्ड की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

१७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९ विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों के हित में जारी किये गए आदेशों का सरकार द्वारा पालन न कराने की स्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३२

१८. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८ लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम दिया जाय (मुद्रणालयों में प्रशासनिक अव्यवस्था पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

१९. श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दौसा के तहसील क्षेत्र में मिडिल स्कूल व हाई स्कूल की कमी पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

२०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९ विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, इस पर चर्चा के लिये)

मांग संख्या १५

२१. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जोधपुर विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान पर चर्चा के लिये) ।

२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नये माध्यमिक विद्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या २४

२३. श्री रावतराम (छापर) : मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित संस्थान केन्द्रों की अनुपयोगिता पर विचार करने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

२४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९ विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय [अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सहायता के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

२५. मांग संख्या २४, मुख्य शर्षक ३९-विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली मकान सहायता के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

(श्री रावतराम)

२६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

२७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले छात्रावास पर बहस करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के लिये सचालित राजकीय छात्रावासों की दुर्व्यवस्था पर बहस करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२९. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध । सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए कन्या छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)

मांग संख्या १५

३०. श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नसीराबाद में छात्रों एवं छात्राओं के लिए डिग्री कालेज खोलने पर चर्चा के लिये) ।

३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूल्स को ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कर देने से शिक्षा का स्तर गिरा है, अतएव इन्हें वापिस शिक्षा विभाग के अधीन लेने पर चर्चा के लिये) ।

३२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नसीराबाद में कालेज के अभाव में मिलिटरी के जवानों के बच्चों की परेशानी पर चर्चा के लिए) ।

३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नसीराबाद में जनता द्वारा चलाई जा रही कालेज को सरकार ने हाथ में लेकर हायर सेकन्डरी में बदल दिया, इस पर चर्चा के लिए) ।

३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नसीराबाद में कालेज बिल्डिंग(भवन) नागरिकों से लेने पर भी सरकार ने डिग्री कालेज नहीं बनाया अर्थात् जनता के पैसे दुरुपयोग पर चर्चा के लिए) ।

३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के आचार-विचार पर चर्चा के लिए) ।

३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (E X–सर्विस मैन के बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं दी जाती, मिलिटरी स्कूल में भर्ती नहीं

(श्री विजयसिंह रावत)

दी जाती हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गांव फिच जी० जोधपुर की स्कूल इमारत के निर्माण में घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

३८. मांग संख्या १५, शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मकराना हाई स्कूल की प्रशासनिक अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

३९ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों के अध्यापकों को शिक्षा विभाग में प्रमोशन में उचित स्थान न देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या ३२

४०. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा सरकारी मुद्रणालयों के उपयुक्त रूप से मेन्टीनेन्स न करने से लेखन सामग्री बेकार हो जाती है, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या १५

४१. महारावल लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों के गिरते हुए शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने के असफलता के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा प्रसार में असमानता के व्यवहार पर चर्चा के लिए) ।

४३. श्री सतीशचन्द अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को पंचायत विभाग के आधीन रखने के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

४४ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (विश्व विद्यालयों को दी गई ऐड के औचित्य के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

४५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विश्व-विद्यालयों की स्थिति का निरीक्षण करने एवं अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक जांच समिति के गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या, २४

४६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग को बनाये रखने, के बारे में नीति का अनुमोदन) ।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

४७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कच्ची एवं गन्दी बस्तियों के विकास पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या, १५

४८. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार की शिक्षा के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

४९. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तर में सुधार के सुझावों के बारे में चर्चा के लिये) ।

५०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (काश्तकारों के बच्चों को कृषि की शिक्षा पर चर्चा के लिये) ।

५१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान के पिछड़े इलाकों में शिक्षा के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

५२. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षा स्तर एवं परीक्षाफल में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के स्तर में निरन्तर गिरावट के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

५३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर के एम. एस. जे. कालेज में एम. ए. की कक्षाएं चालू न किये जाने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।

५४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के ८४ अध्यापकों को जो तृतीय ग्रेड में थे, अन्ट्रेण्ड मानकर उनके वेतन में कमी करने पर चर्चा के लिये) ।

५५. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर S. B. K. Girls Higher Sec ndary. स्कूल के सोचनीय परीक्षा फल से उत्पन्न असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

५६. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों द्वारा बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

५७ मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक शालाओं के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

५८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये) ।

५९. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-

Page No.55

(श्री महेन्द्रसिंह पीपलदा)

शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (स्कूलों में अध्यापकों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

६०. श्री गोकुलचन्द्र (खैरथल): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल बहादुरपुर को हायर सैकन्ड्री स्कूल बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कन्या माध्यमिक विद्यालय, खैरथल (अलवर) को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिवर्तित किये जाने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४.

६२ मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति छात्रावासों में भोजन, वस्त्र व नाश्ते की समुचित व्यवस्था नहीं होने के बारे में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५.

६३. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर शिक्षा-निरीक्षक कार्यालय करौली के बजाय सवाई माधोपुर स्थापित किए जाने पर चर्चा के लिये)।

६४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर में अब तक कालेज स्थापित न किए जाने पर चर्चा के लिये)।

६५. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा-पद्धति के कारण बेकारी दिन प्रति दिन बढ़ने पर चर्चा के लिये)।

६६. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं तबादलों में अविवेक, मनमानीपन और पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये)।

६७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

६८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जातियों के आधार पर बने छात्रावासों को सभी धर्मों और जातियों के प्रवेश के लिये खोलने पर चर्चा के लिये):

६९ मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तृतीय-ग्रेड में नियुक्त ग्रेज्युएट अध्यापकों को ट्रेनिंग देने के बाद भी मैट्रिक ट्रेण्ड ग्रेड का वेतन स्तर न देने पर चर्चा के लिये)।

७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(अलवर में जानवरों के अस्पताल को अन्यत्र फतेहसिंह के गुंबद में स्थानान्तरित करके इस बिल्डिंग को मिडल स्कूल के लिए उपयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

७१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गौरा देवी गर्ल्स डिग्री कालिज, अलवर में सरकार द्वारा बिल्डिंग सम्बन्धी दिये गये अपने कमिटमेण्ट को अभी तक पूरा नहीं किया इस पर चर्चा के लिए)।

७२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गौरा देवी राजकीय गर्ल्स डिग्री कालिज, अलवर के लिए होस्टल बनाने एवं उस कार्य हेतु जमीन उपलब्ध करने पर चर्चा के लिए)।

७३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम खुशालगढ़, तहसील अलवर, की स्कूल बिल्डिंग होते हुए भी प्राथमिक शाला अभी तक न खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पब्लिक स्कूलों की उपयोगिता पर चर्चा के लिए)।

७५ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर यिया जाय (पंचायत समितियों के आधीन अध्यापकों की शोचनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

७६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यालयों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिए)।

७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८--शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा-प्रणाली से विद्यार्थी वर्ग में बढ़ते हुए असन्तोष के कारणों पर चर्चा के लिए)।

७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (संस्कृत शिक्षा के अलग संस्थानों को समाप्त करके संस्कृत शिक्षा विश्वविद्यालयों के अंग के रूप में चलाने पर चर्चा के लिए)।

७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपनी पुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल कराने में अपने पद के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

८०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राइवेट ऐडेड शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों को चैक द्वारा वेतन अदायगी की व्यवस्था न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

८१. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा हरिजनों, आदिवासियों एवं पिछड़ी जातियों के विकास के लिए ठोस योजना न अपना कर दिखाऊ योजना अपनाने पर चर्चा के लिए)।

८२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टूरिज्म विभाग द्वारा अलवर नगर से सिलीसेढ़ तक रविवार को बस सर्विस की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

८३. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नगर आयोजना संगठन की स्थापना से म्यूनिसिपल बोर्डों और न्यासों के बीच गत्यावरोध से जनता की बड़ी परेशानियों पर चर्चा के लिये)।

८४. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की टाउन प्लानिंग की बुनियादी खामियों पर चर्चा के लिये)।

८५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के राज्य सेवकों से छुआछूत के कारण भेद-भाव बरतने पर चर्चा के लिये)।

८६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर नगर आयोजना संगठन द्वारा अलाट शुदा प्लाटों के पट्टों को जारी न करने पर चर्चा के लिये)।

८७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आर्थिक एवं सांख्यिकी संगठन द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट में खर्चे के जिलेवार आंकड़ों की तालिकाएं न देने से आवश्यक जानकारी से वंचित रखने पर चर्चा के लिये)।

८८. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी मुद्रणालयों में व्यापक अनियमितताओं के संबंध में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

८९. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (पीपलखूंट): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक १८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

९०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

९१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिये जाय (शिक्षा-पद्धति त्रुटिपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए)।

९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं को सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता पर चर्चा के लिये)।

९३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाठ्य-पुस्तकों को विद्यार्थियों को समय पर दिलाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

९४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्धनता के आधार पर निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

९५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के फिक्सेशन में ढिलाई के कारण व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

९६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों के पुराने बकाया के मामलों को निपटाने में विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

९७ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता व छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के बच्चों को नहीं दी जाने पर चर्चा के लिये)।

९८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छात्रवृत्तियों को समय पर वितरित न किये जाने तथा मन्जूर करने में पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिये)।

९९ श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा जिले के प्राथमिक स्कूल्स से लेकर माध्यमिक व हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स के अध्यापकों के वेतन समय पर नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

१००. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला कोटा की तहसील बारां के ग्राम कोयला में सैकन्डरी स्कूल खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

१०१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८– शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर स्थित गैर सरकारी माध्यमिक स्कूलों के अनुदान आदि दिये जाने में पक्षपात पर चर्चा के लिये)।

१०२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९- विविध सामाजिक तथा विकासीय सगठन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग को बनाये रखने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

१०३. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : मांग संख्या १५. मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निवाई सेकन्ड्री स्कूल में टैकनिकल क्लासें खोलने पर चर्चा के लिये)।

१०४. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों से प्राइमरी स्कूल वापिस लेने पर चर्चा के लिये)।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

१०५. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग में हो रही अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

१०६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाजक-ल्याण के छात्रावासों में भोजन, गृह, पुस्तकें आदि पर चर्चा के लिये)।

१०७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों का कोटा पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

१०८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३६- विविध सामाजिक तथा विकासीय सगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (समाज-कल्याण विभाग को छुआछूत मिटाने में असफलता पर चर्चा के लिये)।

१०६ श्री नाथूलाल करौल (जमवारामगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समिति जमवारामगढ़ में ग्राम गठवाड़ी के माध्यमिक शाला को Higher Secondary में परिवर्तित करने हेतु चर्चा के लिये)।

११०. श्री हीरा (कुशलगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कुशलगढ़ में हायर सेकन्डरी पाठशाला खुलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

१११. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा कालेज में एम० काम० व एम. एस० सी० (फिजिक्स) की क्लासें खोलने पर चर्चा के लिये)।

११२. मांग संख्या १५, शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कोटा में इंजीनियरिंग कालेज खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

११४. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : माँग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बून्दी हायर सेकन्डरी स्कूल की दुर्व्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

११४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में होने वाले स्थानान्तरणों पर चर्चा के लिए)।

११५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (दूदू) में हायर सैकन्डरी स्कूल के खोलने के बारे में चर्चा के लिए)।

११६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार प्रगति पर नहीं, इसके बारे में

(श्री सुवालाल चौधरी)

नीति का अननुमोदन)।

११७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस माग को घटा कर १ रु० कर दिया जाय (पुराने मिडिल एस० टी० सी० अध्यापकों की ग्रेड हाई स्कूल पास एस० टी० सी० अध्यापकों के समान होनी चाहिए, इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

११८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १०० रु० कम कर दिया जाय (देहाती क्षेत्र में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं तथा शिक्षा के पाठ्यक्रम में कृषि को प्रथमिकता देने पर चर्चा के लिए)।

११६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पचायत समिति सबंधी उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर भी पदोन्नत्ति नही होती है, इस बारे में चर्चा के लिए)।

१२०. मांग संख्या शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर यिया जाय (दूदू में हायर सैकन्डरी स्कूल का अभाव होने से सहस्त्रो गरीब शिक्षा प्राप्त करने मे महरूम रह रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

१२१. श्री सहदेव (आमेर) : मांग संख्या १५, शीर्षक २८— शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (शिक्षा विमाग द्वारा जयपुर जिले में १६६६-६७ में जो भी स्कूल खोले गये वे राजनैतिक आधार पर खोले गये, इस पर चर्चा के लिए)।

१२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (निर्धारित क्राइटेरिया के मुताबिक शिक्षा विभाग की, जयपुर जिले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलें खोलने में, असमर्थता पर चर्चा के लिए)।

१२३. श्री शिवचरणसिंह (महुवा) : माँग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रु० कर दिया जाय (शिक्षा–प्रणाली मे परिवर्तन संबंधी नीति का अनुमोदन)।

१२४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा स्तर में गिरावट तथा ट्यूशन की छूट के दुष्परिणामों पर चर्चा के लिए)।

१२५. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी) : मांग सख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (अध्यापकों के थोड़े थोड़े समय में स्थानान्तरण होने से शिक्षा में नुकसान होता है इसके बारे में नीति का अननुमोदन)।

१२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जखोड़ा ग्राम जिला झुंझुनू में माध्यमिक विद्यालय न होने से ग्रामीण छात्र शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

१२७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में पाठ्य सामग्री आदि के लिए धन न देने से शिक्षा की

(श्री मूलचन्द कटेवा)

प्रगति में बाधा उत्पन्न होने पर चर्चा के लिए) ।

१२८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं में पीने के पानी के प्रबन्ध न होने से छात्रों की शिक्षा का नुकसान होता है, इस पर चर्चा के लिए) ।

१२९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को समय पर वेतन न मिलने से उनका उत्साह अवरुद्ध होने से शिक्षा प्रभावित होती है, इस पर चर्चा के लिए) ।

१३०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक शाला न होने से छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित रहते हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

१३१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले की पंचायत समिति चिड़ावा के ग्राम लौदीपुरा, गोठड़ी, अंजीतपुरा, नदरी, वाष जोधा, कंवरपुरा, चनाना पुरानीबस्ती, कंवरपुरा, महरमपुर, में प्राथमिक पाठशाला न होने से कम आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१३२. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १) रुपया कर दिया जाय (महिलाओं को शिक्षा देने में सरकार असफल रही है, इसके बारे में नीति का अननुमोदन) ।

१३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा रावतसर में हाई स्कूल खोलने विषयक चर्चा के लिए) ।

१३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००)रु० कम कर दिया जाय (नोहर तहसील के ५५ ग्रामो में प्राइमरी पाठशाला खोलने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिए) ।

१३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (कस्बा नोहर में छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

१३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा मे से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों में बालिकाओं के लिये पृथक मिडिल व प्राइमरी पाठशालाएं नहीं होने के कारण लड़कियों को पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार, गरीबों को तहसील नोहर में शिक्षा नहीं दिला सकी है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सूरतगढ़ के गांव बडोपुल में मिडिल स्कूल नहीं खोला गया, इस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री रामाचन्द्र आर्य)

१३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील नौहर में गांव गुच्चोली में मिडिल स्कूल गत वर्ष खुलना था जो नहीं खोला गया, इस पर चर्चा के लिये) ।

१४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामों में जहां पर मिडिल स्कूल हैं, उन ग्रामों में लड़कियों के स्कूल खोलने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

१४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा का प्रसार करने में सरकार बुरी तरह से असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या ३२.

१४२. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८—लेखन सामग्री तथा मुद्रण में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लेखन सामग्री व मुद्रण सम्बन्धी व्यवस्था में सरकार बुरी तरह से असफल रही है तथा बिना जरूरत का सामान, पुस्तकें आदि खरीदी जाती हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५

१४३. श्री मनोहरसिंह (मांडलगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्या शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटाकर १ रुपया कर दिया जाय (शिक्षा--प्रणाली के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

१४४. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली में प्राईमरी पाठशालाओं के भवन की कमी पर चर्चा के लिए) ।

१४५. मांग संख्या १५ शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली में कालेज होस्टल की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

१४६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली में मोंटेसरी पद्धति के आधार पर बच्चों के लिए पाठशालाओं का न होने पर चर्चा के लिए) ।

१४७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रु० कर दिया जाय (आज-कल की शिक्षा-प्रणाली के संबंध में नीति का अननुमोदन) ।

१४८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा में परिवर्तन की भारी आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

१४९. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा बेकारी को प्रोत्साहन देती है इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या २४

१५०. मांग संख्या २४, मुख्या शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली

(श्री मूलचन्द डागा)

शहर का अभी तक Master Plan न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

१५१. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर के बांडी नदी के किनारे नट जाति अनैतिक के आधार पर जीवन-निर्वाह करती है, इस पर चर्चा के लिये)।

१५२. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली तहसील में अनुसूचित जाति के बोर्डिंग की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

१५३. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (Town Planning न होने से राजस्थान के नगरों का जो विकास गलत ढंग से हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

१५४- मांग संख्या २४, शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली शहर को पर्यटक केन्द्र घोषित न करने पर चर्चा के लिए)।

१५५, मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पिछड़ी जातियों के लिये वे ही सुविधाएें हों जो अनुसूचित जाति को दी गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

१५६ मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (टाउन प्लानिंग विभाग को विकसित न करने से भारी हानि होने पर चर्चा के लिए)।

१५७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों में स्वाभिमान की भावना भरने में समाज-कल्याण विभाग असफल रहा इस पर चर्चा के लिए)।

१५८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुरातत्व विभाग के विकास हेतु सुझावों पर चर्चा के लिए)।

१५९. मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया (वेश्या वृति रोकने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५.

१६० श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम Dyoli तहसील फुलेरा में Primary School को Middle School में Up-grade करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१६१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया

(पी० के० चौधरी)

जाय (फुलेरा में Girls Middle School को Secondary School में Up-grade करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१६२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांभर में Degree College खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१६३ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकारी महाविद्यालय विश्व-विद्यालयों को सौंप देने से (Particularly about the absorption of staff) से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये) ।

१६४ श्री देवी लाल (सराड़ा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा चावण्ड हायर सैकन्डरी स्कूल में साईन्स क्लास खुलवाने पर चर्चा के लिए) ।

१६५ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम झाड़ोल, तहसील सराड़ा में सैकेन्डरी स्कूल खुलवाने पर चर्चा के लिए) ।

१६६ श्री जसराज (भिनाय) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की वर्तमान शिक्षा-प्रणाली दोषपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए] ।

मांग संख्या २४.

१६७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सांख्यकिक विभाग द्वारा किये जाने वाले आय व्यय पर चर्चा के लिये) ।

१६८. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय [समाज कल्याण विभाग द्वारा पक्षपात एवं अनियमितता के व्यवाहार पर चर्चा के लिये] ।

मांग संख्या १५.

१६९ श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय । भूतपूर्व बीकानेर राज्य की अनिवार्य शिक्षा योजनान्तर्गत, बीकानेर खण्ड क्षेत्र के नगरों में सरकार द्वारा दी जाने वाली एड से चलने वाली अनिवार्य स्कूलों के शिक्षकों की दुर्दशा पर चर्चा के लिए) ।

१७०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय [विभाग द्वारा अनिवार्य शिक्षा लागू करने में असफलता पर चर्चा के लिए] ।

१७१. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था और अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिए) ।

१७२ श्री अमीलाल यादव (वहरोड़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वहरोड़ क्षेत्र में कालेज खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

१७३. श्री चुन्नीलाल इन्दालिया (नोखा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (छात्रवृत्तियां वितरण में पक्षपात किये जाने पर चर्चा के लिए)।

१७४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हरिजन छात्रों की शिक्षा की समुचित व्यवस्था में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

१७५. श्री नन्दलाल (पाटन) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य में तकनीकी शिक्षा की स्थापना में पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

१७६. वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा के स्तर में गिरावट पर चर्चा के लिए)।

१७७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई वरिष्ठ अध्यापकों एवं लेक्चरार्स के लिए वेतन सम्बन्धी सिफारिशों को अमलीरूप न देने पर चर्चा के लिए)।

१७८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिदा जाय (बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर सीमावर्ती क्षेत्रों में कार्य कर रहे अध्यापकों के लिए विशेष भत्ता देने पर चर्चा के लिए)।

१७९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (विद्यार्थियों व शिक्षकों की अनुशासनहीनता पर चर्चा के लिए)।

१८०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की नैतिक शिक्षा के प्रति उदासीनता पर चर्चा के लिए)।

१८१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिव तहसील के हैडक्वार्टर शिव ग्राम में मिडिल स्कूल इस वर्ष खोले जाने पर चर्चा के लिए)।

१८२. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय [इस वर्ष बाड़मेर जिले में किसी भी प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल न बनाये जाने हेतु चर्चा के लिए]।

१८३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय [स्कूलों के साथ–साथ छात्रावासों की व्यवस्था न करने पर चर्चा के लिये]।

१८४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (बालोत्तरा के हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में Up-grade न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

१८५. श्री किशनलाल शाह (नावां) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिए)।

१८६. श्री बृजप्रकाश गोयल (हनुमानगढ़) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ में नेहरू मेमोरियल डिग्री कालेज को grant-in-aid दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

१८७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (हनुमानगढ़ जंकशन पर लड़कियों का स्कूल माध्यमिक स्टेन्डर्ड तक शुरू किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

१८८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (श्री नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल, हनुमानगढ़ टाउन जो मोन्टेसरी पद्धति पर चलाया जा रहा है, को बस के लिए ऋण व नर्सरी स्कूलों के लिये sp.cial grant-in-aid दिलायी जानी चाहिये, जो न मिलने से स्कूल के बच्चों की पढ़ाई व विकास में नुकसान हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

१८९. श्री मोतीलाल (खेदर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान में शिक्षकों की दुरावस्था पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४.

१९०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों की आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५.

१९१. श्री मोहनलाल (नीमकाथाना) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा शिक्षा-प्रणाली में नित्य नवीन परिवर्तन करने पर चर्चा के लिए)।

१९२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

१९३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों द्वारा चलाई गई पाठशालाओं की अव्यवस्था पर चर्चा के लिए)।

१९४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या ३२.

१९५. मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण में १००) रु० कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा लेखन सामग्री पर किये जाने वाले अधिक खर्चों के बाबत चर्चा के लिये)।

मांग संख्या १५.

१९६. श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पंचायतें

(श्री रोशनलाल)

समितियों के अन्तर्गत चलने वाले प्राइमरी स्कूलों के भवन एवं टाट पट्टी आदि में ५० प्रतिशत जन सहयोग लेने पर चर्चा के लिये)।

१९७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जयपुर, अजमेर, अलवर आदि स्थानों में प्राइमरी स्कूलों में ट्रेन्ड अध्यापकों की जरूरत नहीं होते हुए भी एस टी. सी. स्कूल बन्द न करने पर चर्चा के लिये)।

१९८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल के भवन जन सहयोग से तैयार किये, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अभी तक अपने अधिकार में नहीं लिये, इस पर चर्चा के लिए)।

१९९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की अपनी होम तहसील की स्कूलों में नियुक्ति से शिक्षा में शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

२००. श्री समर्थलाल (राजगढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों के प्रति अभद्र व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

२०१. श्री रामसिंह (जायल): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर में डिग्री कालेज नहीं खोलने पर चर्चा के लिये)।

२०२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (मैट्रिक ट्रेन्ड अध्यापकों को बिना ट्रेन्ड ग्रेड दिये ही, २ अक्टूबर, १९५९ को पंचायत समितियों के अधीन कर देने पर चर्चा के लिये)।

२०३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अध्यापकों की नियुक्तियों तथा प्रमोशन में पंचायत समितियों के अध्यापकों को उचित स्थान न देने पर चर्चा के लिये)।

२०४ मांग संख्या १५, शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (लाडनूं बाल निकेतन को ग्रान्ट इन एड कमेटी द्वारा ग्रान्ट इन एड मंजूर किये जाने पर भी एड नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२०५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८ शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (नागौर जिले में पंचायत समितियों को सौंपी गई स्कूलों की विभाग द्वारा देखरेख नहीं की गई, इस पर चर्चा के लिये)।

२०६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्राम गोडू, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, में प्राईमरी स्कूल में छठी क्लास खोलने तथा बच्चों को साल भर बाद परीक्षा से वंचित करने के बाबत चर्चा के लिये)।

२०७. श्री रामनारायण (मंडावा): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के स्थानान्तरणों में की गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

२०८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए)।

२०९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के स्तर में सुधार पर चर्चा के लिए)।

२१०. श्री कल्याणमल (जहाजपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षा विभाग अधूरे निर्मित प्राइमरी स्कूल भवनों को पूर्ण करवाने में असफल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

२११. श्री पृथ्वीसिंह (बाली): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में होने वाले पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

२१२. मांग संख्या १५, शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पाली जिले में प्राइमरी स्कूलों की परीक्षा जिला-स्तर पर करने से इन्सपेक्टर आफ स्कूलस् के निर्णय पर चर्चा के लिए]।

२१३. मांग संख्या १५, मुख्या शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (शिक्षकों के स्थानान्तरण चालू सैशन में करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

२१४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर यिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों के अध्यापकों को विशेष सुविधा प्रदान करने पर चर्चा के लिए)।

२१५. श्री रतनलाल (चौरासी): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर के ग्राम माड़ा और चूंडावाड़ा माध्यमिक शालाओं में अध्यापकों की कमी के बारे में चर्चा के लिए)।

२१६ श्री आईदानसिंह [भीनमाल]: मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००] रु० कम कर दिया जाय (गांवों में शिक्षा के अभाव पर चर्चा के लिये)।

२१७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में में १००) रु० कम कर दिया जाय (जालौर हायर सैकन्डरी भवन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

२१८. श्री आलमअली (फतेहपुर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कग कर दिया जाय (शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के अभाव-अभियोगों पर चर्चा के लिये)।

२१९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (आवश्यकतानुसार पंजावी, सिन्धी एवं उर्दू के अध्यापकों का स्कूलों में अभाव एवं उनकी पूर्ति पर चर्चा के लिये]।

(श्री आलमअली)

मांग संख्या २४.

२२०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन मे से १००) रु. कम कर दिया जाय (समाज–कल्याण विभाग द्वारा हरिजन, सांसी, कंजर, बावरी गाड़िया लुहार आदि का उत्थान न करने पर चर्चा के लिये)।

२२१. श्री भीमसेन (लूणकरनसर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में से १००) रु. कम कर दिया जाय (भाषा विभाग की शिथिलता से हिन्दी का उचित प्रसार नहीं हो सका, इस पर चर्चा के लिए)।

२२२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १०० रु. कम दिया जाय (डूंगर कालेज, बीकानेर में अगले सत्र एम. एस. सी. कक्षाएं प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या २४.

२२३. मांग संख्या २४ मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मूल्यांकन संगठन में कमी हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या १५.

२२४. श्री रामकुमार (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय(चित्तौडगढ़ गवर्नमेन्ट कालेज को पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज में पदोन्नत करने पर चर्चा के लिए)।

२२५. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (मल्टीपर्पज हायर सेकेन्डरी स्कूल, चित्तौड़गढ़, को समुचित साधन उपलब्ध न कराने पर चर्चा के लिए)।

२२६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (पुराने हाईस्कूलों को हायर सैकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित किए जाने पर चर्चा के लिए।

२२७. श्री रामकिशन (वैर): मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (राजस्थान विश्व विद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य के बारे में नीति का अननुमोदन)।

२२८ मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के प्रशिक्षित अध्यापकों की बेरोजगारी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या, २४.

२२९. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु०कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जातियों के जीवन-स्तर को सुधारने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये)।

२३०. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय

(श्री रामकिशन)

संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (सामाजिक तथा नैतिक आचार शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या १५.

२३१ श्री नाथूराम (बागीडोरा) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में पंचायत समिति भूखिया के हैडक्वार्टर पर माध्यमिक शाला भूखिया को सैकन्ड्री स्कूल में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये) ।

२३२. श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में मेडिकल कालेज है, परन्तु हाई स्कूलों व हायर सैकन्डरी स्कूलों में जीव विज्ञान की शिक्षा प्रायः नहीं के बराबर है, इससे बीकानेर के लोग मेडिकल कालेज में दाखिला पाने से महरूम रह जाते हैं, इस पर चर्चा के लिये) ।

२३३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थानी भाषा के लिये सरकार कुछ भी खर्च नहीं कर रही है, इससे राजस्थानी भाषा-भाषी लोगों में रोष उत्पन्न हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२३४. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान साहित्य एकादमी द्वारा साहित्यकारों का उत्साह बढ़ाने हेतु उसके लिये वर्तमान स्वीकृत राशि को कम से कम चार गुना बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२३५. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (राजस्थान के खेल के स्तर में कुछ सुधार हुआ है, इसकी तरकी और विशेष ध्यान दिया जाय, इस पर चर्चा के लिये) ।

२३६. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में प्राइमरी स्कूलें जो नगरपालिका के माध्यम से चलाई जाती हैं उन्हें शिक्षा विभाग अपने हाथ में ले ले इस पर चर्चा के लिये) ।

२३७. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर के डूंगर कालेज में प्रीयूनिवरसिटी की कक्षाएं हटाने के सरकार के आदेश तुरन्त वापिस लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

२३८. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में नौकरी करने वाले जो लोग व्यवस्थापकों के रिश्तेदार नहीं होते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार होता है एवं व्यवस्थापकों के सम्बन्धियों के साथ रियायतें होने से ऐसी संस्थाओं के सम्बन्ध में घोर असन्तोष है, इस पर चर्चा के लिये) ।

२३९. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

२८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में सर्विस करने वाले व्यक्तियों को वेतन कम दिया जाना और रसीद ज्यादा की करने को मजबूर किया जाना, इसे रोकने पर चर्चा के लिये)।

२४०. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (गैर सरकारी संस्थाओं को जो अनुदान दिया जाता है इसमें अनियमितता रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

२४१. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर में साइन्स व आर्ट्स कालेज एक में ही है, इसलिए पुराने डूंगर कालेज में आर्ट्स कालेज अलग शिफ्ट में कर दिया जाय, इसपर चर्चा के लिये)।

२४२. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर के कालेजों में एम० ए० में राजनीतिक विज्ञान की कक्षा खुलवाई जाने पर चर्चा के लिये)।

२४३. मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के डूंगर कालेज में M. Se. की कक्षा खोली जाय, इस पर चर्चा के लिये)।

२४४. मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर में इंजीनियरिंग कालेज नहीं खोला गया, इस पर चर्चा के लिये)।

२४५. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर राजर्षि कालेज में पोस्टग्रेज्युएट क्लासेज खोलने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

२४६. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (महिला संस्कार केन्द्र अलवर को हटा कर धौलपुर ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

मांग संख्या २४.

२४७. मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविद् सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (अलवर शहर से समाज कल्याण केन्द्र को अन्य स्थान पर तबदील किये जाने पर चर्चा के लिये)।

२४८. श्रीमती गौरी पूनियां (डेगाना) : मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन में से १००) रु० कम कर दिया जाय (डेगाना में पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या ३२.

२४९. श्री रामचन्द्र (खंडेला) मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८–लेखन सामग्री तथा मुद्रण के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर १ रुपया कर दिया जाय (लेखन सामग्री के प्रदान की व्यवस्था करने के बारे में नीति का अननुमोदन)।

श्री उपाध्यक्ष : मेजर श्री फतेहसिंह !

मेजर श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह सदन एक महत्वपूर्ण मांग पर विचार कर रहा है और वह मांग है शिक्षा। इस मांग पर मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। ये दोनों प्रस्ताव मेरे क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं से संबन्ध रखते हैं। एक प्रस्ताव तो इस बात का है कि हमारे ब्यावर क्षेत्र में पिछले चुनावों में कुछ अध्यापकों ने मिलकर के कांग्रेस का प्रचार किया उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मेरा दूसरा प्रस्ताव ब्यावर की जनता की आबादी को देखते हुए वहां पर लड़कियों का कालेज स्थापित होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज के जो युवक-युवतियां है वे कल इस हमारे प्रदेश के और इस देश के नेता बनेगें। ये ही लोग आगे जाकर सुखाड़िया जी से और इन्दिराजी से इस प्रदेश और राष्ट्र का शासन संभालेंगे। लेकिन में आपके माध्यम से सरकार और सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारे आजकल के छात्र और छात्राओं का चरित्र–निर्माण ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। उनमें अनुशासनहीनता दिन प्रतिदिन बढती जा रही है और उसका उत्तरदायित्व हमारे अध्यापकों पर हैं। और मै यह कहता हूं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी कि इस अनुशासनहींनता और चरित्रहीनता की भावना विद्यार्थियों में बढ़ती जा रही है उसका सबसे बडा उत्तरदायित्व माननीय मंत्री महोदय पर है, क्योंकि मंत्रियों पर पॉलिसी निर्माण का भार होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले आम चुनाव हुए उसमें किस तरह से अध्यापकों ने अनुशासनहीनता बताई उसका उदाहरण देना चाहता हूं। तारीख दो दिसम्बर को मेरे चुनाव क्षेत्र में बड़खेड़ा में एक चुनाव सभा हुई उसमें मै भी शामिल हुआ कांग्रेस के उम्मीदवार भी शामिल हुये। कांग्रेस के उम्मीदवार अध्यापकों को अपनी जीप में बिठाकर के लाये। कांग्रेस के उम्मीदवार ने कांग्रेस का प्रचार किया, अपने पक्ष में जनता को समर्थन देने के लिये प्रचार करना चाहिये। लेकिन सबसे बड़ी आपत्ति इस बात की है कि जो अध्यापक उनके साथ में गये थे उन्होंने खुलकर आम सभा में जहां हजारों की जनसंख्या थी वहां पर कांग्रेस का प्रचार किया उस सभा में माननीय विजयसिह जी भी शामिल थे। इस बात की सूचना मैंने छः दिसम्बर को सम्बन्धित अधिकारियों को दे दी थी। डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग को दी। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स को दी। प्रमुख जिला परिषद को दी। बी० डी० ओ० को सूचना दी। उनसे मैने यह भी निवेदन किया कि मैं आपका बड़ा अहसानमन्द हूँगा अगर आप इसके संबन्ध में जो भी कार्यवाही हो उससे मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे।

(मेजर श्री फतेहसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारियों की ओर से उन अध्यापकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि इसका उल्टा प्रभाव हुआ उन्होंने और तीव्रता से कांग्रेस का प्रचार करना शुरू किया। मीटिंग के अलावा व्यक्तिगत रूप से भी कांग्रेस का प्रचार करने लगे। १६-४-६७ को फिर मैंने रिटर्निंग आफिसर और संबन्धित अधिकारियों को सूचना दी कि ये सब टीचर्स जैसे श्री मूलसिंह, मिडिल स्कूल सालेरा के हैड मास्टर पूनमसिंह, हैडमास्टर मिडिल स्कूल काबरा, पूर्णसिंह असिस्टेन्ट टीचर राजियावास, शोभागसिंह प्राइमरी स्कूल राजियावास, खींवसिंह जेतगढ़ प्राइमरी स्कूल इनके बारे में मेरी शिकायत थी कि ये टीचर्स कांग्रेस की जीप में और अलग अलग व्यक्तिगत रूप से कांग्रेस का प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इतना ही नहीं, श्रीमान, मैंने इसकी सूचना अपने पत्र दिनांक २० जनवरी, १९६७ में डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन मिस्टर जोन को भी दी, क्योंकि मेरी उनसे व्यक्तिगत जानकारी थी। अजमेर राज्य के समय में वे गवर्नमेंट कालेज के प्रिंसिपल थे और मैं भी उस विधान सभा का सदस्य था, इस नाते मेरे से उनका परिचय था। मैंने उनको भी पत्र लिखा और सारी पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्हें लिखा कि वे भी कुछ कार्यवाही करें, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की। डायरेक्टर महोदय का पत्र मुझे ता. २० फरवरी, १६६७ को मिला और मैं आपकी अनुमति से इस को सदन में पढ़ना चाहता हूं। जो उत्तर उन्होंने दिया है उसे मैं पढ़ता हूं।

"Dear Major Fateh Singh,

I will send your letter regarding certain Headmasters and teochers to the Addl. Director of Primary & Secondry Education, Bikaner for such action as may be necessary".

मेरे पत्र का जो उन्होंने उत्तर दिया वह २० फरवरी, १६६७ का है। उस बात को चार महीने बीत गए, तीन महीने बीत गए जब कि मुझे उनका उत्तर मिला था, लेकिन अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई, एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा, यह मैं नहीं जानता। जैसा मैंने आपसे बताया कि जो मैंने ६ दिसम्बर का पत्र लिखा था उन अध्यापकों के बारे में और फिर १३ जनवरी को पत्र लिखा था, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। एक असर जरूर हुआ कि जिस हैडमास्टर के खिलाफ मैंने शिकायत की थी, शिकायत करते समय २ दिसम्बर, ६ दिसम्बर और १६ जनवरी को अगर वे सिलोरा (किशनगढ़) में थे तो शिकायत करने के बाद उनका ट्रांसफर ब्यावर के पास बड़ाखेड़ा में कर दिया गया जो कि ब्यावर निर्वाचन क्षेत्र में पड़ता था। तो उन पत्रों का यह प्रभाव हुआ। इसका क्या मतलब है ? यही मतलब है कि ऊपर के अधिकारी जानबूझ कर इन अध्यापकों से चुनाव में प्रचार करवाते हैं और वे अध्यापक खुल्लमखुल्ला कहते थे कि

(मेजर श्री फतेहसिंह)

उनको शिक्षा मन्त्रीजी का आदेश है, उनको मुख्य मन्त्रीजी का आदेश है कि तुम कांग्रेस का प्रचार करो। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो इन सब बातों की वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और जो हमारे पत्र भेजे गए, प्रार्थना पत्र भेजे गए, शिकायतें की गई, उनमें भी मुझ से पूछा तक नहीं गया, तुम इसके कम्प्लेनेंट हो तुम क्या कहते हो ? और इसको दरगुजर कर दिया गया। ऐसी स्थिति में मैं आरोप लगाता हूं तत्कालीन शिक्षा मन्त्री के ऊपर और इन मुख्य मन्त्रीजी के ऊपर कि इन्होंने अपनी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इन अध्यापकों से, शिक्षा विभाग के इन टीचर्स से इस प्रकार की कार्यवाही करवाई।

तो मैं इस प्रसंग में कह रहा था कि आज हमारे युवक और युवतियों में जो अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है, आज सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स कण्डक्ट रूल्स बने हुए हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी इस प्रकार से प्रचार नहीं करेंगे चुनावों में। उन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन फिर भी उनके द्वारा इस प्रकार प्रचार किया गया तो मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं, और माननीय शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं, बरकतुल्लाजी उस समय शिक्षा मंत्री नहीं थे लेकिन कलेक्टिव रसपॉसिबिलिटि के नाते मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की ? मैं जो आपसे इतना कह रहा हूं तो आप आखिर उसकी जांच तो करवाइए। अगर वह गलत पड़ जाय तो मैं इसका सदन से त्यागपत्र देने को तैयार हूं।

लेकिन आप इस तरह से अगर कार्यवाही नहीं करते हैं और कर्मचारी इस तरह से कानूनों का और नियमों का उल्लघन करते हैं और हम यहां पर, इस सदन में आने के बाद भी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करवा सकते, तो कोई माननीय सदस्य इस तरह की शिकायतों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करा सके तो फिर हमारा इस सदन में बैठना निरर्थक है। मैं यह नहीं चाहता हूं कि उनको फांसी पर लटका दें, लेकिन उनकी जांच होनी चाहिए और अगर इस तरह से आप आम चुनावों में या राजनीति में इस प्रकार से अध्यापकों का उपयोग करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं तब तो यह शासन चलने वाला नहीं है और इस तरह को अनुशासनहीनता का और भी प्रसार होगा।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव ब्यावर में लड़कियों के लिए डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में है। श्रीमान्, आपको यह मालूम है, शिक्षा मंत्री महोदय को भी मालूम है और इस सदन के कई माननीय सदस्यों को मालूम है कि ब्यावर राजस्थान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ब्यावर वह स्थान है जिसने राजस्थान के नेताओं को भूतकाल में में शिक्षा दी है। माननीय स्वर्गीय मुख्य मंत्री जयनारायणजी व्यास थे, वे भी ब्यावर रहते थे। उनको भी राजनीति की शिक्षा ब्यावर में ही मिली और अगर मैं यह कहूं कि हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री श्री सुखाड़ियाजी को भी ब्यावर ने ही उस समय

(मेजर श्री फतेसिंह)

शरण दी थी, और यदि मैं यह भी कहूं कि वे प्रेम सूत्र में ब्यावर में ही बंधे थे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब सुखाड़ियाजी को किसी स्थान ने शरण नहीं दी तब हमने उनको ब्यावर में शरण दी थी लेकिन आज उसी ब्यावर की उपेक्षा की जा रही है।

श्रीमान् ब्यावर आबादी के लिहाज से राजस्थान में नवमां स्थान रखता है। केवल ८ ही स्थान राजस्थान में ऐसे हैं जिनकी आबादी ब्यावर से अधिक है। ब्यावर की आबादी इस समय ६५ हजार है और वहां की जनता की यह मांग है कि वहां पर लड़कियों का डिग्री कालेज खुलना चाहिए। इस वक्त जो हायर सैकेन्डरी की ११वीं क्लास थी और जिन लड़कियों ने अप्रैल में इम्तिहान दिया उनकी संख्या ८० थी और इस वक्त हमारे गवर्नमेंट का कालेज जो सनातन धर्म कालेज के नाम से चल रहा है उसमें करीब ११६ के करीब लड़कियां पढ़ रही हैं। अगर वहां पर डिग्री कालेज लड़कियों के लिए खोल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता को अपने इस स्त्री-समाज को पढ़ाने और अधिक सुविधा मिलेगी।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि आज इस सदन के पास समय बहुत कम है, इसलिए मैं इस विषय में अधिक नहीं कह कर मैं सरकार से और विशेष कर शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें और इस समस्या की ठीक ढंग से जांच करवाने की कोशिश करें।

अन्त में मैं अपना स्थान ग्रहण करते हुए सरकार से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि जिन शिक्षकों के सम्बन्ध में मैंने शिकायत की है उनकी जांच करवाई जाय। धन्यवाद।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारीलाल व्यास!

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : उपाध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा की मांग के सम्बन्ध में, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक शिक्षा की बढ़ोत्तरी का प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने एक करोड़ से लेकर २५ करोड़ की मांग रखी है, उससे यह तो साफ जाहिर है कि राजस्थान जो है शिक्षा के मायने में दिन-ब-दिन तरक्की के तरफ जा रहा है और यह एक संतोष का विषय भी है क्योंकि राजस्थान वर्षों से बल्कि सदियों से इस मायने में बहुत पिछड़ा हुआ था, और हमारी सरकार ने जब से इस राज्य की बागडोर सम्भाली है तब से दिन-ब-दिन यहां पर शिक्षा की प्रगति हो रही हैं, चारों तरफ जहां पर भी हम निगाह डालें, प्रगति हो रही है। तीन तीन यूनिवर्सिटीज राजस्थान में खुली हैं। इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज और पोस्ट ग्रेज्यूएट कालेज और इस प्रकार से जगह जगह पर डिस्ट्रिक्ट हैड-क्वाटर्स पर अलग अलग डिग्री कालेजेज की स्थापना हुई है। इसी प्रकार से हायर सैकेन्डरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और प्राईमरी स्कूल्स की तो गिनती ही नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्था, राजस्थान के अन्दर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

शिक्षा की प्रगति के अन्दर एक चहुमुखी विकास की प्रगति हमारे यहां हुई है। मगर मैं इनमें कुछ कमियों की तरफ आता हूं। जहां तक शिक्षा की प्रगति का सवाल है हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित होकर के राजस्थान की बागडोर को अपने हाथ मे सम्भाले। यहां पर इस प्रकार के लड़के पैदा हों, इस प्रकार के बच्चे पैदा हों जो राजस्थान की ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की बागडोर भी अपने हाथ में सम्भाल सकें। इस प्रकार का प्रयास राजस्थान के शिक्षा विभाग को करना चाहिए। जहां तक पंचायत समितियों के अधीन प्राईमरी स्कूलों का ताल्लुक है, इनके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी पंचायत समितियों की स्कूलों की किस प्रकार की हालत है। न वहां पर टाट पट्टियां हैं, न वहां पर पढ़ने-लिखने के दूसरे साधन हैं, न क्वालिफाईड स्टाफ है। तो इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर है। आप जहां पर एक तरफ तो पब्लिक स्कूल्स से उनका मुकाबला करते हैं तो वहां हमारे प्राईमरी स्कूल्स की ऐसी हालत है उसमे हमारे बच्चे फटेहाल नजर आते हैं। न उनके पढ़ने लिखने के लिए किताबें मुहैय्या की जाती है किताबों के लिए हमारी सरकार कहती है कि गरीब बच्चों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था कर रखी है, मगर किताबें पहुंचती हैं जुलाई अगस्त बाद में जब कि बच्चे सब किताबें खरीद लेते हैं।....

उसी तरह से दरी, पट्टियों का सवाल है, पीने के पानी का सवाल है, मकान का सवाल है और दूसरे हर प्रकार के प्रश्न हैं। हमारे प्राइमरी स्कूल्स जो गांवों के अन्दर हैं उनकी व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था को आप सुधारें, क्योंकि अच्छे स्थान पर बच्चा बैठता है तो उसका असर अच्छा पड़ता है और उनकी हालत जिस प्रकार की है उसी प्रकार की हालत में वे रहते हैं तो बच्चों की शिक्षा पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान दें। शुरू की शिक्षा पर ज्यादा तवज्जह देना चाहिए तभी जाकर उसका विकास हो सकता है, वह बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छा निकल सकता है। इसलिए यह सबसे आवश्यक अंग है हमारी शिक्षा का इसकी ओर हमारी तवज्जह ज्यादे से ज्यादा होनी चाहिए। हमने स्कूलें तो बहुत खोल दीं, लेकिन उनकी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।

इसी तरह से हमने बहुत सारे एस० टी० सी० के स्कूल्स खोल रखे हैं और हजारों की तादाद में मास्टर ट्रेन्ड होकर निकल रहे हैं, लेकिन उनकी खपत नहीं हो रही है, और हजारों लोग बेकार बैठे हैं। तो राजस्थान सरकार से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के जो स्कूल्स चल रहे हैं और लोग शिक्षित होकर, ट्रेन्ड होकर निकल रहे हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते तो कम से कम वैसी चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। इसलिए आवश्यकता पर ध्यान रखते हुए जितने स्कूलों की आवश्यकता हो उतने स्कूल ही रखें और उतने ही

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

आदमियों को वहां पर ट्रेनिंग में भेजें ताकि यह बेकारी ज्यादा न बढ़ सके। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि कम से कम जो प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स एस० टी० सी० के सम्बन्ध में चल रही है उनके लिए आज ही इस प्रकार के आदेश निकाल दें कि वे आज से ही बन्द हो जाय, और जो सरकार की तरफ से चल रही है उनमें आवश्यकता के अनुसार जितने स्कूलों की आपको जरूरत है उतने ही स्कूल्स चलायें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

दूसरी बात मेरी यह है कि आपने गांवों में हायर सेकन्डरी स्कूल खोल दिये। एक एक तहसील में एक एक या दो स्कूल्स हैं। अगर वह बड़ी है और जनसख्या ज्यादा है तो। लेकिन होस्टल्स के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं किया है। बाहर से जो लड़के ५—५, १०—१० मील से आते हैं पढ़ने के लिए तो उनके रहने की व्यवस्था नहीं है। वे किस प्रकार से विद्याध्ययन कर सकते हैं, और कई प्रकार की कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। गांवों के लोग गरीब लोग होते हैं उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है बहुत बुरी बात है। आप शहरों में होस्टल्स प्रोवाइड करते हैं और सब प्रकार की फेसिलिटीज उनको देते हैं, लेकिन गांवों में स्कूल बनायें, बोर्डिंग बनायें तो हर चीज के लिए श्रमदान मांगते हैं लेकिन उसके विपरीत शहरों के लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप शहरों में सब प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं तो कम से कम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए तो गांवों की तरफ तवज्जह करके उनको दें तो बड़ा लाभ होगा। अगर पूरा होस्टल भी आप नहीं चलाना चाहें तो गांव वालों की तरफ से जो होस्टल्स चल रहे हैं कम से कम उनमें तो सर्वेन्ट वगैरह का इस प्रकार का प्रावधान कर दें कि जिससे कि जो है थोड़ा-बहुत लाभ उनको मिल जाय और जो होस्टल्स गांव वालों की तरफ से चलते हैं उनको वे सुचारु रूप से चला सकें।

हमने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है लेकिन जहां तक महिलाओं की शिक्षा के सम्बन्ध में प्रश्न है उस क्षेत्र में हम उसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सके जैसा कि अभी माननीय रावत साहब, मेजर साहब कह रहे थे कि ब्यावर में गर्ल्स का डिग्री कालेज होना चाहिए। मैं यह कहता हूं कि डिग्री कालेज चाहे हायर सैकेन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स हों गर्ल्स के सम्बन्ध में बहुत कमियां हैं। तो मैं भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम एक तहसील के अन्दर एक गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल और मिडिल स्कूल्स की जितनों की आवश्यकता हो वह खोलना नितान्त आवश्यक है। मेरी तहसील के सम्बन्ध में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं हैं। बदनौर में हायर सैकन्डरी स्कूल खुलवाया जाय। वहां पर अभी २००–२५० लड़कियां मिडिल स्कूल से निकली हैं और बाहर जाने के साधन उनके पास नहीं है। आस-पास ३०–४० मील की दूरी पर कहीं

(श्री गिरधारी लाल व्यास)

भी हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। भीलवाड़े में जो कि ४५ मील की दूरी पर पड़ता है वहां पर अपनी बच्चियों को भेजकर शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए बच्चियों के लिए हायर सैकेन्डरी स्कूल बना दिया जाय तो ज्यादा लाभ होगा।

मैं आपका ध्यान पब्लिक स्कूल्स की तरफ खींचना चाहता हूं। यह एक अभिशाप है देश के लिए कि इस प्रकार की भेद-भाव की नीति को आप पनपा रहे हैं। जिसके द्वारा बड़े आदमी तो अपने लड़कों को ऐसे स्कूलों में भेजकर ज्यादे से ज्यादा अच्छी तरह से विद्याध्ययन करा सकें और गरीब आदमी अपने लड़कों को इन स्कूलों में अध्ययन नहीं करा सकें। हमने इस प्रकार का प्रावधान किया है कि हर स्कूल में जो बच्चे दाखिल होना चाहें उन विद्यार्थियों को दाखिल किया जायगा, मगर इन स्कूलों में इस प्रकार की भेदभाव की नीति बरती जाती है। पहले तो क्रिश्चियन है और मिशिनरियों द्वारा इस प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था है जहां कि वे अपने धर्म का भी प्रचार करते हैं और उसके साथ-साथ बड़े आदमियों के लड़कों को अंग्रेजी की शिक्षा का अध्ययन करा कर उनको ज्यादे से ज्यादा कम्पीटिटिव एक्जामिनेशन के लिए तैयार किया जाता है जिससे यह हो कि गरीब लोगों के लड़के, गरीब तबके के बच्चे उन एक्जामिनेशन में कम्पीटीशन में शामिल न हों, और अगर शामिल भी हों तो वे उनके कम्पेरिजन में काफी नीचे स्टेण्ड करें। इस प्रकार की व्यवस्था जो है इसको तब्दील करना होगा। इस देश में अगर आप चाहें कि सबके साथ समान व्यवहार हो, सब के साथ एक तरह का व्यवहार हो तो इस तरह की भेदभाव की नीति को बन्द करना पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मिशन स्कूल्स में ३०-४० रुपये पर मन्थ बच्चों से फीस ली जाती है। इस प्रकार के स्कूलों में गरीब बच्चों को दाखला नहीं मिल सकता है। और दूसरे प्रांतों ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। राजस्थान सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की भेद-भाव की नीति जो ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स पैदा करते हैं उनकी इन्स्टीट्यूशन को खत्म करके इस प्रकार का काम करना चाहिए जिससे कोई भेदभाव नजर नहीं आये, और गरीब अमीर सब लोगों के साथ समान व्यवहार हो जैसा कि हमारा कांस्टीट्यूशन कहता है।

मैं मेरे गांव के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि करीब२ साल पूर्व साइन्स का सेक्शन खोला मगर साइन्स टीचर नहीं आया पिछले साल मैंने कई बार दुबारा निवेदन किया और शिक्षा मन्त्री महोदय के ध्यान में लाया और दूसरे अधिकारियों के ध्यान में लाया कि वहां पर साइन्स क्लास दो साल से खोल दी मगर टीचर का आज तक पता नहीं। जहां साइन्स की क्लास खोल देते हैं पर टीचर नहीं देते हैं तो साइन्स की क्लास किस तरह से चल सकती है। इसके सम्बन्ध में खास तौर से सोचना चाहिए कि जिस सब्जेक्ट

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

क्लास को खोलें वहां उसके टीचर्स की व्यवस्था करना चाहिए।

इसी प्रकार से जहां पर साइन्स क्लासेज खोलते हैं तो वहां पर साइन्स के प्रैक्टीकल के लिए साइन्स थियेटर की व्यवस्था करना चाहिए। बहुत से क्षेत्र मालदार क्षेत्र हैं वहां पर लोगों से ७-१० हजार रुपये जमा करवायें तो वे लोग साधनों के जरिये जमा करा सकते हैं, मगर बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो पिछड़े हुए हैं और वहां के लोगों के पास धन का अभाव है वहां के क्षेत्रों के लिए कम से कम साइन्स क्लासेज चालू करने का सरकार का जिम्मा है और सरकार को चाहिए कि इस प्रकार के थियेटर्स बनायें, और खास तौर से मेरे क्षेत्र आसींद और बदनौर में साइन्स क्लालेज खोली हैं वहां पर थियेटर्स का अभाव है वहा पर आपको चाहिये कि पिछड़े हुए क्षेत्र में साइन्स थियेटर के संबंध में विचार करके उसका प्रबन्ध कराया जाय।

इसी प्रकार बदनौर स्कूल में हमने देखा है कि आजकल टीचर्स में अनुशासनहीनता आ गई है। उसकी वजह से लड़कों का नुकसान होता है। हैडमास्टर एक तरफ और सारे मास्टर एक तरफ और दोनों पक्ष लड़ रहे हैं। वहां पर पिछले चुनाव के आसपास चार दफा स्ट्राइक हो गई। वहां पर मास्टर और हैडमास्टर लड़ते हैं और बच्चों को हथियार बनाकर लड़ते हैं। इससे बच्चों के अन्दर अनुशासनहीनता पैदा करते हैं तो इसके सम्बन्ध में खास तौर से ध्यान रखना है। मिनिस्टर महोदय और दूसरे अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में सूचना दी, मगर किसी ने आकर इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसी जगह जहां इस प्रकार की अव्यवस्था हो अधिकारियों को, या माननीय मन्त्री महोदय को चाहिए, कि वहां पर है इस प्रकार का जो वातावरण पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय ताकि अनुशासनहीनता ज्यादा नहीं बढ़ सके।

मैं अपने क्षेत्रों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दो तीन साल से बराबर दौलतगढ़ के स्कूल के बारे में जिला परिषद और पंचायत समिति से रिकमन्ड कराया गया। जिला भर में सबसे ज्यादा तादाद लड़कों की उस स्थान पर है, मगर पता नहीं किन कारणों से वह नहीं हो सका। पिछले साल हायर सैकन्डरी स्कूल के लिए २० हजार रुपया मांगा गया और २० हजार रुपया देने की हालत हमारी नहीं थी इसलिए मौका प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए शिक्षा मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दौलतगढ़ में विद्यार्थी ३५०–४५० के करीब मिल सकते हैं। इसी प्रकार से शम्भूगढ़ में ३०० की तादाद है। ये दोनों स्कूल सैकन्डरी स्कूल बनाने के लायक हैं।

(१ म० प०)

अभी आपने दो तीन दिन पहले धनाभाव के कारण स्कूल नहीं खोलने के लिए

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

कहा था। मगर इस साल तो इनको प्राथमिकता दी जाय। नहीं खोलें तो जब मौका आये जब यह स्कूल खोले जायं तब इनको प्राथमिकता दी जाय। इसी प्रकार से मिडिल स्कूलों के बारे में दो चार साल से लिखा-पढ़ी हो रही है लेकिन एक भी मिडिल स्कूल मेरे क्षेत्र में नहीं खोला है। मेरे क्षेत्र के अन्दर लाछूड़ा, पाटन, संग्रामगढ़ और कटालिस यह चार गांव ऐसे ऐसे हैं जहां पर चार हजार, पांच हजार की जनसंख्या है, वहां पर काफी तादाद में लड़के पढ़ते हैं, इसलिए यदि मिडिल स्कूल की सुविधा इन जगहों पर दी जायगी तो शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर इन जगहों पर प्रगति होगी। अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि मैने जो बातें निवेदन की हैं, उनके ऊपर वह ध्यान देंगे और उनको निवारण करने का कष्ट करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मदन सिंह!

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में, मैं समझता हूं उस का भविष्य, उस देश की सभ्यता, उस देश का शिष्टाचार और उस देश की रात दिन के जीवन में होने वाली घटनाओं का सम्बन्ध शिक्षा से होता है, वह शिक्षा पर आधारित होती है और जैसी शिक्षा जिस देश में दी जाती है, वैसा ही वहां का आचरण, वैसा ही वहां का रहन सहन, वैसा ही आगे जाकर उसका जीवन होता है। जहां तक भारत वर्ष की पिछले बीस सालों की शिक्षा पद्धति का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं वह मेरे स्वयं और मेरी पार्टी के सिद्धान्तों से विपरीत ही चल रही है। भारत वर्ष के स्वतंत्र होने के बाद में होना यह चाहिए था कि भारत वर्ष की संस्कृति पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए थी जिससे भारत वर्ष का सिर ऊंचा होता। आज रात दिन भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आज रात दिन कर्मचारियों के मसलों के सम्बन्ध में कहते हैं, आज रात दिन जो पब्लिक के सम्बन्ध में कहते हैं कि पब्लिक का स्तर गिरता जा रहा है-इसका कारण क्या है? मैं समझता हूं कि इसका कारण शिक्षा है। अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षा दी जाती थी, मैं नहीं कहता कि अंग्रेजों के समय में शिक्षा अच्छी दी जाती थी, पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अंग्रेजों के जमाने में जो शिक्षित लोग थे और उनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसको देखें तो आज मानना पड़ेगा कि आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। आज की शिक्षा पंडित जवाहरलाल नेहरु और गांधी जी जैसे भारत के सुपुत्र नहीं निकाल सकती है। सही ढंग से देखा जाय तो शिक्षा के जरिये बच्चों का चरित्र बढ़े और उनके चरित्र का गठन हो-इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली शुरू से ही हमारे देश में नहीं रही है। अभी जो पंचायत समितियों में स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसमें किसी को भी मास्टर बना कर उसको पढ़ाने का हुकम दे दिया जाता है लेकिन उन मास्टरों में और बच्चों में फर्क नहीं होता है। आज उन स्कूलों में इस प्रकार के टीचर्स हैं जिनका शिक्षक का अनुभव नहीं है, जिनको शिक्षा

(श्री मदनसिंह दांता)

देने का ज्ञान नहीं है, जिनको उठ-बैठ का ज्ञान नहीं है, जो स्वयं यह सब बातें जानते नहीं हैं वह बच्चों को पढ़ाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि तीन तरह से शिक्षा दी जाती थी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की, पहले जब मां के पेट में बच्चा होता था तो मां को शिक्षा दी जाती थी और उसके द्वारा संस्कारों का विकास बच्चे के अन्दर होता था । उसके बाद में जब पांच छः वर्ष का बच्चा हो जाता था तो मां बाप के द्वारा उसे शिक्षा दी जाती थी । और मां बाप की शिक्षा के बाद जो शिक्षक होता था वह स्कूल में उसे शिक्षा देता था और तब जाकर उसका जीवन बनता था । आज जहां मास्टरों का शिक्षा का जो स्टेन्डर्ड है, मास्टरों का, पढ़ाई का, और अध्ययन का जो अनुभव है, वह मैं समझता हूं कि इतना गिरा हुआ है, उसका कारण यह है कि वह जो पढ़ता है वैसा ही पढ़ाता है और शिक्षा के अन्दर आज धर्म-ग्रन्थों की शिक्षा देने का शुरुआत में विचार नहीं किया गया है । धर्मग्रन्थों के मूलभूत आधार पर उनको शिक्षित नहीं किया गया है । इसी कारण, मैं समझता हूं कि बच्चों का चरित्र गिर रहा है । आज कोई भी पढ लिख कर खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारत वर्ष की संस्कृति के आधार पर चलता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि शिक्षा पद्धति के बारे में विचार करने की बात केन्द्र के हाथ में है फिर भी शिक्षा मंत्री को निवेदन करूंगा कि जो शुरू के अन्दर शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, तो स्कूलों में चाहे मुसलमान लड़के हों, चाहे फारसी हो चाहे हिन्दू हों, कुछ न कुछ धर्मग्रन्थों के आधार को जरूर लिया जाय शिक्षा के अन्दर ताकि बच्चों का कम से कम चरित्र निर्माण हो सके........

अन्यथा अगर आप चरित्र निर्माण केवल कानून के जरिये ही लाना चाहेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, जब तक कानून का आदमी मौजूद है तब तक तो ठीक है लेकिन आंतरिक शिक्षा का असर तब ही होगा जबकि शिक्षा पद्धति में परिवर्तन होगा । इसलिये भारत वर्ष में पहले जो शिक्षक थे, जो मास्टर थे उनकी पढ़ाई में गहराई देखने को मिलती है । उनका रहन-सहन और आचार विचार देखें और आज के शिक्षकों के रहन–रहन और आचार विचार से तुलना करें तो रात दिन का फर्क है ।

आज डिसीप्लेन को ही देखा जाये, तो मैं समझता हूं कि जहां तक राज्य के नगरों को ही देखा जाये तो बच्चों में कई तरह के आन्दोलन हैं। इसका कुछ कारण मास्टर और कुछ कारण लड़के हैं पर बहुत बड़ा कारण डिसीप्लेन की कमी है । अगर शुरू से उनको डिसीप्लेन में रखा जाता तो आज यह देखने को नहीं होता । लेकिन वह किस आधार पर हो ? वह कौन सी पद्धति है जिससे उनका कैरेक्टर बने ? यही कारण है कि मास्टर और विद्यार्थियों के बीच में लड़ाई होती है और कभी कभी ऐसा भी सुनते हैं कि दस लड़कों ने मिल कर हैड मास्टर की पिटाई कर दी, ऐसी

(श्री मदनसिंह दांता)

घटनायें भी हो जाती है। यह क्यों है कि हमारी पद्धति में शिक्षितों में ऐसा आचार विचार निर्माण नहीं होता है कि कम से कम जब हैड मास्टर आये तो यह समझें कि हमारा गुरु आया है। यह पद्धति बिल्कुल चली गई।

इसके साथ मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छे शिक्षक भी मिलते हैं तो मैं समझता हूं कि आज शिक्षा के साथ साथ सिनेमा घर भी हैं। स्कूल में अच्छी शिक्षा भी दें तो स्कूल के लड़के जब सिनेमा घरों में जाते हैं तो वहां का असर उन पर पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक राजस्थान में इस सम्बन्ध में शिक्षा की नीति में परिवर्तन नहीं आयेगा तो शिक्षा फेल है।

अब शिक्षा में परिवर्तन किस तरह हो, तो मैं कहता हूं कि आज अगर आप धर्म ग्रंथ स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम फौजी शिक्षा तो अनिवार्य करलें। उससे यह होगा कि कम से कम लड़कों को उठने बैठने की शिक्षा तो मिल जायेगी। आज मैं देखता हूं कि जिस आदमी को पाजामा पहनने का भी होश नहीं वह मास्टर बन जाता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय को अगर राजस्थान में शिक्षा में कुछ श्रेय लेना है तो वे इतना तो अवश्य करें कि जो यंग मास्टर्स हैं उनको शहरों में लावें और जो पुराने और अनुभवी मास्टर्स हैं उनको गांवों में भेजें आज मिशनरीज को देखें। वे एक्सपर्ट होते हैं और जंगलों के बीच जाकर भी रहते हैं और बच्चों को अपने धर्म की शिक्षा देते हैं। १८ साल से बड़ा लड़का हुआ तो उसके साथ दोस्त की तरह रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर गांवों में शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जायगा तो आप अपने उस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पायेंगे जिसके लिए महात्मा गांधी ने इतना प्रयत्न किया था। आज गांवों में जो स्कूल्स हैं वहां पर जो मास्टर जाते हैं वे छोटे स्तर के जाते हैं। यही कारण है कि वहां से बड़ी बड़ी शिक्षा प्राप्त करके आने वाले लड़के भी शहर में जगह नहीं ले पाते। मैंने ऐसी सैकड़ों मिसालें देखी हैं जहां पर गांव के लड़के मैट्रिक ही नहीं, कालेज पढ़कर भी आते हैं तो उनको इसलिये जगह नहीं मिलती क्योंकि वे धोती पहनते हैं, वे बाल नहीं बनाते और रहन-सहन नहीं जानते। तो उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप और तरह से स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम फौजी शिक्षा तो अनिवार्य करदें ताकि वे रहन-सहन तो अच्छी तरह से सीखलें, बातचीत करना तो ठीक ढंग से सीखलें। आज गांवों के जितने पढ़े लिखे लड़के हैं उनको शहर में जगह नहीं मिलती और हल वे चला नहीं सकते।

इसलिये वे लोग घर के काम से बेकार और यहां के काम से बेकार। इसलिये शिक्षा पद्धति पर गांवों के लिए ज्यादा जोर दिया जावे ताकि गांवों के पढ़े लिखे लड़के जब गांवों से आवें और शहरों में कालेजों में आवें तो ठीक ढंग के स्टूडेन्ट हों।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह कि इस शिक्षा में

(श्री मदनसिंह दांता)

भ्रष्टाचार नहीं रहना चाहिये। और जगह, दूसरे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार घर कर गया, घुस गया उसी प्रकार पहले शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार नहीं था, वह अब घुस गया है क्योंकि शिक्षा प्रवृत्ति ऐसी है भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिये। मगर होता क्या है ? मैं मेरे ही गाँव की मिसाल देता हूं कि हमारे यहां पर एक हैड मास्टर है उनकी मिसाल दूंगा। हालांकि मैंने उनको बहुत समझाया कि वे शिक्षा के मामले में भ्रष्टाचार न करें लेकिन वे नहीं समझ सके। उसका परिणाम यह निकला कि हायर सेकन्डरी में ४० प्रतिशत से नीचे रिजल्ट रहा और लड़के पास हुए। वहां के हैड मास्टर पार्टी बाजी में पड़ते हैं। वह पार्टीबाजी न तो कांग्रेस की है और न जनसंघ की है। वैसे ही वहां पर मास्टरों की अलग अलग टोलियें बनी हुई हैं। एक बड़े आदमी का लड़का फैल हुआ और दूसरे दिन पास हो गया। जब यह खबर किसी दूसरे नेता के पास गई तो उसने कहा कि आपने अमुक नेता के लड़के को पास कर दिया है तो मेरे लड़के को भी पास करो और रात भर में उन्होंने उसके लड़के को भी पास कर दिया। शिक्षा के नियमों के अनुसार जो मास्टर एग्जामिन करता है उसी को अधिकार है कि वह पर्चे देख कर अगर नम्बर कहीं कम दिये हुए हों तो देख कर उसको पास कर सकता है। लेकिन स्वयं हैड मास्टर लोगों के दबाव से या कुछ ले देकर लड़कों को पास कर देता है। अगर नमूना शिक्षा मंत्री देखना चाहें तो मेरे पास देख सकते हैं।

इसके बाद को-एज्युकेशन के बारे में कहना चाहता हूं मुझे वैसे को-एयूकेशन से कोई विरोध नहीं है और मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन आज जिस प्रकार का रवैया हम देखते हैं उसके देखते हुए भारत वर्ष में ३० वर्ष लगेंगे कि जब तमाम भारत वर्ष के लोग इतने शिक्षित हो जावेंगे कि वे आपस में बैठ कर अच्छी तरह पढ़ सकें। आज बड़े बड़े स्कूलों और कालेजों में ऐसे अड्डे बन गये हैं जो मैं आपको कहना नहीं चाहता। जिसकी मिसाल देते हुए भी अगर कोई माननीय सदस्य कह दे कि दो तो मुझे कहते हुए लज्जा आती है। ऐसे ऐसे कारनामें होते हैं। आज गायत्री देवी हाई स्कूल अलग लड़कियों के लिए हो सकता है तो कालेज भी अलग से हो सकता है। मैं समझता हूं कि कौनसी ऐसी पद्धति है कि दोनों साथ बैठे बगैर शिक्षा नहीं हो सकती। भारतवर्ष में हमेशा यही प्रथा रही है और तुलसीदासजी की चौपाई भी है कि १८ वर्ष से ऊपर जिसकी आयु हो जाती है तो लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा प्राप्त करना ठीक नही।

श्री मूलचन्द डागा : हम चौपाई सुनना चाहते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : चौपाई नहीं है। आप जो चौपाई बना रहे हैं उसका मैं विरोध कर रहा हूं। एक तरफ तो आप परिवार नियोजन के कानून निकाल रहे हैं और दूसरी ओर आप कोएज्यूकेशन कर रहे हैं। उसकी वजह से आज इस तरह के इन्जेक्शन्स और जो घटनाएं आए दिन घटित

(श्री मदनसिंह दांता)

होती है, उनके लिये मेरे जैसे व्यक्ति के लिये नहीं कहने की बात है। मगर ऐसी घटनाएं आए दिन होती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम अगर आपको शिक्षा लड़के और लड़कियों को साथ साथ देनी ही है तो १३ या १४ साल की लड़कियां और लडके साथ रहते है वहां तक ठीक है। बाकी आगे को-एज्यूकेशन भारत वर्ष के लिय ठीक नहीं है।

मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आज १९ साल के बाद मैं भी आपकी स्कूलों में जाति के विरोध में शिक्षा दी जाती है। इसके लिये मेरे पास से मजमून सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं। वह किताब है नवीन पाठमाला कक्षा ५ के लिये प्रथम संस्करण। जिसके प्रवीनचन्द्र जैन संयोजक और श्री सौभागमल जी लेखक हैं। राजस्थान सरकार द्वारा निर्मित और प्रकाशित। इस पाठमाला में एक कविता है उसको सब को न पढ कर वही पढता हूं जो जाति के विरोध में आज से कई वर्षो से पढाई जाती है।

कुण जमीन रो धणी
हाड़ मांस चाम गाल
खेत में पसेव सींच,

लू लपट ठंड मेह
से सबै दांत भींच,

फाड चौक कर करे जोतणी र बोवणी,
वो जमीन रो धणी, क ओ जमीन रो धणी ?

मद पिवं उड़े मजा
करे जुलम सैंकड़ी,
ठग बण्या ठाकरां
हिद हुई हैंकड़ी,

रात दिन रैत ने लूटणी र खोसणी।
ओ जमीन रो धणी क वो जमीन रो धणी ?

कुण जमीन रो धणी ?
हल जुप्यो जद बिक्या
फूस पान टापरो
पेट काट बीज री,
करी जुगाल बापड़ो

पड़ी बूंद कह्यो हरख रामजी भली सुणी
ओ जमीन रो धणी क वो जमीन रो धणी ?

खड़ी फसल करा कुड़क,
मरै ब्याज वाणियूं
बलद बेच ब्याज रै
ब्याज ने उधाणियूं

एक तो बाणिया जाति और दूसरा ठाकुर के पीछे नाराजगी मानी है।

श्री पृथ्वीसिंह : अगर इस तरह के भद्दे शब्द इसमें हैं, तो सरकार के लिये शर्म की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : ठाकुर जाति नहीं है।

श्री मदनसिंह दांता : अगर कोई ठाकुर जाति नहीं है, तो कोई प्रथा नहीं है। पचासों वर्षो तक कहते रहे। ठीक है, ठाकुर नहीं तो, बनिया शब्द तो निकाल दो। ठाकुर तो गाली खाते रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : जो व्यक्ति वाणिज्य करे वही बनिया।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please.

श्री मदनसिंह दांता : मैं यह निवेदन करूंगा कि ये शब्द असंतोष प्रद हैं। अगर ये नहीं हटाये तो कांग्रेस के पीछे और मुख्य मंत्रीजी के पीछे किताबें छपेंगी और आपके एक एक चरित्र पर इल्जाम लगा कर किताबें छपाई जावेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इन्हें हटा देंगे अन्यथा इस प्रकार का प्रचार होगा कि गली गली में जूतियां पडेंगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपको पड़ेगी।

श्री मदनसिंह दांता : अब आपको और ज्यादा पडेंगी। और मैं दावे से कहूंगा कि कांग्रेस के भ्रष्ट मिनिस्टर है उनके खिलाफ प्रचार होगा और मैं करूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इससे कोई नहीं डरता है।

श्री मदनसिंह दांता : जो ××× होते हैं वे डरते क्यों हैं?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन शब्दों पर सीरियस ओब्जेक्शन करता हूं। ××× वह है जो खुद कहता है दूसरों को। यह इसका प्रमाण है।

श्री उपाध्यक्ष : इन शब्दों का प्रयोग दोनों तरफ से किया गया है उनको दोनों तरफ से हटा दिया जावे।

श्री मदनसिंह दांता : मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर मैं राजपूत हूं, ××× कहते ही ताव आ गया।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (बोलने के लिये खड़े हुए)......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनके बीच में बाधा न करें।

श्री विजयसिंह रावत : On a point of order Sir उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक किताब में क्या लिखा है और क्या नहीं उससे कोई लेन देन नहीं है। इस बात पर कहना है कि अभी गिरधारीलालजी व्यास ने खड़े होकर कहा कि ठाकुर जाति नहीं है मैं यह कहना चाहता हूं कि ठाकुर एक वीर जाति है और वीर गति को प्राप्त होने वाली जाति हमेशा से रही है और अभी मीजो वीर गति को प्राप्त हुए हैं और अपनी छाप पीछे छोड़ गये हैं। अगर उनके लिये इस प्रकार के शब्द शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयोग किये जाते हैं तो यह एक बड़े शर्म की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मदनसिंहजी।

श्री गिरधारी लाल व्यास: उपाध्यक्ष महोदय, ठाकुर कोई जाति नहीं है।

श्री विजयसिंह रावत: कैसे नहीं है ?

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

श्री गिरधारीलाल व्यास: ठाकुर एक उपाधि है, जो वीरता करता है उसको ठाकुर की उपाधि दी जाती है। यह जाति नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर माननीय सदस्य उत्तर देना चाहते हैं तो वाद विवाद में उत्तर दे दीजिये पर माननीय सदस्य बोल रहे हों तो बाधा उपस्थित नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह : On a point of order Sir, इस समाज कल्याण विभाग की एक मुख पत्रिका और दूसरी पत्रिका सदन में वितरित की जारही है। इस विभाग पर आज ही बहस है। तीन दिन से ऐसी प्रैक्टिस विभागों की तरफ से देख रहे हैं कि बहस आरम्भ होने पर उस विभाग से सम्बन्धित पत्रावलि माननीय सदस्यों को वितरित की जाती है जब कि बजट पेश होने के तुरन्त बाद विभागों से सम्बन्धित पत्रावलियां सभी माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जानी चाहिये। पर ऐसा लगता है कि सरकार ऐसा चाहती है कि विभाग अपनी जिम्मेदारी भी निबाह ले कि सदन में वितरित भी कर दिया जाय और सदन के माननीय सदस्य उसका उपयोग भी नहीं कर सकें। इस तरह से सरकार काम करती है तो यह सदन का अपमान है और इस तरह की सामग्री का वेस्टेज है। इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप सरकार को आदेश दें कि किसी विभाग के सम्बन्ध में पत्रावली पेश की जाय तो बजट पेश होते ही पेश की जाय और जिस विभाग पर बहस हो रही हो, इस बिभाग से सम्बन्धित पत्रावली उससे कम से कम एक दिन पहले तो अवश्य माननीय सदस्यों में वितरित कर दी जाय।

यह सदन का अपमान है और इन चीजों का इस तरह से दुरूपयोग क्यों होता है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा (समाज-कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, विभागीय विवरण तो पहले ही दिया जा चुका है, यह तो पत्रिका है तो प्रकाशित की गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान जिस ओर माननीय जनसंघ के नेता ने आकर्षित किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। कोई सामग्री, साहित्य यथा समय वितरित नहीं होता है तो उसका वितरण बेकार है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि भविष्य में सरकार के द्वारा उचित व्यवस्था की जाय इस प्रकार के आप आदेश दें।

श्री नारायणसिंह मसूदा : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूं यह विभागीय विवरण नहीं है, मासिक पत्रिका है।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के नेता ने और जनसंघ के नेता ने आपत्ति उठाई है वह बिलकुल वाजिब है।

विभागीय विवरण बजट के साथ या विवाद हो उससे २४ घण्टे पहले माननीय सदस्यों को मिल जाना चाहिये। पर जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा, आज जिस पत्रिका का वितरण किया जारहा है वह विभागीय विवरण नहीं पत्रिका है।

श्री भैरोंसिंह : वही है, एक है, दूसरी वही है ।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने जैसा कहा है वह मैंने कहा । विभाग की जानकारी जिसमें हो वह विभागीय विवरण २४ घण्टे पहले माननीय सदस्यों में वितरित हो जाना चाहिये ।

माननीय मदनसिंह

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के साथ ऐसी शिक्षा दी जाती है, नाच आदि की शिक्षा दी जाती है, उसका मैं विरोध नहीं करता । पुराने समय में नृत्य कला की शिक्षा हमारे यहां दी जाती थी । हमारी बच्चियों को नाच सिखाते हैं पर वह नाच स्कूलों में नहीं होता, जहां मन्त्री लोग, बड़े बड़े नेता जाते हैं वहां होता है, जैसे पुराने समय में वैश्याएं नाचतीं थीं उसी तरह लड़कियां जहां मन्त्री महोदय जाते हैं वहां नाचती हैं । इसलिये स्कूलों में वह आर्डर हो जाना चाहिये कि कोई भी मन्त्री या नेता जाय तो हमारी लड़कियां आकर वैश्याओं की तरह नहीं नाचें । यह भी बहुत बड़ा परिवर्तन होना चाहिये ।

दूसरे मैं कालेजों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । सदन का प्रारम्भ हुआ था तो एक सवाल के उत्तर में श्री माधोपुर के कालेज के सम्बन्ध में बताया कि कालेज वहीं हो सकते हैं जहां दानवीर हों और दान देवें । दानवीर एम. एल. एज. के लिये कोई कालेज खोलते तो मैं समझता पर शिक्षा के लिये मुख्य मन्त्रीजी पाबन्दी रखें कि कोई दानवीर जनता के सामने ऐलान कर देता है कि इतना रुपया लिया जाय तो उस ऐलान को पक्का माना जाय और वह रुपया लिया जाय । दांता में मैंने ४ लाख रुपये चुनावों से पहले इकट्ठे कर लिये थे और मुख्य मन्त्री महोदय ने कह दिया था कि वहां कालेज खुलेगा पर वहां कालेज नहीं खोला गया । इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दांता में ४ लाख रुपया इकट्ठा किया हुआ पड़ा है उसे प्राथमिकता दी जाय ।

कुछ बातों को लेकर आज घटनाएं हुई, मैं माननीय सदस्यों से क्षमा चाहता हूं मैंने आज तक ऐसे शब्द नहीं बोले थे, बोलने पड़े उधर बैठने वाले माननीय सदस्य के कारण ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत ।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर वही सदस्य बोल रहे हैं, गलत और सही का प्रमाण नहीं दे सकते । मैं फिर कहता हूं कि ठाकुर का मतलब वही है जो राजपूत हो । बनिये का मतलब बनिया जाति से है । मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहूंगा कि शिक्षा के अन्दर इस प्रकार की चीजें आना उचित नहीं है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं है जब यह ठाकुर बैठे हैं, असलियत ठाकुर हैं तो वह कांग्रेस छोड़ छोड़ कर आ जायेंगे और नकली हैं तो वहीं पड़े रहेंगे ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके कहने से नहीं आयेंगे ।

श्री मदनसिंह दांता : मेरे कहने से आयेंगे, ठाकुर हो कर वहीं पड़े रहेंगे तो

(श्री मदनसिंह दांता)

वही ठाकुर हैं जो आपने कहा ।

मैं विश्वास करता हूं कि जब तक भारत वर्ष में भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा नहीं दी जायगी, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधारभूत सिद्धान्त हैं चरित्र और त्याग इसको शिक्षा मंत्री नहीं लेंगे तो इसी तरह से भ्रष्टाचार होता रहेगा ।

आज हमारे देश के नागरिकों का स्तर इसी लिये नीचा है कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर नीचा है। आपकी शिक्षा इतनी गन्दी, नीची और घृणित हो गई है कि एक भारतीय अपने आपको भारतीय नहीं समझता. विदेशों में जा कर सर ऊंचा कर के नहीं कह सकता कि इस समाज का मैं आदमी हूं । इसमें निश्चित रूप से क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे और भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा देनी होगी वरना तीसरी पीढ़ी में जैसा कि मैंने बताया आपकी अफ्रीका के लोगों जसी हालत होगी। अफ्रीका में, मैं रहा था, वहां सैकुलरिज्म का नशा आया था, हम लड़ाई में थे तो वे लोग ज्यादा से ज्यादा मारे गये । उनको छांटा गया तो उनके शीश पर गाल पर, अलग अलग जाति छांटने के लिये अलग अलग दाग लगे हुए थे जिस तरह कि जानवरों के हम दाग लगाते हैं, अगर आपने शिक्षा में सुधार नहीं किया तो आपकी तीसरी पीढ़ी पर इसी तरह से दाग लगेंगे ।

आजादी केवल रोशनी और सड़कों के लिये नहीं आई, महात्मा गांधी ने केवल रोशनी के लिये, सड़कों के लिये ही आजादी दिलवाई थी तो यह तो अंग्रेज भी कर सकते थे, गांव में रोशनी, सड़कें, स्कूलें, कालेज तो अंग्रेज भी कर सकते थे, पर महात्मा गांधी चाहते थे कि भारतीयता के आधार पर हमारे यहां शिक्षा हो और महात्मा तिलक जैसे लोग यहां पैदा हों । आगे के लिये मेरे वचन हैं कि अगर शिक्षा की यही पद्धति हमारे यहां रही तो महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू, लोक मान्य तिलक जैसे बच्चे हमारे यहां नहीं होंगे, वे सड़कें कूटने वाले, टट्टी उठाने वाले लड़के हो जायेंगे ।

मैं बैठने से पहले मन्त्री महोदय से फिर कहना चाहूंगा कि ठाकुर और बनिया ये शब्द इस किताब से हटा दिए जायें नहीं तो वह किताब फाड़ दी जायगी, जला दी जायगी ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके मारफत सबमिशन पेश कर रहा हूं कि भारत की आजादी के बाद शिक्षा सिस्टम में क्या तबदीली आई, किस व्यवस्था में हम काम करने जारहे हैं और हमारे समाज में कौनसी वैल्यूज हैं जिनको हम इवाल्व करना चाहते हैं ? क्या इस उद्देश्य के लिए हमने एजूकेशन को कैसे बनाया और उसको पूरा कर सकेंगे ? इस सिस्टम पर विचार करने के लिए कई बार कमीशन और कई बार कमेटीज नियुक्त की गई । उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स दीं, सिफारिशें दी कि शिक्षा कैसी हो, सिस्टम में सुधार कैसे हो. फंडामेंटल चेंजिज कैसे हों । इसलिए दो

(श्री केदारनाथ)

कमीशन्स की रिपोर्ट हमारे सामने आई । एक १९५४ में डाक्टर राधाकृष्णन कमीशन के नाम से कहलाती है और दूसरी सन् १९५८ में मुदालियार कमीशन के नाम से । तीसरी कमीशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि दोनों कमीशन्स ने फ्रेगमेंट्स में सिफारिशें दी कोई काम्प्रीहेन्सिव व्यूज नहीं दी । इसलिए चाइनीज एग्रेशन के बाद यह महसूस किया गया कि आज जो एजूकेशन सिस्टम है वह सोशल अर्जेज को पूरा नहीं करती, इकानामिक नीड्स को पूरा नहीं करती और सैक्यूलर डेमोक्रसी को रेस्पांड भी नहीं करती है । इसलिए जो सोशल ट्रांसफोरमेशन देश में हम लाना चाहते हैं तो कम से कम हमारी शिक्षा इन्स्ट्रूमेंटल बने । इस उद्देश्य से यह कमीशन नियुक्त किया गया था ।

सरकारें इस बारे में सीरियस बने । सरकार ने अब तक क्या फैसला किया ? भारत सरकार ने क्या फैसला किया ? मैं नहीं कह सकता कि हमारी सरकार ने कहां तक इसके लिए कमेटियां बनाई, क्या इग्जामिन किया, फाइनेन्शियल इम्पलीकेशन्स क्या होंगे, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है कैसे चेंज की जायगी, मैं नहीं कहना चाहता हूं । मगर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने आज तक कन्टीन्यूड एक्सपैन्शन किया, राजस्थान बनने के बाद शिक्षा का विकास हुआ है । प्राइमरी स्कूल्स और कालेजज बढ़े हैं, टैक्नीकल इन्सटीट्यूशन्स बढ़ी हैं, विश्वविद्यालय बढ़े हैं और पढ़ने वाले लड़कों की गिनती बढ़ी है । क्वान्टीटेटिव एक्पैन्शन हुआ है । एक स्टेज अब पैदा हो गया कि क्वालिटेटिव चेंजज क्या लानी हैं । आज चौथी योजना के दूसरे साल में चल रहे हैं, बहुत समस्याएं हैं । आज तक जितनी शिक्षा के विकास के अन्दर क्वाटिटेटिव एक्पैन्शन के दौरान बाट्लनेक्स पैदा हो गई हैं, कैसे हम इनको दूर करें और इसके अलावा कैसे हम सोशल अर्जेज को पूरा कर सकेंगे और क्या सिस्टम में चेंजज लायें राजस्थान की हालत को देखते हुए ।

सबसे पहले विकास का काम किया गया, जिस पैटर्न आफ नार्म्स पर किया गया, इसमें रीजनल इम्बलेंसेज हैं । कहां डिग्री कालेजेज के खोलने का सवाल है या स्कूल्स खोलने का सवाल है सिवा इसके राजस्थान के सामने कोई प्लानिंग नहीं रहा । सारे पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स से खोले गए । अगर पंचायत समिति में कोई प्राइमरी स्कूल खोलना हो, किसी मिडिल स्कूल को अपग्रेड करना हो, तो पोलिटिकल कन्सीडरेशन्स के बिना पर स्कूल खोले जाते है । अगर शिक्षा के अन्दर ऐसी बातें घुस गई और हमारा सारा पैटर्न आफ नार्म्स बदल गया इसमें भी बायस और प्रिजुडिस के साथ काम करेंगे, जैसे करते आए हैं, तो मैलोडी को फेस करना पड़ा । अब नए मंत्री आते हैं, कालेज शिक्षा प्राप्त की है । आप सोचें । मुझे याद है मेरे समय वह कालेज स्टूडेंट थे, सारी बातों को याद करें, कैसे आज शिक्षा है और कैसे थी और हम कैसे चाहते हैं, आप बिना बायस के, बिना पोलिटिकल कन्सीडरेशन से आप सोचें । बीकानेर

(श्री केदारनाथ)

में एम. एस. सी. क्लासेज के लिए विद्यार्थियों को एजीटेशन करना पड़ता है, भरतपुर में एम. एससी. और अलवर में एम. एस सी. नहीं है और कई जिला हैड क्वार्टर्स ऐसे हैं। हमारे एजूकेशन कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि जिले को इकाई मानकर चलें और यह भी कहा गया है कि स्ट्रैंथ ग्राफ स्टूडेन्ट्स कितनी है, ५० प्रतिशत से मार्क्स स्टूडेन्ट्स ज्यादा कितने लाते हैं, गिनती करनी है और एम. एस सी. के क्लासेज, लॉ के क्लासेज खोली जा सकती हैं, तो खोलनी चाहिए। मैं जानता हूं कि शिक्षा विभाग ने प्लानिंग कमेटी बनाई है। उसको आप पावर्स दीजिए और इस ढंग से प्लानिंग करें कि भविष्य में जो विकास हो उसमें पैटर्न ग्राफ नार्म्स तय करे। आज तक इम्बैलेंस रहा है लापरवाही से। अगर आप राजस्थान की हालत देखेंगे प्राइमरी स्कूल्स की तरफ मैं आपका ध्यान बाद में दिलाऊंगा मगर जो प्रीप्राइमरी एजूकेशन है, स्कूल से पहले जो बच्चों की शिक्षा है, इसके लिए तीसरी योजना के अन्दर लिखा था कि हम ध्यान देंगे, हम कन्सन्ट्रेट करेंगे। बच्चा जब स्कूल में दाखिल नहीं, दाखिल होने वाला है, एन्वायरन्मेंट्स काम करते हैं, बच्चा पढ़ता है खेलता है उसके दिमाग में असर पड़ता है। आप ताज्जुब करेंगे उस बच्चे की शिक्षा मिशनरीज के हाथ में रही है। मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं जो पेश करना चाहता हूं। वे मिशनरीज फारेन एजेंसीज यहां काम करती आई हैं हमारे यहां भारत में, उनका कल्चर इन्कलकेट होता है स्टूडेंट के मन में। उस बच्चे का सही मार्गदर्शन हो ताकि धीरे धीरे वह इस तरह बढ़े कि जो स्वरूप हम देश में चाहते हैं उसमें वह फिट हो। मगर प्रीप्राइमरी शिक्षा के बारे में हमने कन्सन्ट्रेट नहीं किया। कोई एप्रोच नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस ओर आप कन्सन्ट्रेट करें। अगर यह मिशनरीज के हाथ में रही, जैसे कि रही है. देश में कई हिस्से ऐसे हैं जहां एजेंसीज कर रही हैं. पैसा खर्च कर रही है, अध्यापक काम करते है ह्यूमनीटैरियन ग्राउंड्स के नाम से या अपलिफ्ट के नाम से, समाज कल्याण के नाम से। ये सारी एजेंसीज बंद हों, और इसके साथ साथ प्राइमरी स्कूल के बारे में मेरा निवेदन है कि आज एजूकेशन कमीशन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो स्कूल्स कामन नहीं हैं जहां गरीब और मजदूर का लड़का पढ़ा नहीं करता उसके लिए एक्सेसीबल नहीं है, वह देश में बन्द होने चाहिए। चाइनीज एग्रेशन के समय आप बात करते थे कि इमोशनल इन्टीग्रेशन होना चाहिए। बड़ी कमेटीज बनाई, उनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, उस समय फारिन एग्रेशन था। जब कभी संकट पड़ता है और फिर नारमल कन्डीशन्स आती हैं तो सारी चीजें भूल जाते हैं और फिक्शन पैदा हो जाता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों के अन्दर कम से कम यह आइडिया पैदा न हो। आज एक बच्चा एक अच्छे स्कूल में अंग्रेजी पैटर्न पर अमेरिकी पैटर्न पर है उसमें पढ़ता है। दूसरा पंचायत समिति में पढ़ता है। उस बच्चे के दिमाग में, उसके परसपेक्टिव में, उसके एप्रोच में, उसके मोड ग्राफ थिंकिंग में, मोड ग्राफ लिविंग में बहुत फर्क होगा और

(श्री केदारनाथ)

५ साल के बाद १० साल के बाद समाज में उन दोनों बच्चों के काम करने के तरीकों में बड़ा फर्क होगा । आप इमोशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, नेशनल यूनिटी की बात करते हैं लेकिन आप वहां एक नया क्लास पैदा करने जा रहे हैं, आपस में डिवीजन आपने पैदा कर दी तो कैसे एकता की बात होगी । इसलिए कमीशन की रिपोर्ट यह है कि :—

'The so called public school have no value or place in a new democratic soeiety we deserve to create.''

यह बड़ी सेलैंट उनकी रिकमन्डेशन है । जिस बिना पर यह कहा गया है आप आर्डिनेन्स ला सकते हैं, अभी तो असेम्बली चल रही है, आप इस बारे में कानून ला सकते हैं । जुलाई में क्लासेज खुलेंगी । माननीय शिक्षा मंत्री एक बात कर दें । आप कहेंगे कि सच्ची बात कहने लगे । पढ़े लिखे हैं रेजिमेन्टेशन आफ थौट की बात कहने लगे हैं, मैं उस थौट का नहीं हूं । लेकिन यह थौट पैदा न हो, हमारा मानस इतना न बिगड़े तब तक देश के लिये सोचें कि कौन शिक्षा होनी चाहिये स्कूल में । हम ऐसी बात कर रहें हैं अमेरिका और इंगलैण्ड में जो हो रहा है वह यहां भी हो वह हो नहीं सकता । अमेरिकन और ब्रिटिश पटर्न पर हो वह हो नहीं सकता । जो एक नया स्ट्रेटिफिकेशन पैदा होता है, जो एक क्लास एण्ड कम्युनिटी पैदा होती है. जो इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है उन सारे स्कूलों को बन्द करना चाहिये । प्राइमरी स्कूल के बच्चों की हालत, मिडिल स्कूल के बच्चों की हालत आप देखना चाहो तो आप प्राइमरी स्कूल में जाओ जब वक्त मिले। आपको मालूम होगा कि जुलाई के महीने में बच्चों की कितनी गिनती है और अक्टूबर के बाद कितनी गिनती रह जाती है । आपके आंकड़े जुलाई के आंकड़े हैं । स्कूल चलो अभियान के आंकड़े हैं । टीचर्स के एफर्ट्स से, सरपंच के एफर्ट्स से, बी० डी० ओज और अन्य एफर्ट्स से वे सब अपनी एक्जिस्टेन्स के लिये ये सब आंकड़े दे देते हैं। जुलाई में भर्ती होती है और बाद में ड्राप आउट अक्टूबर में शुरू हो जाता है । ६० परसेन्ट यह स्टेग्नेन्ट स्टेट है प्राइमरी स्कूल लेवल पर । यह बड़ी चिन्ताजनक बात है । टीचर्स कैसे हों, स्कूल की कन्डीशन कैसी हो, बच्चों में टेम्प्टेशन पैदा किया जाय, उनमें एक माइन्ड पैदा किया जाय कि रोजमर्रा खेल के साथ पढ़ाई जरूर होगी । ऐसी हालत पैदा करना है तो आपको प्राइमरी स्कूल को रिओरियन्ट करना होगा । आपको इसमें से बढ़िया और सुन्दर मेटिरियल मिलेगा । हाई स्कूल से कालेज में जाने के लिये एक बुनियाद पैदा होगी । कमीशन ने बहुत कुछ कहा है । बहुत से एक्सपीरियेन्स हैं । इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हायर सैकेन्डरी और सैकेन्डरी के बारे में हमारा कोई पेटर्न नहीं रहा है । शहर में सैकेन्डरी स्कूल हैं तो आसपास में देहात में हायर सैकेन्डरी स्कूल हैं, कमीशन की रिपोर्ट बनायी गयी. मकसद पूरा नहीं होगा । ५० परसेन्ट रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनमें बच्चे फेल होते हैं । १५ परसेन्ट बच्चे युनिवर्सिटी एजुकेशन में जा पाते हैं । बाकी लोग समाज

Page No.92

(श्री केदारनाथ)

में दाखिल हो पाते हैं। उनमें से या तो नौकरी पेशा होते हैं या घर के काम के लिये काम करते हैं। उनके काम करने का और सोचने का तरीका देखें और ध्यान से सोचें तो उनको सोसाइटी में मिसफिट पाते हैं। युनिवर्सिटी में जाते हैं तो फेल्योर्स की गिनती बढाते हैं। एम्प्लायमेन्ट मिलता नहीं और बौद्धिक विकास उस तरीके से बनाया नहीं कि डिग्निटी आफ लेबर को पसन्द करे, सामुदायिक भावना हो। यह उनमें हमने भावना नहीं बनाई। सारी की सारी हायर सैकेन्डरी स्कूल एजुकेशन चलायी जा रही है इसको वोकेशनल बायस नहीं देंगे आप तो किस प्रकार का लिटरेरी समाज आप पैदा कर सकेंगे। आपने आगे एजुकेशन बन्द कर दी ५० परसेन्ट मार्क हो तो एड-मिशन ले सकते हैं। जो लोग बेकार हों, बाहर घूमते हों, कहीं फिट नहीं हो पाते हों, परेशान हों डाई-हार्ट्स पैदा हो जायं फिर यह कहें कि देश में सेबोटेज हो रहा है, माननीय गिरधारीलालजी ! अपोजिशन वह पैदा नहीं करता है। वह तो आपका सिस्टम पैदा करता है। अपोजिशन पार्टीज कन्स्ट्रक्टिव हैं, उनका क्रियेटिव थिंकिंग है। आपका जो सिस्टम है, जो आपने नीतियां दी हैं उसके पीछे मेलोडीज होंगी। इसको नहीं सम्हालेंगे तो ये आपको तो खा ही जावेंगी हमको भी खा जावेगीं।

अब हायर युनिवर्सिटी एजुकेशन के सम्बन्ध में मैं आपके जरिये यह सबमिशन करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी के अफेयर्स के बारे में कहूं। ये आटोनोमस बॉडीज हैं। बजट सेशन के अलावा इस पर बहस का समय हो तो हम अपनी बात पूरी तरह से कह सकते हैं। हमारे यहां तीन-तीन युनि-वर्सिटीज रन करती हैं। इम्प्रूवमेन्ट, ट्रान्स-फर, टीचिंग आदि के बारे में कहना चाहेंगे। मैं इस समय यहां की यूनिवर्सिटी की बात कहना चाहूंगा। इस यूनिवर्सिटी का जो पोलिटिकल डिपार्टमेन्ट है उसका विंग है उसके हैड हैं मि० एस० पी० वर्मा। इस पर्सनलिटी के बारे में इसलिये नहीं कहना चाहता कि यह मशहूर पर्सनलिटी है। कहां से आये, कालेज के प्रिन्सिपल बने, यूनिवर्सिटी में आ गये। आज उनकी एक्टी-विटीज क्या है ? विथ आल रेस्पेक्ट्स मैं यह कहना चाहूंगा कि वे एक अमेरिकन एजेन्सी के रूप में काम करते हैं। उनके पास फन्ड है। एशिया फाउन्डेशन, साउथ एशिया स्टडीज आदि। पाकिस्तान से प्रोफेसर, अमेरिका से प्रोफेसर, फोरिन पर्सनल्स, फोरिन के लिये पर्टीकुलर स्टडी करनी हो, बोर्डर पर यह हो, फण्ड अमेरिका से आये, यह यहां इस तरह का नेट वर्क फैला रहे हैं। यह मेरी मान्यता नहीं है कि बाहर से प्रोफेसर्स न आयें, यह मेरी मान्यता नहीं है कि बाहर से पैसा न आये, टीचर्स न मिले, लेकिन पैसे का इस्तेमाल इसलिये होता है कि इन्डाक्ट्रिनेशन हो, दिमाग को पोइजन किया जाय, किसी देश की फॉरिन पॉलिसी के लिये नया इमोशन पैदा किया जाय मैं इसके खिलाफ हूं। ऐसी एक्टीविटीज को कर्ब करना चाहिये। पार्लियामेन्ट में भी यह सवाल उठा है। कांग्रेस के बोसेज अमे-रिका से पैसा लेकर इस प्रकार की एजेन्सी

(श्री केदार नाथ)

चलाते हैं। इस प्रकार के जो लोग यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं, ऐसे प्रोफेसर के खिलाफ एक्शन लेना चाहिये उनको रिमूव कर देना चाहिये। यह हिन्दुस्तान की सिक्योरिटी का प्रश्न है, लॉ एन्ड ऑर्डर का सवाल है। इस प्रकार के प्रोफेसर को हटा देना चाहिये। माननीय मंत्री महोदय आपको इसमें बहुत जोर आयेगा। यह बडा आदमी है। बड़ी ताकत है इसके पीछे। आपको इसको हटाने में बड़ा भारी जोर आयगा। आप सम्हल कर चलेंगे। हम आपका स्वागत करेंगे। सारा राजस्थान आपका स्वागत करेगा।

मान्यवर, इसके अलावा जब हम यह चीज देखते हैं सोशियल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन हमारी क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। गंगानगर के एक किसान का लड़का मेडीकल कालेज में पढ़े, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर मैडिकल कालेज में पढ़े, तो २५०) ३००) रुपया महीना खर्च होता है कम से कम। क्या आप सोचते हैं कौनसी कम्युनिटी के लोग टैक्निकल एजुकेशन, इन्जीनियरिंग, मैडिकल कालेज में पढ़ सकते हैं? कौन स्टूडेन्ट्स इसको अवेल करते हैं? इसमें स्टूडेन्ट्स का दोष नहीं है। उसका बाप गरीब किसान है, मजदूर है, एम० एल० ए० है, उसका दोष नहीं है। स्टूडेन्ट का। हमारे सिस्टम का दोष है। टैक्निकल एजुकेशन, पोलिटेक्निकल इन्जीनियरिंग, मेडीकल आदि के लिये हमको नये तरीके से सोचना होगा। टेलैन्ट्स हों तो स्कोलरशिप देते हैं आप। लोन सिस्टम जारी किया है। ऐसा लोन मिल जाय। पढाई समाप्त कर दें। सर्विस में आकर टेलैन्ट्स को शो नहीं करेगा तो समाज में एक अपहिवल हो जावेगा। इक्वीलाइजेशन आफ आपोर्चुनिटी नहीं है। एजुकेशन एक बड़ा ऊंचा सबजेक्ट बन गया है। टैक्निकल एजुकेशन इस बिना पर देते हैं कि टेलैन्टेड उसका उपयोग कर सके।

मान्यवर! एक बात मैं फिजिकल एजूकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें शक नहीं कि हमारा राजस्थान खेलों के मैदान में आगे बढ़ा। अच्छे एथलेट्स और स्पोर्ट्समैन निकले हैं। पर यह मैं मानता हूं कि सरकार की ओर से कोई एफर्ट्स नहीं किये गये।

अपने यहां स्पोर्ट्स कौंसिल है और उसकी एक्टीविटीज के बारे में नहीं कहना चाहता। कैसा कम्पोजीशन है? कसी बाडी है? क्या एक्टीविटीज है? पर यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की स्कूलों और कालेजों में प्राइमरी स्कूलों में देहातों में और शहरों में गेम का इन्ट्रैस्ट बिलकुल समाप्त हो गया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का सारा इन्ट्रैस्ट, लोगों का झुकाव, खेलों से हट कर और चीजों में चला गया।

अगर यह टेन्डेन्सी ग्रो कर गई तो हमारा बहुत नुकसान होगा इसलिये इस खेल को लवली अफेयर बनावें। प्रिय बनावें जैसे पहले हुआ करता था।

इसके लिये सजेशन देना चाहता हूं कि इसको भी एक सबजैक्ट स्कूलों में कालिजों में बना दिया जावे। हरेक स्कूल में कालेज

Page No.94

(श्री केदारनाथ)

में यह सबजैक्ट हो और जो लड़का खेल में में अच्छा हो, उसको प्रोमांशन दीजिये। टैम्पटेशन दीजिये। सर्विसेज में, अपोइन्टमेन्ट्स में, एडमिसिन में उसको एनकरेजमैन्ट दीजिये।

आजकल तो खिलाड़ियों की हालत ऐसी देखता हूं कि दस पन्द्रह साल तक राजस्थान को खेलों में रिप्रेजेन्ट किया है जिन्होंने उनकी हालत आज खराब देखी। क्योंकि पढ़ाई होती नहीं थी, खेलते रहते थे, सारी इनर्जी उन्होंने खेलने में खतम कर दी। अब उनको अपने वे पुराने ब्लैक डेज याद आते हैं और उनकी बहुत दुर्दशा होती है। तो इसलिये इसे एक सबजेक्ट बनाया जावे और जितने मामले इसके हों स्पोर्ट्स कौंसिल और एसोसियेशनों को दिया जावे इनको स्ट्रोंग करिये। इनको पैसा दें। सरकार दे, पंचायत समितियां दें ताकि एसोसियेशन उनको सपोर्ट करें, फाइनेन्स करें और खेलों का प्रचार करें। इतना ही नहीं, अगर इसके अलावा आप सारे के सारे सिस्टम को चुनावों द्वारा चलावें तो लोगों को इसमें इन्टरेस्ट पैदा हो जावेगा कि वे एसोसियेशन के मेम्बर बनें खिलाड़ियों से बात करें और इस सिस्टम को आप पदा करें।

पंजाब ने पैदा किया। खिलाड़ियों से वे मुहब्बत रखते हैं। हम भी करें। ताकि आगे का कैडर तैयार हो।

एक बात और कहना चाहता हूं।

कुछ लोग फर्स्ट ईयर टी. डी. सी. में, मैडिकल में, फेल हुए अंग्रेजी में, तो इसके या तो आप सप्लीमेन्टरी एग्जामिनेशन पहले ले लें, नहीं तो अंग्रेजी में फैल होने को डिसक्वालिफिकेशन न मानें जिनका बाकी के सबजेक्ट में ५० परसेन्ट या एबव या जितना आप मिनिमम मानते हैं उतने हो तो। उसको मैडिकल में एडमिसन देने से डिप्राइव नहीं करें।

महज अंग्रेजी के कारण फेल हो जावे तो सप्लीमेन्टरी पहले ले लें।

इसी तरह मान्यवर, छठी सातवीं कक्षा में टैस्ट शुरू किये। ताकि लोगों को इन्ट्रेस्ट हो। कुछ टीचर्स का सम्बन्ध कायम हो। आप इसमें स्टडी को तरजीह दें। ऐसा न हो कि पचास परसेन्ट से कम मार्क लावे तो फैल हो यह अन्याय होगा। मिनिमम परसेन्ट जो आप का है ३३ परसेन्ट लाने पर आप उसको पास कर दें।

अब अपने इलाके की बात कहना चाहता हूं। हमारा सबसे बड़ा जिला है। इसमें डिग्री कालेज है। वहां आप एम. एस. सी. क्लासें खोलते नहीं। लेबोरेटरी नहीं। लड़कियों की दो-दो शिफ्टें हैं। एक एक शिफ्ट में आठ-आठ सौ दो-दो हजार लड़कियां पढ़ती हैं। पांचवीं छठी क्लास की छोटी छोटी लड़कियों को आप सुबह छः बजे स्कूल में बुलाते हैं। तो यह ठीक नहीं है। कहते हैं तो कहते हैं गंगानगर अमीर है। तो अब सिवाय इसके कि भरतपुर अलवर के हम इकट्ठे हों और एम. एस. सी., एम. ए. क्लासों के लिये लीड दें कोई चारा नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़): मेरे इस मांग पर कटौती प्रस्ताव हैं। इस सरकार का हमारे साथ अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैया होता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं शिक्षा मन्त्रीजी को बताना चाहता हूं कि नवलगढ कस्बा राजस्थान के बहुत से अच्छे और महत्वपूर्ण कस्बों में से एक है। नवलगढ़ की आबादी ३०-३२ हजार की है। जहां पर तीन हाई स्कूल है और एक पोस्ट डिग्री कालेज, अस्पताल पोस्ट आफिस हैं। साथ ही तीन लड़कियों के मिडिल स्कूल भी हैं।

पर दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की तरफ से वहां कुछ नहीं। शिक्षा विभाग की तरफ से तो सिर्फ एक मिडिल स्कूल लड़कियों के लिये खोला गया है उसका भी भवन करीब १।। लाख की लागत का किसी दानवीर सेठ द्वारा प्रदान किया गया है।

इसके अलावा सरकार की जो उपेक्षा–वृत्ति चल रही है उसको देखते हुए मुझे शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन करना है कि वहां पर कम से कम लड़कियों के लिये एक हाई स्कूल तो बनवाएं।

प्रारम्भ में वहां के सेठ ने १।। लाख की बिल्डिंग प्रदान की थी उस की मेन शर्त यह थी कि वहां पर लड़कियों का हाई स्कूल प्रारम्भ किया जावेगा। पर हमारी सरकार ने प्रारम्भ में तो सारी बातें उनकी मान-लीं पर जब चालू किया तो स्कूल को एक प्राइमरी स्कूल का सा रूप दिया। हमने दौड़धूप की शिकायतें पहुंचाई तो मिडिल स्कूल बना दिया।

जब हाई स्कूल के लिए बहुत कुछ दौड़ धूप की तो एक मन्त्री महोदय ने जवाब दिया कि यहां तो लड़कियों की कमी है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह विचारणीय विषय है कि जिस कस्बे में तीन तीन मिडिल स्कूलें लड़कियों की हों, वहां हाई स्कूल के लिए लड़कियों की कमी कैसे हो सकती है। समझ में नहीं आता। वास्तव में यह है कि वहां हाई स्कूल तीन हैं। सभी प्राइवेट हैं। हजारों की तादाद में लड़के उसमें पढ़ते हैं। पर मैं निवेदन करूं कि नवलगढ़ का वातावरण सह–शिक्षा के योग्य नहीं है। यहां सामाजिक रूढियां आज भी ऐसी हैं, परिस्थितियां ऐसी है कि लोग वहां के रहने वाले अपनी लड़कियों को १२-१३ साल की होने के बाद में लड़कों के साथ पढ़ाने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में निवेदन करूं कि ३ मिडिल स्कूल लड़कियों की जिस कस्बे में खुल रही हों वहां आप एक हाई स्कूल केवल लड़कियों के लिए चालू न कर सकें तो यह हमारे क्षेत्र के लिए उपेक्षावृत्ति के सिवाय और क्या हो सकता है।

अब जो भवन सेठ ने इन तीन मिडिल स्कूलों में से एक के लिये दिया है वह १।। लाख की कीमत का है। उसमें बिजली पानी का प्रबन्ध उनकी तरफ से है। उसमें बड़े मजे से हाई स्कूल चलाया जा सकता है और उस एक मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में बदला जा सकता है। इसके अलावा सरकार को उसमें कितना सा व्यय करना पड़ता है

(श्री भंवरलाल)

यह तो पूरा अन्दाज सरकार के मन्त्री महोदय खुद ही निकाल सकते हैं। पर इतनी सारी व्यवस्थाओं के बावजूद अगर नवलगढ़ की लड़कियों को हाई स्कूल की शिक्षा न मिल पावे यह बड़ी लज्जा की बात है। एक तरफ सरकार कहती है कि वह स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दे रही है और दूसरी तरफ इस तरह से उपेक्षावृति हमारे क्षेत्र के लिए बरतते हैं तो वह असहनीय है।

(२ म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह मुद्रण एवं लेखन सामग्री के लिए है। उसके लिए भी मैं आपके माध्यम से सम्बन्धित मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वहां जिले में बहुत कम प्रैसेज हैं और सारे झुंझुनूं जिले में कुल मिलाकर ४-५ प्रैसेज हैं और वह प्रैसेज करीब करीब संबंधित विभाग से रजिस्टर्ड कराये हुए है। वहां पर सरकारी काम बहुत कम होता है और खास तौर से मैं सोचता हूं कि पंचायत समिति और जनरल इलेक्शन्स होते हैं उस समय में वोटर्स लिस्ट का काम खासतौर से होता है लेकिन उतना सा काम भी उन प्रैसेज को न देकर जिले के बाहर काम भेजते हैं यह भी हमारे लिए अशोभनीय चीज है जब कि वहां के प्रैसेज सम्बन्धित विभाग से रजिस्टर्ड हैं उसके बावजूद भी उन प्रैसेज को काम न देकर दूसरी जगह काम को भेजा जाता है यह सरकार के लिए अशोभनीय है। इसलिए मैं थोड़े से शब्दों में निवेदन करूंगा कि लड़कियों की शिक्षा के ऊपर और इस मुद्रण कार्य के लिए हमारे क्षेत्र की उपेक्षा नहीं रखें और दोनों मांगों को स्वीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवंतसिंह नाहर।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपके सामने गंगानगर से आये हुए माननीय सदस्य ने जो शिक्षा का प्रसार हुआ उस पर प्रकाश डाला उस पर तो मैं कुछ निवेदन नहीं करना चाहूंगा लेकिन....

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, नाहर की तो दाहड़ होनी चाहिए, यह तो आवाज कुछ नहीं है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैंने अभी आरम्भ किया है। मैं क्षमा चाहूंगा मैं कुछ दिन पहले ही, दिल के रोग से परेशान रहा था इसलिए जोर से बोलना मेरे लिए सम्भव नहीं होगा। इसलिये मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री विजयसिंह रावत : दहाड़ने वाले तो हम ही बहुत हैं।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि राजपूती वीरता और शौर्य को अक्षुण्णा रखने वाले उस बनिये के उस गौरव को भी नहीं भुलाया जा सकता जो कि भामाशाह ने दिया।

श्री विजयसिंह रावत : मैं समर्थन करता हूं इनकी बात का।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं शिक्षा के विस्तार का विवेचन करूंगा सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि आज राजस्थान में १६ हजार प्राईमरी स्कूल हैं लेकिन उन १६ हजार प्राईमरी स्कूल्स का सही उपयोग कहां हो पा रहा है और शिक्षक और शिष्य जिनका सही संबंध स्थापित होना चाहिए था वह कहां ठीक हुआ है और किस तरह आज का विद्रोही बच्चा और विद्रोही शिक्षक आज हमारे समाज को उद्वेलित कर रहा है उस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सदन के सामने अपनी कुछ अनुभूतियां प्रस्तुत करूंगा और उनके द्वारा मैं चाहूंगा कि सरकार वह कारण मालूम करें कि जो हमारे समाज को दूषित कर रहे हैं और आने वाले समय में समस्या के रूप में खड़े हुए हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ दिनों पूर्व प्राइमरी स्कूल्स के लिए ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों का 'स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था। एक गांव में मैं पहुंचा तो मैंने जाकर देखा कि वहां पर ३ मास्टर हैं और १३ लड़के मैंने वहीं हैड मास्टर से जब पूछा कि आपके स्कूल चलो अभियान का क्या हुआ ? हैड मास्टर ने बताया जयपुर से एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से सरकुलर आया और हमने सरपंच को वह सरकुलर मय नोटिस के भेज दिया। सरपंच वहां पर थे तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया ? उन सरपंच ने कहा हमने इस संबंध में पंच मेम्बरान को लिख दिया है कि 'स्कूल चलो अभियान' चलाना है। उसके बाद मैं मेम्बरान के पास गया और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने भीतो पर लिख दिया कि ६ से ११ साल के बच्चों को स्कूल भेजो और जिस गति से भारत सरकार से

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से जानकारी चाहता हूं कि आप प्रमुख थे तब आपने क्या किया ?

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैंने कह दिया वह भी मैं अर्ज करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह जिला परिषद् की मीटिंग नहीं है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : मेरा दुर्भाग्य है मेरे पास समय नहीं है। मैं इतनी विस्तार से बातों में नहीं जाऊंगा। अपनी गुण गाथा करने में मेरा विश्वास नहीं है।

तो जिस गति से यह 'स्कूल चलो अभियान' भारत सरकार से और फिर जयपुर से रवाना हुआ वह भीतों पर चिपक कर रह गया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विस्तार में जहां शिक्षा की क्वालिटी और उसके स्तर में कमी आई है इसके कुछ कारणों में-यद्यपि बहुत बड़े प्रयत्न हुए, अमेरिका से आये हुए एजूकेशन एक्सपर्ट्स ने काम किया, कुछ कमेटीज बनी उनके ऊपर भी मैं प्रकाश डालकर अपना थोड़ा सा समय भी बर्बाद नहीं करूंगा लेकिन मैं इस सदन के सामने कुछ बातें प्रस्तुत करूंगा जो कि राजस्थान स्टेट प्राइमरी एजूकेशन कमेटी ने १६६३-६४ में कुछ सुझाव दिये हैं उसके सम्बन्ध में भी मैं थोड़ा सा बतलाना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १६६३-६४ के

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
बाद आज तक इन सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और नतीजा यह हुआ कि हमारी शिक्षा का स्तर दिनों दिन गिरता चला जा रहा है। उस राजस्थान स्टेट प्राइमरी एजूकेशन कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है :

"To sum up, the Committee found that the quality of education has been adversely affected during the last 15 years. This is due to several factors. To begin with, there has been an unprecedented expansion of education and a large majority of children now in elementary schools belong to the first generation to be educated. The fall in srandards due to this social cause cannot probably de helped at this stage of our development. But the deterioration has been also due, as stated above, to a number of avaoidable factors such as the failure to provide edequate buildings and equipment, the non provision of textbooks and writing materials to all children, the failure to develop an adequate and high quality programme of training elementary teachers, inefective supervision and the general demoralisation in the ranks of teachers because of the transfer of primary schools to Panchayati Raj institutions."

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं अभी माननीय ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि शिक्षकों ने सरकार को प्रचार किया है लेकिन मैं कहता हूँ कि आज का शिक्षक आज की सरकार के प्रति जबरदस्त विरोध के साथ जी रहा है और इसके लिए मैंने जहां तक अनुभव किया है उसके कई कारण हैं। आज प्राइमरी स्कूल का टीचर अलग है, वहीं पर बंधा हुआ है मिडिल स्कूल का टीचर अपने दायरे में बंधा हुआ है और हाई स्कूल का टीचर अलग है वह वहीं बंधा हुआ है। प्राइमरी स्कूल का टीचर मिडिल स्कूल में नहीं जा सकता है, मिडिल स्कूल का टीचर हाई स्कूल में नहीं जा सकता और हाई स्कूल का टीचर आगे कालेज आदि में जाने की कल्पना नहीं कर सकता। एक एजूकेशन का केडर है उसमें जगह जगह बांध ऐसे बंधे हुए है जिसके लिए मै निवेदन करूंगा कि वह हट जाने चाहिए।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस एक्सपेन्शन के साथ मुझे एक चीज और देखने का अवसर मिला और वह यह है कि हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज खोली गयी हैं। मैं उस थियेटर की बात नहीं कहता जिसमें बहुत पैसा खर्च होता है लेकिन ८ वीं क्लास में जब मैंने शिक्षक को कैमिस्ट्री पढ़ाते देखा। उसके पास टेस्ट ट्यूब नहीं थी और नएसिड थी। मैंने पूछा कि आप यह साइन्स कैसे पढ़ा रहे हैं तो वह कहने लगा कि एक ऊंगली को एक

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

टेस्ट ट्यूब बना लेता हूँ और दूसरी को दूसरी टेस्ट ट्यूब बना लेता हूं और विद्यार्थियों से कहता हूं कि देखिये इस एक ट्यूब में से एसिड डाली और फिर इसका रंग देखो पीला पड़ जायेगा समझ गए। इस तरह से आज एक साइन्स का मास्टर पढ़ाता है। मैं इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डालना चाहता कहने का तात्पर्य यह है कि मैटीरियल का अभाव है। इस रिपोर्ट में यह भी विवरण आया है कि पंचायत समितियों को जब से स्कूल सौंपे गये हैं एक विवाद का प्रश्न बन गया है और जब एजूकेशन डिपार्टमेंट के पास थे उस समय प्राइमरी स्कूल का बहुत ऊंचा स्टेन्डर्ड था। मैं इस बात को नहीं मानता कि म्युनिसिपल एरिया में आप सारे साधन, बिल्डिंग देते हैं लेकिन गांव के स्कूल के अन्दर ब्लैक बोर्ड नहीं है, पेंसिल नहीं है, कुछ भी नहीं है। पढ़ाने वाला मास्टर कहां से पढ़ायेगा ?

इसके अलावा मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं आपके यहां ट्रेनिंग स्कूल इतने हो गये हैं कि जिसमें से निकले हुए आठ हजार मास्टर ट्रेन्ड बैठे हुए हैं। उनकी हालत यह है कि उनका ज्योग्राफी का ज्ञान कितना है यह इस बात से पता चलता है जो सैकन्ड क्लास हायर सैकेन्ड्री पास हैं उनसे पूछा गया कि राजस्थान के जिले कितने हैं ? तो उत्तर दिया गया कि पांच 'जब उनको यह बताया गया कि ये तो पांच डिवीजन थे। लेकिन ६४ की ज्योग्राफी जो राजस्थान शिक्षा विभाग के केरीकुलम में हैं उसमें ५ डिवीजन लिखे हुए हैं। शासकीय दृष्टि से वे डिवीजन नहीं हैं फिर भी ज्योग्राफी में वे डिवीजन बने हुए हैं।

राजस्थान शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम की एक पुस्तक में बुद्ध का जन्म जापान बताया गया है। उक्त पुस्तक का नाम मैं बता नहीं पाऊंगा। प्रति सैकड़ा ९९ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनमें साधारण ज्ञान का अभाव पाया जाता है यद्यपि तीसरी कक्षा से पुस्तकों का बोझ भारी है। इसका कारण क्या है समय के अभाव के कारण मैं इन सारी बातों को न रख सकूंगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं नागरिक शास्त्र का छात्र राज्य सभा और विधान सभा में फर्क नहीं मानते। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है ? यह उनको पता नहीं। किताबों का भार इतना बढ़ जाता है कि साधारणज्ञान तक उनको होता नहीं। बात मखौल की हो सकती है लेकिन कुछ रुचिकर भी होगी मैं उसको सदन के सामने रखना चाहता हूं। नागरिक शास्त्र का द्वितीय श्रेणी हायर सैकन्डरी प्रशिक्षित विद्यार्थी को मैंने पूछा कि राज्य सभा कहां बैठती है ? तो उसका उत्तर था जयपुर में बैठती है। उसमें कौन बैठते है तो उत्तर था मन्त्रीगण, तब आगे पूछा गया कि तुम्हारे यहां का कोई मन्त्री है ? मैं उनकी बातें कहकर सदन को किसी की कीर्ति गाथा मे डालना नहीं चाहता। सौभाग्य से सन् ६२ से ६७ तक निर्मलादेवी नाहर यहां की विधायिका थी उसके लिये उन्होंने कहा कि वे मन्त्री हैं। वे कौन हैं वे आपकी बहिन हैं। मैंने पूछा यह आपने कैसे जाना ? आप भी नाहर हैं और वे भी नारर हैं। इसलिये आपकी बहिन हुई। मैंने कहा वे मेरी पत्नी

(श्री यशवतसिह नाहर)

हैं। तो उसने कहा एक ही जाति का पत्नि कैसे हो सकती है। यह बताकर मै यह कहना चाहता हूं कि आज के विद्यार्थी का सोचने का तरीका कैसा है? स्टैन्डर्ड कितना गिर रहा है?

एक बात जो हमारे यहां चल रही है उसके सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगा शिक्षक के प्रति हमारे यहा पर बहुत बड़ी श्रद्धा और आत्म विश्वास था। शिक्षक को प्रभु का अवतार माना जाता था इसके पीछे हमारे यहां पर यह भी कहावत चली कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। भगवान को गुरु के सामने छोटा रखा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं विद्यार्थी उछृंखल उद्दण्ड और अनुशासनहीन हो रहा है। मैंने देखा कि विद्यार्थियों ने अपने स्कूल के हैड मास्टर को एक कमरे में बन्द कर दिया। हमने पूछा कि उनको बन्द क्यों कर दिया? वे कहने लगे जब तक हमें वे पास नहीं कर देते हैं हम उनको अन्दर से बाहर नहीं आने देंगे। और अगर बाहर आ गये तो मारेंगे। आज शिक्षक की यह इज्जत है। आज इस तरह से उसको अपमानित किया जाता है। आज हमारे यहां पर आठ हजार व्यक्ति प्रशिक्षित होकर बैठे हुए हैं। आजजहां गांव का प्राइमरी स्कूल का टीचर श्रद्धा का पात्र होना चाहिए लेकिन वह आज गुमराह है। इसलिये शिक्षा के विषय में हमें बहुत तन्मयता और बुद्धिमत्ता से निर्णय करना पड़ेगा। कमेटिया बैठी कई तरह के प्रयोग हुए। किसी प्रयोग को आधा लिया और किसी को आधा छोड़ दिया। कभी यह निर्णय होता हैं अंग्रेजी तीसरी क्लास से पढ़ाया जाय कभी यह होता है कि पांचवी से पढ़ाई जाय। साधारण ज्ञान तीसरी से हो जाना चाहिए। लेकिन तीसरी कक्षा की किताबों की संख्या इतनी है उनका बोझ इतना भारी है कि साधारणज्ञान उनको हो नहीं पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे गत दो साल पहले दस मील दूर एक स्कूल में उस समय के डिप्टी एज्युकेशन मिनिस्टर जो वर्तमान में सदन के अध्यक्ष हैं, साथ उस स्कूल में जाने का मौका मिला। वहां के शिक्षकों से माउन्ट आबू के बारे में प्रश्न किये तो वे कहने लगे कि हमें क्या पता? हमें तो आबू जाने का पैसा नहीं मिला। यह साधारण ज्ञान का दिवाला है। मैं सदन से निवेदन करूंगा चाहे विरोध में बैठे हों, चाहे हां पक्ष में हों, हमको कहीं न कहीं निर्णय लेना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी वह हमारे, समाज को किस तरह से नेतृत्व देगी चाहे यह शासन रहे या न रहे. समाज रहेगा, बच्चे रहेंगे, शिक्षा रहेगी उस शिक्षा के साथ हमारे देश की सम्पदायें और वैभव रहेगा इस शिक्षा की गरिमा को नहीं भुला सकेंगे एनीबीसेंन्ट का एक वक्तव्य शायद इस संबध में ठीक बैठ सकेगा पुराने भारतवर्ष के संबंध में जिसमें शिक्षा समस्या पर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। में यह नहीं कहना चाहता कि ये सारी बातें आज ठीक बैठेंगी। हमारे शिक्षा मन्त्री यदि उसको उपयोग में लायेंगे तो कुछ चीजे ऐसी हैं जिनको नहीं भूल सकते।

"In the ancient system of Indta, Education and culture were self-

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

controlled, and while the State, the organisaiton, profited by them and from them its dignity, its religion, its morality, its efiectiveness, and itsconsequent efficiency the Legislative and Eexcutive Departments of its Government exercised over them no control, and did not interefere with their management. Kings built Universities and bestowed on them wealth, but claimed in them no authority. A monarch might enter into the Convocation of a University, but no one rose to greet him and he took his seat like any other visitor; but on the entrance of its Head, the 'Venerable' of venerohles all rose and turned their faces towards him and in silence awaited his words. The University was the temple of learning and the learned were its only Hierophants."

यह बीते युग की बात है लेकिन फिर भी एक बात सच है इसका दूसरा भाग निवेदन करके मैं बताऊंगा कि हम आखिर एज्युकेशन से क्या लेना चाहते हैं ? क्या प्राप्त करना चाहते हैं। आज हमारा नागरिक और बच्चे आगे जाकर क्या बनें भारतवर्ष क्या बने थोड़ा सा प्रकाश यह प्रोर्शन डालता है।

"Such education as that can never build up a true man of the world, able to discharge his duties in the world. Only one part of him has been developed, only one quarter of his whole nature has been trained; moral character has been neglected, spirituality has been ignored, body has been left weak, overstrained, overworked. What sort of a nation can you have where the education given to its young is but one quarter of what it should be-one fourth only given, and that too imperfectly and inadequately ?"

यद्यपि यह पुस्तक बहुत पहले लिखी गई थी। आज के समय में इन बातों को लेकर इसी तरह का विक्षोभ है जो उस समय था। आदरणीय शिक्षा मंत्री का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि ये हमारे जितने भी एस० टी० सी० के ट्रेनिंग स्कूल हैं उन सब को समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसके अलावा पंचायतों और पंचायत समितियों के अधीन जो स्कूल हैं उनका स्तर गिरा है उसके पीछे कुछ इक्विपेमेन्ट का अभाव भी कारण है और इसके अलावा जनसहयोग का वजन भी उन पर पड़ा है। इस तरह के म्यूनिसिपल एरिया और पचायत एरिया में विभेद बढ़ता जा रहा है म्यूनिसिपल एरिया में जनसहयोग नहीं लिया जाता जब कि पंचायत एरिया में लिया जाता। यह वजन उन गांव वालों पर पड़ता है यह गलत है। और उसका स्टेंडर्ड सुधारने का एक ही तरीका है कि यह जन सह-

(श्री यशवंतसिंह नाहर)

योग की बात को दूर किया जाय और पंचायत समितियों में वे सब साधन उपलब्ध किये जायं।

एक अर्ज और करना है कि कुछ पंचायत समितियों ने अपने खुद के साधनों से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल खोलें हैं, उसके दो वर्ष बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली, उस सक्यूंलर का नम्बर और डेट तो मैं नहीं कर सकता, सक्यूलर का आशय यह है कि इन सब स्कूलों को पंचायत समितियों से गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेगी, लेकिन दो-तीन वर्षो से नहीं लिए गए हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि पहले ही साधनों के अभाव में बुरी हालत है, इसलिए मिडिल स्कूल और हाई स्कूल जो पचायत समितियों ने अपने साधनों द्वारा चालू किये हैं उनको अपने संरक्षण में ले ले। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। २५ करोड़ रुपयों का अगले वर्ष के लिए प्रावधान रखा गया है अक्सर भारतवर्ष में एक बात हर विद्वान के मुंह से सुनने को मिलती है कि शिक्षा का स्तर गिर रहा है और उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यह बात जिस समय अंग्रेजी साम्राज्य था उस समय भी कही जाती थी और सन् ४७ में देश आजाद होने के पश्चात् से आज तक लगातार यही बात कही जाती रही है। इस सुधार के सम्बन्ध में भारत सरकार ने भी कई आयोग नियुक्त किए जिन्होंने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लेकिन सुझाव देने के पश्चात् भी आज भी यदि विद्वान किसी सार्वजनिक सभा में या एजूकेशनल सेमिनार में भाषण देते हैं तो निश्चित रूप से एक बात अवश्य कहेंगे कि शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है उसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रथम तो मेरी यह समझ में नहीं आता कि जिन लोगों के हाथों में शिक्षा के सुधार का काम हमने सौंपा है वे ही लोग किस नैतिकता के आधार पर सार्वजनिक रूप से इस बात को कहते हैं कि शिक्षा के स्तर में सुधार होना चाहिए।

यदि दूसरे शब्दों में इसको कहा जाय तो हमारे आज के सरकार के कर्णधार इन शब्दों में इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी शिक्षा नीति गलत है और इस गलत शिक्षा नीति के कारण शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है, शिक्षा का स्तर गिर रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, पिछले १५ वर्षों से राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्रियों को देखते हुए आया हूं और शिक्षा विभाग को भी देखा है और शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को भी देखा है, और देखने के बाद मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि चाहे शिक्षा मंत्री सुधार करना चाहते हों, चाहे कोई सरकार शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहती हो, लेकिन कुछ सरकारी तंत्र और शिक्षा की नीति इन दोनों में विरोधाभास है और इस विरोधाभास के कारण ही शिक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय जो किसी आयोग ने लिए हों, समिति

(श्री भैरोंसिह)

ने लिए हों, मंत्री ने लिए हों, या किसी विशेष मंत्री ने लिए हों, वे सारे निर्णय समय के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और आयोग और समिति के प्रतिवेदन एक खामोशी के बक्से में पड़े रहते हैं बिल्कुल निर्जीव से बन जाते हैं । इस सम्बन्ध में जितने भी शिक्षा मंत्री अब तक आए हैं विधान सभा की प्रोसीडिंग्स इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने हर बार यह कहा है कि शिक्षा के स्तर में निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा । मुझे, उपाध्यक्ष महोदय, कल एक राजस्थान के बहुत ही अच्छे लेखक की पुस्तक पढ़ने को मिल गई उस पुस्तक का पूर्व कथन हिन्दुस्तान के बहुत ही माने हुए विद्वान और विचारक द्वारा लिखा गया है । वह मैं एक लाईन पढ़ कर सुना देता हूं जिससे इस सदन को आश्चर्य होगा कि राजस्थान में शिक्षा सम्बन्धी स्तर किस नीचे के स्तर तक पहुंच गया है । उन्होंने लिखा है :

"यह तो जानता था कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बुराइयां घुल गई है लेकिन अवस्था इतनी गम्भीर है, इसकी कल्पना नहीं थी । यह तो जैसे गंगोत्री में ही विष घोल दिया गया है ।"

यह लिखा है आपके जयप्रकाश नारायण ने । इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक के सम्बन्ध में राजस्थान के भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री बृजसुन्दर शर्मा ने लिखा है :

"मैंने इस पुस्तक का अवलोकन किया । पुस्तक को एक ही बार पढ़ने के बाद स्तंभित रह गया । सचमुच ही लेखक के अनुभव सारे देश को झिझोड़ देने वाले हैं । समय रहते यदि हम इन अनुभवों से प्रेरित होकर हमारे विद्यालयों के जीवन में आमूलचूल क्रान्तिकारी परिवर्तन नही कर पाये तो वर्तमान तो वर्तमान भविष्य में भी हमें कभी क्षमा नहीं करेगा ।"

अब यह पुस्तक जिस लेखक ने लिखी है वह शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी हैं, शिक्षा के नाते ही नहीं एक प्रशासक के नाते भी····

एक सदस्य : उनका नाम बताइये ।

श्री भैरोंसिह : मैं विद्वान का नाम भी बता दूंगा, जरा धैर्य रखिये । मैं समझता हूँ कि यदि मैं नाम बता दूंगा तो आप इस बात को कम से कम स्वीकार करेंगे कि लेखक विद्वान है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपके कहने से ही ।

श्री भैरोंसिह : अब, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि सरकारी तंत्र में नीति परिवर्तन करने का जिनको अधिकार हैं उन दोनों में कुछ द्वन्द चलता है और इस कारण जितनी नीतियां अपनाई गईं उनको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सके । इसलिए जो कुछ उन्होंने लिखा है उसको पढ़ने के बाद मैं ऐसा समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य इस बात में विश्वास करने लगेंगे कि राजस्थान की शिक्षा पद्धति और शिक्षा का प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है । उन्होंने लिखा है—"जो भी हो, मैं सन्तुष्ट हूँ । प्रशासन में उपमत्री के पद पर मेरा दम ही घुट गया था । क्षमता

(श्री भैरोंसिंह)

एवं बुद्धि पर सरकारी तंत्र का नियंत्रण रहा, निरापराधीनता में प्रशासन के यंत्र के संकेतों पर ही काम करना पड़ा अपनी सूझबूझ, क्षमता और प्रखरता को उनके गिरवी रखकर। यह एक अजीब अनुभव था। शिकारी किस तरह शिकार बना है, यह इस प्रशासन के कारावास में ही देखने को मिला है। प्रजातंत्र के युग में प्रत्येक मंत्री तो बदलते हैं, किन्तु प्रशासन के तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। फलस्वरूप वे राजाशाही के प्रतिक्रियावादी कर्मचारी आज के युग के भी प्रहरी बने हुए हैं, जिन्होंने अपने काल में ढेरो मंत्री—मुख्य मंत्री देख लिए। वे सूझबूझ, कूटनीति और अपने स्वार्थ एवं हितों की रक्षा में कितने सजग एवं सतर्क हो सकते हैं, उसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जनहित एवं जन साधना उनके निहित स्वार्थों की परिधि में नहीं आती, फिर भला वे लोक कल्याण की भावनाओं से प्रशासन को क्यों चलाने लगे? इधर जो मंत्री अपनी योग्यता एवं क्षमता के आधार पर कुछ करने का संकल्प लेकर आए, वे सभी हाथ पैर पछाड़ कर ही खाली हाथ लौटे। मैं भी ५ साल तक नौकरशाही के हाथों की कठपुतली रहा, बड़े हाथ पैर पछाड़े, किन्तु कुछ भी न कर सका। मेरी अवधि के अन्त पर ही मुझ को राहत मिली।"

यह लेखक राजस्थान की विधान सभा के अध्यक्ष श्री निरन्जननाथ आचार्य हैं। यह आप मानेंगे कि वह विद्वान् हैं।

उन्हें ५ वर्षों तक राजस्थान के शिक्षा विभाग में उपमन्त्री के नाते काम करने का अवसर मिला है और मैं यह विश्वास से कह सकता हूं ....

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a point of order, Sir। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट्री प्रेक्टिस यह कहती है कि लिविंग आथर्स कोट नहीं किये जाते हैं इस सदन में।

एक माननीय सदस्य (विपक्ष से) : तो फिर पूछा क्यों?

श्री विजयसिंह (रावत) : Why did you try to know?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जो प्रश्न मैंने पहले इस सदन में रखा था कि नीति बनाने वालों के बीच और नीति को कार्य रूप में परिणत करने वालों के बीच में तालमेल नहीं है। यह ताल-मेल इसलिए नहीं होता है कि कोई स्वभाविक आपस में वैमनस्य हो। यह तालमेल इसलिए नहीं होता है कि सरकारी तन्त्र के ऊपर हम अपनी नीतियों को लागू करने के सम्बन्ध में दबाव नहीं डाल सकते। इसमें राज्य सरकार समझें चाहे भारत सरकार समझें, पूर्णतया विफल हुई, और इस विफलता का परिणाम न केवल अध्यापकों को उठाना पड़ता है, लेकिन राजस्थान की पूरी सन्तति को उठाना पड़ता है, जिस सन्तति के आधार पर हम अपने देश के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सारी हालत क्यों हुई?

श्री दौलतराम सारण : यह जो आप कह रहे हैं यह सही नहीं है। सही बात यह है कि जो नीति-निर्धारित और नीतियां क्रियान्वयन करने वाले हैं उन दोनों में सामन्जस्य नहीं है यह मुद्दा नहीं है। लेकिन मुद्दा यह है कि नीति-निर्धारक अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के प्रति ईमानदार नहीं हैं। वे उनका क्रियान्वयन नहीं करना चाहते है मगर नौकरों को मजबूर करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी कोई पुस्तक आप लिख दीजिये ना।

श्री भैरोंसिंह : बात दोनों ही सही इसलिए हैं कि आप भी उप मन्त्री रह चुके हैं। इनका स्वयं का अनुभव है तो उनके अनुभव को मैं चुनौती देना नहीं चाहता। भुक्तभोगी सही बात कह सकता है। दर्शक सही बात नहीं कह सकता। उन्होंने भुक्त-भोगी के नाते कुछ बातें बताई। सदन उनको भी गम्भीरता से लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो आज हमारी शिक्षा इस प्रकार की चल रही है उस शिक्षा के सम्बन्ध में जैसा कि मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव में कहा कि प्राथमिक स्कूलों के टीचर्स और प्राइमरी एजूकेशन को पंचायत समिति के दायरे से ले लिया जाय। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार के ऊपर जो बहुमत ग्रामीण क्षेत्रों का है लेकिन जो मानसिक प्रभुत्व है वह अरबन पीपुल का है। हमारी सरकार आज चाहे वह किसी भी प्रकार का भेद न करना चाहे वह अरबन क्षेत्रों को ज्यादा प्रोटेक्शन देना चाहती है और रूरल क्षेत्रों की ज्यादा उपेक्षा करना चाहती है। आज मैं इस दलील का कोई महत्व नहीं समझता कि प्राथमिक पाठशालाओं का सुपरवीजन हम पंचायत समिति को दे दें और नगरपालिका की प्राथमिक पाठशालाओं का सुपरवीजन हम एजूकेशन डिपार्टमेंट को दें। यह तो मानी हुई बात है कि आज शहरों में पढ़े-लिखे लोग ज्यादा मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों मे कम मिलेंगे तो कम पढ़े-लिखे जो हैं उनके हाथों में शिक्षा का प्रबन्ध करने का काम देते हैं और जो ज्यादा पढ़े-लिखे हैं उनके हाथ में शिक्षा का प्रबन्ध नहीं देना चाहते। इसके पीछे कोई कारण नहीं है, सिर्फ एक राज है कि हमारी राज्य सरकार का एक मत बन रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार न हो। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर कोई अच्छे पढ़े-लिखे विद्वान नहीं हो सकें, और यह उसी का कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा को प्राथमिक पाठशालाओं का प्रबन्ध पंचायत समितियों को दे दिया–यह मैं नहीं कहता। पर इस रिपोर्ट, जिसका उद्धरण अभी दिया गया था, के कुछ उद्धरण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जिससे पता लगेगा कि आज हमारे प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्या है–

"Inspite of this earge effort, however, Rajasthan lost its position.... Sorry"

श्री रामकिशन : अंग्रेजी है साहब यह।

श्री भैरोंसिंह : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता था पहले इस शिक्षा के स्तर के बारे में कि शिक्षा का स्तर किस

(श्री भैरोंसिंह)

प्रकार का है वह मैं इसके कुछ पैरेग्राफ्स सुनाकर कि पंचायत समिति के विषय में क्या लिखा है, सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने शिक्षा के स्तर में अभी तक कितनी प्रगति की है। राजस्थान की सरकार जब भी शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर अपना जवाब देती है तो आंकड़े बताकर राजस्थान की जनता को भ्रम में डालने की कोशिश करती है, लेकिन यह निर्विवाद सत्य है कि राजस्थान में तीन योजनाओं के समाप्त होने के बाद भी राजस्थान में लिट्रेसी का पर्सेन्टेज हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के मुकाबले में सबसे कम है। दूसरा नम्बर जम्मू-काश्मीर स्टेट का था, लेकिन जम्मू-काश्मीर स्टेट ने राजस्थान से कम्पटीशन में आगे बढ़कर राजस्थान को नीचे धकेल दिया, और यह सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि जिस विभाग पर २५ करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान रख रहे हैं इतना रुपया खर्च होने के बाद भी राजस्थान आल इंडिया के पैटर्न पर नहीं पहुंच सका है और एवरेज लिट्रेसी के टारगेट को हम एचीव नहीं कर सकते हैं। तीन प्लान खत्म हो गये उसकी भी कोई चिन्ता नहीं, लेकिन इसके साथ-साथ यदि हमारे शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ होता तो भी कोई चिन्ता नहीं होती।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, हमने बड़े बड़े स्कूल और कालेज बनाये हैं लेकिन प्राइमरी स्कूलों और मिडिल स्कूलों की उपेक्षा की है। प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल जो आल-इंडिया लेवल पर पहुंच जाने चाहिए थे, उस एवरेज को एचीव करना चाहते है उस एवरेज को हम एचीव नहीं कर पाये, और यही कारण है कि हम प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के एवरेज को एचीव नहीं कर पाते....

(२.३६ म. प.)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति, पदासीन)

....तो निश्चित रूप से लिट्रेसी की पर्सेन्टेज गिर गई और पर्सेन्टेज गिरी है, और उस पर्सेन्टेज को बाकी स्टेट के मुकाबले में लाने के लिए या एवरेज स्टेण्डर्ड पर लाने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं चल रहा है।

अब, सभापति महोदय, प्रश्न आता है कि हम कर क्या रहे हैं, किस तरह से कर सकते हैं तो इस पुस्तक में लिखा है–

"In the evidence given before us, there was a unanimous feeling in all sectors among teachers, inspecting officers, officers of the Development Deptt. and members of the general Public that the standards in primary and middle school education had generally deterioraed. The statistical and other data available to us also shows that there is on the whole a fair basis to assume such a position."

अब यह किताब एक्सपर्ट ने लिखी है

(श्री भैरोंसिंह)

सरकारी आंकड़ों के आधार पर, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो गई है कि राज्य सरकार के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर गया। अब यह गिरा क्यों ? इसके पीछे यह मैं समझता हूं कि केवल शिक्षा का स्तर ही गिरा हो ऐसा नहीं, लेकिन मोरल भी गिरा है--

"After assessing the situation from every point of view, the committee feels that, during the last 15 years, the morale of the elementary teachers has been adversely effected especially after the transfer of primary education to the panchayat samitis."

अब यह तो टीचर्स का प्रश्न आता है और इसके बाद में टीचर्स के सिलेक्शन का प्रश्न आता है, क्योंकि टीचर्स के अन्दर मोरल गिर गया तो उनके सिलेक्शन का स्टेण्डर्ड अच्छा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजस्थान सरकार के सिलेक्शन का स्टेण्डर्ड अच्छा नहीं रहा इसलिए कमेटी ने मजबूर होकर लिखा है कि टीचर्स के सिलेक्शन का स्टेण्डर्ड भी इन १५ वर्षों के अन्दर गिरा है। जब सिलेक्शन का स्टेण्डर्ड गिरा है तो इसी प्रकार से टीचर्स का मोरल गिरा और जब उसी प्रकार के टीचर्स आयेंगे तो उसी प्रकार की शिक्षा मिलेगी और शिक्षा का स्तर गिरता हुआ नजर आयेगा। सभापति महोदय, इन सारी परिस्थितियों के अन्दर कोई भी आदमी यह विचार कर सकता है कि इस गिरावट का कारण क्या है ? मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा —

"But the over-all fact established beyond doubt and universally admitted is that there has been a definite and considerable demorlisation among the primary teachers after the transfer of primary schools to Panchayat Raj Institutions and that this has an adverse affect upon the standards of teaching at this stage."

अब इस तरह की चीजों पर मैं ज्यादा कहना नहीं चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस हालत में और आज की इस परिवर्तित हालत में जब कि आर० ए० एस० अधिकारी बी० डी० ओ० की पोस्ट्स से हटा दिये गये हैं, और जूनियर आफिसर्स को बी० डी० ओ० का काम सौंपा गया है, और सौंपने के बाद विधान सभा में और विधान सभा के बाहर कई बार इस बात की शिकायतें आई हैं कि टीचर्स का स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर किया जाता है। मैं समय लेना नहीं चाहता। इस कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि टीचर्स का स्थानान्तरण राजनैतिक आधार पर होता है, ज्यादा बार होता है, टीचर एस्टेब्लिश कर नहीं पाता कि उसके पहले ही उसका स्थानान्तरण हो जाता है। इस रिपोर्ट ने इस बात को माना है, और अब मानने के बाद मैं यह नहीं समझता कि इसके पीछे कोई कारण हो। यदि यह कोई बात हो कि १९५९ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज्य का उद्घाटन किया था और इसलिए हम लकीर को घसीटे

(श्री भैरोंसिंह)

चलेंगे तो मैं आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आज का ग्रामीण क्षेत्र सरकार की इस उपेक्षा को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है।

हम किसी वाद विशेष से बंध कर नहीं चलना चाहते, हम किसी गलत काम से बंध कर नहीं चलना चाहते, हम किसी ने उत्पादन किया उससे बंध कर नहीं चलना चाहते, हमें जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है उससे हम लाभ उठाना चाहते हैं। और उनसे लाभ उठाना चाहते हैं तो सरकार को यह फोर्स करना पड़ेगा कि पंचायत स्कूल जो पंचायत समितियों के नीचे हैं, प्राथमिक शालायें, उनको तुरन्त सरकार द्वारा लिया जाय और अगर सरकार नहीं लेती है तो उसका कारण केवल यह है, मैं सरकार के ऊपर इल्जाम के रूप में यह कहना चाहता हूं कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के साथ में सौतेला व्यवहार करना चाहती है, सरकार पंचायत समिति के स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों का राजनैतिक शोषण करना चाहती है।

सभापति महोदय, यदि इतनी ही बात हो तो समझ में आ जाय, लेकिन प्रश्न अब यह उत्पन्न होता है कि आज के स्कूलों का सुपरवीजन कैसा है? हमारी सरकार आज काफी संख्या में स्कूलों को ग्रान्ट-इन-एड देती है। उदयपुर के अन्दर जो महिला विद्यापीठ है, उसको भी सरकार ग्रान्ट इन एड देती है। जब कि उस महिला विद्यापीठ के सम्बन्ध में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने यह आब्जेक्शन किया था, और राजस्थान सरकार से कहा था कि इस महिला विद्यापीठ के द्वारा ग्रान्ट इन-एड का दुरुपयोग किया गया है, ग्रान्ट-इन-एड का मिसएप्रोप्रियेशन हुआ है इसलिये उसके खिलाफ कागनीजेबल आफेन्स बना कर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं मानता हूं, उस संस्था के सैक्रेटरी हैं, वह कांग्रेस के एक ऊंचे नेता हैं, इसलिये कांग्रेस की सरकार की हिम्मत नहीं हो सकती है कि उसके खिलाफ वह कोई प्रासीक्यूशन की कार्यवाही करे। दुर्भाग्य की बात तो यह है कि उस संस्था को पिछले वर्ष इस राजस्थान की हुकूमत के द्वारा जिस प्रकार और शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता दी गई, उसी प्रकार से उसको भी आर्थिक सहायता दी गई। इस महिला विद्यालय को भी ग्रान्ट-इन-एड दी है और जब इस महिला विद्यालय को सहायता दी है तो मुझे तो ऐसा बहम होता है कि हमारी सरकार अपने को बनाये रखने के लिए ग्रान्ट-इन-एड सम्बन्धी तरीकों पर कंट्रोल नहीं करना चाहती है और हमारी सरकार ग्रान्ट-इन-एड के माध्यम से गुर्गों को पालना चाहती है। यदि गुर्गों को पालने के लिए ग्रान्ट-इन-एड दी जाय, तो मैं कहूंगा कि राजस्थान की दो करोड़ २५ लाख जनता से जो टैक्स के रूप में राजस्थान सरकार पैसा लेती है, वह जनता के काम के लिए है, वह गुर्गोंको पालने के लिए नहीं लेती है। यदि गुर्गों की पोषक यह सरकार बनना चाहती है और जनता इस कारण से पीड़ित रहेगी तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार बनाने की स्थिति भी नहीं रहेगी। आज वहां जो दुर्गावत जी हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वह राजस्थान में छोटे मोटे आदमी नहीं हैं,

(श्री भैरोंसिंह)

उस हालत में, मैं महिला विद्यालयों के सम्बन्ध में श्री निरंजन नाथ आचार्य द्वारा लिखी हुई पुस्तक का उद्धरण पढ़ कर सुनाऊं तो इस सदन के माननीय सदस्यों को सुन कर दुःख होगा कि किस प्रकार की स्थिति राजस्थान में चल रही है। इस किताब का उद्धरण मैं इसलिए पढ़ देना चाहता हूं कि लोगों की कम से कम आंख खुल जायें कि हम जिन महिला विद्यालयों को ग्रान्ट-इन-एड देते हैं, जिन महिला विद्यालयों की मार्फत हम महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, उन महिला विद्यालयों में किस प्रकार की स्थिति है। इसमें लिखा है:–

"राजस्थान में ऐसी कई सहायता प्राप्त महिला विद्यालय हैं जो, व्यवसाय के केन्द्र हैं। उनके व्यवस्थापकों की दास्तान यदि खोली जा सके तो समाज की आंखें खुल सकती हैं किन्तु समाज और सरकार इस षड़यन्त्र को दबाये रखना चाहती है।"

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order. मैं समझता हूं जो माननीय अध्यक्ष हैं, उनकी किसी ओपिनियन को हाउस में डिस्कशन का विषय बनाना–

श्री मदनसिंह दांता : यह शिक्षा मन्त्री की बात है, अध्यक्ष की बात नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : मेरी बात सुन लीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : आपको दर्द क्यों आता है जब बुरी चीजों को सुनाते हैं ?

श्री विजयसिंह रावत : चौधरी साहब...!

श्री पी. के. चौधरी : मैं समझता हूं कि जो अपने हाउस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने किसी कैपेसिटी में कोई चीज लिखी है, उसको ओपिनियन के तौर पर इस सदन के अन्दर लाना और डिस्कशन करना–क्योंकि हो सकता है कि हम उससे डिफर करते हों–शोभा नहीं देता है। मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम, चाहे यह ओपिनियन एजूकेशन मिनिस्टर की कैपेसिटी में रही हो इसको हाउस में न पढ़ें।

श्री केदार नाथ : पुस्तक का नाम क्या है ?

श्री भैरोंसिंह : इसमें विद्यालयों के लिए यह कहा है....

श्री पी. के. चौधरी : आप इस चीज को जस्टीफाई कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं, यह स्टैण्ड ठीक नहीं है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : स्पीकर की ओपिनियन और एजूकेशन मिनिस्टर की ओपिनियन में अन्तर करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा....

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो उसका उद्धरण पढ़ कर सुनाया है, शायद उससे पुलेरा

(श्री भैरोंसिह)

से आने वाले माननीय सदस्य को चिढ़ लग रही है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा....

श्री पी० के० चौधरी : मैं यह निवेदन कर दूं कि प्रास्टीट्यूट की बात है यह कहां तक जस्टीफाई हो सकती है ?

श्री भैरोंसिह : मैं समझ गया !

सभापति महोदय, इस पुस्तक में लिखा है–'राजस्थान में ऐसे कई सहायता प्राप्त महिला विद्यालय हैं जो व्यवसाय के केन्द्र हैं। उनके व्यवस्थापकों की दास्तान खोली जा सकें तो समाज की आंख खुल सकती है किन्तु समाज और सरकार इस षड़यन्त्र को दबाये रखना चाहती है। इनमें दैत्य भरे हुए हैं, भ्रष्टाचार और व्यभिचार इन विद्यालयों के जीवन में है–इनकी सुरक्षा में प्रशासन तन्त्र और इनका भी तालमेल है।"

इस पुस्तक के उद्धरण के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग और राजस्थान के शिक्षा स्तर के सम्बन्ध में, दोनों के संबंध में बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। सभापति महोदय, राजस्थान के बजट में १० लाख का प्रावधान रखा है, लम्प-सम-ग्रान्ट करने के लिए ग्रान्ट के रूप में। मैंने पिछले पन्द्रह सालों का बजट देखा है और उसके आधार पर कह सकता हूँ कि ग्रान्ट-इन-एड के लिए इतनी राशि, सम्भवत: २६ लाख लम्प-सम-ग्रान्ट के लिए कभी नहीं रखी। अब की बजट स्पीच में देखा कि यह लम्प-सम-ग्रान्ट क्यों रखी है तो मुझे जानकर शर्म महसूस हुई कि अकेले उदयपुर में १४ लाख रुपये पिछली साल ग्रान्ट-इन-एड के रूप में दिये गये। यह काफी मात्रा में ग्रान्ट-इन-एड दी गई, और इस मात्रा में दी गई कि राजस्थान की बाकी ग्रान्ट-इन-एड की रकम से इसकी तुलना की जाय तो अपने आप स्थिति स्पष्ट हो जायगी कि ग्रान्ट-इन-एड के डिस्ट्रीब्यूशन में किस प्रकार से काम चलता है।

(२.४८ म० प०)

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि आज एक स्कूल के अन्दर ग्रान्ट–इन–एड मिलती हो –ऐसी बात नहीं है। उदयपुर की जितनी भी शहर की स्कूल हैं, एक नगर की स्कूल में १४ लाख रुपये वार्षिक ग्रान्ट–इन-एड दी जाती है, और बाकी का रुपया राजस्थान की अन्य संस्थाओं को मिलता है। लेकिन न इस बात की राजस्थान सरकार को चिन्ता है और न शिक्षा मन्त्री को चिन्ता है और न राजस्थान के कोई भी और बाकी के क्षेत्रों से आये हुए प्रतिनिधियों को चिन्ता है। जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर रीजनलिज्म बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर जिलों की तुलना बाकी के जिलों से की जाय तो ऐसा लगता है कि बाकी के जिले तो राजस्थान में हैं लेकिन यह तीन जिले राजस्थान में नहीं हैं। चाहे प्राइमरी स्कूल का सवाल लीजिये, चाहे मिडिल स्कूल का, चाहे हाई स्कूल का और चाहे कालेज का सवाल लीजिये, और चाहे लिट्रेसी का पर्सेन्टेज लें,

(श्री भैरोंसिंह)

और चाहे एक अध्यापक को कितने छात्रों पर रखते हैं या कितने छात्रों पर एक अध्यापक रखते हैं–यह सब बातें राजस्थान के इन तीन जिलों के लिए नहीं कह सकते। तो राजनैतिक दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में भी इम्बैलेन्स क्रियेट किया जाता है इससे राजस्थान के कुछ क्षेत्र तो प्रभावी बनेंगे और कुछ दबे हुए रहेंगे (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, आज तो कुछ बातें कहना चाहता हूँ।

इस सारी स्थिति में राजस्थान के प्रशासन तन्त्र को लिया जाय तो मुझे पिछले दिनों की याद है, जिस समय चुनाव के दिन समीप आ रहे थे तो राजस्थान के टीचर्स के धड़ाधड़ ट्रान्सफर हो रहे थे। भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री इस बात में माहिर थे कि किस प्रकार से टीचर्स के ट्रान्सफर हों। उस समय जो ट्रान्सफर हुए उनकी लिस्ट एक मैंने बनाई है। उसके आधार पर आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि इलैक्शन के दिनों में पन्द्रह सौ ट्रान्सफर किये गये, तोड़ फोड़ करने वाले टीचर्स के स्थानान्तरण कर दिये गये और उन छात्रों को प्रोटेक्शन दिया गया जो किसी स्कूल में अनुचित कार्यवाही करते हुए पकड़े गये और जिनका रैस्टिकेशन किया गया। मुझे जानकारी है कि ऐसे छात्रों को वापिस दाखिला देने के स्कूल में आदेश दिये गये तो कालेजेज के डाइरेक्टर वी० वी० जोन ने त्याग पत्र दे दिया और कहा कि ऐसे निकाले गये छात्रों को वापिस स्कूल में अलाऊ किया गया तो उसके घातक परिणाम होंगे, यह हानिकर कार्य होगा। और क्योंकि कुछ छात्रों का नहीं किया गया तो जयपुर के डिप्टी डाइरेक्टर की कान्फीडेंसियल फाइल मिनिस्टर ने अपने कब्जे में कर ली, और कहा कि या तो मेरे हुक्म मानो, नहीं तो मैं कान्फीडेंसियल फाइल में एडवर्स रिमार्क्स लिख देऊंगा। शिक्षा के मंत्री महोदय ने राजस्थान के अन्दर शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति करने के लिए यह किया।

एक महिला अध्यापिका को एक प्रधान ने सस्पैन्ड कर दिया। उस पर वह माननीय मन्त्री महोदय के पास गई। उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक वे उसकी बात को सुनते, मगर भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री ने उस अबला से कहा कि या तो यहां से चली जा नहीं तो ठोकर मार कर निकालेंगे। इस प्रकार का व्यवहार उसके साथ किया गया और उसके केस की उन्होंने सुनवाई नहीं की। बाद में वह रीइन्सटेट हुई और सब कुछ हुआ मगर बदकिस्मती है कि हमारे शिक्षा में भी राजनीति घुस गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये कहना चाहता हूं कि और मैं उदाहरण के रूप में यह कहना चाहूंगा कि पक्षपात की भी कोई सीमा होती है। यहां पर एक अध्यापक संघ है उसकी सीकर में बैठक हुई। मुरारजी देसाई वहां पधारे थे। प्रभा मिश्रा भी उस सम्मेलन में भाग लेने गई। वहां पर कार्यकारणी का चुनाव हुआ। और हायर सैकन्डरी के लिये दो प्रतिनिधि जाते हैं जिसको शिक्षक संघ नोमीनेट करता है।

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन यह आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि शिक्षा विभाग के अध्यक्ष भी एक शिक्षा संघ को मान्यता देते हैं। अपनी मौजूदगी में और आंखों से देखते हुए। वे लिखते हैं कि अमुक सम्मेलन हुआ, अमुक ने अध्यक्षता की, अमुक प्रतिनिधि चुने गये। यह मैं सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि यह मेरे पास है और अगर माननीय मन्त्री जानना चाहें तो मैं उनको दिखाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हायर सैकन्ड्री स्कूल के सदस्यों का चयन होना चाहिए, वहां १५० आदमियों ने मिल कर एक राजनैतिक आधार पर हमारे शिक्षा मन्त्रीजी के प्रोटेक्शन में संगठन खड़ा किया और १५० आदमियों को मान्यता नहीं दी और दो आदमियों को चुना। इससे बढ़ कर पक्षपात भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी के लिये कोई नहीं हो सकता। मैं बरकतुल्ला साहब आपसे निवेदन करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार की प्रथा चलाई है। आप इस प्रकार की प्रथा को चलाने की कोशिश न करें। उसमें लिखा है कि भूतपूर्व मन्त्री को सुधार करना चाहिये। सरकारी तन्त्र न सुधरे तो फिर कैसे सुधार होगा? इसलिये आप सुधार तभी करेंगे जब आपके मजबूत हाथ होंगे। इसलिये इसके लिये मैं आपको एक काम देना चाहता हूं। अगर आपने इस काम को अपने हाथ में ले लिया तो शिक्षा मन्त्री और सब लोग आप हुक्म देंगे वह सब करने को तैयार होंगे।

एक फिजिकल ट्रेनिंग के लिये भवन खरीदा गया। इसके लिये हाउस को जानकारी है और भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिसके लिये जिक्र किया था, उसकी जांच हुई। सुजानसिह का चालान हुआ और कहा गया कि उन्होंने डाइरेक्टर और शिक्षा सचिव को इसकी सूचना नहीं दी कि उसके लिये पहिले १.५० लाख की कीमत बताई गई थी। और इसी कारण वह भवन २.१६ लाख में खरीद लिया गया।

इसमें प्रिन्सिपल साहब का चालान हुआ। केस चला और प्रिन्सिपल बरी हुआ। और मैं यह कहना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ आल जिस समय में १ लाख ४५ हजार में खरीदने की बात थी उसकी जानकारी डाइरेक्टर और शिक्षा सचिव को थी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि प्रिन्सिपल का ही चालान क्यों किया गया? शिक्षा सचिव और डाइरेक्टर का भी चालान होना चाहिये था जिसने सरकार को ६६हजार का नुकसान पहुंचाया। मैं समझता हूं कि आप उनका चालान नहीं कर सकते....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कहीं मंत्री महोदय खुद न चले जावें।

श्री भैरोंसिंह : मन्त्री का जाना मुश्किल है क्योंकि जहां एक एक वोट के लिये मरते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान की हालत किस तरह से बिगड़ती जा रही है।

पिछले दिनों में स्पोर्ट्स कौंसिल का प्रश्न आया। कितने रुपये खर्च होते हैं?

(श्री भैरोंसिंह)

मैं कहूंगा कि उन्होंने मकान किराये पर लिया है तो शिक्षा सचिव का। पी० डब्ल्यू० डी० से नोन-एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट एटेच कराये बिना मकान किराये पर दे दिया गया। जब शिक्षा सचिव खुद ऐसा कर सकते हैं तो दूसरों को कैसे दोष दे सकते हैं ? जब शिक्षा सचिव, जिसके अन्दर में स्पोर्ट्स कौन्सिल काम करता है, जिसको वे ग्रान्ट देते हैं, इस प्रकार अपना मकान किराये पर दे कर कमाई करें तो गरीब इन्सपेक्टर और अध्यापकों से आप क्या आशा कर सकते हैं ? नहीं कर सकते। इसके अलावा स्पोर्ट्स कौंसिल में कई बार आने जाने का काम पड़ता है। यहां पर ऐन्टरटेनमेन्ट पर पैसा खर्च होता है। रोडवेज को कितना और दूसरे लोगों को किस प्रकार से ओबलाइज किया जाता है यह कहने की जरूरत नहीं। कई लोगों की महमानदारियां होती हैं। उसके लिये कितना खर्चा किया जावे इन सारी बातों के लिये सन् ६० - ६१ से आडिट ओब्जेक्शन आते हैं मगर हमारी राज्य सरकार उनको एवेलेबल करना नहीं चाहती क्योंकि उसके कुछ पर्सनल्स उसमें आते हैं।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहूंगा कि राजस्थान का कोई भी काम हो, उसमें सब में वे एक्सपर्ट। खेती का काम हो उसमें एक्सपर्ट, एनिमल हस्बेन्ड्री का काम हो उसमें एक्सपर्ट, मन्त्री की शादी का काम हो उसमें वे एक्सपर्ट और अगर वे किसी प्रकार का अन्याय करें तो उनको रोका नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहना चाहता कि राजस्थान में भूतपूर्व शिक्षा संचालक के समय से राजस्थान के शिक्षकों की क्या हालत है, शिक्षा विभाग ने जो प्रतिवेदन दिया उसमें इस बात का उल्लेख किया है। उनकी बकाया, फिक्सेशन के मामले, आदि ५० परसेन्ट निपटाये गये हैं।

मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके भूतपूर्व शिक्षा संचालक सारे शिक्षा विभाग का बंटाधार करके चले गये और सारे अध्यापकों के मामलों को इस हालत में छोड़ गये कि कोई भी नया शिक्षा संचालक आवेगा उसको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। आज उसके अन्दर सारी इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है कि अध्यापकों के मामले सुलझ नहीं रहे हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आज केवल शिक्षा विभाग मे ही ऐसा होता हो ऐसी बात नहीं है। कई और भी डिपार्टमेंट हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के कई मामले पेन्डिग पड़े हुए हैं। मेरे पास उनकी लिस्ट है अगर माननीय मंत्री चाहें तो देख सकते हैं, मैं वह लिस्ट उनको दे दूंगा। उसे देखने से आपको मालूम होगा कि कई अध्यापक सन् ४७ से ५० तक रिटायर हुए, उनके मामले पेन्डिग पड़े हुए हैं। कई मर गये मगर उनकी पेन्शन के और क्लेम के मामलों का पता नहीं। आप उनको ट्रान्सफर में मार देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रकार ये

(श्री भैरोंसिंह)

सारी चीजें एक साथ ज्यादा चलने वाली नहीं हैं।

अब मैं आपकी आज्ञा से नवाब साहब से मुद्रणालय के बारे में कुछ कहूंगा।

मुद्रणालय के बारे में कुछ मामले दिये हैं....

श्री रामकिशन : नवाब साहब ने नहीं दिये हैं, पी० डब्ल्यू० डी० ने दी है।

श्री भैरोंसिंह : अब वे मामले किस स्टेज में हैं, कई वर्षों से चल रहे हैं। कई व्यक्ति जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं वे रिटायर हो गये हैं मगर श्रीमान् ने उसमें कोई सुधार नहीं किया। आपके पास जिस दिन आपने चार्ज लिया एक शिकायत पहुंची थी कि जोधपुर में कुछ कम्पोजीटरों, बाइन्डरों और कुछ व्यक्तियों की नियुक्तियां हुई हैं। उनको मिडिल क्लास का सर्टिफिकेट शामिल करना था। उन्होंने कर दिया लेकिन लोगों ने कहा कि ये मिडिल पास नहीं हैं और उनको सर्टिफिकेट कैसे मिल गये ?

(३ म० प०)

इनको मिडिल के सर्टिफिकेट कैसे मिल गये ? इसकी सी. आई. डी. या एन्टी करप्शन ने जांच कर रिपोर्ट दे दी। विभाग ने एक्शन लेना शुरू किया कि इनको निकाला जाय तो उन्होंने आदेश दे दिये कि इन्हें निकालें नहीं। तो आते ही पहला सुधार तो यह किया कि जिन लोगों ने फोर्ज्ड सर्टिफिकेट्स दिये उनको निकाला नहीं। तो फिर इनसे क्या आशा करें कि पहले के घोटाले हैं उनको ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। यह संभव नहीं है। आप जाइये अपने विभाग में, मेरे को साथ ले चलिये, आपके यहां जो लाखों के शीशे के अक्षर बन कर आते हैं तोल में मनों, किसी में हांसिल गया तो "स" नहीं मिलेगा, "स" मिल गया तो "त" नहीं मिलेगा, "त" मिल गया तो 'थ" नहीं मिलेगा। लाखों का सामान खरीद लाये पर कम्पोजीटर्स और प्रिन्टर्स के सामने दुनिया भर की मुसीबतें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दो शब्द मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूं, नाम बड़ा सुन्दर है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के सदस्य यह समझ कर चलते हैं कि समाज कल्याण विभाग से हमारा उद्धार होने वाला है। पर मैं कहना चाहता हूं, समाज कल्याण विभाग रहे या नहीं रहे इस सरकार से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। स्वयं सादिक अली कमेटी ने स्वीकार किया है कि हम बैकवर्ड क्लासेज का इन सामाजिक संस्थाओं द्वारा उद्धार नहीं कर सके, इस विभाग के द्वारा उद्धार नहीं कर सके। यह समाज कल्याण विभाग बैकवर्ड क्लासेज के लिये कोई भी योजना देख ले, पहली योजना, द्वितीय पचवर्षीय योजना, तृतीय पचवर्षीय योजना, किसी भी योजना को देख लें, कोई योजना ऐसी नहीं है, जिसमें इन्होंने हमारे टार्गेट्स अचीव किये

(श्री भैरोंसिंह)

हों। केवल यही नही फांइनेन्शियल टार्गेट्स भी अचीव नहीं कर सके।

अब फिल्में दिखा कर इनका उद्धार करेंगे। फिल्म है "कदम रुकेंगे नहीं। कदम कैसे नहीं रुकेंगे। उस फिल्म को मैंने देखा उसमें सुखाड़ियाजी की तसवीर है, श्रीमती सुखाड़िया की तसवीर है, हरिदेव जोशी की तसवीर है, तीनों चलेंगे तो कदम नहीं रुकेंगे, हालां कि तीनों के कदम मिल नहीं रहे हैं। उस फिल्म को खरीदा गया, गांवों में दिखाया जा रहा है। राजस्थान के गृह सचिव ने पत्र लिखा कि सीमा सम्बन्धी मामलों के चित्र उसी समय ले सकते है जब कि भारत सरकार अनुमति दे। पर अनुमति का सवाल नहीं, फिल्म बनाली फिल्म दिखाते है "कदम रुकेंगे नहीं" आपके तो कदम बढ़ रहे हैं पर जिनके कदम चलते नहीं हैं........

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, मैं इस सदन के समक्ष, आज चूंकि समय नहीं है, फिर अवसर मिलने पर, राजस्थान की जो ये वालंटरी एजेंसीज बनी हुई हैं, जिन पर कुछ मठाधीश बने बैठे हैं और वे मठाधीश गरीबों के उत्थान में बाधक होना चाहते हैं, उन मठाधीशों के विरुद्ध मैं सिद्ध करूंगा कि ये बड़े बड़े मंत्री, मठाधीश बने बैठे हैं, वे किस तरह गरीबों के उत्थान में बाधा डाल रहे हैं।

यही कटौती के प्रस्ताव रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डूंगाराम !

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो शिक्षा विभाग के ऊपर डिमाण्ड चल रही है, उसके बारे में मैं भी कहना चाहता हूं। शिक्षा के सम्बन्ध में इसलिये कहना चाहूंगा कि जो मेरे कट मोशन हैं, मेरे क्षेत्र में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल खोलने के बारे में हैं और उसके बारे में सरकार ने अभी ध्यान नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, शहरों में सरकार की तरफ से ऐसा है कि न वहाँ भवन मांगे जाते हैं और न भवनों के लिये रुपया मांगा जाता है पर गांवों में पहले भवन मांगने की व्यवस्था थी, अब रुपया मांगने की व्यवस्था और कर दी है। जिन गांवों में सरकार ने आश्वासन दिया है कि भवन बना दोगे तो स्कूल खोल देंगे, इस तरह का स्कूल भवन जमवा रामगढ़ के गांव गठवाड़ी में बनाया हुआ है, वहां अभी तक हाई स्कूल नहीं खोला जा रहा है, इसलिये मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गठवाड़ी गांव में हाई स्कूल खोला जाय। भवन बनने पर खोलने का आश्वासन दिया था, वहां भवन बना दिया गया है।

इसी तरह आंधी गांव में भी अच्छा स्कूल भवन सरकार द्वारा मांग करने पर बनाया गया है और वहां भी हाई स्कूल खोलने की ५ साल से पोजिशन चल रही है पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, इस लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रांधी गांव में हाई स्कूल जल्दी से जल्दी खोलें।

दौसा तहसील में छारेड़ा गांव है वहां शिक्षा विभाग के जरिये कहा गया था कि अगर स्कूल भवन बना कर दे दोगे तो मिडिल स्कूल खुलवा देंगे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि वहां भी मिडिल स्कूल खुलवाने की कोशिश करें।

तीसरी बात मैं महा विद्यालय दौसा के भवन के बारे में निवेदन करूंगा। वह महाविद्यालय की बिल्डिंग छोटी सी है, अपर्याप्त है, ६ साल से बिल्डिंग बनाने की योजना चल रही है पर सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इस बीच मुख्य मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि हम बिल्डिंग बना देंगे, जनता की तरफ से सहयोग मिलेगा तो इसके लिये २५ हजार का चैक दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में जब यहां प्रश्न पूछा गया था, तो यह कहा गया था कि ५० हजार रुपया देने का कहा था, २५ हजार रुपया ही दिया है। हो सकता है कि ५० हजार के लिये कहा हो, ५० हजार भी मिल सकता है पर इस बीच में जो २५ हजार रुपया सरकार को मिला है उसके मुताबिक सरकार को लगाना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के बारे में जो सरकार का रवैया है कि बिल्डिंग बनाने के बाद भी वहां पर स्कूलें नहीं खोलती है, यह न्याय संगत नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जहां जहां के लिये मैंने सुझाव दिये हैं वहां मिडिल स्कूल और हाई स्कूल खोलने चाहिये। दौसा के लिये मैंने सुझाव दिया कि वहां छात्र आसपास के कई कस्बों और गांवों से पढ़ने आते हैं, बिल्डिंग छोटी होने की वजह से कई पीरियड में पढ़ाया जाता है, इससे छात्रों को आने जाने में असुविधा होती है, वहां छात्रावास की भी कोई खास व्यवस्था नहीं है इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि दौसा महाविद्यालय के लिये जो बिल्डिंग की कमी है उसकी पूर्ति करें।

दूसरी डिमाण्ड समाज कल्याण के बारे में विविध सघठन तथा सामाजिक संगठन के बारे में भी मैंने एक कट मोशन दिया है। उसके बारे में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। पिछड़े तबके के लोगों के उत्थान के लिये आज २० साल से इन लोगों को ऐसे आश्वासन दे रखे हैं कि न तो उन आश्वासनों की पूर्ति ही की जाती है और न ही उनका जवाब दिया जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से आजादी जो मिली और आजादी से पूर्व इन लोगों को ऐसे आश्वासन दिये जाय, आजादी मिले २० साल हो गये इस २० साल के लम्बे अर्से में इन कामों की रुपये में से दो आना भी प्रगति नहीं की है। तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर इनका उत्थान किस रूप में, कैसे किया जायगा, क्या योजना होगी? किस तरह किया जायगा? इस बारे में बतायें तो सही, कि क्या होगा इन कामों का? इनको रहने दिया जाएगा या नहीं? समाज में

(श्री डूंगाराम राओरिया)

इनका कोई अधिकार है या नहीं ?

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो सरकार की नीति है, झूठे आश्वासन देकर इन लोगों को इस तरह से सरकार गलत विश्वास में रखती चली आ रही है, इस वारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है ? मैं कुछ आंकड़े समाज कल्याण की तरफ से जो इन लोगों पर खर्च किए हैं, देता हूं :—

१९६३-६४ के बजट में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए शिक्षा और उद्योगों के मद में ८.१ लाख रु० खर्च के लिए रखा गया था। उसमें से ६.१८ खर्च किया गया और बाकी १.४२ लाख इसमें से बचा लिया गया। दूसरी तरफ बस्तियाँ, आवास पानी वगैरह पर खर्चा करने के लिये ८.९२ लाख रुपए रखा था और खर्चा ७ ५५ लाख रुपए किया गया और बचत हुई १.४२। इसी तरह से याने शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मद से भी २५ प्रतिशत की बचत सरकार ने रखी।

समाज कल्याण के मद में १९६३-६४ के बजट में ६,१६,००,०००) की कटौती करके बचत कर ली। १९६४-६५ में ८,७७ १२५) रुपए की बचत कर ली। १९६५-६६ के बजट में ८,९९,००५) की बचत। तो इन आंकड़ों से आप अन्दाजा लगाइए कि सरकार के जो नियम हैं उनमें इन कौमों के लिए दी हुई सहायता में अगर कमी कर दी जावे तो कैसे इनका उत्थान होगा। आपको तो इसमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तरफ आप इनका उत्थान करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ बजट में खर्चे में कमी की कोशिश कर रहे हैं और जैसे श्री भैरोंसिहजी जनसघ के नेता ने कहा कि एक शहर को शिक्षा विभाग के जरिए प्राइवेट संस्थाओं को १४-१५ लाख रुपए आप अनुदान देते हैं उधर सारे राजस्थान को १४-१५ लाख शिड्यूल्ड कास्ट्स के उत्थान को देते हैं, इस पर भी आप उन पर एहसान जताते हो। सरकार जो आश्वासन देती है झूठे हैं। न उनको आबाद करते हो, न आवास की समस्या हल करते हो, न रहने के लिए जगह देते हो और न उनको छूआछूत से मुक्ति दिलाते हो। छूआछूत के लिए सरकार क्या कर रही है। गांवों में कुएं बनाकर कहते हैं कि यह बनिए का, यह महाजन का है। आप इस तरह कैसे इन कौमों का उत्थान करेंगे ?

मैं समाज कल्याण मन्त्री से निवेदन करूंगा यह जो इस तरह की कटौती आप बजट में करके इनका उत्थान करने जा रहे हैं, यह न करके इन कमियों की तरफ आप ध्यान दें। मैं दो तीन समस्याओं के लिए निवेदन कर दूं, अगर इनका हल करेंगे तो अच्छा होगा।

पहली समस्या है कि जहां भी इन कौमों को बसाया जाय, तो मिली-जुली बस्ती में बसाया जाय, जहां ऊंच नीच का फर्क न हो, क्योंकि इससे इनके आचरण में सुधार होगा और इनके पुराने ख्याल भी दूर होंगे, और ये भी सुखी जीवन बिताने की कोशिश करेंगे। इसलिए इनके आवास

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

की समस्या मिली-जुली होनी चाहिए।

दूसरे यह जो गांवों में आप कुआं बनाना चाहते हैं, अलग से कुओं का निर्माण करवाते हैं, यह भी नहीं होना चाहिए। अलग कुआं बनाने से, छूआछूत बनी रहेगी।

तीसरी बात यह जो शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि शिक्षा में हमने प्रगति की है, वह कैसे कह सकते हैं ? शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की शिक्षा में क्या प्रगति हुई ? जो साढे बारह प्रतिशत की योजना थी, उसमें से अब तक २ प्रतिशत की भी पूर्ति विभागों ने नहीं की, तो कैसे कह सकते हैं शिक्षा में प्रगति की ? अगर आप आजादी के बाद भी इन कौमों को शिक्षा देना चालू करते तो आज १२ तो क्या २५ प्रतिशत की पूर्ति कर सकते थे। शिक्षा में आपने इन कौमों के साथ उदारता नहीं बरती है, यह अशोभनीय नीति है।

आज आप इनको छात्रवृत्ति देते हैं, वह नाम मात्र की है। वह अन्दाजा लगाइए जबकि केवल ८ लाख रुपए समाज-कल्याण विभाग ने शिड्यूल्ड कास्ट्स पर खर्चे के लिए रखे हैं तो छात्रवृत्ति की पूर्ति कैसे कर सकेंगे ? किसी स्कूल में दो या तीन से ज्यादा बच्चों को नहीं दे सकेंगे और जितने पंचायत समितियों के स्कूल हैं, वहां छात्रवृत्ति मिलने का सवाल ही नहीं है। अगर वास्तव में पिछड़े तबके को आप ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और नहीं देंगे तो यह तबका पीछे रह जायगा और उसके साथ साथ यह तबका इस तरह से पिसा है कि वह दुःखी होकर क्रांति लाएगा, उससे देश में गलत बातें भी हो सकती हैं। इसलिए ये जो इन कौमों के लिए रियायतें हैं उन रियायतों को लागू किया जाय और जो आप खर्चा कर रहे हैं वह न के बराबर है। उसको आप बढ़ाकर उनका उत्थान कीजिए ताकि इनका स्तर ऊंचा हो।

तो मैं दोनों शिक्षा मन्त्री और समाज कल्याण मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मैंने जो मुद्दे रखे हैं उनकी तरफ पूरा ध्यान दिया जाय।

श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शिक्षा के मद में दो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और समाज कल्याण के सिलसिले में एक। पहले मैं शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा के प्रसार के हिसाब से राजस्थान में बहुत प्राइमरी स्कूल आपने पंचायत समितियों के माध्यम से खोले हैं लेकिन जहां तक उन स्कूलों का सवाल है, वहां के जितने अध्यापक हैं, अभी भी पूरे स्कूलों के अंदर आपके ट्रेन्ड टीचर्स नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ जिलों में ट्रेन्ड टीचर्स सरप्लस हैं-बैठे हैं। उनको नौकरी नहीं मिल पाती है, कुछ ऐसे जिले हैं, जहां ट्रेन्ड टीचर्स कम हैं। आप सभी जिलों से पंचायत समितियों, जिला परिषदों और एम्पलायमेंट एक्सचेंजेज के मारफत ट्रेन्ड टीचर्स की लिस्ट मंगवा लें कि कितने ट्रेन्ड टीचर्स बेकार बैठे हैं और वह लिस्ट आने से पहले आप उन जिलों के अंदर सरक्यूलर

(श्री खेतसिह)

भेजें जहां ट्रेन्ड टीचर्स की कमी है ताकि उन टीचर्स को एब्सार्ब किया जाय और यह समस्या हमेशा के लिए खतम की जाय। वरना यह हुआ है कि ट्रेन्ड टीचर्स स्थान स्थान पर घूमते हैं और यह कहते फिरते हैं कि हमें पहले ट्रेनिंग में भेजा और अब शिक्षा विभाग नौकरी में नहीं लेता है इससे सरकार की बदनामी होती है। जितने भी ट्रेन्ड टीचर्स हैं उनको एब्सार्ब करने का प्रयास कीजिए। आपको ट्रेनिंग मे भेजने के दो तरीके हैं। एक तो पंचायत समिति सिलेक्शन कमीशन बैठता है उसके माध्यम से सिलेक्शन होता है और दूसरा इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स सिलेक्शन करता है। आप दोनों के टारगेट्स मुकर्रर करें कि इन्सपैक्टर आफ स्कूल्स इतने टीचर्स को ट्रेनिंग में भेजेगा और उसी प्रकार से आप सिलेक्शन कमीशन को भी यह हिदायत दें कि इस वर्ष इतने टीचर्स को भेजें वरना होता क्या है कि इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ वेकन्सीज को देखकर उस आधार पर और कुछ उससे ज्यादा २५ प्रतिशत जोड़कर ट्रेनिंग में भेजता है और जब ट्रेनिंग समाप्त होती है तो दो साल की ट्रेनिंग लेकर अध्यापक सड़कों पर घूमते हैं, उससे बदनामी होती है दूसरी बात आपको जिले वार जितने भी प्राइमरी स्कूल्स है उनके अध्यापकों की सीनियोरिटी लिस्ट बनानी चाहिए। अभी बहुत कम जिलों में बनी है और काफी जिलों में नहीं बनी। इससे टीचर्स के अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है और उनकी सीनियोरिटी फिक्स न होने से उनके दिल में भविष्य के बारे में अनिश्चतता रहती है। इसलिए ज्यों ही टीचर हायर क्वालीफिकेशन प्राप्त कर लेता है मानलो कोई मैट्रिक पास प्राइवेट तौर पर बी. ए. हो जाता है तो उसके लिए कहीं न कहीं पदोन्नति का अवसर होना चाहिए ताकि आप एक प्राइमरी टीचर को मिडिल स्कूल में एब्सार्ब कर सकें। तो प्राथमिकता पहले पंचायत समिति के टीचर को जो क्वालीफाइड है और मिडिल स्कूल में जा सकता है, उनको सबसे पहले लेना चाहिए और डाइरेक्ट रिक्रूटमेंट आप बंद कर दें।

आप अभी करते क्या हैं? डाइरैक्ट रिक्रूटमैन्ट मिडिल स्कूलों में, टीचर्स की भर्ती करके आप भेज देते है और पंचायत समिति में उसी केडर और क्वालिफिकेशन के लोग बैठे हो तो उनको आप एब्जोर्ब नहीं करते हैं इसलिये टीचर्स में फ्रस्ट्रेशन रहता हैं। इसकी आप व्यवस्था कीजिये ताकि क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनको आगे बढने का मौका मिले।

यह भी कहना चाहता हूं कि अध्यापक वे बनते हैं जिनकी माली हालत अच्छी नहीं होती है। १० परसेन्ट से अधिक को आगे पढने की इजाजत नहीं दी जाती। पंचायत समितियों के बी. डी. ओज और डिपार्टमेन्ट को चाहिये कि कुछ इसका परसेन्टेज बढाये। मेरा यह निवेदन है कि २५ परसेन्ट टीचर्स को आगे पढ़ने के लिये व्यवस्था की जाये जिससे वे अध्यापक पढ सकें और अपना केरीयर बना सकें।

पंचायत समितियों के अलग अगेल स्कूल है उनके द्वारा पर्चे बनाये जाते हैं और

Page No.120

(श्री खेतसिंह)

पचें अलग अलग स्कूलों में भेजे जाते हैं। लेकिन प्रत्येक स्कूल के बच्चों की कापीज उसी स्कूल के अध्यापक ही जांचते हैं जो उनको पढ़ाते हैं। यदि एक कापी की जांच दूसरे स्कूल के अध्यापक से करायेंगे तो लड़कों के पढ़ने का स्टेन्डर्ड बढेगा, पक्षपात भी नहीं चलेगा और अध्यापक भी विशेष रूचि के साथ बच्चों को शिक्षा देंगे।

जयपुर से आये माननीय सदस्य ने कहा कि पंचायत समितियों के तहत स्कूल देने से स्टेन्डर्ड गिर गया है और रूरल और अरबन में एक सौतेला व्यवहार पैदा कर दिया है। मेरा इसके लिये यह निवेदन है कि यदि गांवों के स्कूलों को इन्स्पेटर आफ स्कूल्स के अधीन दे देंगे तो अभी जो शिक्षा का ढांचा है वह भी गिर जावेगा क्योंकि इन्स्पेक्टर्स जाकर चेक नहीं कर सकेंगे समय पर। अभी तो सरपंच वगैरा चेक कर सकते है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं। वास्ट एरिया है। पहले भी यह बात देखते थे कि जब सब-डिप्टी इन्स्पेक्टर्स थे तो दो-तीन महीने में इन्स्पेक्शन के लिये जा सकते थे और स्कूल के अध्यापकों को मालूम होता था कि वे कब आने वाले हैं। जब उनके आने का समय होता तो वे स्कूल को खोल देते हैं बाकी गायब रहते थे। सरपच हर वक्त गांव में रहता है और पंचायत समिति में शिकायत कर सकते है। पहले के बनिस्बत आज स्कूल के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वे अच्छे चल रहे हैं। बच्चों की तादाद भी बढ़ी है। समय पर अध्यापक स्कूल खोलते हैं और पढ़ाते हैं। इसलिये मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं। गांवों में पंचायत समितियों के द्वारा ही स्कूल चलाना अच्छा है।

जयपुर से आये माननीय सदस्य ने स्पोर्ट्स कौंसिल पर चार्ज लगाया। जब से स्पोर्ट्स कौंसिल बनी है उनके नतीजे देखिये। पहले कोई काम नहीं था। अब देखिये। पहलवानी में देख लीजिये, क्रिकेट में देख लीजिये और फुटबाल में देख लीजिये। हर दृष्टि से स्पोर्ट्स कौंसिल के माध्यम से कोचिंग रखा है उसमें बढोतरी हुई है और नतीजे अच्छे निकले हैं। मैं नहीं कहता कि आडिट ऑब्जेक्शन हो और उस पर कोई बात हो तो जो कार्यवाही होनी चाहिये वह की जाय। क्रिकेट के खिलाड़ी हनवन्त ने क्या नाम हासिल किया है, देखिये।

श्री मदनसिंह दांता : इन्दौर पढ़े हैं।

श्री खेतसिंह : आप जानते नहीं है। पुराने खिलाड़ी हैं।

श्री मदनसिंह दांता : मैं आपको भी सिखा सकता हूं।

श्री खेतसिंह : यह क्या सिखायेंगे ?

जयपुर से आये माननीय सदस्य ने एक चार्ज लगाया फिजिकल बिल्डिंग के लिये घोटाला हुआ। जब यह राव राजा साहब ने बिल्डिंग बेची थी उस समय उन्होंने एप्लीकेशन में साफ लिखा कि पी. डबल्यू. डी. के एस्टीमेट्स से बेचेगे। पी. डबल्यू डी. के

(श्री खेतसिंह)

एस्टीमेट्स के हिसाब से पैसा दिया। उसमें घोटाला दिखा नहीं और उनके पास फिगर्स आ गये कि बहुत बड़ी हवा बना कर गड़बड़ी हुई है। सात साल पुराना केस है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत शिक्षा मन्त्रीजी को निवेदन करना चाहता हूं कि पी. एस. पी. आप का ट्रेनिंग स्कूल है। उसमें ट्रेनिंग स्टाफ बढ़िया होना चाहिये। ताकि उसमें ट्रेनीज जायं वे वास्तव में कुछ सीख कर आयें। ट्रेनिंग के बाद भी अध्यापकों के स्टेन्डर्ड को देखते हैं तो जितना अच्छा होना चाहिये उतना नहीं है। इसकी व्यवस्था कीजिये। वोकेशनल ट्रेनिंग भी दीजिये। कुछ लड़के जैसे भी होते हैं जो व्यवसाय से ऊपर आते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग होगी तो बच्चों में अच्छी भावना पैदा होगी। कोरे क्लर्क्स पैदा करने से देश का उद्धार होना मुश्किल है।

साथ ही सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामीण स्कूलों को गर्मियों में बन्द कर देते हैं वह नहीं होना चाहिये। गर्मियों के दिन ऐसे है जिनमें बच्चे सबसे ज्यादा फ्री रहते हैं। प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों का समय बरसात में कर दें ताकि बच्चे माता पिता को फसल में मदद दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके स्कूल नहीं लगेंगे फिर ?

श्री खेतसिंह : ८ वर्ष का तजुर्बा है। हम स्कूलों को देखते रहते है। आप तो सरपच भी नहीं है। जिला प्रमुख हूं मैं, मुझे इसका अच्छा तजुर्बा है। जिला परिषद् की कान्फ्रेन्स हुई थी उसमें भी कहा गया था कि गर्मी में बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिये और बरसात में छुट्टियां होनी चाहिये।

युनिवर्सिटी के बारे मे कट मोशन दिया। जोधपुर विश्व विद्यालय के लिये निवेदन करना चाहता हूं। आपने सर्विसेज आदि में कटौती की है। विश्व विद्यालय का मैं कोई मेम्बर नहीं हूं। एक दो दफा वहां पर गया हूं। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार और वाइस चान्सलर के यहां के फर्नीचर को देखा तो इतना लेविश फर्नीचर है कि जैसा राष्ट्रपति भवन में भी नहीं है। यह वाहियात खर्चा है। इस प्रकार के खर्चे पर बन्दिश होनी चाहिये कि कितना खर्चा कर सकते है, और काफी कटौती करनी चाहिये।

जितने भी एपॉइन्टमेन्ट युनिवर्सिटी में होते हैं वे एक कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर होते हैं और बड़ा लेविश पेमेन्ट किया जाता है। हम चाहते हैं कि अच्छा स्टाफ देना चाहिये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस प्रकार इतने एलाउन्स दें कि घाटे का सामना करना पड़े। सरकार का इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिये।

अन्त में माननीय मदनसिंहजी ने एक किताब के सिलसिले में कहा था। इसके सम्बन्ध में 'बलिदान' अखबार के जो संपादक हैं श्री इन्द्रजी उन्होंने भी मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया था। उस पुस्तक में जो

(श्री खेतसिंह)

स्टेन्जा आया है वह भद्दे से भद्दा है और इस प्रकार का स्टेन्जा, कविता की पुस्तक में नहीं लेनी चाहिये कि जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़े ।

"मद पीयां पीये मजाक, करे जुल्म सैकड़ों ।
ठग बण्या ठाकरां, बुद्धि हुई हैकड़ां ।।"

जमीन का धणी कौन ? यह है या नहीं ? रात दिन पीके जुल्म करते हैं, दारु के नशे में धत्त रहते हैं और जो व्यभिचार करते हैं । 'ठाकर' शब्द आया है । ठाकुर शब्द स्पेशियेली एक क्लास के लिये आता है । और इससे सारी क्लास पर लांछन का सवाल आता है । प्री–इन्डिपेन्डेन्ट कुछ भी कहते रहे हों पर अब आजादी के बीस साल बाद इस तरह की कवितायें स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई जावें तो इसका बुरा प्रभाव उन पर भी और समाज पर भी पड़ता है, और खास तौर से मैं इस बारे में शिक्षा मन्त्री जी से शिकायत करूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : भूतपूर्व जागीरदारी ठिकानों में नवाबों में आते हैं वे खुद भी ।

श्री बरकतुल्ला खां : नवाब की कभी हैसियत नहीं रही थी ।

श्री भैरोंसिंह : आपके उप–शिक्षा मन्त्री तो खुद ठाकुर ही हैं ।

श्री खेतसिंह : तो स्कूलों और छोटी स्कूलों में इस तरह की कविता पुस्तकों में नहीं होनी चाहिये । समय गुजर गया । उस वक्त की यह बात थी । आज कहने से इसके कुछ माने नहीं रहते । सोसायटी में अच्छा नहीं लगता ।

अन्त में मेरा तीसरा कटौती प्रस्ताव समाज–शिक्षा से ताल्लुक रखता है । मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बालेश्वर में एक छात्रावास के लिये आपके भूतपूर्व समाज–कल्याण मन्त्री पधारे थे तो उन्होंने खोलने के लिये और सहायता देने के लिये आश्वासन दिया था । उनके साथ केन्द्रीय मन्त्री मन्त्री श्री जगजीवनराम जी भी पधारे हुए थे । दोनों ने फरमाया था कि हम छात्रावास की मन्जूरी देते हैं और उनके इस आश्वासन पर वहां के लोगों ने खुद के पैसे से प्रारम्भ कर दिया । उसे प्रारम्भ हुए १।। साल होने आया । तीन, साढ़े तीन हजार रुपया उन्होंने खर्च कर दिया । लड़के वहां आठवीं दसवीं तक के करीब ३२ अनुसूचित वर्ग के पढ़ रहे हैं पर अभी तक न तो उसे मान्यता ही दी है न सहायता ही । थर्ड केटेगरी में भी नहीं लिया । तो इससे लोगों में असन्तोष है और वे महसूस करते हैं कि क्या खास वजह है कि कहीं तो पांच–पांच खोल रखे हैं और कहीं पर एक भी नहीं है. और मिनिस्टरों के आश्वासनों के बावजूद भी नहीं मदद करते हैं तो शिकायत का एक बहुत बड़ा मौका लोगों को मिलता है । इसलिये मेरा निवेदन करना है कि इसको बहुत जल्दी से जल्दी मान्यता देकर पूर्ण छात्रावास डिक्लेअर करें और अगर पूरा नहीं कर सकें तो थर्ड केटेगरी में ही डिक्लेअर करके एड देने की कृपा करें ।

श्री रावतराम (छापर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटोती का प्रस्ताव समाज–कल्याण महकमे के सम्बन्ध में है ।

इस महकमे के लिये इस हाउस में पिछले दस सालों से हम लोग बराबर सरकार का ध्यान दिलाते आ रहे हैं । पर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेन्ट नहीं होगा कि जिसके साथ इस प्रकार की उपेक्षा बरती गई हो ।

बात ठीक हो सकती है अगर सरकार इसको जरूरी नहीं समझती हो । सरकार ने शायद अब यह समझ लिया है कि समाज का कल्याण तो हो ही गया । अब इस महकमे को खोलने की जरूरत क्या है ? यह तो नाम मात्र के लिये है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा निवेदन करूं सरकार से कि आज की क्या स्थिति है इस महकमे की और उससे शिड्यूल कास्ट के लिये शिड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिये कितना फायदा पहुंचाया जाता है । यह खास तौर से देखने की बात है ।

आज से पहले इसके कई मन्त्री बदले, किसी ने भी इसमें रुचि नहीं ली । अब नये मन्त्री आये हैं राव साहब मसूदा । जिनकी सामाजिक कामों में रूचि है और मैं उम्मीद करता हूं कि वे इस महकमे को सुधारने की कोशिश करेंगे और नहीं सुधारेंगे तो पिछले मन्त्रियों ने कुछ नहीं किया था तो उनकी श्रेणी में ही वे आ जावेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस महकमे के बजट के सिलसिले में थोड़ा बतलाना चाहता हूं । इसके बजट को तीन कैटेगरी में मानकर चलना चाहिये । एक राज्य योजना और दूसरी केन्द्रीय योजना और तीसरी नॉन प्लान योजना ।

इस राज्य योजना में ६६–६७ के बजट में कोई ३० लाख का प्रोवीजन था जिसमें से शिड्यूल कास्ट के लिये ६.४ लाख का प्रावधान रखा गया था । इनकी क्या एक्टीविटीज थीं, २० हजार छात्रवृत्तियां दी गई, २०० परिवारों को मकान की सहायता दी गई, १५ व्यक्तियों को सहकारी सुविधा कुटीर उद्योग के लिये दी गई ।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय योजना से जो पैसा आया वह था ५०.६८ लाख उसमें से शिड्यूल कास्ट को ७.१२ लाख मिला । ३८.५६ लाख रुपया अनुसूचित जन–जाति पर खर्च हुआ । मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसको क्यों मिला, और मेरी यह भी मंशा नहीं है, कि इसमें शिड्यूल कास्ट को नेग्लेक्ट करके शिड्यूल ट्राइब्स को ज्यादा लिफ्ट दी जाय । पर इतना जरूर कहूंगा कि कितनी बैकवर्डनेस शिड्यूल ट्राइब्स में है उससे ज्यादा शिड्यूल कास्ट में है ।

तो सरकार को विचार करना चाहिये । आज हम राजस्थान की पॉपूलेशन को देखें तो राजस्थान की जनसंख्या जहां शिड्यूल कास्ट की ३३.५६ लाख आती है वहां शिड्यूल ट्राइब्स की केवल २३.१० लाख ही है । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज जो भी राज्य की सेन्टर की या प्लान की स्कीम हैं उसमें यह फर्क जो रखा गया है इसको मन्त्री महोदय देखें ।

(श्री रावतराम)

इसके अलावा सेन्टर से जो रकम मिलती है उसमें आप स्कालरशिप देते हैं इसके अलावा नगरपालिका एरिया में जो महतर परिवार रहते हैं उनको मकान बनाने की सहायता देते हैं । इसके सिवाय और कुछ नहीं ।

इसके अलावा जो नॉन प्लान की योजना है उसमें आपने ४६.१२ लाख की व्यवस्था पिछले साल के बजट में की थी । उसमें आपने शिड्यूल कास्ट के लिये ८.३३ लाख खर्च किया है, और इस प्रकार ६७-६८ के बजट में राज्य योजना में १७ लाख का प्रावधान किया है । पिछली बार ३० लाख का था । इसमें शिड्यूल कास्ट को ७.७० लाख दिया है, और भौतिक लक्ष्य रखा है ११४०० स्टूडेन्ट्स को स्कालरशिप देने का, १७५ परिवारों को सहायता देने का, और २५ को कुटीर उद्योग के लिये सहायता देने का ।

इसी तरह से सेन्टर की स्कीम में आपने ५०.५ लाख का प्रावधान किया है जिसमें से ८.४८ लाख का प्रावधान शिड्यूल कास्ट के लिये रखा है । इसमें भी वही स्थिति है ।

इस तरह से नॉन प्लान योजना में ६६.५३ लाख रक्खा जिसमें आपने अनुसूचित जाति के लिये ३० लाख का प्रावधान रखा है जिनके लिये आप होस्टल चलाते हैं । संस्कार केन्द्र और प्रौढ़-शिक्षण केन्द्र चलाते हैं ।

इस प्रकार, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को देखने से मालूम पड़ता है कि हम मोटे तौर पर इतना समझ पाये हैं कि इस विभाग की रकम से केवल होस्टल चलाते हैं स्कालरशिप मिलती है और इसके अलावा मकान बनाने को थोड़ी सहायता मिलती है । वह भी मुश्किल से म्यूनिसिपल एरिया में । रूरल एरिया में कोई नहीं मिलती । यह बजट इस तरह चलता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन पर कितना खर्चा होता है ? जहां आपका इस पूरे साल का १२५.८० लाख का बजट है वहां १२ लाख एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होगा । इस तरह से २५ पर्सेन्ट अकेला एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा होता है तो आज इस एक कम्यूनिटी के उत्थान के लिये तरक्की और प्रोग्रेस के लिये हमने जिस विभाग को खोला है तो उसके लिये पहले तो हम बजट ही कम रखते हैं । उसके लिए हम बजट क्या रखते हैं, और उसके बाद में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के इतने हैवी एक्सपेन्डीचर होते हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं है । मैं निवेदन करूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इस बजट को ठीक ढंग से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ।

अब मैं थोड़ा सा इस संबंध में बताना चाहता हूं जैसा कि मेरे कटमोशनन्स में दिया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की शिक्षा के बारे में, पानी के बारे में, मकान के बारे में, क्या स्थिति है । उसके संबंध में, उपाध्यक्ष मदोदय, मैं आपके द्वारा

(श्री रावतराम)

निवेदन करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एजूकेशन के लिए इस महकमे की तरफ से जैसा कि मैंने अभी बताया होस्टल्स चलते हैं। होस्टल्स के अलावा स्कालरशिप भी मिलती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जितने भी छात्रावास चलते हैं उन छात्रावासों की हालत क्या है? हमने पिछले पांच-सात साल से लगातार कोशिश की है कि इसकी एक एडवाइजरी कमेटी हो लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। हम जो इन छात्रावासों पर रुपया खर्च करते हैं उनका सही उपयोग नहीं होता है। उन छात्रावासों में रहने वाले लड़कों के साथ न्याय नहीं होता, और उनके लिए जो भी पैसा मिलता है उतना खर्च नहीं होता है। आप किसी भी छात्रावास को देख सकते हैं, और उनमें रहने वाले लड़कों के रहन सहन को देख सकते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कभी भी इस बात के लिए तैयार हो जायें और किसी एक छात्रावास को राजस्थान में से चुन लें और वहां पर लड़कों के रहने की व्यवस्था को देखिये कि जब लड़के भोजन करने बैठते हैं उस समय जो उनको राशन दिया जाता है यदि वह राशन खाने के लायक हो तो तो आप मानना नहीं चाहें तो मैं आपको बताऊं ऐसा राशन देते हैं कि ऐसा सड़ा गला गेहूं तो पशु भी नहीं खाते हैं। आपका पैसा खर्च होता है और डिपार्टमेन्ट कभी देखता नहीं है कि क्या हो रहा है। कभी होस्टल की चेकिंग नहीं होती है। कभी एक सरकारी अफसर १२ या ६ महीने में जाता है और उसको सुपरिन्टेन्डेन्ट कुछ बताकर हवा कर देता है। तो जो सारे राजस्थान में होस्टल्स हैं उनकी यह दुर्दशा है। वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं, चारपाई की व्यवस्था नहीं, कपड़ों की व्यवस्था नहीं, किताबों की व्यवस्था नहीं, दवाइयों की व्यवस्था नहीं, समय पर आप उनको फेसिलिटीज़ नहीं दे सकते फिर कैसे उनका स्टेन्डर्ड बढ़ेगा और कैसे वह आगे बढ़ेंगे? आपका यह डिपार्टमेन्ट इतना सोया हुआ है, इतना सुस्त है आपका महकमा कि जिस मंत्री के जिम्मे यह होता है वह मंत्री भी इतना सोया हुआ रहता है कि उसको इतना समय नहीं मिलता कि थोड़ा समय निकाल कर इस महकमे की तरफ देखे। उसके लिए वह तो यह देखता है कि यह तो नाममात्र का महकमा है। तो मैं यह निवेदन करूं कि इस तरह से जो छात्रावास की व्यवस्था है उसको आपको ठीक करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि इसके अलावा आज जो शिड्यूल्ड कास्ट के स्टुडन्ट्स हैं उनको आज टेक्नीकल लाइन में डालने का आप प्रयत्न नहीं करते। उनके लिए आज आपके पास कोई योजना नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पर यह बताना चाहता हूं कि आपके जयपुर में मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज है, मेडिकल कालेज है, आपके जोधपुर में इन्जीनियरिंग कालेज है, बीकानेर में मेडिकल कालेज है। मैं यह जानना चाहूंगा जब आप रिप्लाई देंगे आप बतायें कि वहां पर शिड्यूल्ड कास्ट के लड़कों को पढ़ाने के लिए आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? आपके पास कोई

Page No.126

(श्री रावतराम

व्यवस्था नहीं है । आपके पास तो एक ही चीज है कि उस होस्टल में भर्ती हो जाओ । एक लड़का जो थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में पढ़ता है उसको आप कहां रखना चाहते हैं– उसको आप रखना चाहते हैं उस लड़के के साथ कि जो पांचवीं क्लास में पढ़ता है । छठी क्लास का जो लड़का पढ़ता है उनके साथ में एक ही कमरे में १० लड़के रखे हुए हैं । उनको किताबें नहीं मिलतीं, राशन नहीं मिलता और दूसरी किस्म की व्यवस्था नहीं होती तो कैसे इन्जीनियरिंग कालेज में वह अपनी पढ़ाई के स्टेन्डर्ड को मीट कर सकेगा ? मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जितने भी चार–पाच लड़के पढ़ते हैं सब जगह यह दुर्दशा होती है । मैंने पिछली बार भी डिपार्टमेन्ट का ध्यान दिलाया, लेकिन डिपार्टमेन्ट का एक ही कहना है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते । इनको तो भारत सरकार स्कालरशिप देती है, भारत सरकार ७५ रुपया देती है । जहां २०० रुपया खर्च है उसको आप ७५ रुपया देते हैं । एक गरीब का लड़का २०० रुपयों खर्च करके नहीं पढ़ सकता । मेरा एक सुझाव है जिसको आप मानें जिससे स्टुडेन्ट्स का बहुत भला होगा और आपको यह करना चाहिए कि जहां भी टेक्नीकल कालेज हैं, मेडीकल कालेज हैं, एग्रीकल्चर कालेज हैं या आपका ट्रेनिंग कालेज है उनमें आप कम से कम पांच या १० परसेन्ट सीट्स तो रिजर्व रखिये और उनका पूरा खर्चा देकर जो जनरल होस्टल्स हैं उनमें लड़कों का दाखिला कराकर दूसरे लड़कों के साथ उनको रहने दीजिए । इससे वह अपने पढ़ाई के स्टेन्डर्ड को मैन्टेन कर सकेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा ज्यादा समय दें तो मैं थोड़ा संक्षेप में कह दूं............

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज़ । आज ४।। बजे मुख बन्द का प्रयोग किया जायेगा और मंत्री महोदय को भी उत्तर देना है इसलिए ३।।। बजे मंत्री महोदय अपना उत्तर देना शुरू करेंगे तो मुश्किल से वह उत्तर ४।। बजे तक दे पायेंगे ।

श्री रावत राम : मैं जल्दी–जल्दी कह देता हूं । इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय........

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे दल को कुछ कम समय मिला है यदि आप उचित समझें तो ५ बजे यह मुख बन्द का उपयोग हो तो अधिक उचित रहेगा । हमारे दल में से केवल दो ही आदमी बोले हैं और फिर जो भी व्यवस्था आप उचित समझते हों करें ।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति है तो मुखबन्द का उपयोग ५ बजे किया जाये ?

सभी माननीय सदस्य : हां, हां ।

श्री रावतराम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं स्कालरशिप के बारे में बता

(श्री रावतराम)

रहा था कि आज उन लड़कों की एप्लीकेशन्स रिजेक्ट हो जाती हैं और कहते है कि नहीं यह हमारा काम नहीं है। यह तो एजूकेशन डिपार्टमेन्ट है वहां एप्लाई करो। आपने चाहे किसी को भी सौंप दिया लेकिन आपका फर्ज है कि जो लड़के हायर सेकेन्डरी और कालेज में पढ़ते हैं उनको कम से कम स्कालरशिप तो मिलनी ही चाहिए। आज बहुत से लड़के स्कालरशिप से वंचित रह जाते हैं। आप देखेंगे कि हजारों लड़कों की एप्लीकेशन्स बेकार जाती है और उनको स्कालरशिप नहीं मिलती।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से यह डिपार्टमेन्ट कुछ वालन्टरी एजेन्सिज़ के जरिये सहायता उनको देता है जो कि होस्टल चलाती हैं और इस बजट में ६ लाख का प्रावीजन रखा है। आज वह वालन्टरी एजेन्सीज़ चलायें इसमें एतराज नहीं हैं। कोई भी सेवा भावना से एजेन्सी काम करती है समाज सुधार का तो वह उसको करना चाहिए लेकिन हालत क्या है वह हम नहीं देखते कि किस तरह से भर्ती किये जाते हैं....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट का समय तो दे ही दीजिए। जब आपने टाइम बढ़ा ही दिया तो क्या है मुझे थोड़ा और बोलने दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : ४॥ बजे तो मंत्री महोदय उत्तर देना शुरू करेंगे।

श्री विजयसिंह रावत : स्वतंत्र पार्टी का समय भी बाकी है।

श्री दौलतराम सारण : हमारी पार्टी के मुख्य सदस्य हैं इसलिए इनको बोलने दिया जायें।

श्री उपाध्यक्ष : इसलिए २० मिनट के हिसाब से जो समय दिया है उसी के भीतर आपका भाषण समाप्त हो जाये ऐसा सोच रहा हूं।

श्री रावतराम : इसी तरह से माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पानी का सवाल है। आज पीने का पानी नहीं है। रूरल एरिया में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ है लेकिन आज डिपार्टमेन्ट से उनको कुओं के लिए क्या मिलता है? आज एक कुआं बनाने के लिए डिपार्टमेन्ट २५०० रुपया देता है। तो आप देखिये कि बीकानेर, नागौर जो डेजर्ट एरिया हैं वहां पर एक कुआं १५,००० रुपये में बनता है और वहां पर आप २५०० रुपयों की धनराशि देकर यह समझते है कि वहां पर कुआं बन जाये तो यह असम्भव है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो २५०० रुपये के अनुदान की रोक लगा रखी है उसको आप बढ़ायें और डेजर्ट एरिया में कम से कम ५००० रुपये की धनराशि हरिजन वैल्स के लिए देना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय जहां बिजली गई है, जहां आपकी वाटर

(श्री रावतराम)

वर्क्स स्कीम बनी है, चाहे वह रूरल में हो या अर्बन में, वहां खास तौर से आपको चाहिए कि जिन म्यूनिसिपल एरिया में वाटर सप्लाई स्कीम बनी है, वहां जहां हरिजनों के मोहल्ले हैं कम से कम उनको प्रॉयोरिटी देना चाहिए कि उनके मोहल्ले में नल पहले जाने चाहिए । लेकिन आपने कुछ नहीं किया अब माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने बजट में जिक्र किया है कि हम अब प्रॉयोरिटी देंगे तो १५ साल के बाद में अब बात समझ में आई है कि हम प्रॉयोरिटी देंगे लेकिन इस प्रॉयोरिटी में भी मुझे गड़बड़ा नजर आती है....

इसी तरह से आवास का प्रॉब्लम है । आवास के बारे में मैं कहना चाहता हूं । समाज-कल्याण विभाग मकानों को बनाने के लिये हरिजनों को सहायता देता है । उसकी हालत क्या है ? एक डिसीजन ले लिया कि म्यूनिसिपल एरिया में चाहे स्वीपर हो उसको सबसिडी नहीं देते हैं । और जातियां जो शिड्यूल्ड कास्ट में आते है उनका तो समाज-कल्याण हो गया उनके लिये तो हाउस की प्रॉब्लम नहीं रही । स्वीपर्स के अलावा और किसी को सबसिडी नहीं देते । रूरल एरिया में यह आपका हाल है । जो समाजवादी सरकार, जो समाजवाद का नारा लगाती है, जो गरीबों को ऊंचा उठाने का नारा लगाती है, उनके लिये रोजी-रोटी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उनके लिये क्या प्रोवीजन है ? सारा बजट में कोटा कट गया। शहर में आप महतरों के सिवाय किसी को अनुदान देते नहीं । गांवों के लिए पैसा है नहीं । आज शहरों में मकान बनाने के लिये आप लोगों का पचास हजार से लाख-लाख रुपये तक देते है, डिपार्टमेन्ट उसकी सिक्योरिटी देता है । गांवों मे हरिजन है जो लोन लेने के लिये तैयार है । वह भी अपना मकान बनाना चाहता है, लेकिन उसके लिए लोन की व्यवस्था नहीं । पचासों हजार रुपया आप दूसरी जगह खर्च कर देते है यह आपकी समाजवादी सरकार है । गरीब हरिजन को ऊंचा उठाने के लिये समाज-कल्याण विभाग महकमे को काम करना चाहिये ।

इसके अलावा म्यूनिसिपल एरिया में बीस बीस साल से जो बैठे हुए है उनका कब्जा हुआ जाता है । पट्टा लेना है तो सवा रुपया जमा करके ले सकता है । सवा रुपये में १२० वर्ग गज का टुकड़ा मिलता है जिसमें उसकी फेमिली नहीं रह सकती । आपको इस बात का डिसीजन लेना चाहिये कि जिनका दस साल से कब्जा है उनको रियायती दर पर पट्टा देना चाहिये । पन्द्रह साल हो गये लेकिन यह प्रॉब्लम दूर नहीं हुई । बीस-बीस साल से जो नगरों में बैठे हुए है उनको पट्टा नहीं दे रहे हैं । माननीय स्वायत्त शासन मंत्री को इस संबंध में विचार करना चाहिये म्यूनिसिपल एरिया में जहाँ २५ हजार से ऊपर की म्यूनिसिपैलिटी है, जहां लीज सिस्टम है वहां पट्टा सिस्टम हो । इस तरह का डिसीजन लेना चाहिये । वह भी रियायती दर पर करना चाहिये ताकि यह प्रॉब्लम हमेशा के लिये हल हो जाय ।

(श्री रावतराम)

उपाध्यक्ष महोदय, सरविस के मामले में में यह स्थिति है आज हम देखते है कि अलग अलग विभागों में स्थान रिक्त होते है उन स्थानों की पूर्ति के लिये इनको प्रॉयोरिटी नहीं मिलती । आज यह मानकर चलिये ग्रेजुएट, मैट्रिक, पोस्ट–ग्रेजुएट विद्यार्थी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मारे मारे फिरते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है । आपने नियम तो बना दिया उन नियम का पालन भी होता है या नहीं इससे आपको मतलब नहीं । आप राजस्थान के अलग–अलग विभागों का सर्वे कराइये जितनी वेकेन्सीज निकलती है उनमें से कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दी गई । इसका कोई रेकार्ड नहीं । मंत्री महोदय को इसके लिए कमीशन नियुक्त करना चाहिये जो इस बात की जांच करे अमुक साल में कितनी भरती हुई और उनमें से कितने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को लिया गया । अगर आप उन लोगों का कोटा नहीं भरते हैं तो यह उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, कई स्टेट्स में जैसे पंजाब और दूसरे राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन में एक शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर बैठता है । लेकिन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में आप शिड्यूल्ड कास्ट के मेम्बर को बिठाने के लिये तैयार नहीं । अगर आप बिठा देते है तो वह उनके हितों की रक्षा करेगा, सर्विस की देखभाल करेगा । क्यों नहीं आप एक मेम्बर बढ़ाते ? इससे राज्य–कोष में कोई घाटा होने वाला नहीं इससे इस क्लास की इज्जत बढ़ेगी उनके हितों की सुरक्षा होगी । इसलिये मैं निवेदन करता हूं इस पॉइन्ट पर सरकार को सोचना चाहिये ।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह बात कहते हुए लज्जा आती हैं । हम एक तरफ कहते हैं कि हमारा शिड्यूल्ड कास्ट का एक मैम्बर पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठना चाहिये । पुलिस में आज जितने भी अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारी हैं, सब–इन्स्पेक्टर्स है वे सब पुलिस लाइन में पड़े हुए हैं । किसी को किसी थाने का इन्चार्ज नहीं बनाया । शिड्यूल्ड कास्ट का अगर थानेदार बना देते हैं तो सरकार को यह सोचना है कि वहां के लोग इनसे घृणा करेंगे यह तो हरिजन थानेदार है इसको कैसे माने ? मैं इस सदन के शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हमें हमारी इन समस्याओं पर विचार करना चाहिये और सरकार पर इस बात का प्रेशर डालना चाहिये कि इन जाति के लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिये । सर्विस क्लास में पक्षपात होता है तो हम बरदाश्त नहीं करेंगे ।

अन्त में मैं एक बात कहकर बैठ जाता हूं कि नगरपालिकाओं में जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो मैला उठाने वाले

(श्री रावतराम)

स्वीपर हैं, उनको नौकरी देते हैं, लेकिन वह स्थायी नहीं होती है । जो चेयरमैन आता है, उसके साथ साथ नौकर भी बदल दिये जाते हैं। उसकी जगह दूसरे भर लिये जाते हैं। आज इस युग में स्वायत्त शासन मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा आपको इस पर विचार करना चाहिये । हमें शर्म आनी चाहिये चतुर्थ क्लास के जो नौकर हैं, जो वर्षों से नौकर है और मैला उठाते हैं, वे आज भी स्थायी नहीं बनाये गये हैं। कोई भी चेयरमैन आये उनका स्वीपर्स से क्या संबंध ? वे तो स्थायी होने चाहिये और राजस्थान सर्विस रूल्स के मातहत उनको फेसिलिटीज मिलनी चाहिये ।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों को जो धनराशि दी जाती है उसका सही उपयोग होता है या नहीं, रकमें लैप्स तक हो जाती हैं। आप हर रकम को खर्च करने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह मकराना !

श्री विजयसिंह (मकराना) :

उपाध्यक्ष महोदय, 'आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करता है जीना है बरसों' । आज आग लगती है तो उसके छः महिने के बाद में बुझाने का ऑर्डर आता है । जहां तक प्रशासन का सवाल है, एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है स्कूलों के अन्दर शुरूआत से ही एडमिनिस्ट्रेशन सिखाना चाहिये । जिस चीज को सिखाया नहीं जाता तो उसमें गलतियां होती हैं । किस चीज में क्या डिफेक्ट हैं उसकी जानकारी कर लेनी चाहिये । मकराना हायर सैकेन्डरी स्कूल के प्रशासन में क्या गलतियां हो रही हैं और प्रशासनिक डिले। जो हो रहा है उसके बारे में दो बातें अर्ज करना चाहता हूं ।

(४ म० प०)

ऐसी बात है कि मकराने के अन्दर जनता बराबर स्कूलों के अन्दर हस्तक्षेप करती है । जैसे स्कूलों में जब परीक्षाएं होती हैं तब हर व्यक्ति यह चाहता है कि मेरा लड़का पास हो । पास होने के लिए मास्टर पर दबाव देते हैं, और दबाव देकर इस तरह का कार्य करते हैं । यह कार्य कोई दफा कर चुके हैं, और करते आए हैं । इस लिए उनका यह साहस बढ़ गया है । मास्टर लोग कुछ करें तो पब्लिक वाले उनको धमकियां देते हैं, उनको जूता देने को तैयार हो जाते हैं, और उनको कई प्रकार की धमकियां देकर उनको कुछ करने नहीं देते। जब मास्टर कोई कदम उठाते हैं तो शिक्षा विभाग को लिखते हैं, और शिक्षा विभाग जब इम्तिहान पूरे हो जाते हैं, उसका नतीजा निकल जाता है तो उसके बाद में कोई ऑर्डर

(श्री विजयसिंह मकराना)

भेजते हैं। वह पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस जिस प्रकार की हमारी आज है. वह तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वह तो कानों में तेल डाले बैठे हैं, वह कुछ कर नहीं पाते। पब्लिक कहीं पर भी कुछ भी बोलती है अथवा कुछ भी करती है, तो भी पुलिस वाले भ्रष्टाचार वश कुछ बोलते नहीं है, पब्लिक के विरुद्ध वे कुछ भी काम करते नहीं है। तो यह जो एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है पब्लिक को स्कूल के अन्दर जाकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जहां तक मिनिस्टरों का सवाल है, मिनिस्टर पब्लिक को रोक नहीं पाते। इसका कारण यह है कि उनको वोटों की गरज रहती है। वोटों की गरज के नाते अगर हम देश के प्रशासन को खराब करते हैं तो यह एक बड़ी शर्म की बात है। स्कूल के बच्चों को जो अनुशासन सिखाना चाहिए वह इसलिए नहीं सिखा पाते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऊपर के अधिकारी तो उनके खिलाफ कुछ करने वाले नहीं है। मिनिस्टर महोदय मदद कर देंगे और आज तो प्रशासन इतना ढीला हो गया है कि लड़के स्कूल के मास्टरों के सामने बीड़ियां पीते हैं और अगर मास्टर कदम उठाते हैं तो उनको धमकियां देते हैं और मास्टर कुछ नहीं कर पाते। क्या करें? जो मास्टर, हैड मास्टर कुछ करते हैं और अगर मंत्रियों को कहते हैं तो मंत्री लोग उनकी सुनते नहीं हैं। मन्त्री लोग इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि उनको वोटों की गरज होती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बोरावड़ के हैडमास्टर को सरपंच ने कहा कि इन दो लड़कों को पास कर दो लेकिन जब हैडमास्टर ने उनको पास नहीं किया तो बोरावड़ के हैडमास्टर को उस सरपंच द्वारा पीटा गया और हमारे मन्त्री महोदय ने उसको भी दबा दिया, उसका कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस तरह की हालत स्कूलों की होगी तो यह एक अच्छी चीज नहीं होगी, इसके लिए मैंने आपके सामने एक घटना को अर्ज कर दिया। इस तरह से अगर लड़के पढ़ेंगे और स्कूलों के मास्टर और हैडमास्टर कुछ कर नहीं पायेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन और ढीला हो जाएगा। अगर वे सख्ती करते हैं, लड़कों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं लड़कों के प्रति कड़ा कदम उठाते हैं तो पब्लिक मिनिस्टरों के साथ मिल करके उनके खिलाफ मास्टरों का तबादला करा देती है, उनके खिलाफ मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कई शब्द मुझे आते नहीं हैं नया होने के नाते। उनके खिलाफ पब्लिक के कहने से एक्शन लेते हैं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं उपाध्यक्षजी, कि मिनिस्टरों को चाहिए कि जहां एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल हो, वहां चाहे कोई भी पब्लिक का व्यक्ति हो, उसके अन्दर हस्तक्षेप न करे और स्कूलों के अन्दर मास्टर लोग शिक्षा देते हैं उस समय कोई लड़का इस प्रकार आता भी नहीं है और अपने रौब से हाजरियां दर्ज करवा लेते हैं। तो इस तरह की बातें स्कूलों के अन्दर पैदा होती है और जब बच्चों को इस तरह से पढ़ाई होगी तो वे आगे क्या कार्य करेंगे।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी को यह

(श्री विजयसिंह मकराना)

चाहिए कि जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल आए वे इस प्रकार का फेवरेबल एटीट्यूड न अपनाएं। इसके अलावा उपाध्यक्षजी, जिस समय आप डिप्टी मिनिस्टर थे एजूकेशन के, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ही के गांव में स्कूल भवन का निर्माण हुआ था और वह स्कूल भवन बनने के दो साल बाद ही गिर गया। इसका कारण यह था कि यह देखा नहीं गया कि काम ठीक तरह से किया गया है या नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके कर्मतन्त्र का जहां तक सवाल है, आपकी ईमानदारी का जहां तक सवाल है मुझे कोई संदेह नहीं है परन्तु जिस स्कूल को ठेकेदार ने बनाया था, जिसने ऐसा कार्य किया था उसके खिलाफ आपने क्यों नहीं कदम उठाया। अगर उसके खिलाफ कोई कदम उठाया होता तो यह दशा हमारे स्कूलों की नहीं होती और इस प्रकार के भवन निर्माण में अनियमितता नहीं होती। इसलिए मैं आपसे उपाध्यक्ष महोदय इतना ही निवेदन करता हूं कि ऐसे जो मामले आते हैं उनमें मिनिस्टरों को कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। बाकी मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, और भी कई बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजयसिंह रावत

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आंखों को तो आकर्षित कर नहीं सकते, कानों तक तो बात पहुंचा सकते हैं कि हम भी बोलना चाहते हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलीय सदस्यों को तो मौका ही नहीं मिला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण करें।

श्री विजयसिंह रावत (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, हमारी शिक्षा जो कि एक डिफेक्टिव स्तर पर रही है उसके कारण भी, इस सदन के अन्दर अच्छी तरह से बहुत से आने वाले सदस्यों ने बताये हैं। इसके ऊपर मैं अधिक नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मेरे स्वयं के अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा का माध्यम है, जो शिक्षा का स्तर है जो सिस्टम है वह बिल्कुल गलत है और गलत होने के कारण आज जितनी भी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, इन चीजों के अन्दर बेकारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अनियमिततायें ये सारी चीजें पनपती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खुद का अनुभव है कि इंग्लैंड के अन्दर जो कि एक छोटा सा देश है वहां पर जो शिक्षा की पद्धति है, जो शिक्षा का सिस्टम है वह अपने देश से कतई भिन्न है। मैं आपको इसके लिए याद दिलाना चाहूंगा कि वहां पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में और टीचर्स के बीच में इतने घनिष्ठ सम्बन्ध हैं कि उनके रिलेशन्स औनरेबल हैं। लेकिन वह चीज हमारे यहां पर नहीं है। इसका मेन कारण जैसा कि मैंने-

(श्री विजयसिंह रावत)

सिंहजी ने कहा था. हमारे प्रशासक और मंत्रीगण हैं। आज मंत्रीगण जहां पर भी जाते हैं, वहां पर उनके लिए स्टूडेंट्स नाच करके और वह भी छात्रायें नाच करके उनको रिझाते हैं। यह गलत परम्परा है, इसके अलावा मैं आपको दूसरी बात यह कहूंगा....

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, नृत्य करके मंत्रियों को रिझाते नहीं हैं, बल्कि उनका स्वागत करते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : मेरी यह धारणा है हालांकि........

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ) : वे तो स्वागत ही करते हैं लेकिन मिनिस्टर लोग रीझते हैं।

श्री विजयसिंह रावत : ....यह नृत्य इस तरह से अर्थहीन है। वह नृत्यकला किसी तथ्य को लेकर हो। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे जो विद्यालय हैं, विश्व विद्यालय हैं उनके अन्दर जिस तरह से वे यूनिफार्म चेंज करके आते हैं वह एक खेदजनक विषय है। मेरा भी इस बारे में जहां तक अनुभव है इंग्लैंड के अन्दर जो इतनी फार्वर्ड कण्ट्री है, वहां के स्टूडेंट्स भी एक यूनिफार्म में आते हैं। वहां की छात्रायें जो कि १६ वर्ष से कम उम्र की होती हैं या ऊपर की होती हैं कभी लिपस्टिक यूज नहीं करतीं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सदन के सारे माननीय सदस्य जानते हैं कि काश्मीर सरकार ने इस ओर कदम उठाया है और एक अच्छा, ऊंचा कदम उठाया है कि यह जितने भी तग कपड़े पहनने की पद्धति है जिससे अगर किसी छात्रा की किताब गिर जाय रास्ते में तो वह उसे भी उठाने में असमर्थ होती हैं, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि चाहे छात्र हों चाहे छात्रायें हों, एक शिष्टाचार को, एक सदाचार को कायम रखने के लिए स्कूल की यूनिफार्म उनके लिए होनी चाहिए और वह यूनिफार्म एक सिस्टम के आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए इस एजूकेशन के सिस्टम को चेंज करने के लिए सुझाव देना चाहता हूं।

आज हमारे देश की स्थिति यह है कि लड़के पढ़ते जाते हैं और बेकार होते जाते हैं, तो उपाध्यक्ष महोदय, जिसका एक सबसे बड़ा डिफेक्टिव कारण यह है कि हमारी शिक्षा के अन्दर जो टेक्निकल स्टूडेंट्स आते हैं वे कम हैं और इस टेक्निकल एजूकेशन को लागू करने के लिए सरकार को कड़ाई से कदम उठाना चाहिए न कि आर्ट्स और कामर्स के अन्दर स्टूडेंट्स पास करके और एस. टी. सी. पास करके हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स पड़े रहते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं हो सकता है। इसके साथ-साथ जो स्टूडेन्ट्स के अन्दर एजीटेशन है उस एजीटेशन को सरकार किस हद तक मान्यता देती है यह मैं नहीं कहता, लेकिन सरकार को इसका मूल कारण मालूम करना चाहिए कि एजीटेशन स्टूडेंट्स क्यों करते हैं।

इसके अलावा जैसा कि पहले माननीय सदस्य बोल चुके हैं उन्होंने उदयपुर के बारे

(श्री विजयसिंह रावत)

में फर्माया था कि आज पर्सेन्टेज के हिसाब से लें तो हो सकता है कि राजनैतिक कारण हों, हो सकता है कि भाईचारे का कारण हो उदयपुर डिविजन ही एक ऐसा डिविजन है, जिसके अन्दर सबसे ज्यादा पैसा इस शिक्षा के अन्दर खर्च होता है। उसके साथ साथ मैं नसीराबाद की याद दिलाना चाहता हूं कि नसीराबाद इस राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत के अन्दर एक महत्वपूर्ण स्थान है और कस्बा है। जहां कि दो ब्रिग्रेड का अकोमोडेशन है और जहां की पोपुलेशन ३० हजार की है। ऐसे स्थान में पहले एक प्राइवेट कालेज चलता था, लेकिन राजस्थान सरकार ने १९५९ के अन्दर उस कालेज का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिया और इस आश्वासन पर लिया कि इस कालेज को फुलफ्लेज्ड कालेज बना देंगे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज नसीराबाद के अन्दर ४ हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं। दो हायर सैकन्डरी स्कूल्स गर्ल्स के हैं और उसकी सीमा के अन्दर कम से कम ८-९ हायर सैकन्डरी स्कूल्स हैं, ऐसे कस्बे के अन्दर आज राजस्थान सरकार कालेज खोलने के लिए मौन है। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं मोहनलालजी सुखाड़िया वहां पर कूद जाते हैं, और वहां पर मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार भी आये थे और यहां तक कि भारत की प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने डिक्लेयर किया था कि कौल साहब एक नेक आदमी हैं और कौल साहब को जिताने के लिए वोट देंगे तो फुलफ्लैज्ड डिग्री कालेज खोल देंगे। इस तरह का आश्वासन देते हैं। ताज्जुब है कि इस बात को लेकर शिक्षा मंत्रीजी के पास जब मैं गया तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरे पास में धन नहीं है। मुख्य मंत्री कहते हैं कि मेरे पास में धन का अभाव है। अगर आपका यह मानना है कि सरकार के पास में शिक्षा की मद के अन्दर धन का अभाव है तो चुनाव के दौरान के अन्दर डिक्लेरेशन क्यों देते हैं। इसके अलावा हर साल १९५९ के बाद नसीराबाद के नागरिकों ने कम से कम प्रत्येक साल ३०-३० एप्लीकशन्स दी हैं और हर एप्लीकेशन देने के बाद हर एप्लीकेशन के रिप्लाई के अन्दर राजस्थान सरकार ने नागरिकों को यह कहा है कि इस सैशन में नहीं दूसरे में खोलेंगे, दूसरे में नहीं तीसरे में खोलेंगे। मेरे खयाल से १९७२ का चुनाव भी इसी तरह से आजायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि नसीराबाद के नागरिकों ने जो कि गरीब हैं और ठेला चला चला कर रुपया रोज पैदा करते हैं उन नागरिकों ने अपनी बचत में से पैसा बचाकर २७५० रु० की बिल्डिंग बनाई और फर्नीचर वगैरह मिलाकर साढ़े तीन, पौने चार हजार की बिल्डिंग इस राजस्थान सरकार को यह आशा लेकर सौंपी थी कि हमारे यहां डिग्री कालेज खोला जायगा, लेकिन वहां पर जनता का इतना पैसा खर्च कराने के बाद बिल्डिंग होने के बाद भी, इस राजस्थान सरकार ने नसीराबाद के साथ में जो सौतेला व्यवहार किया है वह एक कुठारा घात है कि वहां पर जो कालेज चलती थी जिसका नाम व्यापारिक इन्टर कालेज था उसको हटाकर राजस्थान सरकार ने आज व्यापारिक हायर सकन्डी स्कूल कर दिया।

(श्री विजयसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा आज नसीराबाद जबकि राजस्थान का सिक्योरिटी के लिहाज से प्रथम सुरक्षा स्टेशन है वहां पर दो-दो ब्रिग्रेड हैं और वहां पर जनरल और कर्नल जो बड़ी उम्र के आफिसर होते हैं उनके लड़के लड़की आते हैं उनके लिए पढ़ाई का इन्तजाम नहीं है। आज आप यह सुनकर ताज्जुब करेंगे कि थोड़े दिनों की बात है कि वहां की जो छात्राएं हैं उनके साथ में ऐसी घटना घटी है कि नसीराबाद से वे लोग अजमेर आते हैं और अजमेर से वापिस जाने के लिए एकमात्र साधन है तो बस का है और अगर बस में नहीं आते हैं तो ग्रद्ध से आते हैं लेकिन इस बीच में जो गैप मिलता है उस गैप के अन्दर जो कारनामे और जो अनियमितताएं उन्होंने बरती हैं जिसके कारण आज जो हैं अजमेर एस० पी० के पास उसकी फाइल है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कहने का मेरा मतलव यह है कि इस कारण से आज छात्राएं अपने चरित्र को खो बैठती हैं। स्टूडेन्ट्स अपने चरित्र को खो बैठते हैं तो इसकी जिम्मेदार यह राजस्थान सरकार है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर राजस्थान सरकार यह कहती है कि वहां के नागरिक पैसा इक्ट्ठा करके बिल्डिंग दें, फर्नीचर दें तो हम वहां खोल देंगे। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आज अगर राजस्थान सरकार यह कहकर चले कि कमिटमेंट केन्द्र का है तो क्या राजस्थान सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि केन्द्रीय सरकार को कम्पेल करें कि वहां पर डिग्री कालेज होना चाहिए ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अन्त में एक और बात बताना चाहता हूं कि पहले सेशन के अन्दर यहां पर विधान सभा के अन्दर जैसा कि मैंने अखबारों के अन्दर पढ़ा था कि स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जिनको मैं इस भारत के जितने भी नेता हैं उनमें सर्व श्रेष्ठ समझता हूं जिनका नाम इन्दिराजी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं को लेने में नीचापन दिखता होगा, लेकिन मेरे लिये वे सबसे अधिक माननीय हैं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो अजमेर का मेयो कालेज बन्द नहीं किया गया। उस प्रश्न को लेकर इस सदन में बहुत बोलचाल हुई थी, तो मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने जो आश्वासन दिया था, उस वक्त मुख्य मन्त्रीजी ने आश्वासन दिया था कि इसकी जांच करवाकर इसकी रिपोर्ट सदन के अन्दर पेश करूंगा लेकिन आज तक वह रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई तो मैं यह जानना चाहूंगा कि उस प्रिन्सीपल के खिलाफ और उसके स्टाफ के खिलाफ राजस्थान सरकार ने क्या कारगर कदम उठाये हैं ? क्या डिसीप्लिनरी एक्शन लिया ?

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं यह कहूंगा कि शिक्षा के अन्दर हमारी हालत गिरती जा रही है। उसके एक-दो मामले और भी हैं जैसे कि किताबें। किताबों में सरकार क्या करती है कि जैसा वे समझते हैं वैसे ही किताबें बदल देते हैं और हर वक्त किताब बदलने से क्या होता है कि स्टूडेन्ट्स टाइम

(श्री विजयसिंह रावत)

पर किताबें खरीद नहीं पाते हैं और क्लासेज शुरू हो जाती हैं। किताबें एवेलेबल नहीं होती हैं। तो यह सब बातें राजस्थान सरकार को देखने की है, लेकिन हमारे भैरोंसिंहजी ने कहा था कि यह तालमेल मन्त्री और प्रशासन के अन्दर जो कर्मचारी हैं, उनके अन्दर नहीं बैठता है। उनके आपस की लड़ाई इस प्रदेश के शिक्षकों और यहां के छात्र और छात्राओं का भविष्य गिरता जा रहा है लेकिन साथ ही साथ यह भी याद रखना है कि किसी भी देश की बढोतरी, किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश का उद्भव उस देश के शिक्षकों उस देश के छात्र-छात्राओं पर निर्भर है। और इस बात को मानकर अगर चलें तो मेरा यह सुझाव है कि अपना जो एज्यूकेशन का सिस्टम है उसके अन्दर टैक्नीकल सिस्टम है उसको ज्यादा प्रमुखता देकर चलाया जाय। दूसरा, स्टूडेन्ट्स के लिए डिसिप्लिन में रहने के लिए उनके स्कूलों के अन्दर जाने की युनिफार्म एक सी हो और ऐसी हो जिसमें शिष्टाचार और सदाचार की झलक हो न कि अशिष्टता और असदाचार की हो। इस प्रकार की ये चीजें हैं। शहरों में कालेजों के अन्दर जो प्रोफेसर और टीचर्स वगैरह हैं वे लोग, आज कल यह देखने में आता है कि स्टूडेन्ट्स के बीच में जिनके द्वारा हम भारत का निर्माण करवाना चाहते हैं और जो उसके निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों के सामने सिगरेट पीते हैं। जबकि सिनेमा के अन्दर सिगरेट पीने की इजाजत नहीं है, लेकिन कालेज के प्रोफेसर पढ़ाते हुए अगर सिगरेट कालेज के स्टूडेन्ट्स के सामने पियें या कालेज के स्टूडेन्ट्स के साथ में सिनेमा जाय और कालेज के स्टूडेन्ट्स के सामने दूसरे और कामों में जायें तो किस तरह से यह समस्या हल हो सकती है? जिस तरह से स्टूडेन्ट्स उनको गुरु समझकर चलेंगे जैसे कि पुराने जमाने में चलते थे? इन सभी प्रकार की बातों को लेते हुए मैं राजस्थान सरकार के शिक्षा मन्त्री को यह निवेदन करूंगा कि नसीराबाद के अन्दर जितना जल्दी हो सके जैसा कि उन्होंने प्राइवेट तौर पर कहा है ....

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने कोई प्राइवेट एश्योरेन्स नहीं दिया।

श्री विजयसिंह रावत : .. जल्दी से जल्दी पूरा करने को तैयार हों।

श्री मदनसिंह : आपने आफिशियली तो कह दिया।

श्री विजयसिंह रावत : आपने यह कहा है कि मैं केन्द्रीय सरकार के पास जाऊंगा और यह केस रखूंगा कि राजस्थान बैंस के कमाण्डर ने मत्री को एक लैटर दिया है जिसके एक एक शब्द के अन्दर जो तथ्य हैं, सत्य हैं उनको अगर भूलकर चलेंगे तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधीचन्द!

श्री मूलचन्द डागा : नहीं हैं साहब!

श्री उपाध्यक्ष : श्री जय नारायण सालोदिया। (व्यवधान) आर्डर प्लीज!

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आपसे दस मिनट चाहता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : सालोदिया जी भी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : समय के अभाव में बहुत सारे माननीय सदस्य नाराज हो सकते हैं लेकिन यदि लिस्ट के अनुसार नाम न पुकारे जायं तो विप्स भी नाराज हो सकते हैं। जो विप्स से लिस्ट मांगी जाती है उसके अनुसार हो नाम पुकारते हैं। आपका नाम उसमें नहीं है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, निर्दलियों के नाम कौन देगा ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे एतराज नहीं है, पांच बजे तक समय चाहें तो मन्त्री महोदय से इनसे और प्रार्थना कर लें। (व्यवधान) आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आसन की यह इच्छा है कि जो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा उनके बारे में सरकार की तरफ से उत्तर मिल सके। यदि माननीय सदस्यों की ऐसी इच्छा है कि उत्तर प्राप्त नहीं किया जावे और इस समय का उपयोग वाद-विवाद में करना चाहते हैं तो मैं निवेदन कर दूं कि पांच बजे मुखबन्द लग जायगा। उसके बाद सब मांगों के ऊपर मतदान होगा और मंत्री महोदय जो उत्तर देने वाले हैं कटौती प्रस्तावों के उनसे सदन वंचित रह जायगा।

एक माननीय सदस्य : सदन की इच्छा है तो समय बढ़ा सकते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय, यह माननीय नेता का कहना था। आपके सम्मुख इस बात की मांग की थी कि आधे घंटे का समय बढ़ा दिया जाय और वह स्वतन्त्र पार्टी के लिए बढ़ाया जाय क्योंकि वह नहीं बोले हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : मेरा नाम लिस्ट में कम से कम बीस दफा आया है लेकिन प्रायोरिटी से नाम नहीं दिया गया है। मैं बहुत रिक्वेस्ट करूंगा चेअर से कि जो यह कहा कि लिस्ट के अनुसार नाम लिये जाते हैं, वह बिल्कुल गलत है। मेरा नाम बीसों बार आया है लेकिन प्रायोरिटी के अनुसार मुझे अवसर नहीं दिया गया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वतंत्र पार्टी के लोग कम बोले हैं इसलिये आधे घण्टे का समय बढ़ाया गया है। मैं निवेदन करूंगा नम्रता से कि यह आधे घण्टे का समय हमें दिया जाय क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला है। मुझे दस मिनट दिये जायं और स्वतन्त्र पार्टी के जिन दूसरे माननीय सदस्यों को मौका नहीं मिला है, उनको भी मौका दिया जाय।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे भी निवेदन करना है एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल ने आज सवा आठ घंटे का उपयोग कर लिया है। मुझे क्षमा करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने मुझे....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दल शासनारूढ़ दल के मुकाबले संख्या के लिहाज से दूसरे नम्बर का दल है। मुझे आपत्ति नहीं यदि आप दूसरे दलों को अधिक समय दें मगर हमारे दल को उसकी संख्या के अनुपात से समय दिया जाना आवश्यक है। हमारे विप के द्वारा छः-सात नाम दिये गये थे उसमें से सब लोग नहीं बोल सके हैं। वैसे सबको आप सन्तुष्ट भी नहीं कर सकते, फिर भी कुछ अधिक लोगों, को मैं आशा करता हूं, बोलने का आप समय देंगे क्योंकि मुखबन्द होगा पांच बजे और मन्त्री महोदय पांच बजे के पूर्व जवाब दें, तो मेरा निवेदन है कि और रोज छः-सवा छः बजे तक कार्यवाही चलती है, वैसे ही आज भी चलाई जाय तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है ? मैं समझता हूं, इसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर ! आर्डर !

विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने यह फर्माया कि उनके दल की तरफ से छः नाम दिये गये। तो छः नाम मैंने पुकारे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा भी नाम है।

श्री उपाध्यक्ष : सातवां नाम आपका खुद का है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सदन के सदस्य के नाते मैं भी इस बारे में बोलना चाहूंगा। आप समय देना चाहें तो दें, नहीं तो जैसी आपकी व्यवस्था हो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य बोल चुके हैं। इसलिए स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य के बाद कांग्रेस के सदस्य बोले और फिर उसके बाद स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य का नाम पुकारा है। उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का नाम पुकारूंगा और उसके बाद फिर स्वतन्त्र पार्टी का !

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलियों का क्या होगा। उसकी व्यवस्था आप फर्मायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपका आदेश होने के बाद, आपकी आज्ञा के अनुसार....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! मजबूरी है आसन की क्योंकि समय का अभाव है। आसन आपके सहयोग से इस बात का प्रयत्न करता है कि चर्चायें और वाद-विवाद सीमित हों लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि बहुत से माननीय सदस्य पहले तो कह देते हैं कि समय हमें थोड़ा दे दिया जाय लेकिन उसके बाद

(श्री उपाध्यक्ष)

आप देखते है, फ्लोर पर आने के बाद कई माननीय सदस्य दो चार मिनट ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं और कम समय में बोलने की कोशिश नहीं करते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : पांच मिनट लूंगा, छटा मिनट नहीं लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आज इतना समय नहीं है कि आपको समय दिया जा सके। मेरी मजबूरी है। श्रीरोशनलाल शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष - माननीय महारावल लक्ष्मण सिंह।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल नहीं रहा हूं, मुझे सुझाव देना है कि जिस मांग पर बहस चल रही है उस शिक्षा की मांग पर काफी बहस हो गई है। मेरा सुझाव है कि सदन में आदिवासी और हरिजन और निर्दलीय सदस्यों की संख्या काफी है। आप व्यवस्था करें कि जो दूसरी मांग है उस पर बहस हो और जितने भी आदिवासी, हरिजन सदस्य बैठे हुए हैं वह बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : तीन मांग आज एक साथ पेश हुई है, और ऐसी कोई बाधा नहीं थी कि तीनों मांगों पर वादविवाद एक साथ नहीं कर सकते। तीनों के कटौती प्रस्ताव सामने थे।

श्री दौलतराम सारण : नाम तो आप काल करते हैं।

श्री विट्ठल : यह नहीं, उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : एक एक करके फर्मायें। श्रीदौलतराम जी, आप क्या फर्मा रहे हैं।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो इस वादविवाद में हो गये। अगर दो दो मिनट का समय देते तो पांच माननीय सदस्य बोल लेते।

श्री हरिवल्लभ : आपकी आज्ञा हो तो दो मिनट में बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : शिड्यूल्ड कास्ट क्षेत्रों के बारे में कोई नहीं बोला है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा की मांग के सम्बन्ध में अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखते हुए निवेदन करूंगा कि गत बीस वर्षों के अन्दर राजस्थान सरकार ने जो शिक्षा का प्रसार किया है वह एक हद तक, मैं यह मानता हूं, सर्वथा असन्तोषजनक नहीं है। जिस वेग से प्रगति हुई है, और जो शिक्षा का प्रसार हुआ है उसके आधार पर हमारी शिक्षा के अन्दर, शिक्षा व्यवस्था के अन्दर कुछ दोष आना अनिवार्य था। संक्षिप्त रूप से यह मैं निवेदन करूंगा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कि आज परमावश्यकता है शिक्षा के सम्बन्ध में, उन खास चीजों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, वह यह हैं कि शिक्षा दिन व दिन मंहगी होती जारही है। अगर शिक्षा के सम्बन्ध में आप आमूल चूल परिवर्तन करें तो यह दीर्घकालीन व्यवस्था होगी। किन्तु अगर आज आप शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करें तो शिक्षा को सस्ता करें। आपने जो कोई भी वस्तु हैं, सारे भारतवर्ष में आपके शासन के कारण वह मंहगी हो गई हैं, शिक्षा भी मंहगी हुई है। मैं समझता हूं, यह सर्वथा अनुचित है और शिक्षा को जितना जल्दी आप सस्ता कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

दूसरे अगर आप शिक्षा के अन्दर नियंत्रण लाना चाहते हैं तो आप स्त्री शिक्षा को महत्व दें। माता का महत्वपूर्ण स्थान है, मेरे ख्याल में नियन्त्रित सन्तान उत्पन्न करने के लिए, चरित्र के निर्माण करने के लिए और सामान्य बुद्धि की व्यवस्था है, उसके लिए। जहां तक मेरा निजी अनुभव है उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं, माता अगर शिक्षित है तो सन्तान भी नियंत्रित और मेरे ख्याल में एक सफल नागरिक के नाते देश के उत्तरदायित्व को अपने हाथ में ले सकेगी। अगर स्त्री शिक्षा को महत्व नहीं देते हैं तो लूज साइडेड डवलपमेंट होगा वह समाज के लिए अहितकर होगा। इसलिए आप स्त्री शिक्षा के लिए बल दें-यह मेरा निवेदन है।

आपने जिस वेग से शिक्षा का प्रसार किया है, मैं यह, उपाध्यक्ष महोदय, अवश्य कहूंगा कि एक हद तक साक्षरता की तरफ बल दिया है, सही रूप में शिक्षा के रूप में, बल नहीं दिया है क्वालिटी के साथ क्वान्टिटी के साथ क्वालिटी का सामंजस्य आपको निभाना पड़ेगा। अगर केवल मात्र क्वान्टिटी की तरफ ध्यान देकर क्वालिटी को सेक्रीफाइस करेंगे तो वह ठीक नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, एक हद तक साक्षरता को विकसित करेंगे, उसके साथ साथ सच्चे रूप में शिक्षा में क्या चीजें हैं, उन चीजों को लक्ष्य बना कर शनैः शनैः उन पर भी आप बल देंगे। यह मेरा निवेदन है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हर एक जिले के अंदर एक कालेज होना एक अनिवार्य वस्तु है और जिले का, मेरे ख्याल में, जन्म सिद्ध अधिकार है कि वहां कालेज ऊंची शिक्षा के लिए हो राजस्थान के अन्दर कालेजों का अभाव जिलों के अन्दर है वह दो जिलों में है और शिक्षा मन्त्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि वह दो जिले कौन से हैं। मैं चुनाव के सम्बन्ध में, चुनाव के दौरान में जालौर गया, उस समय यह जनता की मांग मेरे सामने आई कि जालौर में कालेज का अभाव है। जालौर में आपने दो लाख रुपये चन्दा इकठ्ठा करने की व्यवस्था की ....

दो लाख रू० का चन्दा इकट्ठा करने की व्यवस्था की लेकिन मैं आपसे निवेदन करुं कि वे लोग केवल १।। लाख का चन्दा ही इकठ्ठा कर सके। मैं समझता हूं कि यह पोलिसी सोलिस्टिक पैटर्न की स्टेट में और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में चन्दे की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

व्यवस्था की जाती है, इसे कतई बन्द कर दिया जावे। दूसरे किसी भी सम्बन्ध में आप चन्दा वसूल करें मगर शिक्षा के सम्बन्ध में आप चन्दा इकट्ठा करते हैं इसका तो कटु विरोध करता हूं। अगर आपने वह १।। लाख रुपया उनसे ले लिया है और वह आपके पास है तो यह कहने को तैयार नहीं हूं कि वह उनको वापिस लौटा दिया जावे। लेकिन मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करूंगा कि ५० हजार की वसूली करने की कन्डीशन है उसको हटा दें क्योंकि उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे लोग आपको ५० हजार का चन्दा करके दे सकें। वहां के लोग अकाल ग्रस्त हैं और गरीब हैं, अगर आप इस साल नहीं खोल सकते तो नैक्स्ट अकेडेमिक इयर सन् ६८:६९ का समय होते ही वहां पर कालेज खोलने की व्यवस्था करें।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हायर सैकन्डरी स्कूल....

श्री रघुनाथ विश्नोई: जालौर में कालेज खोल दिया गया है। आपको मालूम नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं बड़ा आभारी हूं अगर आपने वहां पर कालेज खोल दिया है तो। अगर आप यह पहले ही कह देते, तो मैं अपने दो मिनट का समय बचा कर दूसरे विषय पर कुछ कहता। मैं वहां पर चुनावों के समय गया था। हमारे एम. पी. पार्टी के थे उनका तार मेरे पास आया कि वहां कालेज खोलने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: यह पिछले साल की बात थी जो विरोधी दल के नेता ने बताई।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: माननीय सदस्य जो बीकानेर से आये हैं शायद उनको पता नहीं होगा। मैं तो फरवरी में गया था अगर मैं गलत हूं तो माननीय मन्त्री मुझे बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई: फरवरी में कालेज खुल चुका था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मेरे खयाल से संतोषजनक व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय मन्त्री के मुंह से सुनना चाहूंगा। आप साल के बीच में कैसे खोल सकते हैं?

श्री बरकतुल्ला खां: पिछले साल के शुरू में खोल दिया गया था।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा को मैं यहीं समाप्त करके हायर सैकन्ड्री स्कूलों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि हर तहसील हैड क्वार्टर में हायर सैकन्ड्री स्कूल होनी चाहिये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र आसपुर में नहीं है। जहां से मन्त्री चुने जाते हैं वहां पर खोल दी जाती है। सागवाड़ा से भीखाभाई थे इसलिए वहां पर खुल गई। गढ़ी में दूसरे मन्त्री की कोन्स्टीटुएन्सी थी तो वहां पर भी बन गई।

एक माननीय सदस्य : गढ़ी में तो पहले से लोगों का फैसला हो चुका था खोलने का।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गढ़ी के लिये मैं निवेदन करूं। माननीय सदस्य क्या कहते हैं मैं बुड्ढा होने से पूरा सुन नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : वहां के लोगों ने मांग की है इसलिए वहां पर हुआ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सागवाड़ा में और गढ़ी में काफी तादाद में हैं और उसके मुकाबले में कुशलगढ़ में नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सौतेला वर्ताव आप क्यों करते हैं? इसलिए हर एक तहसील के हैड क्वार्टर में हायर सैकन्ड्री स्कूल होना चाहिये।

आसपुर के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अकेले आसपुर को देखकर नहीं करते हैं तो यह आपका सरासर अन्याय है। आप वहां की डेन्सिटी आफ पोपुलेशन देखिये! ५ मील के एरिया में कितने गांव हैं और कितनी बस्ती है। इसलिए आप वहां पर हायर सैकन्ड्री स्कूल की व्यवस्था करें मैं आज के लिए नहीं कहता कि आप आज ही व्यवस्था करें। आप नैक्स्ट एकेडेमिक ईयर में आसपुर में इसकी व्यवस्था करें। कुशलगढ़ में जहां तक मेरी मान्यता है वह म्युनिसिपल टाउन है। तहसील हैड क्वार्टर है। आपके सिद्धान्तों के अनुसार वहां पर भी हायर सैकन्ड्री स्कूल होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्रामीण पाठशालाएं हैं उनको पंचायतों के पास नहीं रखी जावें। उनको पंचायतों के पास रखना बदर के हाथ में लड्डू देना है। शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण संस्था है उसमें अध्यापकों की इस तरह से अवहेलना की जाती है और उनकी इस प्रकार बेइज्जती करते है कि अध्यापकों को चपरासी, सरपंच का बना कर रखते हैं। यह कैसे हो सकता है? शिक्षा जैसी पवित्र संस्था में ग्रामीणों में जहाँ बालकों के चरित्र निर्माण के लिए वे अपना पैसा देतें हैं, वह उनसे कराया जाए। उसके बजाय आप उनसे टेढ़े-मेढ़े कार्य करा कर, क्या क्या भ्रष्टाचार और अनाचार के द्वारा अध्यापकों की बेइज्जती करते हैं। जिस समाज में अध्यापकों की इज्जत नहीं हो मेरे खयाल से वह समाज पशुवत् समाज है। इसलिए मेरा पुरजोर निवेदन है कि यह शिक्षा पंचायतों के दायरे से बाहर किया जावे। मैं नहीं चाहता कि युनिवर्सिटी के बारे में कुछ कहूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं विरोधी दल के नेता महोदय का ध्यान समय की ओर आकर्षित करूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं चाहता हूं कि उनकी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहे। लेकिन वहां के चान्सलर को जो रिप्रेजेन्टेशन दिया है उसके कुछ एक्सट्रैक्ट एक मिनिट में आपकी आज्ञा से सुनाना चाहता हूं। उसे आपको जानने से आसानी होगी कि युनिवर्सिटी में भी अनियमितताएं होती हैं। इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षित किया गया है जो युनिवर्सिटी के चान्सलर हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह रिप्रेजेंटेशन १ जून ६७ को राज्यपाल महोदय को पेश किया गया है, वह निम्न प्रकार है :

"Following are some findings of my research.........

यह रिप्रेजेन्टेशन के शब्द हैं

"None of the Principals of the University's colleges fulfil the minimum qualifications laid down in the statutes of the University.

90 per cent of the appointments of the Professors are irregular and hence can be challenged in court of law even today.

Less than 60 per cent of the teachers are qualified. Recruitment of teachers are made on the basis of particular strict criteria like caste, kinship, community, freek, friendship and not on the basis of merit or academic scholarship. A teacher as a matter of fact was refused because he was over qualified for the post of Reader.

There are also two heads of department whose appointments were illegal. There is a department which according to the prospectus of the University does not exist, viz. the department of para--psychology.

The appointment of the head of department of Sociology is illegal. The present Vice Chancellor and the present Director of College Education, the most influential member of the Syndicate, were parties to it. This explains the way of dealing with important cases by the University authorities.

Mrs. Unithan, wife of the head of the department of Sociology is the Director of Student Advisory Bureau. She has not even High School Certificate, but according to University, seems to be qualified enough to advise our post-graduate students.

The Registrar of the University had been a Lower Division Clerk.

There are two very influential personalities in this University who have embezzlements on record. The University is full of arbitrary decisions and discriminations. There are numerous cases of fraudulent embezzlements. Lot of teachers have accommodated themselves with injustice. They don't try to go to court of law as they have seen examples of vinicti veness of the University authorities.

There is one Reader who has been removed from service five years back but his case never came before the Syndicate, the authority for appointment and termination.

The structure of the Syndicate is such that most of the members

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

try to please the Vice Chancellor and thus undermine the vesting of control. ...

There are many instances of illegal approval by the Syndicate, of illegal orders by the Vice Chancellor. The University of Rajasthan has been involved in numerous litigation but have won none of them".

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

(अनेकों माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे, शोरोगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order.

श्री नत्थीसिंह : इस हाउस में समाज कल्याण पर बहस हुई है और शिड्यूल्ड कास्ट की तरफ से कोई नहीं बोला है, संसोपा को भी समय दिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम बागीडोरा : आदिवासियों के बारे में एक भी आदिवासी को बोलने का समय नहीं दिया है........

(शोरोगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

(शोरोगुल)

श्री लादूराम सुलानियां : समाज कल्याण पर बहस हो रही है और शिड्यूल्ड कास्ट्स के एक भी सदस्य को बोलने का समय नहीं दिया गया है मैं आपके माध्यम से इनके सम्बन्ध में कहना चाहूंगा, ५ मिनट बोलना चाहूंगा।....

(शोरोगुल)

श्री उपाध्यक्ष : समय हो गया है।

माननीय सदस्यों से निवेदन है........

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) : On a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : Order.

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैंने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है। यह जो समाज कल्याण की तरफ से पत्रिका निकली है इसमें राजपूत जाति की बहू बेटियों के लिये बहुत ही ओब्जेक्शनेबल लाइन लिखी है।

इस लेख का नाम है, "वैश्या वृत्ति की समस्या"। इसमें पहले तो राजपूतों के चरित्र के ऊपर बलात्कार किया है, और इसके बाद राजपूतों की बहू बेटियों के बारे में लाइन दी है। इसमें लिखा है :

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

"एक ओर पद्मिनी जैसी वीरांगनाएं सतीत्व की रक्षा के लिये चिता की लपटों का आलिंगन कर रही थीं, दूसरी ओर राजपूतों की बहू बेटियों का बाजार उनकी झूंठी शान शौकत की धज्जियां उड़ा रहा था।

(शेम शेम की ध्वनि)

यह समाज कल्याण की मुख पत्रिका है इस लेख के लेखक है समाज कल्याण के सेक्रेट्री। मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है फिर भी जो आपने पढ़ कर सुनाया है वह काफी ओब्जेक्शनेबल है तो इसको किसी और तरीके से सदन के समक्ष रखा जा सकता है।

श्री मदनसिंह दांता : और क्या तरीका है? बोलते हैं तो बोलने नहीं देते है, पढ़ते हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं, रखते हैं तो रखने नहीं देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : रानी साहिबा ने पोइन्ट आफ आर्डर रेज कर के व्यवस्था का प्रश्न उठाया था........

श्री मदनसिंह दांता : तो उनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो पढ़ कर सुनाया वह बहुत ऐतराज काबिल हैं। पर यह पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है। पोइन्ट आफ आर्डर दूसरी चीज है।

माननीय शिक्षा मंत्री।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

(शोरोगुल)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलियों को समय क्यों नहीं मिलता?

श्री उपाध्यक्ष : Order, order, please.

(शोरोगुल)

श्री लादूराम सुलानियां : आधा घंटा टाइम बढ़ाया गया था थोड़ा और बढ़ा दें, हमें इस पर बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष : Order please.

(शोरोगुल)

आर्डर, आर्डर!

माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आपकी भाषण देने की आतुरता को मैं समझ सकता हूं, पर सदन के समय को भी ध्यान में रखना जरूरी हैं। आज मांगों पर वाद विवाद का आखिरी दिन था। ४॥ बजे से मुखबन्द का प्रयोग होना था, आप लोगों ने, सदन के माननीय सदस्यों की इच्छा थी कि कुछ और डिबेट का समय बढ़ाया जाय तो वह बढ़ाया गया। मैं समझता हूं कि इसके दो घंटे बढ़ा दें तो भी, उस हालत में भी सदन के सभी माननीय सदस्य संतुष्ट हो कर चले जायेंगे

(श्री उपाध्यक्ष)

ऐसा मैं नहीं मानता । जितने कटौती प्रस्ताव सदन के सामने हैं अगर चार पांच घटे समय बढ़ा दिया जाय तो भी यह नहीं हो सकता ।

एक निवेदन और कर दूं कि बिजनैस एड्वाइजरी कमेटी जिस हिसाब से समय का बंटवारा करती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक घंटा समय बढ़ाने का अधिकार है, आधा घंटा बढ़ा दिया गया था और मैं समझता हूं कि ३ मंत्री महोदय जवाब देंगे तो, उसमें पौन घंटे का समय रहता है । पौन घंटे से अधिक समय बढ़ाने का आसन को अधिकार नहीं है, इसलिये अर्ज है कि जो मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते है उसे सुनेंगे । कटौती प्रस्ताव ज्यादा हो तो यह भी व्यवस्था है कि जिन कटौती प्रस्तावों के बारे में माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिला है । तो उनके उत्तर लिखित में भेज दिये जायेंगे ।

(शोरोगुल)

श्री लादूराम सुलानियाँ : हम सदन के सदस्य हैं हमको अधिकार है कि बोलें !

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय लादूरामजी सुलानियां ।

आर्डर प्लीज ।

(शोरोगुल)

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कांग्रेस का समय बाकी है........

श्री उपाध्यक्ष : देखिये मुझे मजबूर हो कर किन्हीं माननीय सदस्य को नाम से सम्बोधित करना पड़ेगा, यह मेरी मजबूरी होगी ।

श्री लादूराम सुलानियां : यह हमारे अधिकारों का प्रश्न है, इस पर नाराजगी प्रकट करें तो यह........

श्री उपाध्यक्ष : आप पुराने सदस्य हैं, आपको यह कर्टसी चाहिये कि आसन पैरों पर हो तो आपको नहीं बोलना चाहिये । आधा घंटा बढाया जाने के बाद में भी ज्यादा से ज्यादा आधा घटा बढ़ाया जा सकता है, आधा घंटा बढ़ाना पड़ेगा । बहुत से माननीय सदस्यों की इच्छा है कि मन्त्री महोदय का जवाब सुना जाय, जहां तक दलों का सवाल है, कांग्रेस का समय पूरा हो जायगा ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : निर्दलियों का क्या होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे दलों को शिकायत नहीं होनी चाहिये । जितना समय मिलना चाहिये था उतना उन्हें मिला है । नहीं मिला हो तो फरमा दें ।

श्री नत्थीसिंह : एस० एस० पी० को नहीं मिला है ।

(शोरोगुल)

श्री जसराज : On a point of order समाज कल्याण विभाग के बारे में जो चर्चा हो रही है, उसमें कुछ परिगणित जाति के लोग बैठे हैं । अतः हम अपने दुख

(श्री जसराज)

दर्द यहां पर न रखेंगे तो और कहां रखेंगे ? इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि कृपया हमारी जो तकलीफें हैं, जो हमारी.......

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। खैर आपने जिक्र किया कोई बात नहीं। इसमें आपके दल की तरफ से जो सूची दी गई थी, उसमें सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर था। एक घंटे का आपके दल को समय था। मेरे खयाल से एक घंटे से ज्यादा लिया, कम नहीं। सभी दलों को अवसर मिल गया। मैं आपका सहयोग चाहता हूं क्योंकि मैं आप लोगों के बोलने की आतुरता को समझता हूं लेकिन सचेतक महोदय ने जो नाम लिये उनको हमने पुकार लिया उसके बाद कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है........

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : विरोधी पक्ष को बहुत ज्यादा समय दिया गया है।

(शोरगुल)

हमें अपनी कुछ बात कहनी है शिक्षा मंत्री से ....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : लोगों को एक घंटा क्यों दिया आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : आज अगर कांग्रेस को कुछ समय मिला है तो मैं यह कह दूं कि कई बार कांग्रेस को काफी ज्यादा भी दिया होता है.. ....

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आज की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसा बंधन मत डालिए। माननीय सदस्य जब खड़े होते हैं तो किसी को विचार नहीं रहता है सीमित समय का।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हमें तो अपनी बात कहनी है, थोड़ा सा ही कहना है। अब तक १० आदमी बोल लेते, शिक्षा पर न बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे, मूर्खता पर बोलेंगे ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस दल को एतराज नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस को कम समय मिलता है। आर्डर प्लीज। आप इस तरह का बरताव कर रहे हैं.......

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : सही कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सही नहीं कर रहे हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मजबूर होकर कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य थोड़ा अपने हिसाब से विचार करते हैं। सदन का जो समय है उसके हिसाब से विचार नहीं करते। आज समय

(श्री उपाध्यक्ष)

की कमी है, मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसलिए अब शिक्षा मंत्री जवाब देंगे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : निर्दलीय सदस्यों के लिए कुछ नहीं फरमाया। आज कुछ नहीं मागेंगे लेकिन समय के तो वे भी अधिकारी है या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : वे भी अधिकारी हैं।

श्री जसराज : परिगणित जाति वाले अपने असंतोष को व्यक्त करना चाहते हैं, आप उनको बोलने का मौका देकर संतुष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : शिड्यूल्ड कास्ट्स की तरफ से बहुत से माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त कर दिए।

श्री जसराज : केवल ५ मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : आप ही केवल प्रतिनिधि हैं उनके ? बहुत से माननीय सदस्य हैं, आप तसल्ली रखें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आसन की ओर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का विषय जब आता है तो उसके लिए रात के १२-१२ बज जाते हैं। बैठने का उस समय तक भी सभी लोग प्रयास करते हैं। आज भी आसन की ओर से....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर। आसन की तरफ से हमेशा समय से ज्यादा ही बैठने की तजबीज की गई है। आज कुछ समय ऐसा है कि एक घंटे के बाद मुखबंद का प्रयोग होगा। उसके बाद चर्चा हो नहीं सकेगी। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप सहयोग दें।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : एक बात तो है समाज कल्याण विभाग के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कई सदस्य....

श्री उपाध्यक्ष : आप और समय न लें। आपके दल ने डेढ़ घंटा लिया।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखकर अगर श्री गोकुल प्रसाद बोलना चाहें, बाकी बोलना चाहें तो ५ बजे का समय बढ़ाना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एक घंटा वह बोला, किसी ने मना ही नहीं की।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर श्री गोकुल प्रसाद को समय दिया जाय, किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को बोलने दिया जाय लेकिन मंत्री महोदय को दिया जाय, इसमें मुझे आपत्ति है।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री।

श्री बरकतुल्लाखां (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष (श्री लादूराम से) : आप स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : आपको ज्ञान होगा कि मैं हमेशा आपकी बात मानता हूं। चेयर खड़ी होती है तो मै बैठ जाता हूं। डेढ महीना हो गया। आप आज्ञा देंगे उसके बाद बोलूंगा। मुझे सिर्फ दो मिनट दिए जाय, उससे ज्यादा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके जो सचेतक हैं उनसे बात करें और वे अगर आपका नाम प्रथम देंगे तो आपका नाम दूसरे नम्बर पर भी नहीं होगा। उनसे विचार विमर्श करें।

(शोरगुल)

श्री विट्ठल : हम लोग पिछड़े इलाकों के हैं। हमारे यहां की क्या स्थिति है। समाज कल्याण विभाग के विषय में बोलने के लिए ५-१० मिनट अवश्य दें। क्योंकि आप दूसरे बिलों पर शाम तक समय देते हैं और आज एक बात को लेकर आप दबाना चाहते हैं और लीपापोती करना चाहते हैं, ताकि बातें खुले नहीं इसलिए बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : ये आपके विचार हैं, मेरी कोई ऐसी भावना नहीं है। शिक्षा मंत्री।

श्री विट्ठल : विधान सभा में न बोलेंगे तो और कहां मौका मिलेगा ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री बरकतुल्लाखां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए जवाब देना चाहता हूं....

श्री विट्ठल : छात्रावास बिल्कुल नहीं लगाया....

(व्यवधान)

हमारे लड़के मारे मारे फिर रहे हैं, इसके लिए हम बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपना नाम दल में प्रथम रखवाते....

श्री रामकिशन : हरिजनों और आदिवासियों से सम्बन्धित जो समस्याऐं हैं, उनके लिए मैंने अपने दल की तरफ से विट्ठल भाई का नाम लिया। अब....

श्री उपाध्यक्ष : आपके दल का २० मिनट का अधिकृत समय है। आपके दल ने २५ मिनट लिए। उसमें कोई एतराज नहीं किया। अब २५ मिनट से ज्यादा बढ़ाया जाय तो मेरी मजबूरी आप समझ सकते हैं। आपने कभी नाम दिया हो, सचेतक ने प्रायरटी में लिखकर दिया हो उसके बाद अवहेलना की हो तो शिकायत हो सकती है।

श्री रामकिशन : इनका नाम दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : कांग्रेस दल की भी शिकायत हो सकती है लेकिन विरोधी पक्ष को नहीं हो सकती, रोजाना के आंकड़ों से देख सकते हैं।

श्री रामकिशन : कांग्रेस का मुकाबला नहीं हो पाता।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मन्त्री ।

श्री लादूराम मुलानिया : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर....

श्री उपाध्यक्ष : ग्राप करीब ७-८ बार उठ चुके हैं ग्रौर ग्रापकी पाइन्ट केवल यह है कि सदन में ग्रौर देर की जाय ग्रौर समय लिया जाय ।

श्री लादूराम मुलानिया : यह बात नहीं है। मेरी पाइन्ट दूसरी है। मैं समय नहीं मांग रहा हूं। ग्राजादी के २० साल के पश्चात् भी ...

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर नहीं हैं। जो विपक्षी दलों के सचेतक महोदय हैं उनका सहयोग मैं चाहूंगा । ग्रार्डर ग्रार्डर । उनका सहयोग चाहूंगा, ग्रासन को कोई एतराज नहीं होगा कि जो ग्राई कैच करे उसके हिसाब से बोलने का समय दिया जाय । हमेशा इस बात पर जोर दिया गया कि जो ग्रापकी तरफ से लिस्ट जिस प्राथमिकता के ग्रन्दर दी जाय ग्रौर जितना समय ग्राप उनको एलाट करते हैं, उसके हिसाब से व्यवस्था की गई । अब ग्रासन पर उसके बावजूद जिम्मेदारी डालते हैं तो उस पर ग्रासन का ग्रधिकार होगा कि ग्राइन्दा उसी हिसाब से समय दिया जायगा जैसे कि सभी विधान सभाग्रों ग्रौर संसद में होता है कि जो ग्राइ कैच करे ग्रौर पीठासीन व्यक्ति की नजर ग्रा जाय , उनको बोलने दिया जाय ।

(५ म. प.)

एक माननीय सदस्य : न हरिजनों का प्रतिनिधि है। न हरिजनों को बोलने का मौका दिया गया है । यह हरिजनों के साथ ज्यादती है ।

(व्यवधान के बीच में)

श्री उपाध्यक्ष : ग्रोर्डर । ग्रोर्डर । माननीय सदस्य ।

सदन की ग्रनुमति से ग्राधे घंटे का समय बढ़ाया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री लादूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, ग्रकलेरा गांव में बरात जा रही है ग्रौर बींद को घोड़ी पर नहीं चढ़ कर जाने दिया जा रहा हैं । हम दस एम. एल. एज, जावेंगे । ऐसे मसले पर टाइम न दें ग्रापकी यह इच्छा है ।

श्री पी. के. चौधरी : On a point of order Sir. एक व्यवस्था का प्रश्न है । रूल १४४ (२) की तरफ ग्रापका ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं ।

"On the last day of the allotted days, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the demands for grants."

This is mendetory.

(श्री पी० के० चौधरी)

और मैं समझता हूं मुख बन्द का समय नहीं बढ़ाया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे प्रोवीजन्स हैं ।

There are other alternative provisions which give the Chair powers to extend time upto one hour maximum. So it cannot be the time or the gulletine cannot be extended beyond five thirty.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह भी फरमाया कि ५॥ बजे के बाद गुलेटिन एक्स्टेन्ड नहीं हो सकता है । गुलेटिन एक्स्टेन्ड हुआ ही नहीं । ४॥ बजे का यहां से प्रसारित विज्ञप्ति में समय दिया हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बाहर गये थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पांच बजे तक का समय बढ़ाया गया है और पांच बजे के बाद समय नहीं बढ़ाया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना नहीं है । तीन मिनिट पहले ही समय बढ़ा दिया ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने समय बढ़ाया नहीं ।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोर्डर प्लीज । मनुमति से बढ़ाया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं एक व्यवस्था का सवाल खड़ा करता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान नियम २१६ और २१७ की तरफ दिलाना चाहता हूं और आपने २१८ का हवाला दिया है उसको भी देख लिया जाय ।

'The allocation of time in respect of Bills and other business as approved by the House shall take effect as if it were an Order of the House and shall be notified in the Bulletin.'

इसके हिसाब से टाइम नोटिफाई होता है । रूल २१७ कहता है ।

'At the appointed hour, in accordance with the Allocation of Time Order for the completion of a particular stage of a Bill or other business, the Speaker shall forthwith put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with that stage of the Bill or other business.' And 218 says—No variation in the allocation of time order shall be made except on a motion made wtth the consent of the Speaker & accepted by the house :'

श्री उपाध्यक्ष : And provided.........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह मैं कह रहा हूं । आप बैठिये ।

'Provided that the Speaker may, after taking the sense of the House, increase the time, the exceeding one hour, without any motion being moved.'

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उन नियमों के अनुसार जो सामग्री वितरित की गई है उसके निर्धारित समय पर सारा बिजनेस खत्म हो जाना चाहिये । ४।। बजे लेटीन रखा हुआ था । आपने हाउस का सेन्स लेकर ५ बजे तक का समय बढ़ाया । गुलेटीन ५ बजे एप्लाई होना था । उसके बाद कोई मोशन इस सदन के सामने नहीं आया ।

कई माननीय सदस्य : आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थानग्रहण करें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५ बजे बाद समय बढ़ाने का मोशन नहीं आया है ।

श्री उपाध्यक्ष : इस बहस में है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ५ बजे तक का समय बढ़ाया गया है वह ठीक है पांच बजे बाद कोई मोशन नहीं आया है । इसमें टेक्निकल बात यही है । मैं भी सदन में बैठा हूं । माननीय सदस्य समोसा खिलाने बाहर लेजा रहे थे मैं बाहर नहीं गया ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । आर्डर । आर्डर ।

श्री पी. के. चौधरी : व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन लेग्स पर है ।

पांच बजे समय बढ़ाया । उस वक्त गुलेटीन लगाने का ५।। बजे के लिये कह दिया । उस वक्त आपका ध्यान इस ओर नहीं था ।

श्री सतीशचन्द अग्रवाल : समय बढ़ाया ४।। बजे के बाद ५ बजे तक का तब से यहां बैठा हूं । पांच बजे के बाद नहीं बढ़ाया ।

श्री उपाध्यक्ष : शोर्टहैंड में जो लिखा जाता है उसके बीच में तो लिखा नहीं जा सकता ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसको तो मैं चैलेन्ज नहीं करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय ।

श्री बरकतुल्लाखां, (शिक्षामन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे खुशी हुई कि सदन के सामने चर्चा करते हुए

(श्री बरकतुल्ला खां)

कोठारी कमीशन की रिपोर्ट को भी चर्चा हुई। इसकी भी खुशी हुई कि एक माननीय सदस्य ने राधाकृष्णन कमेटी और मुदालियर कमेटी का भी जिक्र किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके की इन्टीग्रेटेड तरीके की एजुकेशन की पिक्चर देश में बन रही हैं राजस्थान उसमें पूरी तरह से सहयोग देगा। मैं यकीन दिलाता हूं, आजादी के बाद अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेन्ट हुए उसमें राजस्थान ने भी हिस्सा लिया है और शिक्षा के मामले में सही तरीके से दिमाग खुला रख कर चले हैं...

एक माननीय सदस्य : बन्द करके चले हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : दिमाग खोल कर चले हैं। इसका मतलब यह नहीं होता..

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : एक इलाके को अच्छा बढ़ा दें और बाकी को रहने दो।

(विरोधी पक्ष द्वारा होयर होयर की आवाज)

श्री रामानन्द अग्रवाल : जोधपुर में युनिवर्सिटी कायम कर दो, उदयपुर में युनिवर्सिटी कायम कर दो।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : बोलने मत दो।

श्री बरकतुल्ला खां : बोलना जानते हैं। हम भी मेम्बर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इस तरीके से दिमाग खोलने की बात की, वे उस पर नाराज होते हैं। इसलिये मैं कह रहा था कि इस बारे में, जब वेरियस एफर्ट्स हुए, टेक्निकल एजुकेशन आदि के लिये एफर्ट्स हुए राजस्थान ने उनको अपनाया। जब राजस्थान को जरूरत पड़ी कि प्राइमरी एजुकेशन पंचायती राज में जाय तो राजस्थान सरकार ने सबसे पहले कदम उठाया। उसी तरीके से कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आयी उसको जनरली हमने माना। लेकिन उसके जो ऐसे फाइनेन्शियल इम्प्लीकेशन्स हैं उनको मानें तो उसका बड़ा भारी असर हमारे बजट पर और दूसरी सर्विसेज पर होता है। मिसाल के तौर पर अर्ज करूं कि कोठारी कमीशन की सिफारिशें टीचर्स के वेतन के लिये मानें तो टीचर्स का वेतन ३ करोड़ के करीब बढ़ेगा। टीचर्स का बढ़ेगा राजस्थान की दूसरी सर्विसेज को असन्तोष में नहीं रखेंगे। इसलिये इस चीज को आउट राइट नहीं रिजेक्ट किया है। इसलिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया को लिखा है कि जिस तरह से युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन ने युनिवर्सिटी टीचर्स की सैलरी बढ़ाने के लिये ८० प्रतिशत ग्रान्ट दी गई है उसी प्रकार इसके लिये भी हमने मांगा है।

यूनीवर्सिटी टीचर्स की ग्रेड बढ़ाई जावे। जो कोठारी कमीशन ने सिफारिश की थी वह राजस्थान ने मानली है और यही हम चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षक हैं उनकी ग्रेड बढ़ाने के लिये जो कोठारी कमीशन ने

(श्री बरकतुल्ला खां)

कहा है उसको हमने माना बशतें कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट ८० परसेन्ट ग्रान्ट दे जैसा कि यूनिवर्सिटी में दिया है।

इसी तरह से दूसरे फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन्स........

श्री भैरोंसिंह : यह जो आपने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछना हो तो बाद में पूछें।

श्री विजयसिंह रावत : बाद में मौका नहीं दिया जाता।

श्री उपाध्यक्ष : तो इसमें यह व्यवस्था है कि प्रश्न पूछने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न आप पहले पूछ लें। बाद में मंत्री महोदय का उत्तर होने के अनन्तर प्रश्न पूछे ही नहीं जाते नियमानुसार तो। यह तो आपकी सुविधा के लिये पूछने का अवसर दे दिया जाता है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसके लिये तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : तो बताइये कोठारी कमीशन की रिपोर्ट में यह कहां लिखा है?

श्री उपाध्यक्ष : कोई प्रश्न अभी नहीं पूछे जावेंगे।

श्री बरकतुल्ला खां : राजस्थान ने सबसे पहले अपना कदम इस तरफ बढाया कि कोठारी कमीशन की सिफारिशों को माने।

दूसरी जो सिफारिश थी वह थी स्कूलों में वर्क शाप होने चाहिये। इसके भी फाइनेन्सियल इम्पलीकेशन्स हैं और जब तक इसको ठीक तरह से एग्जामिन न करा लें और हमारी फाइनेंन्स परमिट न करे उस वक्त तक हम इस एडवाइज को मानने मे असमर्थ हैं। फिर भी डिसकशन में रखा है। भारत सरकार को लिखकर भेजा है। जनरली एक्सेप्ट करते है और दूसरी स्टेटों की जो राय होगी उसके साथ हम भी जाना चाहेंगे।

यह नहीं हो सकता कि राजस्थान अकेला कोठारी कमीशन की सिफारिशों को माने और बाकी रियासतें न मानें। इसका रिपरकसन्स दूसरी स्टेटों पर भी होगा। पर हम चाहते हैं कि शिक्षा जो है वह आगे बढ़े।

हम यह चाहते हैं कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा की बढोतरी हो। और इसलिये यह जो कदम उठाये गये हैं कि प्राइमरी शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा पचायत समितियों को दिया जावे इसके बारे में कुछ महानुभावों ने कहा। वह रिपोर्ट उन्होंने पढ़ ली। उसी को मैं कुछ और पढ़ना चाहता हूं ताकि चीज क्लीयर हो जावे। बुराई की तरफ तो ध्यान दिया गया पर उस रिपोर्ट के पेराग्राफ ३९ में लिखा है:

"Attendance of the teachers has improved, the disbursement of the salaries has been more regular.

(श्री बरकतुल्लाखां)

there is awakening among the rural population to get the primary education. Anew leadership has to emerge in the rural areas in the development of primary education.

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो शिक्षा विभाग कहता है हिन्दी में सारा काम होगा और यहां अंग्रेजी शुरू हो जाती है ।

(शेम शेम की ध्वनि)

श्री बरकतुल्ला खां : शेम कहना बहुत आसान है । पर जब उधर से जनसंघ के नेता ने अंग्रेजी के उद्धरण दिये तो शेम किसी ने नहीं कहा ।

श्री उपाध्यक्ष : शेम भी अंग्रेजी में कहा है ।

श्री बरकतुल्ला खां : ये तौर तरीके कहां से आ गये ? दुनिया में कहीं इन्साफ मिलेगा तो हम मानते थे यहां विधानसभा में मिलेगा । किन्तु यहां लोगों को यह देख कर दुख हुआ कि वही बात जब जनसंघ के नेता ने अंग्रेजी में कही तो शेम नहीं लगी ।

श्री भैरोंसिंह : शिकायत उनकी यह है कि रिपोर्ट हिन्दी में प्रकाशित नहीं की गई ।

श्री बरकतुल्ला खां : यह तो इन्टरप्रीटेशन करके मुश्किल आसान कर दी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता रहा था यह गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया के एडवाइजर है उनकी रिपोर्ट है । पैराग्राफ ४० में कहा है आगे और उन्होंने :

"In addition there are other good results which have also been obtained in certain areas, only because they shall have to depend on the individual Pradhan and the B. D O.....

इसी तरीके से मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं सादिक अली कमेटी की तरफ जिसने लिखा है :—

The primary schools have been transferred to the panchayat samitis there has been a desirable improvement in the working of the primary schools.

तो इस तरीके से यह समझना कि पंचायती राज के हाथों में प्रौढ़ शिक्षा को देने का मतलब यह है कि हम ग्रामीण जनता के साथ दुश्मनी कर रहे हैं यह सही नहीं है और यह याद दिलाना चाहता हूं सदन को कि आज के डैमोक्रेसी के जमाने में, यह बात नहीं मानी जा सकती कि पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ के नीचे काम नहीं करेगा और यदि यह रखेंगे तो बेसिक मुद्दा डेमोक्रेसी का खत्म हो जावेगा । इसलिये यह समझना और कहना कि चूंकि टीचर्स पढ़े लिखे होते हैं और कुछ प्रधान जो हैं कम

(श्री बरकतुल्ला खां)

पढ़े लिखे है इसलिये नीचे नहीं रखना चाहिये यह डैमोक्रेसी को खत्म करने का रास्ता है ।

श्री विजयसिंह रावत : और आपके काम खत्म होने के रास्ते नहीं है ।

श्री बरकतुल्ला खां : हमारे पंचायती राज के लोग चुने हुए जनता के नुमाइन्दा निकम्मे और बेकार होते हैं इससे ज्यादा भ्रम और नहीं हो सकता ।

ऐसा बताया जाता है कि पंचायती राज के लोग इलेक्टेड लोग और चुने गये लोग गैर जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी सिर्फ हम में है दूसरों में नहीं है वे भी इलेक्टेड लोग है, उनकी इज्जत होनी चाहिये और जनसघ के नेता को बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि सुपरवीजन नहीं है वल्कि इसलिये बनाया है कि सुपरविजन हो : लोकल लोग इसमें इन्टरेस्ट लें और कोठारी कमीशन ने भी कहा है जो रुरल एरिया में स्कूल खुले वो नेबरहुड मे स्कूल खुले, उसमें पेरेन्ट्स का सुपरविजन होना चा हये ।

एक माननीय सदस्य : जबर्दस्ती हस्तक्षेप करते हैं आप ।

श्री बरकतुल्लाखां : सरकार के तो हाथ में ही नहीं है । पंचायती राज के हाथ में है । वह भी इलेक्टेड नुमाइन्दा हैं । अपने तरीकों से वे भी अपने विभाग चलाते है ।

आज इस सदन में कुछ बातें कही गई हैं । इसके बारे में अर्ज करना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि दो माननीय सदस्य एक शेरगढ व दूसरे दांता रामगढ से आने वाले ने कहा कि कोई ऐसी कविता लिखी है जो लोगों के दिलों को तकलीफ पहुंचाने वाली थी । मैं सदन में ऐलान करना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से न तो मैं देख सकता हूं, न सैक्रेटरी देख सकता है कि किस किताब में हैट्रेड पैदा करने वाली बात है, किसमें नहीं है । इसलिये अनाउन्स करता हूं कि मैं कुछ दिनों में एक बड़ी हाई पावर कमेटी बनाऊंगा जिसमें जनता के खास आदमी को कोई शिकायत हो, उसकी धर्म, जाति, देश, उसके प्रदेश के बारे में गन्दी बात कही गई हो तो रैफर कर दें और कमेटी सुओ-मोटो उस किताब को मंगावे, उसे देखे, चेप्टर पढ़े और इसके बाद अगर उस कमेटी के दिमाग मे आ जावे कि वाकई गलत बात लिखी है तो या तो उसे हटा दिया जावे या वह चेप्टर काट दिया जावे या वह सारी किताब ही स्कूल से ही हटा दी जावे तो सरकार हटा देगी ।

श्री विजयसिंह रावत : कब बना दी जावेगी यह कमेटी ?

श्री मदनसिंह दांता : धन्यवाद देता हूं इसके लिये । वैसे यह किताब बन्द तो हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष : उसका निर्णय भी यह कमेटी करेगी ।

श्री बरकतुल्लाखां : कुछ एजूकेशन के लोग होंगे, ला का जानने वाला भी उसमें होगा और वे सब चीजों को देखेंगे । उन पर गौर करेंगे और सरकार को अपनी

(श्री बरकतुल्ला खां)

सिफारिशें करेंगे। अब अगर इसको हम हटा देने की बात करेंगे तो फिर यह कहा जावेगा कि मिनिस्टर अपनी तरफ से हस्त–क्षेप करते हैं। इसलिये मैं सारे अधिकार इस कमेटी को दे देता हूं जिसमें एक कानून का जानने वाला भी जरूर होगा।

श्री मदनसिंह दांत: जहां से पुस्तक ली वह मैं कह रहा था।

एक माननीय सदस्य: आगे के लिये होगा यह तो। इनके लिये ?

श्री बरकतुल्लाखां: हमें इसको भी देखना पड़ेगा। यह तो नहीं हो सकता कि आप ने फरमाया और कह दूं मैं कि प्रोस्क्राइब कर दो। मुझे भी इसके लिये ड्यू इन्क्वायरी करानी पड़ेगी। सब समझना पड़ेगा और सारे प्रोसीजर को खत्म करने के बाद यह प्रोसेस मेरे और मेरे सैक्रेटरी के बीच न रहे। बाद में यह होगा कि झट देखा तो जिसको शिकायत हो वह कमेटी को लिख दे। और रिपोर्ट उसकी आने के बाद उसे मैं सदन में पेश कर दूंगा।

इस तरह अर्ज कर रहा था। विश्व–विद्यालय के बारे में कहा गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि दो माननीय सदस्यों ने विरोधी दल के माननीय नेता ने और श्री खेतसिंहजी ने बात कही। मैं उन लोगों में से हूं कि जो मानते हैं कि यूनीवर्सिटी को ओटोनोमस रहना चाहिये। पर साथ ही यह भी विचार रखता हूं कि किसी न किसी आर्गेनाइजेशन को कोई न कोई जिम्मेदारी सम्भालनी पड़ेगी।

मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि यूनीवर्सिटी को ओटोनोमी की इज्जत करते हुए भी यह सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर उनकी शिकायत कोई यूनीवर्सिटी की आई जिसमें हम प्राइमा फैसी केस साबित होने के बाद एन्क्वायरी करने के बाद समझें कि यह केस ठीक है आगे जाना चाहिये तो मैं यह यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं एजूकेशन मिनिस्टर हूं बिलकुल उस केस को चान्सलर के समक्ष लेकर जाऊंगा क्योंकि सीधा यूनीवर्सिटी के अधिकारों में, मैं हस्त–क्षेप नहीं करना चाहता पर चान्सलर की सेवा में जाने का अधिकार मैं भी रखता हूं उसका पूरा पूरा उपयोग मैं करूंगा और चान्सलर साहब की सेवा में जो शिकायतें आवेंगी प्राइमा फेसी एन्क्वायरी कराने पर अगर उनमें सब्सटेन्स होगा तो चान्सलर साहब की सेवा में पेश करूंगा और उनको कान्स्टीट्यूशनल अधिकार है कि वे स्वयं उसको देखकर जांच कर कोई कमेटी अपा–इन्ट कर दें। तो मैं किसी भी ठीक बात को चान्सलर के पास ले कर जाने की इच्छा रखता हूं। आखिर यूनीवर्सिटी के बारे में कोई गलत फहमी किसी को हो तो वह दूर होनी ही चाहिये और अगर सही रास्ते पर नहीं है तो चान्सलर ठीक करेंगे यह मानकर चलना चाहिये हम सबको और अगर सही रास्ते पर है तो कोई बात नहीं है।

इसी तरीके से मैं अर्ज कर रहा था कि आज कल के युग के अन्दर इस बात को

(श्री बरकतुल्ला खां)

वाकयी ध्यान में रखने की जरूरत है कि एजूकेशन टैक्नीकली ओरियेन्टेड होनी चाहिए। एक जमाना था जब हमारे देश में अज्ञान इतना था और विज्ञान की भूख आज भी है। जिस तरह से जमीन की भूख किसान को है उसी तरह से हमारे लोगों को विज्ञान की भूख है। तालीम हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं पढ़ने के लिए कोई भी सिविलाइज्ड़ गवर्नमेंट हो उसका फर्ज है कि लोगों को पढ़ने का मौका दे और इस बात का मौका दे कि ज्यादा से ज्यादा टैक्नीकल तालीम हासिल करें और खास तौर से इस जमाने में जबकि टैक्नीकल एजूकेशन की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए लेकिन अभी टीचर्स के बारे में जिक्र आया कि जो एस० टी० सी० ट्रेण्ड टीचर्स हैं उनकी एक समस्या आई है उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। आज भी हमारे यहां राजस्थान के अन्दर ट्रेण्ड टीचर्स की कमी है। फर्क यह पड़जाता है कि कुछ लोग जो भरतपुर और अलवर में रहने वाले हैं जो जोधपुर और बीकानेर को जाने को तैयार नहीं हैं। मैं इसके लिए यही कर सकता हूं कि सब लोगों से यह दरख्वास्त करूंगा और मैं पंचायती राज्य के मिनिस्टर साहब को खत भी लिखूंगा कि आइन्दा भर्ती के लिए जो टीचर्स अलवर और भरतपुर से बीकानेर और जोधपुर मे नौकरी करना चाहें तो वह उनसे बांड ले लें कि ५ साल तक अपना तबादला नहीं चाहें। क्योंकि भरतपुर और अलवर क्षेत्र में टीचर्स ज्यादा ट्रेण्ड हो गए और कुछ अर्से के बाद सब वहीं पर रहना चाहते हैं और वहां पर इतनी जगह नहीं है इसलिये मैं यह समझता हूं कि हम इस बात की कोशिश करें कि जो हमारे ट्रेण्ड टीचर्स हैं उनको सबको एक जगह नहीं तो दूसरी जगह, दूसरी जगह नहीं तो तीसरी जगह उनकी खपत कर ली जाये और यह भी यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिन इलाकों में टीचर्स ज्यादा ट्रेण्ड हो गये हैं तो वहां नये इन्सटीट्यूशन्स नहीं खोलेंगे और वहां पर दूसरी प्राईवेट इन्सटीट्यूशन्स को भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे।

मैं अर्ज कर रहा था पब्लिक स्कूल्स के बारे में। कोई भी शख्श जानता है कि पब्लिक स्कूल का पढ़ा लिखा लड़का और दूसरी जगह पढ़ा लिखा लड़का दोनों में कोई कम्पीटीशन नहीं हो सकता क्योंकि पब्लिक स्कूल वाले लड़कों को यह फायदा है कि उसके माता पिता के पास पैसा है और चूंकि उनके पास पैसा है तो उस ा वह नाजायज फायदा उठाते हैं........

एक माननीय सदस्य : नाजायज !

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इसको नाजायज कहता हूं क्योंकि जब इक्वल अपोर्चुनिटी सब को देते हैं तो एक आदमी को जिसको कि अच्छी अपोर्चुनिटी मिल जाती है पढ़ने की, वह कम्पीटीशन में ज्यादा अच्छे ढंग से आ सकता है....

श्री केसरी सिंह : जब सरकारी स्कूल ही अच्छे हो जायें तो वहां क्यों जाये ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं इस पाइन्ट से एग्री करता हूं लेकिन हम इस पोजीशन में नहीं हुए ..

श्री केसरी सिंह : मन्त्रियों के बच्चे भी तो सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ते हैं।

श्री बरकतुल्ला खां : मेरे तो कोई बच्चा ही नहीं है। हां मेरी नीसेज हैं। वह न तो महारानी गायत्री देवी स्कूल मे पढ़ती है। न सेंट एंजिला में पढ़ती हैं। वह सब गवर्नमेन्ट स्कूल में पढ़ रही हैं। तो जैसा मैं अर्ज कर रहा था कि जो यह पब्लिक इन्सटीट्यूशन्स बनीं यह उस समय बनी हैं जब कि अंग्रेजों ने, यूराप में, और इंग्लैंड में, सोचा था कि कुछ पर्टीकुलर क्लास से लोग ही हुकूमत कर सकते हैं और हुकूमत चला सकते हैं और बाकी के लोगों को उनके अण्डर में सर्व करना है। और उसका नतीजा यह हुआ है कि इन स्कूलों के जरिये पैसे वालों के बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि यह सहूलियतें आम तौर से आम लोगों के बच्चों को उपलब्ध नहीं हैं। हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी है और उसमें इतना सख्त कदम लेना मुनासिब नहीं होगा कि हम ओवरनाइट उनको बन्द कर दें। मैं एजूकेशन मिनिस्टर की हैसियत से मानता हूं कि पब्लिक स्कूल्स को चूंकि रुपयों का फायदा है, उनके पास में टीचर्स ज्यादा ट्रेण्ड हैं, लाइब्रेरीज उनकी ज्यादा अच्छी है, उनमें जो बच्चे जाते हैं, उनके पेरेन्ट्स अच्छे एजुकेटेड हैं और उनको सरटेन एडवान्टेजेज हैं लेकिन मैं समझता हूं कि अभी वह वक्त नहीं आया हम तो अपने स्टेन्डर्ड को ऊपर नहीं ला सकते और जो ऊपर है उसको नीचे ले आयें। मैं समझता हूं कि यह भी मुनासिब नहीं होगा लेकिन यह जरूर है कि जैसे शास्त्री जी की डेथ पर कुछ पब्लिक स्कूल वालों ने अपने स्कूल बन्द नहीं किये। अगर मेरे एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए अगर मेरे पास ऐसी खबर आई कि यह स्कूल नेशनल डेज पर या देश के इम्पारटेन्ट लोगों के बारे में कोई इस तरीके का हल्का विचार रखते हैं तो कड़े से कड़ा कदम उनके खिलाफ लिया जायेगा और उनको सजा दी जायेगी।....

श्री गिरधारी लाल व्यास : बिहार और यू० पी० में पब्लिक स्कूल बिलकुल बंद कर दिये हैं।

श्री नत्थासिंह : राजस्थान में तो इन पब्लिक स्कूल्स को बन्द करने का मौका तब आयेगा जब कि आप बदल जाओगे।

श्री बरकतुल्ला खां : यू० पी० में बन्द नहीं हुए और दिल्ली के अन्दर भी दिल्ली पब्लिक स्कूल भी चल रहा है और सब जगह चल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर आप इनको बन्द नहीं करते हैं तो इनकी एड तो बन्द कर दो ताकि यह पैसा हमारी दूसरी स्कूलों के काम में आये।

श्री बरकतुल्ला खां : इन पब्लिक स्कूल्स को कोई रेगुलर ऐड नहीं मिल रही है। उसका तरीका है और वह यह है कि नान-रेकरिंग ग्रान्ट मिलती है और उसके लिए मैंने इन्सट्रक्शन्स इश्यू कर दिये है कि इनको

(श्री बरकतुल्ला खां)

अब जो ग्रान्ट दी जायें वह कमेटी अपनी रिकमन्डेशन मिनिस्टर को सबमिट करके मिनिस्टर की एप्रूवल लेकर दी जाये और किसी स्टेज पर उनको ग्रान्ट नहीं दी जाये। मैं इसको बन्द नहीं करना चाहता हूं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : मन्त्री महोदय जब आप इसको बुरा समझते हैं तो इनकी एड को आपको बन्द करना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : आप इस तरह से करके समाज में विषमता कायम करते हैं। जब आप इसको बुरा मानते हैं तो क्यों उनको एड देना चाहते हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैंने कह दिया कि एड जो दी जायेगी वह रूल्स को चेन्ज करके दी जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : दी ही नहीं जानी चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहते हुए ऐसे एड मिलेगी तो मैं उपयोगी नहीं समझता हूं।

श्री बरकतुल्ला खां : दूसरी चीज जो आखिर में अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि इस साल धन के अभाव में जो चौथी पंचवर्षीय योजना में हम हायर सैकेन्डरी स्कूल्स खोलना चाहते थे, वह फोर्थ फाइव ईयर प्लान में करीब करीब सब खोल दिये गये और अब भी कोशिश करूंगा कि किसी तरह से रूपया बचे या रुपया और कहीं से मिले तो और स्कूल खोलने की कोशिश करूंगा लेकिन उसमें दिक्कत यह आती है कि पहले तो हमारा ११ ईयर्स कोर्स था और अब कोठारी कमीशन ने १० प्लस २ साल का कोर्स करने की सिफारिश की है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि १० साल का कोर्स रखें या १२ साल वाला कोर्स रखें या फिर ११ साल वाला कोर्स रखें। इसमें कोई भी पोजीशन लेते हैं तो कभी भी जाकर उसके विपरीत हो सकती है.......

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा यह कहना है कि बारां क्षेत्र में कोयला क्षेत्र में २६ हजार रुपया देने के लिए तैयार हैं, बिल्डिंग देने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को वहां हायर सैकेन्डरी स्कूल खोलने में क्या दिक्कत है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गवर्नमेन्ट ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं लिया ?

श्री बरकतुल्ला खां : एम० पी० की कमेटी बैठी थी उसमें दो एक सवाल चल रहे हैं कि टू लेंग्वेज फार्मूला हो या थ्री लेंग्वेज फार्मूला और उसमें मैं माननीय सदस्यों से अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान थ्री-लेंग्वेज फार्मूला को मानता है। उसके साथ ही साथ जो आल इन्डिया पैटर्न होगा। उसको हम मानेगें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष मेरा एक प्रश्न रह गया।

श्री उपाध्यक्ष . Order please.

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : ग्राप यह बता दें कि ग्राप एफ० एस० सी० के लिए क्या करना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मुख बन्द का उपयोग कर लिया गया है इसलिए सभी चर्चायें समाप्त हुईं।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्राश्वासन दिला दें कि जो प्रश्न बाकी रह गये हैं ग्रौर जिनका उत्तर नहीं दिया गया उनके उत्तर भिजवा दिये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सभी चर्चायें समाप्त की जाती हैं। इन मांगों पर मतदान ग्रौर बाकी की मांगों पर मुख-बन्द का प्रयोग होगा।

श्री पी० के० चौधरी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने एक किताब में से एक एक्सट्रेक्ट पढ़ा था ग्रौर यह कह कर पढ़ा कि वह किताब माननीय ग्राचार्य जी ने लिखी। मेरी जहां तक जानकारी है उन्होंने इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं लिखी है। दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिए कि पुस्तक प्रकाशित होती है लेकिन मैं उसको यह मानता हूं कि ग्रध्यक्ष महोदय की लिखी गयी किताब का यहां उद्धरण नहीं दिया जाना चाहिए.. ....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री पी० के० चौधरी : इसलिए यह एक्सपन्ज कर दिया जाये, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उसी स्थिति में उठाया जा सकता है जब यह मसला उठा हुग्रा हो....लेकिन विचाराधीन नहीं है। जिस वक्त उसकी चर्चा हो रही थी उस समय यह पोइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उठाना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : चर्चा तो डिमान्ड्स पर हो रही है ग्रौर डिमान्ड्स पर बोलते हुए ही कहा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न जब सदन के सामने उठा उस समय माननीय सदस्य को ग्रापत्ति होती तो वे पॉइन्ट ग्राफ ग्रार्डर उस समय उठा सकते थे। इसलिये इस समय पॉइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

जब एक विषय से दूसरे विषय पर जा रहे हों उस वक्त भी उठाया जा सकता हैं क्योंकि ग्रापने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है वह बात तीन चार घंटे पहले की है। इस प्रश्न पर सुविधा के ग्रनुसार कभी भी विवाद उठा सकते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : फिर कब उठायेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह तो आपत्ति का प्रश्न उठाया गया है उस संबध में मुझे यह निवेदन करना है कि इस सदन को अध्यक्ष के संबंध में इतने अधिकार हैं और वे इतने विस्तृत हैं कि अध्यक्ष को अपदस्थ कर नया अध्यक्ष बना सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्योंकि नेता महोदय ने प्रश्न उठाया इसलिये पॉइन्ट आफ ऑर्डर कब उठाया जा सकता है यह मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा :—

'A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.'

श्री पी० के० चौधरी : At the moment is the Adjournment motion under discussion?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुविधा के अनुसार कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : जब वह विषय समाप्त हो गया और मुखबन्द का प्रयोग होगया, तो आप उसको अभी नहीं उठा सकते। मांगों पर मतदान हो रहा है ऐसी स्थिति में पॉइन्ट आफ ऑर्डर नहीं उठाया जा सकता।

श्री पी० के० चौधरी : अभी तक मतदान के लिये मांगे पेश नहीं की गई है। मेरा जो निवेदन है उसको वेरीफाई कर लिया जाय। अध्यक्ष महोदय से वेरीफाई कर सकते हैं वे चेम्बर में बैठे हुए हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें वेरीफिकेशन की आवश्यकता नहीं है माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। न मालूम वे क्यों बोल रहे है ?

श्री विजयसिंह रावत : इतना कहने के बाद भी चौधरी जी आपको कानून मंत्री नहीं बनाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २५,४९,३२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २४

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २४, मुख्य शीर्षक ३९-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,२१,१७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३२

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६८-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के संबन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को ८५,१३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३२ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ६

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १४-स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ५,०१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ६ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ७

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १५-पंजीयन शुल्क के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,६४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ७ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ८

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक १८-संसद, राज्य, संघ राज्य चेत्र विधान सभाओं के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ४३,७४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ८ स्वीकार की गई।

मांग संख्या १०

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २१-न्याय-प्रशासन के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ७५ ६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १० स्वीकार की गई।

मांग संख्या १३

प्रश्न यह है कि मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक २६-विविध विभाग के संबन्ध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,०५,२३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या १३ स्वीकार की गई।

मांग संख्या २६

प्रश्न यह है कि मांग संख्या २६, मुख्य शीर्षक ६५-निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ-७२-निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री उपाध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को १,५६,२२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या २९ स्वीकार की गई

मांग संख्या ३०

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३०, मुख्य शीर्षक ६६-प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३० स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३१

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३१, मुख्य शीर्षक ६७-भारतीय नरेशों के निजी व्यय तथा भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३१ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७१-विविध के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १,६८,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३४ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३५

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७६-अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ६८,७६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३५ स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३६

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७८-का-राष्ट्रीय आपत्काल के सम्बन्ध में व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ११,५०,००० रु० तक....

श्री पी० के० चौधरी : एक व्यवस्था का प्रश्न है। पॉइन्ट आफ ऑर्डर, उपाध्यक्ष महोदय। मांग संख्या ३६ इसमें है ही नहीं।

श्री सतोशचंद्र अग्रवाल : पोइन्ट आफ आर्डर नहीं उठ सकता है बीच में।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : No point of Order can be raised at this stage.

श्री उपाध्यक्ष :... तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३६ स्वीकार की गई ।

मांँग संख्या ३७

प्रश्न यह है कि मांग सं० ३७, मुख्य शीर्षक ६२-भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति देय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,५०,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ३७ स्वीकार की गई ।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, अंग्रेजी में 'नो' कह दिया था, हिन्दी में में हमारा मतलब 'ना' से ही था ।

(हंसी)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : लाखों और करोड़ों रुपया लेकर भी 'हां' जोर से नहीं बोलते हैं ।

मांग संख्या ४२

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक १०३-सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को ३,३९,७७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४२ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४३

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४३, मुख्य शीर्षक १०९-अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को १२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४३ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४४

प्रश्न यह है कि मांग सं० ४४, मुख्य शीर्षक ११४-सड़क तथा जल-परिवहन योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,१०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग संख्या ४४ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४५

प्रश्न यह है कि मांग संख्या ४५, मुख्य शीर्षक १२०-निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च,

(श्री उपाध्यक्ष)

१९६८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को २,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग सं० ४५ स्वीकार की गई।

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी।

वित्त मंत्री (श्री मथुरादास माथुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (सं० १) विधेयक, १९६७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री मथुरादास माथुर ने रखा है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही परसों प्रातः ११ बजे तक के....

(विराम)

८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री दौलतराम सारण : नहीं साहब ११ बजे तक के लिए। आपने पहले ११ बजे कहा है।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : ११ बजे तक के लिए।

(शोरगुल) (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रातः ८ बजे तक के लिए।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही सायंकाल ५.४५ बजे सोमवार, दिनांक १९ जून, १९६७ के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट सं. १

(कृपया प्रश्न संख्या ५७८ का उत्तर देखिये)

तहसील चित्तौड़गढ़, बड़ीसादड़ी, एवं कपासन में प्रारम्भ किये गये राहत कार्यों का विवरण।

क्र. सं.	नाम कार्य	नाम अभिकरण	कार्यों की वर्तमान स्थिति
१.	तहसील चित्तौड़गढ़		
	समलपुरा अभयपुरा	वन विभाग	चालू है
२.	तहसील बड़ी सादड़ी		
	बड़ी सादड़ी छोटी-सादड़ी सड़क	भवन व पथ	चालू है
	जोहेड़ा तालाब	सिंचाई विभाग	,,
	महुडां तालाब	,,	,,
	नलवांई तालाब	राजस्व विभाग	,,
	पींड से खेरमालिया सड़क	राजस्व विभाग	,,
	रतीचन्दजी का खेडा सड़क	,,	,,
३.	तहसील कपासन		,,
	चित्तोड़गढ़ से कपासन वाया लांगच सड़क	भवन पथ	,,
	लांगच से सिंगपुर वाया हिंगोरिया सड़क	,,	,,
	कपासन-राशमी वाया बामनोया सड़क	,,	,,

१	२	३	४
	कपासन–काराई–पहुनी सड़क	भवन पथ	चालू है
	कपासन–रोलिया–उखन्ड सड़क	,,	,,
	ताणा–निलोद–दौलपुरा सड़क	सिंचाई	,,
	कांकरिया फीडर	,,	,,
	तुरकिया तालाब	वन विभाग	,,
	वन अभिकरण ताणा पैंडोक	राजस्व	,, २५-५-६७ को स्वीकृति दी गई
	जावा तालाब	,,	,, ,, ,,
	चाकूड़ा तालाब	,,	,, ,, ,,
	पीपलखेडी तालाब	भू–संरक्षण	,, २५-५-६७ को पूर्ण हो जाने से बन्द
	रण्डीवारड़ी	भू–संरक्षण	,, ५५-३-६७ का पूर्ण हो जाने से बन्द
	मैवदा	,,	,, २३-३-६७ को पूर्ण हो जाने से बन्द
	भूटनिया मगरी	,,	,,
	ववराना	,,	चालू है।
	काकरवा	,,	२३-३-६७ को पूर्ण होने से बन्द
	पलासिया	,,	१३-१-६७ को ,, ,,

१	२	३	४
	रामपुरिया	,,	चालू है।
	रूपपुरा	,,	,,
	भूपालसागर	,, ,,	,, ,,
	बुधाखुड़ा	,, ,,	
	सण्डीयारड़ी	,, ,,	

परिशिष्ट संख्या २

(कृपया प्रश्न संख्या ५८० का उत्तर देखिये)

माह जनवरी एवं फरवरी, ६७ में राहत कार्यों पर किये गये व्यय का जिलेवार विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	माह जनवरी, ६७	माह फरवरी, ६७
१.	अजमेर	१६,८७७-५२	१,०५,०००-००
२.	बांसवाड़ा	२,८०,०७०-००	४,५५,८५१-५६
३.	डूंगरपुर	१,३०,७४३-३६	७,८३,३८७-६७
४.	बाड़मेर	३२,३३२-४६	६,३४,८०६-६७
५.	जैसलमेर	—	६,००,०००-००
६.	जोधपुर	१६,६४०-६८ } ११,३११-३३ }	१,१५,४३७-६४
७.	भीलवाड़ा	८६,७४४-१२	५,६३,०६५-४७
८.	चूरू	—	१२,२६,६२३-०६
६.	चित्तौड़गढ़	२१,२२२-३२	६८,३५३-६१
१०.	जयपुर	६१,२६७-६८	—
११.	झालावाड़	६,२४७-००	१३,१७८-४२
१२.	झुंझुनूं	(-) ६४५-८४	(-) १३,२०५-४१
१३.	पाली	४२,०३६-४७	३३,६१६-८६

Page No.171

१	२	३	४
१४.	टौंक	१,००,८०२-२५ २,७४,१०८-४०	५,८६,८४८-३३
१५.	सवाई माधोपुर	६,३५०-००	१७,३६५-००
१६.	गंगानगर	—	२५७-५६
१७.	उदयपुर	६,३२,२२१-६७	१३,६४,३८५-४१
१८.	बीकानेर	१,६५७-५३	५,७२६-८८
१९.	सीकर	—	—
२०.	नागौर	६४,२९४-६४	५,४६,६११-२९
२१.	जालौर	१९,९९९-४८	२०,०००-००
२२.	बून्दी	७,४८८-००	३०,८३६-९४
२३.	कोटा	२०,४७५-९६	६६,५८२-९५
२४.	सिरोही	६७,४८६-५६	२,१९,३१३-०७
	योग—	१९,३२,७६१-६२	८१,१०,०८२-३४

Page No.172

परिशिष्ट सं ३

(कृपया प्रश्न संख्या ५६० का उत्तर देखिये)

सूची पटवारियान जिनको एक ही सर्किल पर चार या पांच वर्ष हो गये हैं, तहसील प्रतापगढ़ ।

क्र० सं०	नाम पटवारी	सर्कल	सर्कल में तैइनात का दिनांक
१.	श्री रतनलाल नृसिंहपुरा	गेवर	१०-७-६१
२.	श्री तेजसिंह राजपूत	सेवना	१०-७-६१
३.	श्री सज्जनलाल घोड़ा	ग्रमलावद	१-८-६१
४.	श्री बसनलाल भाचावत	सुहागपुरा	१-८-६१
५.	श्री बसन्तलाल नागर	देवगढ़	१-८-६१
६.	श्री निर्भयराम राजपूत	वीरपुर	२-८ ६१
७.	श्री ग्रमृतलाल शर्मा	रढ़िया	२०-८-६१
८.	श्री खुमानसिंह राव	मथुरातालाब	२६-८-६१
९.	श्री मनोहरलाल लसोड़ा	चूपना	५-१०-६१
१०.	श्री मथुरालाल शर्मा	रठाजना	११-१०-६१
११.	श्री हीरालाल उपाध्याय	पीलू	२०-१०-६१
१२.	श्री बसवन्तलाल व्यास	लीवजर्व	१३-११-६१
१३.	श्री चत्रभुज धाभाई	फतहगढ़	६-१२-६१
१४.	श्री कैलासगीर गुसाई	लालगढ़	३०-१२-६१

१	२	३	४
१५.	श्री मोहनलाल पतंगीया	झासंडी	११-१०.६१
१६.	श्री रामचन्द्र राव	अचलपुर	१-८-६१
१७.	श्री रशीद अहम्मद	साखतली खुर्द	२०-६-६१
१८.	श्री वेणीराम	खेरोट	१३-१०-६२
१९.	श्री भगवान लाल	निनोर	४-१०-६२

परिशिष्ट सं ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर देखिये)

हलवाइयों को दिये जाने वाले मासिक शक्कर के आवंटन को जिलेवार तालिका।

(दर्शाई गई मात्रा टनों में)

क. सं.	नाम जिला	राजस्थान का मासिक आवंटन जब ६३६० टन था तबः— हलवाइयों हेतु चीनी की मात्रा	चीनी उपभोक्ताओं हेतु चीनी की मात्रा	योग कालम ३, ४	राजस्थान का मासिक आवंटन जब ५८४९ टन हुआ तब हलवाइयों, होटलों एवं चीनी उपभोक्ताओं हेतु किया गया आवंटन
१	२	३	४	५	६
१.	अजमेर	६५	३६	१०१	३३
२.	अलवर	२५	९.५	३१.५	२३
३.	बांसवाड़ा	१०	९	१९	११
४.	बाड़मेर	६.५	४	१०.५	५
५.	भरतपुर	२८	२५	५३	१५.५
६.	भीलवाड़ा	१०	१९	२९	१६.५
७.	बीकानेर	६०	९.५	६९.५	१५
८.	चित्तौड़गढ़	१३.५	१४	२७.५	३.५
९.	बून्दी	८	७	१५	७

१	२	३	४	५	६
१०.	चूरू	१७	१७.५	३४.५	१५
११.	डूंगरपुर	८	९.५	१७.५	५
१२.	गंगानगर	३७,५	१५	५२.५	२५
१३.	जयपुर	१२०	५५	१७५	८३.५
१४.	जैसलमेर	५	१२	१७	७.५
१५.	जालौर	८	५.५	१३.५	१०.५
१६.	झालावाड़	१५	५	२०	६.५
१७.	झुंझुनू	२०	५	२५	१८
१८.	जोधपुर	६५	१७.५	८३.५	१६.५
१९.	कोटा	५५	२९	८४	२३
२०.	नागौर	१५	९	२४	१३
२१.	पाली	१५	६.५	२१.५	१३
२२.	सवाई माधोपुर	८	१५	२३	५.५
२३.	सीकर	१२	४.५	१६.५	१८.५
२४.	सिरोही	१०	८	१८	१०.५
२५.	टौंक	४.५	५	९.५	७.५
२६.	उदयपुर	६७.५	४६	११३.५	१८

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिवायचक भूमि का अलॉटमेंट

५९५. श्री सुवालाल चौधरी (दूदू)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील फुलेरा में ग्राम नरेना, आकोदा, शार्दूलपुरा, हरिपुरा, आसलपुर, हिरनोदा, बोवास, ढानी बोराज, महसवास, कारसीवा, नागला, हबसपुरा, में कितनी जमीन सिवायचक है ?

(२) क्या यह जमिन भूमिहीनों को अलॉट की जावेगी ? अगर हां तो कब तक ?

उत्तर

१—इन ग्रामों में जहां जहां जितनी सिवाय चक भूमि उपलब्ध है उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी है।

२—तहसीलदार फुलेरा ने सिवाय चक गैर मकबूजा भूमि आवंटन का प्रोग्राम दिनांक १५-६-६७ तक का बनाकर एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों को सूचित कर दिया है। इस अवधि में आवंटन-कार्य तहसीलदार व कमेटी द्वारा संभवतः पूरा कर दिया जावेगा।

प्रश्न सं० ५९५ के प्रश्न १ के अन्तर्गत सूची

नाम पंचायत	नाम ग्राम मय रकबा				
१—नरेना	नरेना	३०९।१			
२—आकोदा	रेडीराम २)	पालवास १६७)४	आकोदा १०।।२		
३—सादुंल पुरा	बागपुरा ५३)२	सादुंल पुरा ३।३	हीरापुरा ८)३	सायलपुरा १०।।।१	मातरडा २४६।)१
४—हरिपुरा					
५—आसलपुर	आसलपुर —	बाढ मथुरादास —			
६—हिरनोदा	हिरनोदा ८।२				

Page No.177

नाम पंचायत	नाम ग्राम मय रकबा
७—बोबास	कंवरपुरा बोबास डाकणियावास बामनिया वास ढाकावाला — ४१।।।१ ७२।।१ १२५।।।२ —
८—ढाणी बोराज	ढाणी बोराज ठीन्डा ४)४ —
९—सहसवास	महसवास ५४)१
१०—कोरसीना	कोरसीना जावली सरथला छापरी नागल गोविन्दपुरा ६७०।४ ९५१।।) २२३।।।३ ५२४।।। २७३।।।४ — डांडवाड़ा —
११—नांगल	नांगल २७२।।।४
१२—हवसपुरा	बिराबता सीमला हचकडा कांल्या सीतारामपुरा मोरडीखुर्द १३००)१ १२३३।।) १९२।।।) १०७५।।२ १६९।।।३ ७९।३ दोवडी ३३१)१

ह०/तहसीलदार

फुलेरा

——

झोटवाड़ा में प्राथमिक विद्यालय का भवन

५९६. श्री लादूराम सुलानिया : (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति झोटवाडा (जयपुर) द्वारा ग्रामीण जनता द्वारा बनाये गये प्राथमिक विद्यालय के भवन को विद्यालय के उपयोग हेतु दे दिया गया है ? यदि हां तो कब और नहीं तो क्यों नहीं ?

(२) उक्त विद्यालय भवन हेतु कितने कमरे कब कब तैयार कराये गये और वे किस किस उपयोग में लिये जा रहे हैं ?

(३) क्या झोटवाड़े में इस विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय हैं ? यदि है, तो उनमें कितने कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ?

(४) क्या यह सत्य है कि आबादी व विद्यार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) ३ कमरे दिसम्बर, १९६५ में बनाए गये जो अपूर्ण हैं। किसी उपयोग में नहीं आ रहे हैं।

(३) जी हां। प्राथमिक कन्या विद्यालय में १०९ विद्यार्थी, भिवानी निकेतन हायर सैकेण्डरी की प्राथमिक कक्षाओं में १८६ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं।

(४) जी नहीं।

पंचायत समिति कामां व नगर द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्य

५९७. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति कामां और पंचायत समिति नगर, जिला भरतपुर ने यह प्रस्ताव पास करके सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेज कर यह मांग की है कि गुलपाड़ा से. डाबक, कैथवाड़ा, राफ, अमरका, अमाका सोमका, सहसन, लाडला होती हुई जुरहड़ा तक पक्की सड़क का निर्माण कराया जावे ? यदि हां तो, यह प्रस्ताव कब और किस तारीख को मिला और इस विषय में क्या विभागीय कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं की गई है, तो क्यों ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में पुन: विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

पचायत समितियों के प्रस्ताव के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

तहसील किशनगंज व मांगरोल में फसल को नुकसान

५९८. श्री नंदलाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा

(श्री नन्दलाल)

करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज व मांगरोल में असमय बरसात व ओलावृष्टि के कारण रबी की फसल को बहुत नुकसान हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि सम्बन्धित पंचायत समितियों ने प्रभावित क्षेत्रों को अकालग्रस्त घोषित करने के लिए सरकार से निवेदन किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१ उक्त दोनों तहसीलों में रबी की फसल को हानि भिन्न २ गांवों में भिन्न २ मात्रा में हुई है।

(२) पंचायत समितियों से इस प्रकार के प्रस्ताव जिलाधीश कोटा को भिजवाये हैं जहां इनकी जांच की जा रही है।

ठेकेदारों को एग्रीमेन्ट से अतिरिक्त अधिक रकम का भुगतान

५९९. श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सन् ६५-६६ व ६६-६७ में किस किस ठेकेदार को मूल एग्रीमेन्ट के अतिरिक्त कितनी कितनी रकम का अधिक भुगतान किया गया और क्यों ?

(२) इस भुगतान की स्वीकृति कहां से कब कब प्राप्त हुई और इसका भुगतान या एडजस्टमेन्ट कब कब किया गया ? कृपया तालिका सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

तहसील पाली की पेटा काश्त भूमि

६००. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली तहसील में किन-किन जगहों पर पेटा काश्त होती है और कितने कितने बीघों में होती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि इस पेटा काश्त भूमि में पिछले वर्ष में भूमि का वितरण हुआ ? यदि हां तो किन किन को और कितनी कितनी भूमि का ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) पाली तहसील में हेमावास बांध लोडिया तालाब व खारडा बांध में पेटे काश्त होती है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां ! सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अजमेर-भीलवाड़ा रूट का राष्ट्रीयकरण

६०१. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अजमेर-भीलवाड़ा रूट का राष्ट्रीय करण करने का निर्णय कब लिया गया था ?

(२) कितनी बार यह स्कीम हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुई ?

(३) रिजेक्ट किन कारणों से हुई ? स्कीम बनाने वाले कर्मचारियों की उनकी त्रुटि के कारण तनज्जुलि की गई या तरक्की की गई ?

(४) क्या यह सही है कि दुबारा फिर इस स्कीम को बनाया गया है और इसके सम्बन्ध में अब भी सम्बन्धित कार्यालय में पेशियां ही पड़ती जा रही हैं ?

(५) कितनी बार इन पिछले वर्षों में इसकी पेशियां पड़ी हैं ?

(६) इस विलम्ब को हटाने के लिये कौन से कदम सरकार उठा रही है ताकि भविष्य में उक्त रूट का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण हो सके ?

उत्तर

(१) सर्व प्रथम अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना भूतपूर्व रोडवेज विभाग द्वारा राजस्थान राजपत्र दिनांक १०-११-६० में प्रकाशित की गई थी।

(२) यह योजना उच्च न्यायालय द्वारा कभी निरस्त नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने अनुमोदित योजना के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर दिनांक २१-४-६३ को निर्णय दिया कि इस योजना की सम्बन्धित अधिकारी द्वारा पुनः सुनवाई की जाय। पुनः सुनवाई कर विधि परामर्शी ने दिनांक ६-२-६५ को यह आदेश दिया कि यह प्रारूप योजना पुनः प्रकाशित की जाय।

(३) विधि परामर्शी ने योजना के पुनः प्रकाशित करने का आदेश इसलिए दिया कि पहिली प्रारूप योजना में इस मार्ग पर चलने वाली सभी बसों के परमिटों का उल्लेख नहीं हुआ था। इस कमी के लिये निगम के सहायक प्रधान प्रबन्धक के विरुद्ध विभागीय जांच, आयुक्त विभागीय जांच द्वारा की जा चुकी है एवं जांच रिपोर्ट नियुक्ति, क—३ विभाग (को दिनांक १४-४-६७ को प्रेषित कर दी गई है) में विचाराधीन है।

(४) जी हां, प्रारूप योजना पुनः राजस्थान राजपत्र दिनांक १३—१—६६ में प्रकाशित की गई है एवं अब संयुक्त परामर्शी के विचाराधीन है।

(५) योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पत्रों की सुनवाई संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा की जा रही है। अब तक १० भिन्न-भिन्न तिथियों को आपत्ति पत्रों की सुनवाई की गई है।

(६) संयुक्त विधि परामर्शी के पास प्रारूप योजना की सुनवाई में विलम्ब का कारण यह था कि निजी बस चालकों ने उच्च न्यायालय में संयुक्त विधि परामर्शी द्वारा प्रारूप योजनाओं के सुनवाई

के अधिकार को चुनौती दी गई थी अत: उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में आपत्ति पत्रों की सुनवाई के कार्य को स्थगित रखना पड़ा। अब उच्च न्यायालय द्वारा संयुक्त विधि परामर्शी की नियुक्ति को वैध मान लिया गया है।

ग्राम पचायत बरला क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जा

६०२. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील अटरू की ग्राम पंचायत बरला क्षेत्र के आस पास जोधपुर क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से करीब २५०-३०० बीघा जमीन को ट्रैक्टर चलाकर फाड़ लिया है ?

(२) क्या अटरू तहसील से उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की है ? यदि हां तो क्या ?

उत्तर

१—इस जिले की तहसील अटरू की ग्राम पंचायत क्षेत्र बरला के ग्राम बल्देवपुरा की ६० बीघा आराजी जोधपुर क्षेत्र के ५ व्यक्तियों ने अनधिकृत रूप से ट्रैक्टर चलाकर फाड़ ली है।

२—जी हां। तहसीलदार अटरू द्वारा धारा ९१ राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की रावतसर ब्रांच

६०३. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या तहसील नोहर, जिला गंगानगर में राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की रावतसर ब्रान्च से गांव गधेली के डूबने का खतरा है ?

(२) क्या यह सही है कि गांव गधेली के पास नहर की २० फुट की बन्धाई है और गांव की आबादी निर्वाण में है ?

(३) यदि हां तो इस नहर को दो बुर्जो तक पक्की क्यों नहीं बनवाया जाता ?

(४) क्या यह सही है कि सन् १९६५ में नहर टूटने से काफी घर डूब गये थे और अनाज व मकान वगैरह पानी में बह गये थे ?

(५) क्या सरकार इस नहर को पक्की करवाने की तरफ ध्यान देगी ?

उत्तर

१—जी नहीं।

२—जी हां, गांव गधेली के पास आर डी १०८-१११ के बीच रावतसर राजवाड़ा बंधाई में है। बंधाई अधिक से अधिक करीब १५ फुट है—इस बंधाई को मशीनों के द्वारा मजबूत कर दिया गया है। गांव के कुछ भाग की आबादी निर्वाण में है।

३—इस नहर को इन दोनों बुर्जियों के बीच पक्की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नहर की तली को मशीनों के द्वारा मिट्टी से पहले ही मजबूती से भर दिया गया है।

४—जी नहीं ।

५—राजस्थान नहर की उपशाखाओं को पक्का करने का मामला विचाराधीन है।

अकाल राहत कार्य के भारत सेवक समाज को ठेके

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य सरकार द्वारा जो जिला अकाल राहत कमेटी बनाई गई है उसके कौन कौन सदस्य होते हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि भारत सेवक समाज का भी एक सदस्य इसका सदस्य रखा गया है ? यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

(३) क्या अकाल राहत कार्य भारत सेवक समाज द्वारा करवाए जाते हैं या इस संस्था को इन कार्यों के लिए ठेके दिए जाते हैं ? यदि दिये जाते हैं तो किन शर्तों पर ?

उत्तर

१- जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा दो समितियों का गठन किया गया है, जो निम्न प्रकार हैं:-

अ- जिला राहत परामर्श दात्री समिति ।

ब- जिला राहत कार्य समिति ।

इन समितियों के सदस्यों की सूची संलग्न है, जो सदन की मेज पर रखी गई।

२- जी नहीं, भारत सेवक समाज का कोई भी सदस्य जिला राहत समिति का सदस्य नहीं होता है ।

३- जी नहीं, भारत सेवक समाज संस्था के माध्यम से कोई अकाल राहत कार्य नहीं करवाये जाते हैं ।

जिलास्तर पर गठित समितियों के सदस्यों की सूची

अ-- जिला राहत परामर्श दात्री समिति

१- जिलाधीश	अध्यक्ष
२- सम्बन्धित सब डिविजनल आफिसर	सदस्य
३- एग्जीक्युटिव इंजीनियर या असिस्टेन्ट इंजीनियर इरीगेशन व बी. एण्ड. आर.	सदस्य
४- डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल फारेस्ट आफिसर	सदस्य
५- डिस्ट्रिक्ट या डिविजनल वेटेनरी आफिसर	,,
६- जिले के लोक सभा के सदस्य	सदस्य
७- जिले के विधान सभा के सदस्य	,,
८- जिला परिषद के प्रमुख	,,

९– पंचायत समिति के प्रधान ,,

१०– दो गैर सरकारी सदस्य जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार से होगी। ,,

ब-जिला राहत कार्य समिति

१– जिलाधीश

२– जिला प्रमुख

३– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई

४– अधिशासी अभियन्ता, भवन व पथ

इन्द्रगढ़ क्षेत्र के किसानों को बिजली

श्री महेन्द्रसिंह : (पीपलदा) क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कोटा जिले की नायब तहसील इन्द्रगढ़ के क्षेत्र के कई व्यक्ति अपने कुओं पर पावर कनेक्शन्स लेने के लिए तैयार है ? यदि हां, तो फिर किसानों को अपने कुओं पर पावर कनेक्शन्स क्यों नहीं दिये जाते ?

उत्तर

जी हां।

कनेक्शन दिए जाते हैं अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम निम्बाज के पास सड़क पर बेर के वृक्ष

६०६. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील के गांव निम्बाज के पास ग्राम सड़क के दोनों तरफ के बेर के वृक्षों को भूतपूर्व जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति मान लिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि जिस जमीन पर यह वृक्ष खड़े हैं वह जमीन सैटलमेन्ट में खालसा सरकार दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह बेर के वृक्ष भूतपूर्व जागीरदार की व्यक्तिगत सम्पत्ति में गलत माने गये हैं ?

(३) सरकार इन वृक्षों को सरकारी सम्पत्ति घोषित कराने के लिए क्या कदम उठायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। बेर के वृक्ष फलदार पेड़ों की तारीफ में आते हैं और जागीर एक्ट की दफा २३ (iv) के अन्तर्गत फलदार पेड़ जहां कहीं भी स्थित हों निजी सम्पत्ति जागीरदार माने जा सकते हैं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोडवेज के विभिन्न फार्मों का छपाई का कार्य

६०७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस समय रोडवेज में काम आने वाली टिकट, बुक्स, फार्म्स आदि किस रेट

पर कहां छपाये जाते हैं ?

(२) क्या छपी सामग्री को निश्चित स्थानों तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की बसों का उपयोग किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या छपी हुई सामग्री काम में आ जाने के बाद नीलाम की जाती है ? यदि हां, तो कब कब नीलाम की गयी ?

उत्तर

(१) टिकिट व फार्म्स के अलग अलग रेट कान्ट्रेक्ट थे जो कि दिनांक ३१-३-६७ को समाप्त हो चुके हैं। टिकिट व उनसे सम्बन्धित किताबें भारत प्रिन्टिग प्रेस, अलवर में छपाई जाती थी जिसकी रेट सूची 'अ' में दी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है। फार्म्स राष्ट्रीय प्रिन्टिग प्रेस, जयपुर में छपाये जाते थे, जिनकी रेट सूचि–'ब' में दी गई है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है। इस वर्ष के रेट कन्ट्रेक्ट के लिये टेण्डर प्राप्त हो गये हैं जल्द ही तय हो जायेंगे।

(२) जी हां। इससे निगम को फ्रेट चार्जेज रेल्वे व डाक विभाग को नहीं देने पड़ते हैं।

(३) अभी तक ऐसी सामग्री नीलाम नहीं की गई है। पूर्ण रेकार्ड रखना यात्री कर, आय कर व अन्य करों के असेसमेन्ट के लिये आवश्यक है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति लाडनूं का हैडक्वार्टर

६०८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चंद्राई, पंचायत समिति लाडनूं जिला नागौर का हैडक्वार्टर चन्द्राई ग्राम के नाम से है और रेवेन्यू रेकार्ड में चन्द्राई नाम का कोई गांव इस तहसील व जिले में नहीं है ? यदि हाँ, तो यह पंचायत हैडक्वार्टर कैसे बनाया गया जब कि चन्द्राई नाम की ढाणी ग्राम निम्बी जोधा की सरहद में है और माफिक नीम्बी जोधा पचायत के गठन के यह निम्बी जोधा पंचायत क्षेत्र में है ?

(२) क्या राज्य सरकार की नीति के अनुसार उक्त पंचायत का हैडक्वार्टर चन्द्राई होना वाजिब है ? यदि हां, तो इस पंचायत के ग्रामों में सबसे बड़ा और बीच में पड़ने वाला ग्राम कौन सा है ? सारे गांवों की आबादी पृथक् पृथक् बताने की कृपा करें।

(३) इस पंचायत के पटवारी का हैडक्वार्टर कहां है और वहाँ क्यों रखा गया है ?

उत्तर

(१) जी हाँ। रीडिलीमिटेशन कमेटी के निर्णय के अनुसार।

(२) जी हां। सबसे बड़ा गांव आडिट है। पंचायत क्षेत्र के गांवों की आबादी इस

प्रकार है:—

मरण	४७५
चन्द्राई	३५०
लूकास	२११
ग्रोटिड	८८४
चुंडासरिया	१८४

(३) पटवारी हैडक्वार्टर बडा गांव होने से ग्रोडिट में है।

चिड़ावा शहर में सिनेमा भवन

६०९. श्री मूलचन्द कटेवा (पिलानी)—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या चिड़ावा शहर, जिला झुंझुनू, में कोई सिनेमा भवन बन रहा है ?

(२) क्या जिलाधीश झुंझुनूं को कुछ लोगों ने इस ग्राशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि यह भवन सार्वजनिक भूमि में बन रहा है ग्रौर जिलाधीश ने यह प्रार्थना पत्र एस. डी. ग्रो,, झुंझुनूं को कार्यवाही हेतु भेजा है ?

(३) क्या यह सच है कि भवन बनने का कार्य ग्रभी तक रोका नहीं गया है ग्रौर भवन बन रहा है ?

(४) क्या राज्य सरकार इस प्रकार का प्रबन्ध करेगी कि जब तक इस बात की जांच न हो जावे कि भूमि सार्वजनिक है या नहीं, तब तक वहां भवन न बन सके ?

उत्तर

(१) जी हां, बन रहा था किन्तु ग्रब निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

(२) जी हां, राज्य सरकार को ऐसा प्रार्थना पत्र प्राप्त हुग्रा था जो उचित कार्यवाही हेतु जिलाधीश झुंझुनूं को भेज दिया गया जिस पर वहां नियमानुसार ग्रागामी कार्यवाही की गई।

(३) जी, नहीं। तामीर का कार्य बन्द कराने हेतु तहसीलदार एवं एस० एच० ग्रो० चिड़ावा को ग्रादेश प्रदान किये जा चुके हैं तथा भवन का निर्माण करवाने वाले एवं करने वाले व्यक्तियों को २०-२० हजार रुपये के संगीन जमानत मुचलकों द्वारा पाबन्द करने को तथा भविष्य में कार्य चालू न करने को पाबन्द करने हेतु भी ग्रादेश जिलाधीश झुंझुनूं द्वारा दे दिए गये हैं।

(४) ऐसा प्रबन्ध किया जा चुका है ग्रौर यदि कुछ ग्रौर ग्रावश्यक होगा तो वह भी किया जावेगा।

सड़क निर्माण में ग्राई भूमि का मुग्रावजा

६१०. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सुरक्षा सड़क निकालने से हजारों

कृषकों की कृषि भूमि सड़क के नीचे आई है ? क्या यह भी सत्य है कि कृषकों को बिना अन्तरिम मुआवजा दिए ही काश्त की भूमि का कब्जा ले लिया गया ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि कृषकों की चाही भूमि एवं सिंचाई कुंए भी सड़क के अन्दर आए हैं ? अगर हां, तो उनके विषय में मुआवजे के लिए सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि कृषकों की खातेदारी की भूमि सड़क के लिए बिना अवाप्त किए ही उस पर कार्य शुरू कर दिया गया ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(४) क्या सरकार कृषकों की सड़क में आई हुई काश्त की भूमि का मुआवजा बाजार में क्रय की दर से देने का विचार रखती है ? अगर हां तो क्या उसका एसेसमेंट करा लिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(५) सड़क में आई हुई काश्तकारों की काश्त की भूमि का मुआवजा कब तक दे दिया जावेगा ? मुआवजा पूरा तय होने के पहले अन्तरिम मुआवजा कब तक चुका दिया जावेगा ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

कुतिना—मोहम्मदपुर एप्रोच रोड

६११. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़) :—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला अलवर तहसील बहरोड़ में एप्रोच रोड कुतिना से मोहम्मदपुर का कार्य मिट्टी डालने का बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

कुतीना से मोहम्मदपुर रोड का काम योजना में मंजूर नहीं किया है । प्रश्न नहीं उठता ।

बारां में सस्ते गल्ले की दुकान

६१२. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) बारां नगर में कन्ट्रोल का गेहूं कितने बोरा कितने समय से स्टाक में पड़ा हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि बारां की जनता एक लम्बे समय से बढ़ते हुए गल्ले के भावों के कारण शहर में सस्ते गल्ले की दुकानें खोले जाने की मांग समय समय पर कोटा जिलाधीश एवं बारां उप-जिलाधीश से करती आ रही है ? यदि हां, तो जिलाधीश कोटा ने क्या कार्यवाही की ?

(३) क्या बारां में सरकार ने मजदूरों व मध्यमवर्ग के लोगों के लिए सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने का निर्णय किया है ? यदि हां, तो कब तक दुकानें खुल जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(१) बारां नगर में कन्ट्रोल का गेहूं स्टाक में नहीं पड़ा हुआ है ।

(२) बारां में सस्ते गल्ले की दुकानें खोलने बाबत उप-जिलाधीश बारां का पत्र दिनाँक ७-४-६७ व श्री रूपचन्द त्यागी अध्यक्ष, संयुक्त विरोधी दल बारां का दिनांक ६-४-६७ को बारां में हुई आम सभा का पारित प्रस्ताव जिलाधीश को प्राप्त हुआ। उप-जिलाधीश बारां को १७-४-६७ को सूचित किया गया कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक २९-९-६६ के तहत आयातित गेहूं का वितरण केवल ५० हजार से अधिक आबादी वाले नगरों व अभावग्रस्त क्षेत्रों तक ही करना है। बारां नगर में कोई भी क्षेत्र अभावग्रस्त नहीं है इसलिए वहां कोई भी दुकान सस्ते गल्ले की नहीं खोली गई।

(३) जी नहीं।

स्थगित प्रश्न

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता

(९-६-६७)

३६७. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या भाषा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने का प्रश्न राज्य सरकार क्यों नहीं उठाती है ?

उत्तर

राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने से पूर्व सरकार ने साहित्य अकादमी, नई दिल्ली से यह अनुरोध किया है कि स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी को भी आधुनिक भारतीय भाषाओं में निश्चित स्थान देते हुए मान्यता दी जाए क्यों कि वैज्ञानिक संरचना, भाषा इतिहास वर्तमान साहित्य व सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, विश्व विद्यालय में स्वतंत्र अध्ययन भाषा व्यवहार व प्रकाशनों की दृष्टि से यह भाषा प्राँजल, समृद्धि पूर्ण और सम्पूर्ण है तथा राज्य की लगभग २ करोड जनता इसे बोलती है। साहित्य अकादमी ने अभी अन्तिम उत्तर नहीं दिया है। अकादमी का उत्तर प्राप्त होने पर ही राज्य सरकार विचार करेगी कि राजस्थानी को संविधान में मान्यता दिलाने का प्रश्न उठाए अथवा नहीं।

———

शुद्धि-पत्र

(दिनांक १७ जून, १९६७)

स्कंभ सं.	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१	८	सिचाई	सिंचाई
५	६	है।	है?
५	१०	परसराम	श्री परस राम
५	नीचे से ३	कह	कहा
७	८	घनिक	धनिक
७	१५	अच्छो	अच्छी
७	१९,२३	पर	पर
७	नीचे से ८	नहीं	नहीं
७	नीचे से ६	मैं ने	मैंने
९	५	हागी	होगी
९	नीचे से १५	मेरे	मेरी
१०	१	काश्लकारों	काश्तकारों
१०	७	लेबी	लेवी
११	१	इन्नडेटेड	इननडेटेड
११	१४	है।	है ?
१३	१	परसराम	श्री परस राम
१३	नीचे से १४	विध	विविध

१	२	३	४
१३	नीचे से १०	मत्री	मंत्री
१४	नीचे से ११	कायों	कार्यों
१६	नीचे से ८	जो७पुर	जोधपुर
१८	२	इन्दलिथा	इन्दलिया
१८	१३	सुलोनिया	सुलानिया
१८	नीचे से ४	सदस्य बोलने पर	सदस्यों के बोलने पर
१९	४	रामकिशना	रामकिशन :
१९	५	ग्राकषित	ग्राकर्षित
१९	नीचे से ४	दिया जा	दिया
२०	१०	रंह	रहा
२०	नीचे से १२	महोदथ	महोदय
२०	नीचे से ८	यिकता	मिकता
२०	नीचे ८	निवांचन	निर्वाचन
२१	३	महाराल	महारावल
२१	६	चाहना	चाहता
२२	नीचे ६	मुर्लकिल	मुस्तकिल
२३	८	ग्ररजी	ग्रारजी
२३	१६	कलैक्टर	केलेक्टर
२४	१७	ज्याया	ज्यादा
२५	१०	तो	जो

१	२	३	४
२५	नीचे से ६	आर्डस	आर्डर्स
२७	नीचे से १०	प्रदि	प्रति
२८	८	चन्ढे	चन्टे
२८	९	खन्टे	घन्टे
२९	३	टेकनिकल एक्सपर्ट	(टेकनिकल एक्सपर्ट से)
३१	३	अमर कनटैम	अमरकन्टक
३१	१२	हुरिवेव	हरिदेव
३२	२	डिसिकस	डिसकस
३२	७	स्थानान्तर	स्थानान्तरण
३३	नीचे से १५-१६	कोई मुसकिलें आती है	कई मुश्किलें आती हैं
३३	नीचे से १०	रिकटमेंट	रिक्रूटमेंट
३३	नीचे से ९	रिक्रटमेंट	रिक्रूटमेंट
३४	८	परमपराए	परम्पराएं
३७	नीचे से ४	कर्जों	कर्जो
३८	४	सैंवशन	सैंक्शन
४०	नीचे से १२	फैंड	फंड
४१	१३	moro	more
४३	नीचे से ५	खिए	लिए
४३	नीचे से २	ओर	और
४७	३	सिद्धांत:	सिद्धांततः
४७	नीचे से ११	चाएि	चाहिए

Page No.191

१	२	३	४
४६	१७	संह	सही
५१	६	मी	मी
५२	१०	एपलीकेशन	एप्लीकेशन
५२	नीचे से १०	वतान	बताने
५३	३	दिनोंक	दिनांक
५३	नीचे से ८,	लायबिल्टीज	लायबिलिटीज
५३	नीचे से ११	रुपयों	रुपयों
५४	११	वेल्डएशन	वेल्युएशन
५४	१२	डिरेक्टर्स	डाइरेक्टर्स
५४	नीचे से ६	रेवेन्यू	रेवेन्यू
५४	अंतिम	कितने	किनके
५५	६	लिक्विडेशन	लिक्विडेशन
५५	११	बैठ	बैठे
५६	४	वेचेगे	वेचेंगे
५६	६	डिपाटमेंट	डिपार्टमेन्ट
५७	६	नीलामी बर्चो	नीलामी से बर्चो
५८	१	सरकारो	सरकारी
६०	नीचे से १४	(ग्राश्रव्य)	(अश्रव्य)
६१	१४	तयार	तैयार
६१	अंतिम	श्रो	श्री

१	२	३	४
६२	५	हांकर	होकर
६२	१७	सदम्यों	सदस्यों
६२	नीचे से ६	वताने	बताने
६३	१५	विबरण	विवरण
६५	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अ० स० के तारांकित प्रश्नोत्तर
६५	१३	विशेस	विशेष
६५	नीचे से ५	गड्डे	गढ्ढे
६६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
६६	४	गड्डों	गढ्ढों
६६	अन्तिम	नर्हीं	नहीं
६७	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अतारांकित
६८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
६८	८	गाड़	गाढ़
६८	८	खीचे	खींचे
६८	नीचे से ७	पाच, पाचं	पांच
६९	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अतारांकित
६९	६	गाड ने	गाढ़ने
६९	९	ट्रांसफोंरमर	ट्रांसफॉर्मर
७०	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर

१	२	३	४
७०	२	जायेंये	जायेंगे
७१	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अतारांकित
७१	नीचे से ८	किया गया गया	किया गया
७३	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यों के	अतारांकित
७४	शीर्षक .	तारांकित प्रश्तोत्तर	प्रश्नोत्तर
७५	शीर्षक	अनुपस्थित सदस्यो के	अतारांकित
७७	शीर्षक	अनुपस्थित संदस्यों के	अतारांकित
७७	८	कितन	कितनी
७७	नीचे से ३	की	कि
७८	शीर्षक	ताराकित प्रश्नोत्तर	प्रश्नोत्तर
७९	शीर्षक	स्थगनन प्रस्तावों	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७९	नीचे से १०	रीर्जोन	रीजोंन
७९	नीचे से ३	(२)	(३)
८०	शीर्षक	सम्बन्धी व्यवस्था	स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था
८०	८	म० प०	(म० प०)
८०	नीचे से ६	सम्मवना	सम्भावना
८१	नीचे से १०	तहसीख	तहसील
८१	नीचे से ८	व्रजवल्लम	वृजवल्लभ
८२	शीर्षक	व्वयस्था	व्यवस्था

१	२	३	४
८२	नीचे से १०	Daptt.	Deptt.
८३	१२	ताज्जूब	ताज्जुब
८४	२	इक्ट्टी	इकट्ठी
८४	नीचे से ११	लें	लें
८८	७	गृहण	ग्रहण
८९	१२	रामान्द	रामानन्द
८९	१४	गृहण कारये	ग्रहण करिये
९०	१५	chair	Chair
९१	१२	जौ	जो
९२	नीचे से ११	निग्लीजिन्से	नेग्लीजेन्स
९२	नीचे से ५-६	(रामान्द जी)	(रामचन्द्र आर्य)
९३	१०	चैयरमेन	चेयरमैन
९३	नीचे से ४	कतव्र्य	कर्त्तव्य
९४	नीचे से १०	व्ययस्था	व्यवस्था
९५	९	इसमें इसमें	इसमें
९६	१३	ध्येय	व्यय
९६	१४	निर्मित	निमित्त
९७	सामग्री	सामग्री	सामग्री
९७	१५	ब्यवस्था	व्यवस्था
९८	नीचे से ५	अनुमोदन	अननुमोदने

१	२	३	४
९८	अंतिम	रुपथा	रुपया
९९	८	अस्पस्टता	अस्पष्टता
९९	१०	संख्मा	संख्या
१००	३	सांग	मांग
१००	७	प्र	प्रति
१००	नीचे से ३	संख्य	संख्या
१०१	१४	कम दिया	कम कर दिया
१०२	नीचे से ७,१	अनुयोदन	अननुमोदन
१०३	शीर्षक	]१०३	१०३]
१०३	६	अनुमोदन	अननुमोदन
१०४	नीचे से ३	कम क	कम कर
१०५	शीर्षक	व ४	व २४
१०५	नीचे से १३	संस्या	संख्या
१०६	१, १२, १७ व नीचे से २	अनुयोदन	अननुमोदन
१०६	१४	कौ	को
१०७	नीचे से १३	संख्सा	संख्या
१०८	नीचे से १५	Sec ndry	Secondry
१११	१६	शीर्पक	शीर्षक
१११	नीचे से ४	यिया	दिया
११३	४	सिलीसेट	सिलीसेट

Page No.196

१	२	३	४
११३	५	व्यबस्था	व्यवस्था
११३	५	ग्रायश्यकता	आवश्यकता
११३	१८	स्वासियों	स्वामियों
११४	१५	खूंट :	खूंट):
११४	नीचे से १३	ज्ञिशा	शिक्षा
११६	११	खीले	खोले
११६	१६	स्कूलों के	स्कूलों को
११७	१	संच्या	संख्या
११८	१५	(हिन्डीली)	(हिन्डोली)
११८	अंतिम	वारे	बारे
११९	१३	प्रथमिकता	प्राथमिकता
११९	१६	सबंधी	संबंधी
११९	नीचे से १२	संख्या शीर्ष	संख्या १५, मुख्य
११९	नीचे से ११	यिया	दिया
१२०	१०	अनुमोदन	अननुमोदन
१२०	१२	शीपंक	शीर्षक
१२०	नीचे से १०	मांग	मांग
१२१	१०	अध्यापको	अध्यापकों
१२३	नीचे से ११	साथग्री	सामग्री
१२३	नीचे से ४,	मुस्या	मुख्य

Page No.197

१	२	३	४
१२४	नीचे से १२	शीर्यक	शीर्षक
१२४	नीचे से ३	मुख्या	मुख्य
१२५	७	अर्नैतिक	अनैतिक
१२६	१२	शीर्पक	शीर्षक
१२६	नीचे से १२	वैश्यावृति	वैश्यावृत्ति
१२६	नीचे से ११	चर्च्चा	चर्चा
१२६	नीचे से ८	नुख्य	मुख्य
१२६	नीचे से ५	Schoo[	School
१२८	१०	व्यवाहार	व्यवहार
१२९	२	संख्य	संख्या
१२९	१६	वृद्धिचन्द	श्री वृद्धिचन्द्र
१३०	नीचे से, १३, ९, ३	१००]	१००)
१३१	नीचे से १५	Spe ial	Special
१३१	नीचे से ११	खेदर	रैवदर
१३२	३	थाना]	थाना)
१३३	११	मंग	मांग
१३४	५	१००]	१००)
१३४	नीचे से ९	समितियों	समितियों
१३५	१९	में	मे
१३५	नीचे से ६	२०	६०

१	२	३	४
१३५	नीचे से ३	स्कूलस्	स्कूल्स्
१३५	नीचे से २	मुख्या	मुख्य
१३६	५	यिया	दिया
१३६	१६	१००]	१००)
१३६	१९	स्रु	से
१३६	नीचे से	ग्रमोव	ग्रमाव
१३७	नीचे से १०	मॉग	मांग
१३७	नीचे से २	शौर्षक	शीर्षक
१३८	शीर्षक	कटौति	कटौती
१४०	१९	तरकी ग्रोर	तरक्की की ग्रोर
१४१	नीचे से ४	Se.	Se.
१४२	नीचे से १३	विवद्	विविध
१४२	नीचे से ८	पूंनियां	पूनिया
१४३	१	(खंडेला) मंग	(खंडेला) मांग
१४३	नीचे से ८	बनेगें	बनेंगे
१४३	नीचे से ५	में	मैं
१४४	शीर्षक	कटौती प्रस्ताव	वाद-विवाद
१४४	२	हैं।	है
१४४	१४ २७,३२	मै	मैं
१४४	३	ग्रसग्रयेत्रि	ग्रतिशयोक्ति

१	२	३	४
१४६	शीर्षक	याद	वाद
१४६	७	teoches	teachers
१४६	८	Secondry	Secondary
१४७	नीचे से १२	सर्वेंट्स	सर्वेंट्स
१४८	शीर्षक	विवा	विवाद
१४८	३	इसका	इस
१४८	६	ग्रोर	ग्रोर
१४८	६	उल्लघन	उल्लंघन
१४९	शीर्ष	फतेसिंह	फतेहसिंह
१४९	११	ज्यावर	ब्यावर
१४९	नीचे से ८	पढ़ाने ग्रोर	पढ़ाने की ग्रोर
१४९	नीचे से ५-४	कर में सरकार	कर सरकार
१५०	नीचे से ९	रायस्थान	राजस्थान
१५१	११	राजस्थान	,,
१५१	नीचे से ११	सी	जैसी
१५२	१७	ग्रोर	ग्रोर
१५३	१५	जनसख्या	जनसंख्या
१५४	१	ग्रोर	ग्रोर
१५५	१९	वच्चे	बच्चे
१५६	१	होंगा	होगा

१	२	३	४
१५६	१४	उनकी	उन
१५७	१६	क्लालेज	क्लासेज
१५७	१७	वहा	वहां
१५६	६	ऐसे ऐसे है	ऐसे हैं
१६०	११	मम्बन्ध	सम्बन्ध
१६२	१०	टीक	ठीक
१६३	४	हैंड	हैड
१६२	४	समर्भे	समझें
१६१	नीचे से ८	पाजामा	पाजामा
१६३	नीचे से ८	होस	होंश
१६३	अंतिम	मिशनरींज	मिशनरीज
१६३	,,	वें	वे
१६४	१३	मिसार्ले	मिसालें
१६४	२३	गॉवों	गांवों
१६४	नीचे से २	अध्यक्ष	उपाध्यक्ष
१६५	२	डिपार्टमेंट	डिपार्टमेंट
१६५	५	क्योंकि	क्योंकि
१६६	१	को-एयूकेशन	कों-एज्यूकेशन
१६६	नीचे से ६	जो	जो
१६७	८	लिय	लिये

१	२	३	४
१६७	५	सींच	सींचं
१६७	अंतिम	धणी	धणी
१६८	१	पिवं	पिवे
१६८	२	सैकडी	सैकडां
१६८	५	दिन	दिन
१६८	६,७,१३	धणी	धणी
१६६	६	हटाटे	हटायेंगे
१६६	१३,१७	पडेंगी	पड़ेंगी
१७०	४	अखिर	आखिर
१७०	११	order, sir.	order sir.
१७०	१६	वी	वीर
१७१	६	order Sir	order, Sir
१७१	१३	प्रैक्टिस	प्रेक्टिस
१७३	११	शिक्षी	शिक्षा
१७३	१७	वैश्थाएं	वैश्याएं
१७६	अंतिम	चेंजिज	चेंजेज
१७७	१३	ट्रांसफोरमेशन	ट्रांसफॉर्मेशन
१७७	२१	इग्जा	एक्स्पेन्शन
१७८	६	क्वाटिटेटिव	क्वान्टिटेटिव
१७९	७	स्टॅथ	स्ट्रेंग्थ

१	२	३	४
१७६	नीचे से १४	प्रीप्राइमरी	प्रिप्राइमरी
१८०	३	प्रीप्राइमरी	प्रिप्राइमरी
१८०	१०	ह्यूमनीटेरियन	ह्यूमेनिटेरियन
१८०	१३	कस्याण	कल्याण
१८०	१८	ओरु	और
१८१	१२	Society	society
१८१	१४	सेलैंट	सेलियंट
१८१	२१	थोट	थॉट
१८२	नीचे से ८	कन्स्ट्रक्टिव	कन्स्ट्रक्टिव
१८४	नीचे से ५,१३,१४	फोरिन	फॉरेन
१८४	नीचे से ६	प्रोफेसर्स	प्रोफेसर्स
१८६	नीचे से ८	बनवाएं	बनवाएं
१६१	शीर्ष	भंवरलाल	सांवरमल बासोतिया
१६१	नीचे से ६	खासतीर	खासतौर
१६१	नीचे से ५	प्रसेग	प्रेसेज
१६२	नीचे से ५	प्रक्षुण्या	प्रक्षुण्ण
१६३	१	यशवंत	यशवंत
१६३	७	सवंध	संबंध
१६३	अन्तिम	वच्चों	बच्चों
१६५	नीचे से ११	edequate	adequate

१	२	३	४
१६५	नीचे से ५	inefectine	ineffective.
१६८	नीचे से २	नाटर	नाहर
१६६	१	का पत्नि	की पत्नी
१६६	नीचे से ४	कमेटिया बैठी	कमेटियां बैठी
२००	नीचे से ७	में	मैं
२००	नीचे से २	indta	india
२०१	४	efiecti	effceti
२०१	१८	Venerale of wine rohles	Venerable of venerables
२०१	२२	Hierophants	Heir-apparants
२०३	१६	पचायल	पंचायत
२०६	३	हते	रहते
२०७	१३	ढेरो	ढेरों
२०९	नीचे से १२	सम्बन्ध	सम्बन्ध
२१०	नीचे से ७	eage	large
२११	नीचे से १०	लिट्रेंसी	लिट्रेंसी
२१२	नीचे से ८	Pubiic	public
२१२	नीचे से ६	deterioraed	deteriorated
२१४	७	anchavat	panchayat
२१४	नीचे से ६	होत	होता

१	२	३	४
२१६	११	प्राषीक्यूशन	प्रोसीक्यूशन
२१८	८	किसी	किस
२२२	३,६	कान्फीडेंसियल	कान्फीडेंशियल
२२२	१६	रीइन्सटेट	रिइन्स्टेट
२२६	शीर्ष	श्रा	श्री
२२६	४	"कदम रुकेंगे नहीं ।	"कदम रुकेंगे नहीं" ।
२२६	१३	है	हैं
२३२	शीर्षक	विवा	विवाद
२३२	१४	सघठन	संगठन
२३२	नीचे से ५	कंस	कैसे
२३५	१०	साढे	साढ़े
२३६	१०	मै	मैं
२३६	१४	महा	महो
२३६	नीचे से ५	पचायत	पंचायत
२३६	नीचे से ४	एम्पलायमेंट	एम्पलॉयमेंट
२३६	नीचे से ३	कितन	कितने
२३७	२,	एब्सार्व	एब्सार्ब
२३७	१३	इन्सपैक्टर	इन्सपेक्टर
२३७	१४	टारगेट्स	टारगेट्स
२३८	१२	डाइरैक्ट	डाइरेक्ट

१	२	३	४
२३८	१३	रिक्रूटमैन्ट	रिक्रूटमेंट
२३८	१६	एब्जोर्ब	एब्सार्व
२३६	१६	इन्स्पेक्टस	इन्स्पेक्टर्स
२४०	नीचे से ३	बेंची	बेची
२४१	नीचे से १४	वोकेशनल	वोकेशनल
२४२	१-२	सरपच	सरपंच
२४३-२४४	शीर्षक	जन	जून
२४३	७	घर्णी	घर्णी
२४४	७	ताल्लूक	ताल्लुक
२४५	नीचे से १३	शिड्डल	शिड्यूल्ड
२४६	नीचे से ८	पॉपूलेशन	पॉपुलेशन
२४८	नीचे से ४	शिड्यूस्ड	शिड्यूल्ड
२५०	६	व्वयस्था	व्यवस्था
२५०	नीचे से १२	स्टुडन्ट्स	स्टुडेन्ट्स
२५१	६	लड़कां	लड़का
२५१	७	लड़कों	लड़का
२५१	१४	पाच	पांच
२५१	नीचे से ११	रुपयों	रुपये
२५३	२	है	हैं
२५३	६	फर्ज	फर्ज़

१	२	३	४
२५३	६	सेकेन्डरी	सेकन्डरी
२५३	१५	ऐजेन्सिज्	ऐजेन्सीज्
२५५	१२	गड़वड़ा	गड़बड़ी
२५६	१५	है	हैं
२५६	२१	ढिसीजन	डिसीजन
२५७	१२	है	हैं
२५७	१३	गई	गईं
२५८	७	साचना	सोचना
२५८	६	हैं	है
२५८	११	मैम्बर	मेम्बर
२५८	१४	है	हैं
२५८	नीचे से २	श्रोणी	श्रेणी
२६१	७,६	है	हैं
२६२	७	हागी	होगी
२६३	नीचे से १४	उटाया	उठाया
२६३	नीचे से ३	रावत	रावत !
२६४	१५	हैं	है
२६५	८	मत्रियों	मंत्रियों
२६५	११	धारए	धारणा
२६५	नीचे से ८	इतनी	इतना

१	२	३	४
२६७	११	पोपुलेशन	पॉपुलेशन
२६८	नीचे से ४	चलती	चलता
२१८	नीचे से २	सकन्डी	सेकन्डरी
२६९	८	थाड़े	थोड़े
२७०	१४	मैंयो	मेयो
२७१	नीचे से २	प्रोफैसर	प्रोफेसर
२७२	१५	तेंयार	तैयार
२७२	नीचे से ७	हैं	है
२७३	८,९	विप्स	व्हिप्स
२७४	१५	रिक्वैस्ट	रिक्वेस्ट
२७५	१४	विप	व्हिप
२७६	१०	स्वतन्त्र	स्वतन्त्र
२७७	२	वोलने	बोलने
२७७	६	छटा	छठा
२७८	३	विट्ठल	विट्ठल भाई
२७९	१५-१६	नियेंत्रण	नियंत्रण
२८०	५	क्वान्टिटी	क्वान्टिटी
२८०	६	सांमजस्य	सामंजस्य
२८०	२०	राजस्यान	राजस्थान
२८०	२२	ग्रच्छीं	ग्रच्छी

१	२	२	४
२८०	नीचे से ७	व्यबस्या	व्यवस्था
२८०	नीचे ४	करू	करूं
२८०	नीचे से २	पोलिसी सोलिस्टिक	पॉलिसी सोफियेस्टिक
२८१	१०, २०	करु ।।।	करूंगा
२८१	१६	६८ : ६६	६८-६६
२८२	नीचे से २	कोन्स्टिटुएन्सी	कांस्टीटुएन्सी
२८३	नीचे से १२	डेनसिटी ग्राफ पोपुलेशन	डेन्सिटी ऑफ पॉपुलेशन
२८४	३	बदर	बंदर
२८४	१८	शिक्षा पंचायतों	शिक्षा को पंचायतों
२८४	नीचे से ५	उसे	उससे
२८४	नीचे से ४	से	में
२८५	१३	cnallenged	challenged
२८६	१५	gradinate	graduate
२८६	नीचे से ६	vinictivenes	vindictivenoes
२८८	नीचे से ८	ओब्जेक्शननेवल	ऑब्जेक्शनेबल
२८८	नीचे से ४	बलात्का	बलात्कार
२८६	२	सतंत्व	सतीत्व
२८६	६	था ।	था ।"
२६८	नीचे से ११-१०	प्राय रिटो	प्रॉयोरिटी
३००	अंतिम	mendetpry	mandatory

१	२	३	४
३०१	५	give	give
३०१	७	So	so
३०२	२	व्यवस्क्षा	व्यवस्था
३०२	नीचे से १३-१४	Allocatiang time-brds	allocation of time-order
३०२	नीचे से ६	says-No	say- "No
३०२	नीचे से ३	wth	with
३०३	१४	लेटीन	गुलेटीन
३०४	७	ब्यवस्था	व्यवस्था
३०४	६	लेग्स	लेग्स
३०५	नीचे से ४	युनिर्वासिटी	युनिर्वसिटी
३०६	१२	कीं	की
३०६	नीचे से ८	सैलरी	सेलेरी
३०७	४	सेन्ट्ल	सेन्ट्रल
३०७	४	फाइनेन्सियल	फाईनेन्शियल
३०८	१६	रिपरकसन्स	रिपर्कशन्स
३०९	३	Anew	A new
३०९	६	educatton.	education
३१०	५	मं	में
३१०	११	B.D.O.....	B D O....."
३१०	१५	The	"The"

१	२	३	४
३१०	१६	Seools.	Schools.
३११	१३	है	हैं
३११	१३	जनसघ	जनसंघ
१३	१०	इतके	इसके
१३	नीचे से २	युनीवर्सिटी	युनिवर्सिटी
१४	४,६,१२,२३	थनीवर्सिटी	युनिवर्सिटी
१४	२१	स्वयं	स्वयं
१६	१८	इस	उसका
१७	१३	यूराप	यूरोप
१८	नीचे से ६	अये	आये
२३	१३	the	the
४३	१४	आबेगा	जावेगा
५	६	उपयेग	उपयोग
१	नीचे से ५	ट्रकटर	ट्रैक्टर
३	१३	वलाने	बुलाने
७	१४	थी	थीं
७	२०	कन्ट्रेक्ट	कान्ट्रैक्ट
८	नीचे से ६	पृथक् पृथक्	पृथक पृथक
०	१६,१८	षावन्द	पाबन्द